नवम माला,

5 अक्तूबर, 1990
आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र—दूसरा भाग

(नौवीं लोकसभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 5 अक्टूबर, 1990 / 13 आश्विन, 1912 (शक)

का

शुद्धि — पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	8	"संशोधित" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये ।
3	13	"श्री दिदेश सिंह" के स्थान पर "श्री दिनेश सिंह" पढ़िये ।
9	8	"महोदग" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये ।
25	नीचे से पंक्ति8	"श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये ।
33	नीचे से पंक्ति9	"श्री संषोन्त मोहन देव" के स्थान पर "श्री संतोष मोहन देव" पढ़िये ।
81	8	"श्री शोपय सिंह मक्कासर" के स्थान पर "श्री शोपत सिह मक्कासर" पढ़िये ।
101	10	"सभापपि" के स्थान पर "सभापति" पढ़िये ।
122	6	"स0 सरदार पाल सिंह" के स्थान पर "सरदारअतिन्दर पाल सिंघ" पढ़िये ।
127	16	"वचनगद्धता" के स्थान पर "वचनबद्धता" पढ़िये ।
130	9	"श्री अजय मुखापोध्याय" के स्थान पर "मुखोपाध्याय" पढ़िये ।
134	नीचे से पंक्ति8	"संसदीय कार्य" के पश्चात् "मंत्री" अन्त: स्थापित करिये ।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 10, तीसरा सत्र दूसरा भाग, 1990/1912 (शक)

अंक 24, शुक्रवार, 5 अक्तूबर, 1990/13 आश्विन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—12
सभा पटल पर रखे गए पत्र	12—15
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	15
अध्यक्ष के निदेशों में संशोधित—सभा पटल पर रखा गया	15
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन दल के दौरों का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	15
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	15—20
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	15—18
श्री पी० चिदम्बरम	18—22
श्री राजदेव सिंह	22—24
प्रो० एन० जी० रंगा	24—28
स० अतिन्दर पाल सिंघ	28—31
डा० तम्बि दुरै	31—32
श्रीमती गीता मुखर्जी	32—33
श्री आरिफ बेग	33
श्री संतोष मोहन देव	33—36
श्रीमती बिमल कौर खालसा	36—37
श्री कृपाल सिंह	38—39
डा० बिप्लव दास गुप्त	39—40
श्री हरभजन लाखा	40—42
चौ० राम प्रकाश	42
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	42—50
भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख संबंधी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में	51—68

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	69—127
उत्तर प्रदेश में गोंडा तथा देश के अन्य भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगे	
श्री एच० के० एल० भगत	69—75
श्री बृज भूषण तिवारी	75—78
श्री राजवीर सिंह	78—82
श्री सी० के० जाफर शरीफ	82—84
श्रीमती सुभाषिनी अली	84—89
श्री मित्रसेन यादव	89—91
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	92—95
श्री युवराज	95—96
श्री राम नाईक	96—99
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन	99—102
श्री राम कृष्ण यादव	102—104
श्री टी० बशीर	104—105
श्री नानी भट्टाचार्य	105—109
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	109—111
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	111—112
श्री गुमान मल लोढा	115—120
श्री आर० एन० राकेश	120—122
स० अतिन्दर पाल सिंह	122—123
श्री कालका दास	123—124
श्री रमेश चेन्नीथाला	124—125
श्री सुबोध कांत सहाय	125—127
संकल्प	127
लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श के प्रति वचन बद्धता	
नियम 377 के अधीन मामले	127—133
(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री शांता राम पोटदुखे	128
(दो) देववासियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना को स्वीकृत देने और उसके कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	128

विषय	पृष्ठ
(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन टावर स्थापित किए जाने की मांग श्री हरीश रावत	128—129
(चार) राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर मोहन लाल गंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग श्री सरजू प्रसाद सरोज	129
(पांच) आगरा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थापित किए जाने की मांग श्री राम जी लाल सुमन	129
(छः) डा० अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग श्री कालका दास	129—130
(सात) भारतीय पटसन निगम द्वारा सीधे उत्पादकों से पटसन की खरीद सुनिश्चित करने और उसके मूल्य अधिक लाभप्रद बनाए जाने की मांग श्री अजय मुखोपाध्याय	130
(आठ) पंजाब में धान की खरीद सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग श्री राज देव सिंह	130
(नौ) चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने और उपयोगी अंगों के प्रतिरोपण को लोक प्रिय बनाने के लिए शव स्वीकार करने हेतु विधान बनाए जाने की मांग श्री गोपीनाथ गजपति	130—131
(दस) डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों की सेवा नियमित किए जाने की मांग श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा	131
(ग्यारह) भारत-भूटान सीमा पर रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की मांग श्री माणिक साग्याल	131—132
(बारह) उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाए जाने की मांग श्री भोगेन्द्र झा	132
(तेरह) बिहार के रोसेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विरौल या कुशेश्वर स्थल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग श्री दसई चौधरी	133
(चौदह) झार खण्ड समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की मांग श्री ए० के० राय	133
विदाई सम्बन्धी उल्लेख	134—135

लोक सभा

शुक्रवार, 5 अक्तूबर, 1990/13 आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री चरनजीत सिंह के दु:खद निधन की सूचना देनी है। वह 1980-84 के दौरान दक्षिण दिल्ली निर्वाचन-क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1975-79 के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्य रहे और 1976-77 के दौरान वह उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे।

एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में विभिन्न आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में उनके अमूल्य योगदान को सदा याद रखा जायेगा। वह एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल में भी रहे। वह 1975 में दिल्ली की टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी थे।

श्री सिंह ने कई देशों का भ्रमण किया था और वह खेल-कूद में विशेष रुचि लेते थे।

कल सुबह हृदय गति रुक जाने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर बहुत दुख है और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेगी।

सभा अपना शोक व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

— — — —

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जिस तरह से पुलिस के साथ मिलकर प्रशासन ने लोगों की अवस्था है वह बड़ा गम्भीर मामला है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय ; रावत साहब, आप बैठ जाएं, मैं आपको सुनूंगा। मिस्टर अकबर बैठ जाएं।

श्री हरीश रावत : इसको बी० जे० पी० और जनता दल मिलकर कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गोंडा के बारे में दिनेश जी से कहता हूं कि वे बताएं क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको सुनूंगा। मिस्टर सोज बैठ जाएं। सवाल की गम्भीरता को देखकर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : सरकार कभी जाति के आधार पर कभी देश के आधार पर···(व्यवधान) इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका निवेदन सुनूंगा कि क्या है। मेहरबानी करके बैठ जाएं। यह बहुत अहम सवाल है इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि :

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

यादवेन्द्र जी, यह अच्छा नहीं लगता है कि आप जैसे बुजुर्ग खड़े हों।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, मैं गोंडा जिले में कर्नलगंज तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई घटनाओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दुखद बात है कि अयोध्या के आसपास साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए सुनियोजित तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ अयोध्या के आसपास या उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश भर में तनाव उत्पन्न हो रहा है। जनता दल सरकार द्वारा अपनाई जा रही यह दुर्भाग्यपूर्ण नीति, जिसके तहत जाति अथवा धर्म के आधार पर तनाव उत्पन्न किया जा रहा है, यदि सभा इस पर पूर्ण रूप से गौर नहीं करती है और इसे रोकने के लिए सख्त कार्यवाही नहीं करती है तो यह इस देश को विभाजित कर देगी। कर्नलगंज की घटनाएं सिर्फ स्थानीय घटनाएं नहीं हैं। यह तो सभी जगह साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की एक सुनियोजित चाल है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस सभा में मौजूद कुछ पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं। (व्यवधान)

मधु जी चाहते हैं कि मैं उन पार्टियों का नाम लूं। ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल हैं। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : यह गलत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): अध्यक्ष जी, जहां-जहां पर इस प्रकार के दंगे हुए वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया हो तो वह उसका नाम बतायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा, आप अभी बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह पहले नाम बतायें या अपने शब्द वापिस लें। मेरा कहना यह है कि जो लोग पकड़े गये हैं उनमें से बी० जे० पी० का एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसमें तो कांग्रेस के लोग सम्मिलित थे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी का प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है, आप बैठ जायें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है कि ऐसा नियम है कि यहां किसी पार्टी पर या किसी व्यक्ति पर ऐलीगेशन नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार का नियम होते हुए भी उन्होंने बी० जे० पी० पर आक्षेप लगाया है। मैं इसका खंडन करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हमें निर्णय लेना है कि हम इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करें। इसकी बजाय, वह केवल एक वक्तव्य दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विजेश सिंह : हमने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री एच० के० एल० भगत द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। हम स्थगन प्रस्ताव पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि देश में साम्प्रदायिक-सौहार्द बनाए रखना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। यह केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। यह साम्प्रदायिक सद्भावना का मामला है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार पूर्णतया उत्तरदायी है। सौभाग्य से गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। उन्हें इस बारे में अब पूरी तौर पर सक्रिय होना है, ताकि साम्प्रदायिक सद्भावना कायम रखी जा सके। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, इनको तो आपने अपनी बात कहने मौका दे दिया लेकिन हमें···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मना कर रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना यह है कि जो लोग पकड़े गये हैं उनमें से बी० जे० पी० का एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। इनके कहने के अनुसार कि उनमें बी० जे० पी० के लोग गिरफ्तार हुए हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वह उनमें से एक का भी नाम हमें बतायें ? उसमें तो कांग्रेस और जनता दल के लोग गिरफ्तार हुए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, ये लोग दंगे कराते हैं और हमें दोष दे रहे हैं, यहां शोर मचा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, आप बैठ जायें। मैं बोल रहा हूं। पहले आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है, मैं आपको इजाजत नहीं दी। कालका दास जी, आप बैठ जायें। आप सब भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पांडेय जी, आप बैठ जायें, मैं नहीं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० जोशी, यह ठीक नहीं है। मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जायें। मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, आप हमारा पक्ष भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों इकट्ठे खड़े हैं, कैसे सुनें। पहले आप हमको बोलने दीजिए, कृपया बैठ जायें। जब इस विषय पर बहस होगी तो आप बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब पहले बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आप पहले हमको स्पष्टीकरण दे लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मि० राम नाईक इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी आपकी आवाज बुलन्द है, इसलिए आप खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : महोदय, कल हम चार संसद सदस्यों ने उस स्थान का दौरा किया है। (व्यवधान) वहां स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका स्थगन प्रस्ताव मिल गया है।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, गांव-गांव पर बिना किसी कारण के हमले किए जा रहे हैं। (व्यवधान) लोगों को निर्दयतापूर्वक कत्ल किया जा रहा है। (व्यवधान) इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तरदायी हैं। (व्यवधान) महोदय, लोगों को जिन्दा जलाया जा रहा है। (व्यवधान) यह घटना बहुत घृणात्मक है। (व्यवधान) यहां पर मौजूद कतिपय राजनैतिक पार्टियां

इसके लिए जिम्मेदार हैं । (व्यवधान) वे इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं । (व्यवधान) वे हत्यारे हैं । (व्यवधान) यह एक राष्ट्रीय समस्या है। (व्यवधान) इसके कारण सारे देश का नाश हो रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस समय आप अपनी बात नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि सारा सदन चिन्तित है, जिस सिलसिले में आप लोग बहस करना चाहते हैं । सवाल है कि सदन में बहस होनी चाहिए और उसी पर हम बात कर रहे हैं । इस पर कुछ सदस्य बैलेंस नहीं रखते हैं और इधर-उधर की बात करते हैं, इससे सदन का समय खामखाह नष्ट होता है । सवाल यह है कि बहस के इस विषय को किस फार्म में लाया जाए ।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद में इतने रॉयट नहीं भड़के थे, जितने कि आज भड़क रहे हैं । आज गांव के गांव जलाए जा रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस करवाने वाला हूं । सवाल यह है कि किस तरीके से बहस हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : एडमिनिस्ट्रेशन असत्य बोल रहा है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तय करने वाला हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब बात होगी, तब सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास स्थगन-प्रस्ताव का नोटिस आया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका अनुरोध क्या है? लेकिन, आप इस मामले के गुण-दोषों पर न बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन-प्रस्ताव की सूचना नियमों के अन्तर्गत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं फैसला करने वाला हूं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आज आपके कक्ष में प्रातः चर्चा के दौरान हमने स्पष्ट कर दिया था कि स्थगन प्रस्ताव के द्वारा हम सरकार की आलोचना करना चाहते हैं क्योंकि साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। विशेषकर इस मामले में, दो मुख्य बातें गौर करने योग्य हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं तो दूसरी तरफ जो रथयात्रा निकाली जा रही है; वह है। इन दोनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। **(व्यवधान)** इसलिए, हम मात्र चर्चा से सन्तुष्ट नहीं होंगे। हम सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव देना चाहते हैं। इसलिए, हम यह चाहते हैं तथा इस पर जोर देना चाहेंगे कि स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिसके बारे में सारी सभा उद्वेलित है। बेशक, इस पर एक गंभीर तथा व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। अगर आप हमारे कुछ मित्रों द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु, मैं यह चाहूंगा कि इसे केवल एक साम्प्रदायिक घटना तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। पिछले तीन-चार दिनों से जो कुछ हो रहा है, आप जानते हैं। उदयपुर में क्या हुआ, वह भी आप जानते हैं। आज कर्नाटक, प्रतापगढ़ गाजीपुर, सभी स्थानों से समाचार प्राप्त हुए हैं। **(व्यवधान)**। मेरा सुझाव यह है कि चर्चा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**। एक दूसरे पर चिल्लाने का क्या लाभ है? परन्तु, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चर्चा करवाई जानी चाहिए। सरकार, अर्थात् गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। जो भी जानकारी सरकार के पास है, उसके आधार पर उन्हें वक्तव्य दे देना चाहिए तथा उसके बाद चर्चा करवाई जा सकती है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप बी० जे० पी० वालों की बात को तो सुन लीजिए। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, अभी जो हमले हुए हैं इसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। माननीय दिनेश सिंह जी ने बी० जे० पी० वालों पर जो आरोप लगाया है ये नितान्त भ्रामक है। **(व्यवधान)** मेरा कहना है कि ग्रह मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि वहां कौन लोग पकड़े गए और किन लोगों ने इस प्रकार के दंगे भड़काये ? वे जनता दल के लोग थे या कांग्रेस (आई) के थे, उनके खिलाफ जांच कराई जाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, तमिलनाडु में सांप्रदायिकता फैलनी आरम्भ हो गई है। **(व्यवधान)**। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के कारण तमिलनाडु में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त है। **(व्यवधान)**। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करें और चर्चा की अनुमति प्रदान करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती विजया राजे सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है तो हमारे कुछ सदस्यों को भी अपने व्यू प्वाइंट्स रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस तो जरूर होगी, अब किस शक्ल में बहस होगी, यह देखना है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप बहस करवाना चाहते हैं, पर हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारी बात सुनने के बाद बहस की आवश्यकता ही न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने तय कर लिया है कि बहस होगी, लेकिन हमारी बात भी तो आपको सुननी चाहिए, हम भी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है हम आपको कुछ अच्छी सलाह दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनने से इन्कार नहीं किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि आज आखिरी दिन है और बहुत-सी चीजों पर बहस करनी है। गोंडा की घटना के बारे में सारा सदन बहस करना चाहता है। बहस किस शक्ल में हो, इस पर विचार करना है।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों को भी अपने व्यू प्वाइंट्स रखने दीजिए। आपने सबको मौका दिया है। हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसलिए हमारे

सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हमारे कम से कम एक सदस्य को तो बोलने दीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हर पार्टी के नेता बोल लें, उसके बाद आगे चलेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ प्रोसीजर है। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा, यह बहुत ही सीरियस मामला है। सारा सदन इससे उत्तेजित है। इसकी सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम सारे देश की जनता की तरफ से चार्ज लगा रहे हैं कि इन सांप्रदायिक दंगों के पीछे बी० जे० पी० और जनता दल के लोगों का हाथ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह कांग्रेसियों की साजिश है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर यह है···।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रोसीजर के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मुझे नियम उद्धृत करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम जानता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री रावत, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, बेशक स्थिति काफी गंभीर है। जहां तक सांप्रदायिक स्थिति का सम्बन्ध है, हम भी इस गंभीर साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा चाहते हैं जो कि सारे देश में व्याप्त है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा अवश्य हो। सांविधिक संकल्प लाया गया है। सांविधिक संकल्प पर विचार किया जाए। मुझे विश्वास है कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी केवल मतदान ही होगा। इसके तुरंत बाद यह चर्चा आरम्भ हो सकती है, चाहे स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत अथवा नियम 193 के अन्तर्गत। परन्तु चर्चा सांविधिक प्रस्ताव के पारित होने के तुरन्त बाद आरम्भ हो जानी चाहिए चर्चा समस्त मुद्दे पर होनी चाहिए न कि केवल एक मुद्दे तक सीमित रहे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सिंधिया बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती विजया राजे सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष जी, मैं यह अर्ज कर रही थी कि हमारे ऊपर बिना किसी बुनियाद के ऐलीगेशन लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो सदस्य हैं, जो घटनाक्रम वहां चल रहा है, उनके बारे में मेरा कहना है कि बिना बुनियाद के किसी पर आरोप लगाना कहां तक सही है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं नेताओं को सुन रहा हूं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्रीमती विजय राजे सिंधिया : मैं कह रही थी कि हमारे ऊपर वाइल्ड ऐलीगेशन लगाए जा रहे हैं। इस तरह से विद-आउट ऐनी बेसिस, बिना किसी बुनियाद के ऐलीगेन लगाना कहां तक ठीक है ? (व्यवधान)

केवल सरकार को और हम लोगों को बदनाम करने के लिए यह सारी साजिश होती है। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप खड़े क्यों हैं, आप बैठ जाएं। मैं आपको नहीं बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि आरोप-प्रत्यारोप इस तरह से लगाने नहीं चाहिएं। मैंने माननीय नेताओं को सुनने के लिए कहा था। मैं नेताओं को बुला रहा हूं तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। मेरा कहना है कि दो-तीन नेताओं को सुन कर मैं अपना फैसला दूंगा।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी साम्प्रदायिक दंगों और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत हम चर्चा चाहते हैं। हम इस सरकार की निंदा करना चाहते हैं। सरकार इतनी निष्ठुर है कि इसने सदन के समक्ष अपनी ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया। जब ऐसी स्थिति हो तो यहां पर प्रतीक्षा करने तथा सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहने और फिर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। नहीं, महोदय। चर्चा स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ही होनी चाहिए। यह स्थिति की गंभीरता की मांग है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री चित्त बसु।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि समूचा देश अपूर्व तनाव और साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में है। केन्द्र सरकार कानून व व्यवस्था की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती क्योंकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। है। कर्नाटक, गुजरात, उदयपुर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बांदा में दंगें हो रहे हैं। समूचे देश में यह आग भड़की हुई है और यह श्री आडवाणी द्वारा शुरू की गई रथ यात्रा का परिणाम है। हमें इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मेरे विचार से गृह मन्त्री और सरकार इस बात से सहमत होंगे कि देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनाव पैदा होने के कई कारण हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि सदन में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने का मौका यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए क्योंकि स्थिति काफी तेजी से बिगड़ती जा रही है। अगर आप अनेक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन हमारे समक्ष जो बड़ा खतरा है, उसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। दिनांक 30 अक्तूबर को कार सेवा की घोषणा के कुछ दिनों बाद से कुछ आन्दोलन किये जा रहे हैं और कुछ आरोप लगाये जा रहे हैं। इसका विरोध भी हो रहा

है। मैं भी उनमें से एक हूं जो यह महसूस करते हैं कि लोगों को एकत्रित किया जाना चाहिए लेकिन उन राज्यों में, जहां साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों को इकट्ठा किया गया है, मेरे विचार से सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए और देश में जो कुछ हो रहा है उसे स्पष्ट करने के लिए सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए और इस सदन में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। हम इस स्थिति को नजरअन्दाज नहीं कर सकते जो देश में पनप रही है। साम्प्रदायिक स्थिति से राजनीतिक रूप से निपटा जाना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे आशा है आप इस पर चर्चा कराने के लिए सहमत होंगे और सरकार इस पर एक वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अन्दर जो स्थिति बनी हुई है उसी पर आज सारे देश को पीड़ा है। उत्तर प्रदेश की सारी जनता के साथ जो न कभी सोचा था, न विगत वर्षों में कभी उसके साथ हुआ है वह सारा योजनाबद्ध तरीके से साजिश पूर्वक हुआ है। ...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी परिस्थितियां बनी हैं या वहां जो भी सदभावना समाप्त हुई है और सदभावना पर चोट लगी हुई है, उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है...(व्यवधान) वहां के मुख्य मन्त्री का उसमें बहुत बड़ा हाथ है और उनके सारे तरीके प्रस्तुत हैं। गोंडा जनपद के अन्दर प्रत्येक वर्ष...(व्यवधान) आप उस पर बहस कराना चाहते हैं तो आप बहस कराइए। जो सांप्रदायिकता का तनाव है उसको साम्प्रदायिक दंगों का स्वरूप दिया जा रहा है, यह पूरी तरह से गलत है कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है और कांग्रेस का भी हाथ है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, स्लोगनस नहीं बोलें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप डिसकशन के बारे में कोई फैसला करें, नहीं तो यही चलता रहेगा। (व्यवधान)

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : 193 के अन्तर्गत इस पर डिसकशन हो सकता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव को मानना उचित नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि साम्प्रदायिका के ऊपर उत्तेजना फैल रही है इसलिए इसके ऊपर डिसकशन होना चाहिए और जो घटनायें घट रही हैं उनको रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि इस पर होम मिनीस्टर की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाये और उसके आधार पर डिसकशन किया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अपने संसदीय कार्य मन्त्री को बुलाया है। हम उस राज्य से हैं।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों ने जो स्थगन

प्रस्ताव की सूचना दी है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव हमारे सदन की प्रक्रिया या नियमों के अन्तर्गत ही लाया जा सकता है।···(व्यवधान)···मैं मानता हूं कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है, लेकिन उस पर विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाना आवश्यक नहीं है। हमारे नियमों में नियम 58 के उपनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर भारत सरकार किसी घटना के लिए जिम्मेदार है तो उस पर लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करें क्योंकि यह नियमों के विरूद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जायें, बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं कहना चाहता हूं कि नियमों के दायरे में रहकर आप इस पर चर्चा करवायें। अगर इनको सरकार पर विश्वास नहीं है तो ये लोग नोकांफिडेंस मोशन ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जब भी बोलते हैं तो धारावाहिक बोलते जाते हैं।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : गोंडा जिले के करनैल गंज कस्बे में स्थिति बहुत भयावह हो गई है, वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया और मैं जब वहां पर गई तो मैंने देखा···

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल नहीं है, सवाल प्रक्रिया के बारे में है।

डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी : वहां काफी तादाद में बच्चे मार गये हैं···

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : जलाये गए हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इसलिए इस पर स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने एक स्थगन प्रस्ताव के लिए भी कहा है। अब हमें मन्त्री जी बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : सरकार सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्यों में घटित कतिपय घटनाओं से हुई चिन्ता से पूर्णतया सहमत है। हम इस पर पूरी चर्चा कराने के लिए तैयार हैं और आपके विचार हेतु मेरा सुझाव है कि गृह मन्त्री इस बारे में एक पूरा विवरण देंगे। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं। **(व्यवधान)**

श्री पी० उपेन्द्र : हम नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

11.52 म० प०

(इस समय श्री आर० एन० राकेश आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आप मेरी बात सुनिए। क्या आप इसे स्थगन प्रस्ताव के लिए एक गम्भीर मुद्दा नहीं समझते हैं? क्या आप यह नहीं समझते कि इस विषय पर सरकार की निन्दा करने के पर्याप्त कारण हैं? यह केन्द्र सरकार की असफलता है। उनके अपने मित्र रथयात्रा पर साम्प्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। उनके अपने मुख्य मन्त्री ··(व्यवधान) साम्प्रदायिक उन्माद को भड़का रहे हैं। हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। हम स्थगन प्रस्ताव के लिए अपनी मांग दोहराते हैं। स्थगन प्रस्ताव ही हमें संतुष्ट कर सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंशकुरा) : महोदय, कृपया प्रत्येक सदस्य से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहिए। हमें वाद-विवाद शुरू करना चाहिए। मैं प्रत्येक सदस्य से आग से और अधिक न खेलने का अनुरोध करती हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान गृहण कीजिए। जी हां, श्री पुजारी।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : मेरा निवेदन यह है : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को छोड़कर समूचा सदन स्थगन प्रस्ताव के लिए सहमत है। **(व्यवधान)** उन्हें कोई एतराज नहीं है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन कर रही है। उनके नेता श्री आडवाणी जो इस सदन के एक सदस्य हैं, इस रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

देश में शान्ति नहीं हैं। इसीलिए हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी माननीय सदस्यों तथा संसदीय कार्य मन्त्री की भी बात सुन ली हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सांविधिक संकल्प के बाद नियम 193 के अधीन साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जायेंगे—श्री के० पी० उन्नीकृष्णन।

11.56 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988 89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

जल-भतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हुगली डॉक एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1539/90]

सेण्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(1) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1540/90]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : श्री अनिल शास्त्री की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988, जो 13 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1541/90]

(दो) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989, जो 17 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विधि 1/90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1542/90]

(तीन) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1976, जो 18 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० सी० ओ०-पी० आर० एस०-विधि 89/136 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र, जो 30 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या सी० सो० पी० आर० एस०-विधि 89/1360 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1543/90]

(चार) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988, जो 24 दिसम्बर, 1988 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1544/90]

(पांच) सिंडिकेट बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1976, जो 21 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी० ओ०/आई० आर० डी०/3942/88/जी० एस० आर० में प्रकाशित हुए थे तथा उनके शुद्धि-पत्र, जो 10 जून, 1989 तथा 30 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1545/90]

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (तीन) से (पांच) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1545/90]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1982, जो 12 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3903 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 15 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना संख्या 3907 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1546/90]

(दो) आंध्र बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1982 के विनियम 20(4) का संशोधन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1547/90]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1547/90]

(5) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अन्तर्गत समपहृत सम्पत्ति (प्रक्रिया) नियम, 1989 के लिए अपील अधिकरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या का० आ० 70 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्ध-पत्र, जो 8 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या का० आ० 201 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1548/90]

———

11.57 म० प०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 1 अक्तूबर, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् वर्तमान सत्र सत्र के द्वितीय भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

———

11.57½ म० पू०

अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन

महासचिव : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश 10क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में किये गए संशोधन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

———

11.58 म० पू०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन के दौरों का प्रतिवेदन

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-I के जून, 1990 के दौरान भुवनेश्वर, कोटापुट, विशाखापत्तनम तथा हैदराबाद के अपने दौरे के बारे में अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

———

11.59 म० पू०

पंजाब राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के 11 नवम्बर, 1990 से छह महीने की और अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के 11 नवम्बर, 1990 से छह महीने की और अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बीस मिनट के लिए सभा स्थगित करता हूं। मैं सभी दलों के नेताओं को अपने कक्ष में आमन्त्रित करता हूं।

12.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

12.25 म० प०

लोक सभा 12.25 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म० प० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.26 म० प०

तत्पश्चात लोक लोक सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.03 म० प०

लोक सभा 2.03 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

कुछ माननीय सदस्य : रामचन्द्र जी की जय।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : क्या यह लोक सभा की अन्तिम बैठक है इस लिए वे ऐसा कह रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन नहीं पाया हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली को स्टेटहुड देने के मामले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली पर बोले बगैर आप रह नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली में गोलियां चल रही हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मौका मिलेगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, खुराना जी दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए जितने उत्सुक हैं वह उनके कहने के अन्दाज से ही सिद्ध हो जाता है। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : इनको क्या पड़ी है, स्टेटहुड से। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करोल बाग) : उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जवाब देना था, गृह मंत्री जी ने गोंडा में जो काण्ड हुआ है, उसके सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उस पर तो बहस होगी। उस पर बाकायदा हाऊस बहस करने जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, आप घोषणा क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : सांविधिक संकल्प पर चर्चा के बाद हम नियम 193 के अन्तर्गत देश की सांप्रदायिक स्थिति पर विचार करेंगे। उसका प्रस्ताव श्री एच० के० एल० भगत प्रस्तुत करेंगे। सांविधिक संकल्प पर चर्चा के बाद हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह आपको सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सदन की भावनाओं को जानने का अवसर मिला था। आपने देखा कि समूचा सदन इस मुद्दे पर कितना चिन्तित है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिये हमने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हमने सोच-समझ कर यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, क्योंकि, यह प्रश्न मात्र किसी राज्य-विशेष के ही कानून और व्यवस्था का नहीं है। यह मामला सदन में केवल चर्चा करने का भी नहीं है, बल्कि यह मामला केन्द्र सरकार के विशेष उत्तरदायित्व का है और हम यह अनुभव करते हैं कि केन्द्र सरकार को इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिये···(**व्यवधान**)। इसीलिये हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो भी हो, आपने यह निर्णय दिया कि इस मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कराई जाएगी, न कि स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत। चूंकि हम आपके निर्णय का हमेशा आदर करते हैं, इस लिए हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और आपके निर्णय को मानने के लिये तैयार हैं।

हम अब नियम 193 के अन्तर्गत इस पर विचार करेंगे। हमारा निवेदन यह है कि श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रस्ताव को, नियम 193 के अन्तर्गत मामले में परिवर्तित कर दिया जाए, जो इस प्रकार हो :

"उत्तर प्रदेश में गोंडा तथा देश के अन्य भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा।"

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कल श्री मधु दण्डवते ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की असामान्य मृत्यु के संबंध में आज सदन में कुछ कहा जाएगा। उस संबंध में क्या निर्णय हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : पंजाब मुद्दे को निपटाने के बाद, आपको इस बारे में पता चलेगा। अब हम श्री पी० चिदम्बरम की बात सुनें।

14.09 म० प०

पंजाब राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, पंजाब में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने संबंधी सांविधिक संकल्प पर हमें चर्चा करनी है। कल हमने अपने ऊपर इस बारे में अंकुश रखा। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के किसी भी चरण में कल हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमने अपकी बात कहने के लिए आपने अनुमति मांगी थी। लेकिन, चूंकि कल कुछ अन्य मुद्दे सामने आ गए थे, इसलिए हम अपनी बात कहने के लिए आज अनुमति मांग रहे हैं। हमने संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया था और उसके परिणामी इस संकल्प का भी हम समर्थन करते हैं। ऐसा हम इस लिए नहीं कर रहे कि हम यह समझते हैं कि इस सरकार के पास पंजाब के बारे कोई नीति है या कोई नीति होगी। मुझे यह बात स्पष्ट करने दें। जब यह सरकार 2 दिसम्बर, 1989 को सत्तासीन हुई, तो राष्ट्रपति शासन की पांच माह की अवधि बकाया थी, क्योंकि पिछली बार यह अवधि छः माह के लिए 11 नवम्बर को बढ़ाई गई थी।' इस प्रकार सरकार के पास पूरे पांच महीने का समय था, जिसमें वे नीति बना सकते थे और उसे लागू कर सकते थे। उनके चुनाव घोषणा-पत्र में बड़े-बड़े वायदे थे। उन्होंने यह आभास दिया था कि ज्यों ही राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर होगी, पंजाब समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं इस सदन को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि पंजाब की स्थिति पहली बार बरनाला के शासन के दौरान खराब होनी शुरू हुई और तब से यह बदतर होती गई। जून, 1988 में 'आपरेशन ब्लैक थंडर' के साथ स्थिति में एक नया मोड़ आया उसके बाद, पंजाब में 'आपरेशन ब्लैक थंडर' के परिणामस्वरूप करीब 16 महीने में वहां ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वहां संसदीय चुनाव कराये जा सकें। सरकार यह नहीं कह सकती वह चुनाव पूरी तरह संदिग्ध थे, पक्षपातपूर्ण थे या शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हुए थे। यदि वे ऐसा कहते हैं, तो सबसे पहली श्री गुजराल को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर उसके बाद ही यह सरकार ऐसा कहे। यदि यह सरकार यह कहे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए थे तो श्री गुजराल मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बने रह सकते। हां, सीमावर्ती क्षेत्रों के तीन निर्वाचन क्षेत्रों-गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में चुनाव के दौरान कुछ समस्याएं उभरी थीं, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थितियां वहां पैदा की गई कि चुनाव सम्पन्न कराए जा सकें और वहां चुनाव कराए गए। पंजाब से निर्वाचित एक सदस्य इस सरकार के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं, वे अप्रतिष्ठित सरकार के प्रतिष्ठित सदस्य हैं और जितना अधिक समय वह इस अप्रतिष्ठित सरकार के साथ रहेंगे, मुझे डर है कि कहीं वह भी अप्रतिष्ठित सरकार के अप्रतिष्ठित सदस्य न हो जाएं ··(व्यवधान) तीन बजे, जब वह कुलदीप नैय्यर के मुद्दे पर जवाब देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वे प्रतिष्ठित हैं अथवा नहीं।

पंजाब की हाल की घटनाओं पर एक बहुत ही दिलचस्प वक्तव्य को मैं पढ़कर सुनाता हूं।

प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता के बीच चार पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था, जिसका विगत सोमवार को मैंने संक्षेप में उल्लेख किया था। प्रधान मंत्री द्वारा विपक्ष के नेता को भेजा गया तीसरा पत्र संक्षिप्त और लगभग अशिष्ट था। उन्होंने कहा था, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में लिखा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि, "पर्याप्त, पर्याप्त होता है। मैं उनसे बात नहीं करूंगा।" इस लिये हमने सोचा कि हो सकता है इस समाचार पत्र और प्रधान मंत्री के बीच, वास्तव में कोई हाट लाइन है और प्रधान मंत्री ने वास्तव में यह सोचा होगा कि पर्याप्त ही है। सात दिनों के बाद दूसरा पत्र आया। इस पत्र में क्या लिखा था? इसमें लिखा है "सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) चुनाव नहीं कराना नहीं कराना चाहते।" मुझे आश्चर्य है कि ये सहयोगी दल सरकार के चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। इस सरकार का एक ही इरादा है—जिम्मेदारी से बचना और यदि इसमें सफल नहीं होते हैं तो दूसरों को दोषी ठहराना। सरकार का यही दृष्टिकोण है। निर्णय लेने का उत्तरदायित्व वे विपक्ष पर तथा सहयोगी दलों पर डालना चाहते है। यदि कोई प्रलोभन में नहीं आता है तो उस पर आरोप मढ़ देते हैं विपक्ष के नेता ने पत्र का जवाब यह कहते हुए दिया, "आपका जल्द से जल्द का क्या आशय है? क्या 11 नवम्बर से पूर्व है या 11 नवम्बर के बाद? क्या आप राष्ट्रपति शासन जारी रखना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव कराना चाहते हैं अथवा आप राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के बाद चुनाव कराना चाहते हैं?" इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दिया गया। इस पक्ष के द्वारा प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते बावजूद प्रधान मंत्री ने जान-बूझ कर इसका उत्तर देने से बचने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा—मैं बाद में बोलूंगा, यदि मैं हिन्दी के शब्दों को उद्धृत करूं तो गृह मंत्री निश्चित रूप से खण्डन करेंगे। उन्होंने कहा था, 'बाद में'। मैं समझता हूं कि 'बाद में' का अभिप्राय पश्चात् से है। (व्यवधान) यह बात उन्होंने उस दिन कही थी। दुर्भाग्यपूर्ण, जब हमने आपको झकझोरा तो आपकी तन्द्रा समाप्त हो गई। लेकिन जब हमने सोमवार को आपको झकझोरा तो आपने अनेक उपायों की घोषणा कर दी। जब आप बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और श्री अरुण नेहरू और श्री आरिफ मोहम्मद खान मौजूद थे तब आपने इन उपायों की घोषणा की थी। परन्तु आज जब हम "बाद में" का उल्लेख करते हैं तो इसका तात्पर्य चार दिन बाद से नहीं हैं। "बाद में" का तात्पर्य चार दिन बाद अथवा 40 मिनट बाद से है। "बाद में" का तात्पर्य केवल चार दिन बाद से न होकर चार वर्ष बाद से भी हो सकता है।

महोदय, जब हमने पूछा कि क्या आप हमें और राष्ट्र को आश्वासन दे सकते हैं कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराये जायेंगे तो कोई जवाब नहीं दिया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भी यही प्रश्न पूछा गया, "शीघ्र चुनाव कराने से आपका क्या मतलब है?" इसके बाद उन्होंने आश्चर्यजनक प्रस्ताव किया कि सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ायेगी तथा साथ ही चुनाव की तारीख घोषित करेगी। महोदय, लोकतान्त्रिक सरकार के इतिहास में दोहरी नीति अपनाने का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। आप राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव की तारीख का क्या हुआ? उसकी घोषणा क्यों नहीं की गयी महोदय, इस सरकार की कोई नीति नहीं है और न ही इसकी कोई नीति हो सकती है। इस सरकार की केवल एक ही नीति है जिसे अगले कुछ दिनों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह सरकार राज्यपाल को बदल देगी। पंजाब के बारे में इस सरकार की यह नीति है कि वहां के राज्यपाल को तीन महीने के बाद बदल दिया जाए। पिछली बार

[श्री पी० चिदम्बरम]

24वें आमन्त्रण पर श्री वीरेन्द्र वर्मा ने राज्यपाल पद को स्वीकार किया था। इस बार आपके 76वें संशोधन के अनुसार पंजाब के राज्यपाल पद के लिए आपको 76 व्यक्तियों को आमन्त्रित करना पड़ेगा। जब तक श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री हैं, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री हैं तब तक पंजाब में कुछ नहीं होगा, पंजाब के बारे में कोई नीति नहीं होगी और इस सरकार से कोई आशा भी नहीं की जा सकती है। गृह मंत्री महोदय क्या कहते हैं? पंजाब के बारे में वह क्या करेंगे? उन्होंने कहा है, "हमने सीमा पर 30 किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार लगवा दिये हैं। मेरे विचार से उन्हें यह कहने का शिष्टाचार होना चाहिए था कि 130 किलोमीटर क्षेत्र में से 123 किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार पिछली सरकार के शासन काल में लगाये गये थे। 10 महीनों में उन्होंने केवल 7 किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार लगाए गए है। 7 किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार लगवाने की इस उपलब्धि के अलावा पंजाब के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

श्री संतोष मोहन देव : शुद्धि के अध्यधीन $77\frac{1}{2}$ किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार लगाए गये हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : जी हां, $7\frac{1}{2}$ किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार लगाए गये हैं। आधा किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले तार सोमवार से लेकर आज तक लगाये गये हैं। महोदय, प्रतिष्ठित लेखक ने कहा है—

> "इस बात से प्रधान मंत्री के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी कि उनकी सहयोगी पार्टियां दक्षिण-पंथी और वामपंथी दल चुनावों के विरोधी हैं। उनका और उनके नेतृत्व वाली पार्टी के विचार चाहे जो कुछ हो..."

हमें यह मालूम नहीं है क्योंकि जनता दल के नेता ने सोमवार को बंगलौर में कहा था। कि जनता दल की सरकार चुनाव कराना चाहती है इसके बावजूद भी प्रधानमन्त्री और प्रत्येक सदस्य संविधान (संशोधन) विधेयक के गिरने पर प्रायश्चित कर रहा है।

> "...इस सहयोगी दलों के समर्थन के बिना उनकी सरकार नहीं टिक सकती।"

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : ऐसा कौन कहता है?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपको बता रहा हू, मैं आपको ये तीनों स्थितियां बताना चाहता हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके सामने ये तीनों स्थितियां मौजूद हैं। वह कहते हैं—

> "अब उनका यह विचार है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाए और इसके साथ ही चुनाव की तारीख निश्चित की जाए। इस प्रकार वह अपना यह विचार स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह अपनी इच्छा के विपरीत यह रास्ता अपना रहे हैं।"

ऐसा श्री जगजीत सिंह आनन्द ने कहा है। दूसरे वक्तव्य में उनका कहना है—

> "इस बात की इससे पुष्टि होती है कि हाल ही में एक केन्द्रीय मन्त्री ने अपनी कपूरथला यात्रा के दौरान उग्रवादी गुट के साथ गोपनीय बातचीत की थी और टकसाल के मुखिया, बाबा ठाकुर सिंह को श्रद्धांजली अर्पित की थी।"

> "पंजाब के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। अन्यथा प्रधानमन्त्री उन लोगों की सद्भावना प्राप्त के लिए, जो हमारी अखंडता और सम्प्रभुता के अत्यधिक खिलाफ हैं,

भरसक प्रयास नहीं करते और अमृतसर की अपनी पहली यात्रा के बाद खोए हुए काल्पनिक अवसर को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते।"

मेरे विचार से श्री जगजीत सिंह आनन्द राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य और सी० पी० आई० की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी है।

महोदय, एक दूसरा दस्तावेज भी है जिसे मेरे विचार से कुछ अन्य सदस्य भी पढ़ना चाहेंगे।

"6-8 महीने पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी तब आतंकवाद की समस्या कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी परन्तु अब यह चण्डीगढ़ से लेकर अबोहर तक राज्य के अधिकांश भागों में फैल गयी है। फिरोजपुर जिले के जीरा तहसील में सुरक्षा बलों के अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं है। 'खालसा पंचायतें' बना दी गयी हैं उन्हें मुहर और स्वीकृति दे दी गयी है। इन क्षेत्रों में किसी भी राजनैतिक दल को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।"

पिछले 10 महीनों में इस सरकार का यह 'रिकार्ड' है।

महोदय, उनके पास राष्ट्रपति शासन के 5 महीने थे और 11 मई से लेकर 10 नवम्बर तक उन्हें 6 महीने और मिले परन्तु इन 11 महीनों में इस सरकार ने पंजाब के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं की इसलिए हमें विश्वास नहीं है कि यह सरकार अगले छः महीनों में पंजाब के बारे में कोई नीति अपनायेगी। परन्तु यह सरकार और प्रधान मन्त्री यह सोचते हैं कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह सही है। अपने दम्भ की आड़ में आप अपने आपको नैतिक, नीति और राजनैतिक रूप से सर्वोपरि मानते हैं इसलिए आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कहते हैं जो कुछ करते हैं और जो कुछ नहीं करते हैं, वह सब कुछ सही है किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। 10 महीनों के दौरान उनकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि उनका राज कब खत्म होगा। सम्भवतः 30 अक्टूबर तक भा० ज० पा० इसे समाप्त कर देगी। इस प्रकार उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी परन्तु पंजाब में कोई सुधार नहीं होगा। समस्या केवल इस सरकार के अल्प संख्यक होने की ही नहीं है बल्कि यह भी है कि यह दूसरे दलों के भरोसे है। प्रत्येक बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के बीच विरोध पैदा हो गया है और हर बार यह विरोधी समाप्त हो जाता है। आपके सामने एक के बाद दूसरी बाधा पैदा होती रहती है। हम तो यही देखते हैं। कभी यहां, कभी साउथ ब्लाक में, कभी नार्थ ब्लाक में तो कभी गृह मन्त्री के कार्यालय में बैठक होती रहती है। परन्तु इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।

महोदय, हमने संविधान (संशोधन) विधेयक के मतदान में, आपकी सरकार के अल्पसंख्यक और दूसरे दलों के भरोसे होने के कारण भाग नहीं लिया था। आप मनगढ़त बात को अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से कहना चाहते हैं। यह सरकार पानी का एक बुलबुला है इस बुलबुले के फूटने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस सरकार को कोई वैधता नहीं है और इसे देश का शासन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसलिए हमने मतदान में भाग नहीं लिया था कल भी जब उपस्थित सदस्यों की संख्या 380 थी तब आपके पक्ष के 220 सदस्यों को छोड़कर हमारे सदस्यों की संख्या 162 अथवा 161 थी और दूसरी बार जब यह संख्या 353 तक पहुंच गयी तो इस पक्ष के सदस्यों की संख्या 151 थी और अंतिम बार जब उपस्थित सदस्यों की संख्या 432 तक हो गयी तब हमारे सदस्यों की संख्या 182 थी।

2.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि आपकी सरकार अल्पमत में है तथा आपकी सरकार को समर्थन देने वाले दल भी पंजाब के मुद्दे पर मूलत: आपसे पूरी तरह असहमत हैं तथा जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है आप अभी तक कोई निर्णय, कोई राय कायम नहीं कर सके हैं, अत: हम नहीं समझते कि आप पंजाब के सम्बन्ध में कोई नीति बना पायेंगे।

महोदय, जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है हमारे दल की स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है। जब हमने संसद के चुनाव कराये थे तब हमने जनता में यह उम्मीद जगा दी थी कि इन संसदीय चुनावों के पश्चात विधान सभा के चुनाव भी कराए जाएंगे तथा मैं विश्वास करता हूं कि यदि एक नीति पंजाब में अपनाई गई होती तब विधान सभा के चुनाव कराए जा सकते थे। हम चाहेंगे कि चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराए जाएं। परन्तु चूंकि आपकी सरकार सत्तारूढ़ है तथा आपको गुप्तचर सूत्रों से सूचना प्राप्त होती रहती है अत: यह हमारा नहीं बल्कि आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप पंजाब में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दें। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तथा मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी भी इस प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं। सरकार कब तक पंजाब में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का आश्वासन देगी ? यदि आप एक महीने, दो महीने अथवा छ: महीने के पश्चात् भी वह आश्वासन नहीं दे सकते तब आपको पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि और छ: महीने बढ़ाने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। परन्तु चूंकि आप सत्ता में हैं अत: आपको निर्णय लेना चाहिए तथा जिम्मेवारी भी उठानी चाहिए इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करने की आपकी क्षमता एवं सामर्थ्य आप पर हमें भरोसा नहीं है, परन्तु हम फिर भी आपके साथ हैं आप देश को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि पंजाब में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। पर फिर भी हम आपके साथ हैं अतएव, हम इस सरकार को इसकी अक्षमता, अयोग्यता तथा अपनी गलतियों, कमियों को आत्मसंतोष के पीछे छुपाने का प्रयत्न करने के लिए पूरी तरह इसे ही जिम्मेवार ठहराते हैं तथा प्रत्येक अवसर पर हम आपके साथ ऐसा ही रवैया अपनाएंगे ताकि आप आत्मसंतुष्टि तथा संकीर्णता से बाहर निकल सके। हमें विश्वास है कि अगले छ: महीनों में स्थिति केवल और बदतर ही होगी तथा छ: महीने पश्चात संसद को एक बार फिर सरकार के गिरने का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सूचित किया गया है कि विभिन्न दल अपने सदस्यों को बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। केवल दो अथवा तीन सदस्यों के ही बोलने की संभावना है तथा तत्पश्चात् संकल्प परित किया जाएगा।

अब मैं श्री कृपाल सिंह से अपनी बात कहने के लिए कहूंगा—वे यहां उपस्थित नहीं है श्री राजदेव सिंह अपनी बात कहेंगे।

श्री राजदेव सिंह (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने की मांग सम्बन्धी संविधान (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लेते समय दिनांक 1 अक्तूबर को मैंने पहले ही अपने विचार व्यक्त किए थे कि पंजाब समस्या का समाधान चुनाव से नहीं

हो सकता। पंजाब में चुनाव कराने के लिए तारीख निश्चित करने का कोई भी आधार नहीं है। उससे किसी लाभदायक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को वह तारीख निश्चित कर देनी चाहिए जिस दिन सरकार सिक्खों के धर्म को पृथक धर्म के रूप में मान्यता देने की घोषणा करेगी तब उस स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम सिक्खों पर लागू नहीं होंगे तथा सिक्खों के लिए नए कानून बनाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन करके सिक्ख धर्म को भी सभी धर्मों में एक स्थान देना चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए तारीख निर्धारित की जानी चाहिए। यदि केवल पंजाब में चुनाव कराने की ही तारीख निर्धारित की जाती है तब उस स्थिति में चुनाव पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल कराने के किसी लाभदायक उद्देश्य पूर्ति की अपेक्षा दु:खदायी ही साबित होंगे।

सरकार को धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी अधिनियम को रद्द करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भूतपूर्व सरकार द्वारा सिक्खों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के मुख्य उद्देश्य से ही इस अधिनियम को बनाया गया था। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। सिक्ख धर्म में राजनीति और धर्म अलग नहीं किया जा सकते तथा वे साथ-साथ ही रहेंगे। ओपरेशन ब्लैक थंडर के पश्चात भूतपूर्व सरकार द्वारा सिक्खों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम को आया गया था। अब यह वर्तमान सरकार का कार्य है कि वह उस अधिनियम को रद्द करके सिक्खों के विश्वास को पुन: बहाल करे।

तीसरे, सरकार को जाटों को पिछड़े वर्गों का घोषित करना चाहिए तथा उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि जाट अनिवार्यत: पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। अत: उन्हें 'अन्य पिछड़ी जातियों' में शामिल किया ही जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : पिछड़ी जातियों की सूची में मराठों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री राजदेव सिंह : इस प्रश्न को उठाना आप पर निर्भर है। उस मामले के सम्बन्ध में इस स्थिति पर पहुंचकर मैं उससे सम्बन्धित नहीं हूं। इस मुद्दे को उठाना आप पर निर्भर करता है।

श्री पी० चिदम्बरम : आपको स्वयं को केवल पंजाब सम्बन्धी नीति विषयक मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री राजदेव सिंह : मैं पंजाब नीति के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं न कि मराठों के बारे में। इस सम्बन्ध में चर्चा करना अब आपके ऊपर है। (व्यवधान) इस समय में केवल पंजाब मुद्दे पर लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं। हमें पंजाब समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहिए तथा उस दृष्टिकोण से इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब हम पंजाब के बारे में चर्चा करना आरम्भ करते हैं तब आप अन्य राज्य का मसला उठा देते हैं तथा जब हम हरियाणा की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तब आप पंजाब का मसला उठा देते हैं। आपको वही मसला उठाना चाहिए जिस पर सदन में चर्चा की जा रही हो। (व्यवधान)

[श्री राजदेव सिंह]

वे सभी सिख जो विभिन्न आरोपों के अधीन पंजाब में गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें बिना शर्त के रिहा किया जाए जैसाकि मिजोरम और नागालैंड के विवाद के निबटारे के समय किया गया था। इसमें कोई नुकसान नहीं है यदि वर्तमान पंजाब को पंजाब से खालिस्तान में परिवर्तित कर जिया जाए। खालिस्तान संवैधानिक ढांचे के भीतर है। वर्तमान पजाब के नाम को खालिस्तान कर सकते हैं क्योंकि नागालैंड और मिजोरम के नाम भी केवल एक कारण से दिए गए थे कि इन राज्यों में मिजो और नागा लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है। (व्यवधान) नाम बदलने में कोई नुकसान नहीं है। विश्वास पुन: स्थापित किया जा सकता है।

भारत के सशस्त्र बलों मे सिखों की नियुक्तियां आरम्भ करने के लिए कदम उठाने जाने चाहिएं। (व्यवधान) अब भारत के सशस्त्र बलों में सिखों का प्रतिशत केवल 2 है और उनका प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि सिखों को अपनी मातृभूमि की सेवा करने का और उसकी रक्षा करने का अवसर मिल सके। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक कदम भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर ही रहे और सिखों की ओर से भारत की एकता और अखण्डता को कोई चुनौती नहीं है। सिख भारत की एकता और अखण्डता को चुनौती देना कभी पसन्द करेंगे।

पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों से जबरदस्ती धन निकलवाया जाता है और उनकी हत्या की जाती है। लगातार दमन हो रहा है। यह इतने बड़े पैमाने पर जारी है कि सही शब्दों में यह बताना कि पंजाब में सम्पूर्ण दमन किस प्रकार चल रहा है, बहुत कठिन है। असामाजिक तत्व और पुलिस दोनों द्वारा ही जबरदस्ती धन वसूला जा रहा है। इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री से पुन: निवेदन करूंगा कि वे एक तारीख निर्धारित करें जब सिखों को एक अलग समूह के रूप में घोषित किया जाए। सिखों को भारत के प्रधान मन्त्री में पूर्ण आस्था और विश्वास है। (व्यवधान)। मैं पुन: इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की एकता और अखण्डता को कोई चुनौती नहीं है और न ही कोई इसे चुनौती दे सकता है और यदि कभी पंजाब पर, भारत पर कोई आक्रमण हुआ तो सिख अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। सिखों को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारत के माननीय प्रधान मन्त्री सिखों के विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगे। हमें भारत के माननीय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम ने सदन को पहले ही बता दिया है कि पंजाब समस्या का एक उचित समाधान ढूंढने के लिए किस प्रकार इस सरकार पर निर्भर नहीं किया जा सकता। मेरे माननीय मित्र ने, जो पंजाब से सम्बन्ध रखते हैं, अभी कहा है कि यदि हम पंजाब के चुनावी माहौल में अपने बीच इस प्रकार का पृथक्करण आने देते हैं, तो मुझे डर है कि वे केवल उन खालिस्तानियों के लिए जो पंजाब के लिए स्वयं निर्णय लेने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, मतदान करेंगे। श्रीमान् ने—वर्तमान सदस्य की बात मैं नहीं कर रहा, मेरे विचार में, उनका नेता और वरिष्ठ सदस्य—जिन्होंने हमारे सदस्यों को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कोई शंका नहीं छोड़ी है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे पंजाब के लिए आत्म-निर्णय चाहते हैं। इसलिए, वे इस मांग पर चुनाव कराएंगे। हम क्या करें? सभी विभिन्न राजनैतिक दल जिनका यहां पर प्रतिनिधित्व है, राष्ट्रीय राजनैतिक दल, दोनों मार्क्सवादी दल, भाजपा, जनता दल और कांग्रेस, वे सब क्या करेंगे? क्या आगामी चुनावों में हम एक दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करने वाले हैं? मेरे विचार में

प्रधान मन्त्री और और उनके वे सभी मित्र जो प्रधान मन्त्री का समर्थन कर रहे हैं और संसद में उनका समूह, सभी पंजाब में चुनाव कराने के इच्छुक हैं। चुनावों के दौरान, क्या होगा ? श्रीमान ने, जो सदन के बाहर हैं सदन में आने से इन्कार कर दिया है क्योंकि जब तक उन्हें अपनी तीन फुट लम्बी तलवार, जिसे धार्मिक भावना से 'किरपाण' कहा जाता है, को साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती वे सदन में नहीं आएंगे। वे सज्जन आत्म-निर्णय के समर्थन हैं। वे उनसे मिले हुए हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, खुले रूप में अथवा छिपकर आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे पंजाब में सबको डरा धमका रहे हैं। क्या हम उन्हें उनके उन मित्रों को चुनाव में खड़े होते हैं, उनके हर प्रत्याशी को, जो चुनावों में उनके प्रत्याशी के सामने खड़ा होना चाहता है और खड़े होने का साहस रखता है, हत्या की धमकी देने की अनुमति देंगे ? क्या हम स्वयं आपस में लड़ते-झगड़ते हुए, उन चुनावों में उन्हें मन-मानी करने की अनुमति देंगे ? प्रधान मन्त्री और उनके साथियों को इस चुनौती को बहुत गम्भीरता से लेना होगा। हम राष्ट्रपति शासन को छः महीने की अवधि से अधिक बढ़ाए जाने के बारे में नहीं सोच सकते।

श्री मुफ्ती वहां हों अथवा नहीं किन्तु, छः मास की अवधि अधिकतम अवधि है। इस अवधि के अन्दर, आपको चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, चाहे आपको राजनैतिक रूप से सुविधाजनक हो या न हो और राजनैतिक परिणाम चाहे कुछ भी हो। छः महीनों के अन्दर, आपको देखना होगा, कि लोकतांत्रिक शक्तियां सफल हों। वे लोग जो आत्म निर्णय की मांग करते हैं, वे सफल न हों। पंजाब के लोए सिर्फ सिख ही नहीं हैं। मेरे माननीय मित्र को याद रखना चाहिए कि वे परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वे उसी रूढ़िवादी पागलपन के शिकार हैं, जो पाकिस्तान में था और ब्रिटिश सहयोग और ब्रिटिश समर्थन से वे पाकिस्तान ले लेने में सफल हो पाए थे। ये लोग इसे इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। किन्तु, फिर भी, उन्हें आतंकवादियों का समर्थन प्राप्त है जो पंजाब में इनकी हुकूमत हैं और ये लोकतन्त्रवादियों के विरुद्ध हैं।

जहां तक लोकतांत्रिक शक्तियों का संबंध है, एक समय था जब हम कम्यूनिस्ट दल के इन मित्रों को अपने जैसा लोकतांत्रिक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पर आप, वे उन्हें भी लोकतंत्रवादी माना जाता है। वे लोकतन्त्र की शपथ लेते हैं, चाहे यह किसी भी जगह जो चाहे उनकी पूर्व प्रेरणा कुछ भी रही हो। वे कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं अथवा नहीं यह दूसरी बात है जिसे मैं उन पर छोड़ता हूं। आज वे भी लोकतन्त्रवादी हैं। हम लोकतन्त्रवादी हैं। क्या सभी लोकतन्त्रवादी भारत के नाम पर, भारतीय राष्ट्रीयता के नाम पर, भारतीय लोकतन्त्र के नाम पर खुद को किसी रूप में या दूसरों को एक संयुक्त रूप में एकत्र करने जा रहे हैं ? (व्यवधान) भगवान के लिए शांत रहें, मैं अभी एक विवादास्पद भाषण देने नहीं जा रहा। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी विश्व प्रथम कुछ कम्यूनिस्ट दलों में से एक हैं, सी० पी० एस० यू० की कल्पना से भी पहले यह बना था। वर्ष 1958 में, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी ने अमृतसर में, किसी प्रस्ताव के द्वारा नहीं। अपितु संविधान की 'प्रस्तावना' के अनुसार यह निर्णय लिया था कि सी० पी० आई० समाजवाद के शांतिपूर्ण अंश के लिए संघर्ष करेगी। अगर यह स्थापित हो जाता है, तब पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। यहां तक कि राजनैतिक विरोध की भी स्वतंत्रता होगी, समाजवाद का विरोध करने की भी स्वतन्त्रता होगी बशर्ते वे संविधान के अनुसार चलें। सी० पी० आई० विभाजन से पूर्व विश्व के कुछेक दलों में से एक थी और यह स्थिति 1958 में थी। मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं को सुधारें।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं यहां अपने मित्र के साथ, जो अब कम्यूनिस्ट पार्टी में हैं, किसी विवाद में पड़ने नहीं आता। जो कुछ मैंने कहा है, इसमें कुछ भूल हो सकती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज हमारे कम्यूनिस्ट मित्र भी लोकतंत्रवादी है। वे लोकतंत्रवादी हो सकते हैं। इन रूढ़िवादियों इन आत्म-निर्णय की मांग करने वालों और पंजाब के उन आतंकवादियों के अतिरिक्त और सभी लोकतन्त्रवादी हैं। अब यह हमारे मित्रों पर है कि वे इस बारे में स्वयं निर्णय लें। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। किन्तु, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि, जैसाकि मेरे माननीय मित्र पहले ही कह चुके हैं, कई बार वे सर्वसम्मति से निर्णय लेकर काम करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए हैं। कम से कम, अगले छः महीनों के लिए, भारत की सुरक्षा, अखण्डता और प्रभुसत्ता के लिए, क्या वे सर्वसम्मति से कार्य करने के अपने वचन को पूरा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान करने का प्रयास करेंगे और अन्य दलों से भी कुछ बलिदान करने के लिए कहेंगे ?

उन सभी को एकजुट करना चाहिए और उन्हें इस बात पर राजी कर लेना चाहिए कि वे पंजाब में अपनी शक्ति के अनुसार या तो आपसी समझौते से मिलकर अपने उम्मीदवार खड़े करें या अपने दल में से ही उम्मीदवार खड़े करें। जब पंजाब में लोकतंत्र का कुछ आभास मिल रहा है, तो वे उसका समर्थन करें। उनकी तरफ से प्रचार करें, शांतिपूर्ण स्थितियां सुनिश्चित करें और देश को आश्वस्त कर दें कि आत्म निर्णय की मांग करने वाले इन लोगों को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है, कि पंजाब की जनता भारत के ही साथ है, वे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं और वे भारतीय रहना चाहते हैं, खालिस्तान नहीं बनना चाहते।

वे अपने को जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। किन्तु आत्मनिर्णय की मांग करने वाले नहीं, ऐसे लोग नहीं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे और पाकिस्तान तथा अन्य कई देशों से समर्थन प्राप्त करके भारत की एकता और अखण्डता को नष्ट करेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं ? किन्तु इस संसद के द्वारा, कुल इस संशोधन को पारित करके और आज इस प्रस्ताव को पारित करने का प्रयत्न करके हम इन लोगों को एक अवसर दे रहे हैं।

हम कौन हैं ? क्या हम सबसे पहले भारतीय हैं या नहीं इसके पश्चात् आप स्वयं को विभिन्न राजनैतिक दलों में विभाजित कर सकते हैं। मैं यह अपील करना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री दास ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। राज्यपाल वहां है। वहां एक परिषद् होनी चाहिए; वहां सलाहकार भी होने चाहिएं। परिषद् में इस सदन के कुछ सदस्य होने चाहिएं और उन पंजाबियों में से ही सलाहकारों को चुनना चाहिए जो भारत के प्रति भारत की एकता और अखण्डता के प्रति वास्तव में वफादार हैं। इसे एक गैर-राजनैतिक तरीके से, पक्षपात रहित, और अभेदकारी तरीके से शुरू करें और एक शुद्ध भारतीय तरीके इसकी शुरूआत करें। क्या हम इन चुनौतियों का स्वीकार करने और इनका सामना करने को तैयार हैं अथवा नहीं ? हमें अपने आपसे यही पूछना है।

पंजाब में भारत की एकता की वेदी पर हमारे काफी कम्यूनिस्ट मित्र शहीद हुए हैं। देश-भक्ति की परीक्षा में वे खरे उतरे हैं। उन्होंने बहुत बलिदान किया है। हमारे कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी बलिदान किया है और दूसरे दल इस तथ्य से अवगत हैं कि उनके कितने लोगों ने बलिदान किया है। हमें अपने आपको और अपनी अन्तरात्मा को यह दिखा देना है कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। जैसा बलिदान उन्होंने किया है, उसी प्रकार का बलिदान करने के लिए हमें भी तैयार रहना है और सोचना है कि आज हमें कि प्रकार का बलिदान करना है। दो प्रकार का। पहले हमें अपनी

आकांक्षाओं, अपनी राजनैतिक दल की आकांक्षाओं को नियन्त्रित करना है और आवश्यक समझौते करने को तैयार रहना है। दूसरे, हमें वहां तैनात अपने सशस्त्र बलों को, अपने अर्धसैनिक बलों को, अपनी पुलिस को और राज्यपाल को तथा अन्य लोग जो वहां पंजाब में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पूरा विश्वास और समर्थन देना है और उन्हें पर्याप्त शान्ति देनी है।

पंजाब में सुरक्षा बलों की काफी अधिक निन्दा की गई है। किसी भी पुलिस कर्मी को देखिए। क्या उसका कोई परिवार नहीं है? जब वह सुबह घर से निकलता है और इन आतंकवादियों की गोलियों, तलवारों और अन्य सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहता है, तो क्या उसे अपने परिवार की कोई चिंता होती? हर रोज वह निर्णय लेता है। हम जानते हैं कि वे महान देशभक्त हैं। उनके लिए और उनके परिवारों के लिए मैं दुःखी हूं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। ये लोग हमारे साथ है, हमें भी इनका साथ देना है; ये किसी प्रकार की गलती है करते तो हम उस पर ज्यादा हुज्जत न करें। अगर यह अनजाने में की गई गलती है, तो हमें इसे माफ कर देने के लिए तैयार होना चाहिए; अगर वे अपना कर्त्तव्य नहीं निभाते तो उन्हें दण्ड देने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। किन्तु, महोदय, हमें उन्हें अपने जितना ही देशभक्त बनाए रखना है। अगर, अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह, ये प्रधानमंत्री भी उनके लिए कोई काम नहीं ढूंढ सकते, तो उन्हें पुलिस की नौकरी स्वीकार करनी पड़ेगी। किन्तु, फिर भी उनके भी परिवार हैं। अपने परिवारों के प्रति उनके उत्तरदायित्व है। हर क्षण अपनी जान को खतरे में डालकर ने देश और हमारी सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि कहां से मौत आकर उन्हें अपने शिकंजे में कस लेगी। इसलिए, हमें उन्हें हर संभव सहयोग देना चाहिए ताकि चुनाव स्वतंत्र हो सकें—सिर्फ राजनैतिज्ञों द्वारा मत दान केन्द्रों पर जबरन कब्जे से ही मुक्त न हो, अपितु आतंकवादियों के आतंक से, मृत्यु के आतंक से और मौत की दहशत का सामना वे कर रहे है, उससे भी ये चुनाव मुक्त हों।

कल मेरे माननीय सहयोगी तरन तारन की घटनाओं के बारे में बता रहे थे। पंजाब में कोई सरकार नहीं हैं। वहां आतंकवादियों का शासन है। हमें इस शासन के विरुद्ध संघर्ष करना है। यह शासन पूरे पंजाब में फैल रहा है।

कल सरदार मान और कुछ अन्य लोगों ने हमारे बीच तीन चार पत्र वितरित किए थे। वे पत्र आप सबको मिले होंगे। हमें इस चुनौती का सामना करना है। पंजाब में चुनाव कराना आसान कार्य नहीं है। हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पंजाब में निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव कराये जायें। ये चुनाव हमारी आपसी चुनौती से नहीं बल्कि आतंकवादियों की गोलियों से स्वतन्त्र होने चाहिए। आतंकवादी कौन हैं? क्या वह सिख हैं? नहीं, क्या वह हिन्दू है? क्या वे हिन्दू और सिखों के रूप में पाकिस्तानी नहीं हैं? हमें इस बात का पता नहीं चलता कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमुक भारतीय है और अमुक पाकिस्तानी है? पजाब में ये सब चुनौतियां हैं। जब तक हम पंजाब में चुनावों के दौरान और इनके बाद शांति स्थापति नहीं करेंगे तब तक पंजाब में स्वतन्त्र रूप से चुनाव नहीं कराये जा सकते चाहे हम सब एक जुट होकर अपना उम्मीदवार खड़ा करें। केवल उम्मीदवारों और चुनाव प्रचार करने वालों की ही सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उन परिवारों के लोगों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए जिनमें मतदान करने का साहस है। हमें वहां इस तरह का वातावरण तैयार करना है। मैं अपने सहयोगी श्री चिदम्बरम की बात को गलत नहीं बता सकता। मैं यह नहीं जानता कि क्या यह सरकार वास्तव में नैतिक रूप से सक्षम है। इसलिए हम सबका यह

[प्रो० एन० जी० रंगा]

कर्तव्य है कि इस सरकार को सक्षम बनायें और यह सुनिश्चित करें कि पंजाब में इस भावना से राष्ट्रीय सरकार बनायी जाए कि यह राष्ट्रीय प्रशासन होगा। इस राष्ट्रीय दृष्टि से चुनाव कराये जायें और यह सुनिश्चित किया जाए कि आतंकवादी पकड़ लिए जायें लोग आतंकवादियों का मुकाबला करके मतदान करें और उम्मीदवार तथा मतदाताओं के समर्थक सुरक्षित रहें, चुनाव के बाद भी उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन चुनावों में भारत की विजय हो। इसके बाद हमें संसद में बैठक करने और बधाई देने का अवसर मिले।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और विशेषकर सिखों को लेकर जब भी इस सभा में पंजाब इश्यू पर बहस होती है तो कई शंकायें प्रकट की जाती है। मैं अपने प्रथम भाषण में भी कह चुका हूं कि आप पंजाब में, पंजाब के नागरिकों का, इस देश के नागरिकों का भरोसा तब जीत सकते है जब आप स्वयं अपने स्वार्थ-बोधों से, अपने पूर्वानुमानों से मुक्त हों। मैं आज बहुत ही संक्षेप में कुछ सवाल प्रधानमंत्री महोदय से इस सभा में बैठे हरेक पार्टी के लीडर से पूछना चाहता हूं :

प्रथम—अगर इस देश को हिन्दुस्तान कहा जाता है, तो इस सभा में बैठे किसी भी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अतिन्दर पाल सिंह यह मांग करे कि हिन्दुस्तान अनकांस्टीट्यूशनल वर्ड है और इस सभा की कार्यवाही में जितनी बार भी शामिल हुआ है, वहां से निकल दिया जाए, तो आप मेरे इस संवैधानिक कदम के बारे में मुझे देशद्रोही कहेंगे, क्या यह उचित है ? मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे भारतीय संविधान में एक भी लफ्ज बता दीजिए जहां पर भारत का नाम हिन्दुस्तान बताया गया हो। भारत का नाम भारत है। आप हिन्दुस्तान इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम आपको साम्प्रदायिकता नजर नहीं आती ? उस टाइम आपको देशद्रोह नजर नहीं आता ? उस टाइम हरेक बात देशहित में होती है। पर जिस टाइम मैं यहां मांग करता हूं तो उस टाइम मैं देशद्रोही हो जाता हूं। अगर मैं कांस्टीट्यूशनल मांग करता हूं और मैं देशद्रोही हूं, तो यह सभा स्पष्ट करे कि आप हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

द्वितीय—इस सभा में जब अतिन्दर पाल सिंह शामिल हुआ, तो वह बतौर इस देश का मेंबर आफ पार्लियामेण्ट है कि नहीं ? अगर वह बतौर मेम्बर आफ पार्लियामेण्ट है, तो उस पर शक की निगाहें क्यों हैं ? आप अपने पूर्वाबोधों से मुक्त क्यों नहीं होते ? अगर आप नहीं हो सकते हैं, तो हम भी आज छाती ठोककर कह देते हैं कि आपको, आपके पूर्वाबोधों से मुक्त कराने के लिए, दिमागों में पड़ी बीमारी से मुक्त कराने के लिए कोई यत्न नहीं करेंगे। क्या हमारी तरफ से ही हर यत्न होना चाहिए। इस राष्ट्र का फर्ज पंजाब के नागरिकों की तरफ कुछ नहीं है ? क्या पंजाब के नागरिकों को यह राष्ट्र हमेशा शंका की निगाहों से देखता रहेगा ? अगर यही आपकी सोच है, तो इस सोच का साथ मैं नहीं दूंगा।

तृतीय—अगर आप यहां पर अमेण्डमेंट लाते हैं, तो आप सोच लीजिए। साढ़े तीन साल से वहां पर डैमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। पूरा राष्ट्र एक तरफ है। पंजाब में क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए आप डैमोक्रेसी का कत्ल कर दीजिए। अरे कुछ को सोचिए भगवान भी 3 कत्ल माफ करता

है, आप तो उससे ज्यादा कर चुके हैं। इसकी हद तो बताइए ? क्या है ? इसकी कांस्टीट्यूशनल हद 5 साल है। 5 साल से ज्यादा आप किसी भी कीमत पर डेमोक्रेसी को सस्पेण्ड नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आपको एक चुनी हुई सरकार के लिए जनता के पास जाना पड़ता है, फिर आप साइड-ट्रैक क्यों कर रहे हैं ? फिर आप कन्नी काट कर, इधर-उधर की गलियों में क्यों भाग रहे हैं ? आप में जनता को फेस करने की हिम्मत क्यों नहीं है ? अगर आप और इस देश की डेमोक्रेसी के अन्दर, इस देश के लोकतन्त्र के अन्दर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जनता के सामने जा सके, तो फिर लोकतन्त्र का क्या मायना है ?

चतुर्थ—मैं इन सवालों को उठाना नहीं चाहता था, हर दफा पंजाब की तरफ से जो कुछ भी आवाज आती है, उसको आप शक की निगाह से देखते हैं इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं। पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

3.09 म० प०

मैं तथ्यों के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। मेरे किसी सवाल का जवाब तो राष्ट्र दे। अगर अतिन्दर पाल सिंघ की कार सिर्फ इसलिए 17 सितम्बर से बटाला पुलिस से सीज की हुई है, उसके ड्राईवर को सीज किया है कि अतिन्दर पाल सिंघ पुलिस मुकाबले में मारे गए व्यक्तियों के घरों में क्यों जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर, आई० जी०, पंजाब का ऐडमिनिस्ट्रेशन, सबकी निगाह में यह मामला लाया गया, आपने क्या कार्यवाही की ? क्या गुनाह है कि हमें इस देश में घूमने की इजाजत नहीं है। अगर बी० जे० पी० का मैम्बर ऐरैस्ट होता है तो पूरा हाउस साथ देता है, फिर हमारे मामले में इस तरह से क्यों है ? अतिन्दर पाल सिंघ को एस० एस० पी० पटियाला यह धमकी देता है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारा मुकाबला भी बना सकता हूं। क्या इस हाउस को मैम्बर, पार्लियामेंट की चिन्ता है ? एक एल० एए० पी० की हिम्मत यह है कि वह दफ्तर में बैठा दरवाजे बन्द कर देता है और कहता है कि इस एम० पी० को नहीं मिलूंगा, इसने जहां तक जाना है चला जाए। मेरे एस० पी० ओ० सिर्फ इसलिए ऐरैस्ट किए जाते हैं क्योंकि वे अतिन्दर पाल सिंघ के एस० पी० ओ० हैं। मैं यह मामला होम मिनिस्टर की नालेज में लाया, पी० एम० की नालेज में लाया। उस समय उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जिस समय मैं नालेज में लाया उस समय उनके ऊपर 12 बोर का कट्टा डाल दिया गया। 22 दिन से ऐरैस्ट था। होम मिनिस्ट्री पंजाब को, डी० सी० बटाला ने लैटर लिखा कि इस आदमी पर कोई केस नहीं है। जिस दिन मैं होम मिनिस्टर की नालेज में लाया तो ऊपर एक कट्टा डाल दिया गया। क्या यही देश है ? यह अगर हमारे लिए देश हित है तो हमें अस्वीकार्य है। हम इस देश हित के साथ नहीं चल सकते। अगर आप पंजाब की समस्या का हल चाहते हैं तो बातें करना बन्द कीजिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियत साफ के स्लोगन का लालीपाप चूसने की अब पंजाब में हिम्मत नहीं है आप उसको व्यवहारिक आधार दीजिए, आप बताइए कि पंजाब को क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं ? आप पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं ? आप सिखों को बतौर सिख ऐक्सैप्ट करते हैं कि नहीं ? आर्म एक्ट मैकसीमम सजा तीन साल की है और पंजाब में सिख यूथ पांच साल से जेल में है तो उनका क्या गुनाह है ? पांच-पांच साल से किस आधार पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में रखा हुआ है। आप यह बताइए कि स्पैशल कोर्ट सिखों के लिए क्यों है, उनका ओपन प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं होता है ? यदि हम डिमांड करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। यदि यही देश हित की परिभाषा है तो मैं यह कहूंगा कि जिन्होंने यह परिभाषा बनाई है वे सबसे बड़े देशद्रोही

[ब० अतिन्दर पाल सिंह]

उस सभा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि पंजाब की प्राबलम का सोलूशन क्या है? वहां पर हालात किस तरह से ठीक हो सकते हैं, हालात इस तरह से नहीं ठीक हो सकते जिस तरह यहां पर विचार राजनीतिक प्रेरित तथ्यों के आधार पर पेश किए जाते हैं। आपको यदि हल निकालना है तो जो लोग अभी तक बिना मुकदमा चलाए कैद हैं, उनके लिए प्रधान मन्त्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि हम सबको छोड़ रहे हैं। ढाई सौ से ज्यादा सिख औरतों पर केस रजिस्टर्ड हैं। मैं लेडीज मैम्बर पार्लियामैंट्स से भी विनती करूंगा कि वे औरतों के मामले में आगे आएं। जिन पर आज तक कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया उनका क्या गुनाह है? प्रधानमन्त्री महोदय को चाहिए कि उनको आज ही रिहा करने का ऐलान करें। अगर आप पंजाब का भरोसा जीतना चाहते हैं तो 1984 में जो कुछ हुआ उसके लिए इस हाउस को किस बात की चिन्ता है, यह अफसोस क्यों नहीं प्रकट कर सकता? अगर एक ऐक्सीडेंट होता है और 10-15 आदमी पर जाएं तो उसके लिए हाउस अफसोस प्रकट कर सकता है, जहां असल मायने में दंगे करवाए गए उस मामले में यह हाउस अफसोस प्रकट क्यों नहीं कर सकता? मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री महोदय स्वयं इस मामले में पहले करें और इस हाउस में अफसोस प्रकट करने का रैजोलूशन लाएं। आप यदि पंजाब का भरोसा जीतना चाहते हैं तो इस तरह से पंजाब को कुछ नहीं देते? मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह डिमांडस नहीं है। यह पंजाब में सरकार की गलतियों से पैदा हुई समस्यायें हैं, यह सरकार की गलतियों से पैदा हुई समस्यायें हैं। इन समस्याओं का और अपनी गलतियों का सुधार स्वयं सरकार को करना पड़ेगा। इनका कोई और सुधार नहीं कर सकता। अगर इनका सुधार करने से सरकार भागती है तो पंजाब की किसी समस्या का हल नहीं चाह सकते।

मेरा अन्तिम सुझाव है कि जिस किसी से समस्या पैदा होती है या अगर वह किसी एक व्यक्ति से पैदा हुई है तो आप बात किसी दूसरे से करें तो समस्या का हल कैसे निकालेंगे। जिनकी वजह से वहां समस्यायें पैदा हुई हैं आप उनके साथ बात क्यों नहीं करते। जब तक आप उनके साथ बात नहीं करते तो समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने समस्या का हल निकालना है तो जिन की वजह से समस्या पैदा हुई है आपको उन तक जाना होगा, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि आप इस दिशा में क्या करने जा रहे है?

पिछले 6 महीनों में वहां जो कुछ हुआ हम सब ने उसको देखा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में अगले 6 महीने में आप क्या कार्य करेंगे? इस मामले में आज हाउस को कुछ न कुछ कांफिडेंस में लिया जाना चाहिये। मैं इस राष्ट्र से यह विनती करूंगा कि अगर आप सिखों पर भरोसा नहीं कर सकते तो आपको इस बात का अधिकार नहीं है कि आप उन पर शक करें। मैंने अपने प्रथम भाषण में भी कहा था कि जिन लोगों ने पैरेलल कांस्टीट्यूशन आफ पाकिस्तान पर पाकिस्तान को असेम्बली में बैठकर उसके रैजोल्यूशन पर साईन किया उन लोगों को आपने चीफ जस्टिस भी बनाया और उनमें से 17 हिन्दू थे जिन्होंने इस पर साईन किये और पाकिस्तान को एक्सैप्ट किया। उनमें से एक भी सिख नहीं था जिन्होंने कि उस पर साईन किये हों। यह आपका देश प्रेम है। अगर यही देश प्रेम की परिभाषा है तो हमें यह नामंजूर है और यह हमें देश प्रेम नजर नहीं आता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज पंजाब में इसी मुद्दे की लड़ाई है तो फिर हम आपके साथ चल भी नहीं सकते। यह आपको स्पष्ट करना होगा कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं और आप सिखों के बारे में क्या सोचते हैं?

इन्हीं लफ्जों के साथ अंत में मैं इस हाउस में पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आप पंजाब की भरोसा जीतना चाहते हैं तो व्यावहारिक धरातल पर बतायें कि आप पंजाब को क्या देने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने वर्तमान विषय से सम्बद्ध संविधान में संशोधन करने पर चर्चा की थी। अध्यक्ष के चैम्बर में विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बीच यह सहमति हुई थी कि हम इस चर्चा को पूरा करेंगे और 3 बजे इस संकल्प पर मतदान करेंगे। इस बात पर सहमति हुई थी कि सभी पार्टियों के केवल दो या तीन सदस्य ही बोलेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि मैं माननीय प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए बुला सकता हूं।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : यह भी निश्चय किया गया था कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों की तरह हमारी पार्टी को भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय को स्वीकार कर लिया गया था। हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य एक या दो मिनट का समय लेगा। हम माननीय प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप सुनना चाहते हैं। हमारी इसमें बहुत अधिक रूचि है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं दो या तीन सदस्यों को, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, बोलने की अनुमति दूंगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे दो या तीन मिनट में अपने विचार व्यक्त कर दें क्योंकि वे अपनी बात बहुत कम समय में कह सकते हैं। इसके बाद मेरा माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि वह चर्चा का जवाब दें।

अब डा० तम्बि दुरै बोलेंगे।

डा० तम्बि दुरै : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखना पंजाब समस्या का समाधान नहीं है। केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल करके ही हम पंजाब समस्या का समाधान कर सकते हैं। पंजाब से हमारे एक सदस्य ने यहां पर बोलते हुए यह आश्वासन दिया है कि वह देश की अखण्डता के पक्षधर हैं। उनका यह कहना है कि वह किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं चाहते। महोदय, यह सुन कर हम बड़े प्रसन्न हुए हैं कि वह देश की एकता के लिए लड़ने को उत्सुक हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से वाकिफ है कि अगर हमारा राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा, तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा और हम अपनी समस्याएं सुलझाने में असफल होंगे।

अपने भाषण में उन्होंने उन समस्याओं का वर्णन किया है, जिनका कि पंजाब के लोग सामना कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि देश में संघीय ढांचा बहाल करके ही वे राज्यों की समस्याएं सुलझा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां है तथा यहां भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं।

कल प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में यह कहा था कि शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उन शक्तियों को विकेन्द्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं जो कि केन्द्र में निहित हैं। इसी जनता सरकार ने वर्ष 1977 में शिक्षा के विषय को राज्य-सूची से हटा कर सवर्ती सूची में रख दिया था। मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा के विषय

[डा० तम्बि दुरै]

को पुनः राज्य-सूची में रखने के लिए वे कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। संघीय ढांचे तथा एकता के नाम पर उन्होंने बहुत सी शक्तियां राज्यों से लेकर केन्द्र में निहित कर दी हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण, राज्यों में बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ी पंजाब में ही नहीं बल्कि काश्मीर में भी है। कल ही प्रधान मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि वह शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पंजाब की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कुछ एक मुश्त योजनाओं की घोषणा की है। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं परन्तु, यह काफी नहीं है। कल भी मैंने पूछा था कि काम के अधिकार सम्बन्धी विधेयक को कब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज क्योंकि वर्तमान सत्र का अन्तिम दिन है, इसलिए हम बड़ी उत्सुकता से इस सम्बन्ध में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, एक बात फिर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात पूरी करें तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करें और काम के अधिकार सम्बन्धी विधेयक लाने का प्रयत्न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं कम से कम समय लूंगी। मैं केवल बात को स्पष्ट करने तथा एक छोटी सी अपील करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं श्रीमती बिमल कौर खालसा के अपील करती हूं कि वह भाषान्तर उपकरण कानों में लगा लें।

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : मैं अंग्रेजी समझती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद, प्यारी बहन कल आपने दोनों कम्यूनिट पार्टियों पर आरोप लगाया तथा कहा था कि सी० पी० आई० तथा सी० पी० आई० (एम०) ऐसी दो पार्टियां हैं जो कि पंजाब में चुनाव करवाने का विरोध कर रही हैं। इसलिए, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगी जो कि इस सम्बन्ध में कल श्री इन्द्र जीत गुप्त ने कहा था :

> "बेशक, मेरा दल इस संशोधन के पक्ष में मत देगा, अर्थात् इस संशोधन के बाहरी ढांचे का समर्थन करेगा। परन्तु अगर इस संशोधन की भावना के अनुसार मत देने को कहा जाए, तो मैं इसके विरोध में मत दूंगा। इसका क्या कारण है ? क्योंकि हमारा यह मानना है कि बार-बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना पंजाब के लिए एक स्थाई बात बन गई है; इससे स्थिति में सुधार नहीं होगा अगर हम इसी प्रकार पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चलते रहे।"

फिर उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट किया और मैं फिर उनके शब्दों को उद्धृत कर रही हूं :

> "प्रेस के इन महानुभावों को यह आभास नहीं मिलना चाहिए जैसा कि उन्हें मिलता रहा है कि वामपंथी दल विशेषकर दो कम्यूनिस्ट दल, चुनावों के कट्टर विरोधी हैं; भारतीय जनता पार्टी की तरह वे किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं चाहते और वे यह कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तथा तथा वामपंथी दल इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प, नहीं।"

यह हमारा मत नहीं है। ऐसा हमारे मत को स्पष्ट करने के लिए किया गया था।

मेरी अपील यह है कि इस सभा को एक संकल्प पारित करने दीजिए—बिना किसी राजनैतिक दल का लिहाज किए—कि हमारे देश को परेशानी में न डालिए और न ही इसे नष्ट कीजिए। हमें लोगों से अपील करनी चाहिए कि साम्प्रदायिक सद्भावना चाहे पंजाब हो या कोई अन्य जगह हो बनाये रखनी है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से भी साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने की अपील करता हूं। आखिर, वे गांधीवादी समाजवाद पर ज्यादा नहीं कह सकते हैं। परन्तु स्वयं गांधी जी को चौरी चोरा आन्दोलन वापस लेना पड़ा था जिसके लिए हम उन्हें दोषी ठहराते हैं।

अत: मैं समझती हूं कि प्रधान मन्त्री से इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित करने की अपील करना हमारे देश के हित में है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, तमाम मैम्बरान से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इलैक्शन के हक में है। हम इलैक्शन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आज पंजाब के अन्दर जिस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं, क्या उन हालात के अन्दर फेयर-एण्ड-फ्री इलैक्शन संभव है? हम चाहते हैं कि पजाब की परिस्थिति इस तरह से हो जाए कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अन्दर किसी किस्म का डर न हो। इसलिए मैं साफ तौर पर इस आनरेबिल हाउस से कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इलैक्शन के खिलाफ नहीं है। हम इलैक्शन के पक्ष में हैं, लेकिन हालात जिस प्रकार से पंजाब के अन्दर कायम हैं, क्या उसके अन्दर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ इस बात का एहसास करता है कि इन हालात के अन्दर पंजाब के अन्दर जो इलैक्शन होंगे, वे सही मायने में इलैक्शन होंगे? इस लिए मैं आप सब साहेबान से कह देना चाहता हूं कि मेरा पार्टी इलैक्शन के खिलाफ नहीं है, हम इलैक्शन के हक में हैं। मैं बहुत अदब से कांग्रेस भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बार-बार हमारा नाम लेते हो, लेकिन आप को एक बात को देखना चाहिए कि पिछले 18 साल से कांग्रेस संगठन के अन्दर चुनाव नहीं हुए हैं। वह पार्टी जो अपने अन्दर जम्हूरियत कायम नहीं रख सकी, वे जम्हूरियत की वकालत करने का क्या हक रखते हैं?

मैं अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी अकेली पार्टी हिन्दूस्तान के अन्दर है, जहां हमने बाकायदा इलैक्शन किए हैं। हम इलैक्शन के हक में हैं और हम इलैक्शन चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री संघोन्त मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब देश मंडल आयोग और मन्दिर निर्माण से पीड़ित हो तो हम आज यहां उस संकल्प पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जिसे माननीय गृह मन्त्री लाये हैं तथा लोक सभा और राज्य सभा में सभी राजनैतिक दलों ने बड़े वेमन से इसके राष्ट्रपति के पास जाने से पहले सर्वसम्मति से इसे पारित किया।

मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा रखे गये मुद्दे को दोहराना नहीं चाहता हूं। चूंकि माननीय प्रधान मंत्री इस वाद विवाह में भाग लेंगे अत: मैं माननीय प्रधान मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह हवाई जहाज पर हुए उनके संवाददाता सम्मेलन के बाद इस स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में हमें बतायें। उन्होंने कहा था कि जब हम 6 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए कहते हैं तो हम चुनाव के लिए तारीख दे सकते हैं। निःसंदेह उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने कहा था कि हम घोषणा करना चाहते

[श्री सन्तोष मोहन देव]

है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस बीच ऐसी कौन-सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं कि आप चुनाव की तारीख घोषित नहीं कर पाये ? यदि आप 6 महीनों में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में आपका हमारे राष्ट्रपति को लिखा पत्र ठीक है या जो कुछ वे सभा में कह रहे हैं और श्रीमती गीता मुखर्जी तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ठीक है। यह हमें जानना है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट है।

श्री संतोष मोहन देव : जी नहीं, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। जो कुछ आपने सभा में कहा वह स्पष्ट है लेकिन जो पत्र हमें देश के प्रधान मन्त्री से मिला है, स्पष्ट नहीं है। यह प्रधान मन्त्री तो अस्थायी प्रधान मन्त्री हैं। वह भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों की दया पर हैं। (व्यवधान) इनमें से एक दल तो पहले ही 30 अक्तूबर तक का नोटिस दे चुका है। दूसरे भी इसी तरह की बात सोच रहे हैं। जब वे दीर्घा में निजी तौर पर बोलते हैं तो जो अनुमान हम इस सरकार के बारे में लगाते हैं वह उनके सभा में व्यक्त किये गये उद्गारों से काफी भिन्न होता है।

सोमवार, 29 जनवरी, 1990 को पंजाब राज्य विधान सभा (शक्तियों का अन्तरण) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित परामर्शदात्री समिति के नामांकन किये गये। माननीय अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को नामांकित किया। आज तक माननीय गृह मंत्री को इस समिति की बैठक बुलाने का समय नहीं मिला। अपने एक प्रधानमन्त्री के बतौर कहा था कि आप पंजाब में ठीक स्थिति बहाल करने के लिए सभी राजनैतिक दलों को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराये जा सकें। यह बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। लेकिन क्या कार्यवाही की गई है ? आपने स्वयं माननीय अध्यक्ष की सहायता से अनवरी में परामर्शदात्री समिति गठित की थी। आज अक्तूबर चल रहा है। जनवरी से अक्तूबर तक आपके पास मन्त्रियों को पदावनत करने का समय था इस्तीफा देने का समय था, अपने लिए दूसरे मंत्रियों का इस्तीफा लेने का समय था लेनिक आपके पास बैठक बुलाने का समय नहीं था। मैं समझता हूं कि या तो आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसी एक समिति है या आपने इसे स्थगित रखा। मैं नहीं समझता था कि आपके प्रधानमन्त्री होते हुए स्थिति होगी। इन दस महीनों के दौरान इस समिति की एक दिन भी बैठक नहीं हुई।

दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं कुछ समय गृह राज्य मन्त्री रहा और उस पद पर रहते हुए, मैं पंजाब गया। (व्यवधान) मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कल ही पंजाब से एक उद्योगपति आये और मुझसे मिले। उन्होंने कहा, आप अमृतसर तब गये जब आप एक मन्त्री थे। हमने कई विषयों पर बात-चीत की और अन्त में उन्होंने कहा, महोदय, कुछ लोग आये और मुझे 20 लाख रुपये देने या पंजाब छोड़ देने के लिए कहा। मैंने अपना धंधा बन्द कर दिया और पंजाब से बाहर चला आया। मेरे मित्र ने कहा पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस से बात करो, अब पुलिस काफी सक्रिय है और वे कार्यवाही करेंगे। मैं पुलिस थाना गया। जैसे ही मैंने वहां प्रवेश किया मैं वहां से वाहस भाग आया। मैं वापस अपने घर भाग कर आ गया। मैंने उनसे पूछा क्यों तो उन्होंने कहा जो आदमी मेरे पास आया था और पैसा मांग रहा था वह पुलिस थाने में कुर्सी पर बैठा था। वह उस पुलिस का प्रभारी अधिकारी था। हो सकता है कि यह एक अपवाद हो। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : आपने इतने सालों तक शासन किया, उस दौरान आपने पंजाब में क्या किया ? उस समय आप पंजाब से भागते रहे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं; मैं मानता हूं कि सारा पुलिस बल ऐसा नहीं है; पंजाब की 80% या 90% पुलिस अच्छी है ।

परन्तु एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं. परिणामस्वरूप वे पंजाब के सदस्यों के दिलो-दिमाग में भय पैदा करते हैं । जो कुछ मैंने आज सुना और जो मैंने नौ माह पहले सुना है उसमें काफी अन्तर है । यह इस सम्मानित सभा, इस संसद की उपलब्धि है । मुझे आशा है कि स० अतिन्दर पाल सिंह जब आज बोलेंगे वह इस सभा में अन्य सदस्यों को 6 महीने सुनने के बाद एक अलग ही भाषा में बोलेंगे । उनकी कुछ परेशानियां हैं; उन्हें दूर किया जाना चाहिए । परन्तु दुर्भाग्य से जब वह बोलते हैं तो पंजाब से कोई भी व्यक्ति आतंकवादियों और पंजाब में उनकी गतिविधियों की निन्दा नहीं करता है । उनकी पाकिस्तान से मिलीभगत है । कोई भी व्यक्ति पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा नहीं करता है । मैं आशा करता हूं कि जब भी पंजाब का कोई व्यक्ति बोले तो उसे कम से कम पंजाब में चल रही इन गतिविधियों की निन्दा करनी चाहिए ।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करते वक्त यह बताएं कि विपक्ष से अर्थात कांग्रेस (ई) से वास्तव में क्या चाहते हैं । हम उन्हें समर्थन देना चाहते है; हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं । जब वह मन्त्री थे तो वह इस विपक्ष के अभिन्न अंग थे । वह हमारी संस्कृति से वाकिफ हैं । वह अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज के बावजूद राष्ट्रीय हित ही हमारा मुख्य ध्येय है । हम पंजाब के सम्बन्ध में या इसी तरह के किसी मुद्दे पर पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं। लेकिन भगवान के लिए इसमें कोई व्यक्तिगत विद्वेष या व्यक्तिगत स्वार्थ न लाइये । अब बताइये आप हमसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं ?

विगत में हमने कुछ सदस्यों के साथ कुछ बैठकों में भाग लिया है । हमारा अनुभव है कि जब कभी कोई व्यक्ति बोला है तो वह कांग्रेस (ई) के खिलाफ बोला है । जब हम एक ही मंच पर बैठे हैं तो आप हमसे कैसे सहयोग की आशा करते हैं ? सरकार चलाने के लिए आपको निर्णय लेने हैं । कुछ फैसले सही हो सकते हैं, कुछ गलत फैसले हो सकते हैं । अब यह समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है । आज आठवीं बार हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा रहे हैं । हमें आशा करनी चाहिए कि यह अन्तिम होगा । सदस्यों की यह आशा और आकांक्षायें केवल तभी पूरी होंगी जब आपके गुट मंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे । पंजाब में सभी राजनीतिक दलों—कांग्रेस(इ), भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अकाली दल को अपना सहयोग दीजिए तथा चुनाव कराने की स्थिति पैदा कीजिए । जब हम पंजाब में पहले चुनाव करा सकते थे तो अब फिर चुनाव कराना संभव क्यों नहीं है ? मेरे विचार में हम पंजाब में चुनाव करा पायेंगे बशर्ते सभी राजनैतिक दल मिल कर सहयोग करें ।

मुझे आशा है कि जब आप उत्तर देंगे तो आप उस तरीके से उत्तर नहीं देंगे जिस तरीके से आपने

[श्री सन्तोष मोहन देव]

लखनऊ में उत्तर दिया था, और अलग-अलग व्यक्तियों पर दोषारोपण किया था। कृपया दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और इस देश के प्रधान मन्त्री के रूप में इस संसद में एक भाषण दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती विमल कौर खालसा (रोपड़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कुर्सी पर बैठने से पहले इलेक्शन के दौरान यह वादा किया था कि पंजाब की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, लेकिन बहुत दुख की बात है कि 10 महीने बीतने के बाद भी इस सरकार ने पंजाब समस्या हल करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज मैं यह पूछना चाहती हूं कि पंजाब में और कितनी बार राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाएगा। क्या प्रेसीडेंट रूल को बढ़ाना ही पंजाब समस्या का हल है। क्या बार-बार गवर्नर बदलना ही पंजाब समस्या का हल है। पहले श्री रे साहब वहां के गवर्नर थे। उन्होंने अपने प्रशासन के दौरान कहा था कि पंजाब में जो मुट्ठी भर आतंकवादी हैं, उन पर मैं पूरी तरह से काबू कर लूंगा, पर जाते समय वे भी यह कह कर गए थे कि पंजाब समस्या बिना बातचीत के हल नहीं हो सकती। गोली से पंजाब की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए मैं आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कुछ पार्टियों कह रही हैं कि पंजाब में तब तक इलेक्शन न कराया जाए, जब तब पंजाब समस्या हल नहीं होती। मगर मैं इनसे पूछना चाहती हूं जो लोग कहते हैं कि जब तक पंजाब में शांति नहीं होती, इलेक्शन नहीं होने चाहिएं, कि आप पंजाब में शांति लाने के लिए क्या कर रहे हैं और पंजाब में शांति कब आएगी तथा कैसे आएगी? यह बताया जाए। उसके बाद पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, सरकार यह अनाउंस करे। मैं माननीय प्रधान मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहती हूं कि ये जो पार्टियां हैं—कांग्रेस पार्टी, सी० पी०आई०, सी०पी०आई० (एम०) और बी०जे०पी०, ये नहीं चाहतीं कि पंजाब की समस्या हल हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब तक बन्दूकें नहीं छोड़ेंगे।

श्रीमती विमल कौर खालसा : बन्दूकें उनको उठानी पड़ी हैं। बन्दूक उठाने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह समस्या क्रिएट की है। इसलिए वह नहीं चाहेगी कि वर्तमान सरकार समस्या हल करे। इसलिए उन्होंने पंजाब की समस्या हल करने के लिए आपको सहयोग नहीं देना। आपको स्वयं बहादुरी दिखानी पड़ेगी, पंजाब की समस्या का हल करने के लिए। सबसे पहले यह करना होगा कि पंजाब में जितने भी नौजवान जेलों में नजरबंद हैं उनको तुरन्त रिहा किया जाए, जितने भी धार्मिक नेता बन्द हैं उनको तुरन्त छोड़ दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पंजाब में शान्ति न होने का क्या कारण है। जितनी अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है ये सारी एन्टी सिख है और एन्टी पंजाब है इसलिये ब्यूरोक्रेसी ऐसी लगायी जाए जो सिखों के हक में है और पंजाब के हक में है। चीफ सैक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक सारे एन्टी सिख हैं और एन्टी पंजाब हैं, इसलिए पंजाब की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जो जख्म सिखों के मनों पर ब्लू स्टार आपरेशन के दौरान हुए, 1984 के दंगों के दौरान हुए उन पर मलहम-पट्टी करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सिखों को बहुत आशाएं थी कि सरकार बनने के बाद सिखों के घावों पर मलहम-पट्टी लग जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि 1984 के दंगों के दोषियों को सजा देने के लिए सरकार ने क्या किया?

उपाध्यक्ष महोदय : विमल जी, समाप्त कीजिए।

श्रीमती विमल कौर खालसा : कितने दोषियों को सजा दी गयी है और कितने दोषी गिरफ्तार किए गए है ? यह कहा जा रहा है कि पंजाब का माहौल इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, पंजाब में शांति नहीं है । मैं पूछना चाहती हूं कि पिछले इलेक्शन में पंजाब में कोई गड़बड़ हुई ? क्या इलेक्शन के दौरान अमेठी में गड़बड़ नहीं हुई ? हरियाणा में गड़बड़ नहीं हुई ? बिहार में गड़बड़ नहीं हुई ? सिर्फ पंजाब को क्यों बदनाम किया जा रहा है ? वहां फेयर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते ? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि पंजाब की समस्या को हल करने के लिए ध्यान दिया जाए । अगर पंजाब की समस्या ज्यादा खराब होगी, पंजाब का माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी । इसलिए पंजाब की समस्या हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है और इलेक्शन कब करवा रही है, यह बताया जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी, आपका नाम पहले बुलाया था । आप इस विषय पर पहले भी बोल चुके हैं, कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिएगा ।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्तों ने सिफारिश की है कि मैं एक शेयर सुनाऊं ।

"लुटते अगर खिजां में तो कुछ बात ही न थी ।
हमको यह रंज है कि लुटे हैं बहार में ।।

इन महापुरुषों के वक्त में लुटते रहे हैं, किसी जो अफसोस नहीं, लाखों बेवाओं का अफसोस किस पर करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पहले भी बोल चुके हैं ।

श्री कृपाल सिंह : एक बात माननीय सदस्य श्री रंगा जी ने कही है कि ये क्यों यू० एन० ओ० गए हैं और उनसे कैसे बात की जाए । कभी आपने सोचा कि क्यों जाते हैं, यहां इन्साफ क्यों नहीं मिलता और कितने कत्लों के बाद कोई नहीं पकड़ा जाता । तो फिर उमको क्या दोष देंगे । मैंने कल ही प्राइम मिनिस्टर को बताया कि पंजाब में पांच गांवों में दो सौ लोगों की चमड़ी उधेड़ दी गई और उनमें कोई टॅरोटीस्ट नहीं था । लोग रोते हैं और हमारे पास आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा ले गए । यह बताओं कि कहां है । कोई पुलिस वाला नहीं बताता कि बच्चा कहां है । मार दिया गया या छोड़ दिया गया । शहरियों के साथ यह सलूक है । ऐसे सलूक के बाद ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि उनकी वफादारी होगी । फिर सिखों से वफादारी का सर्टिफिकेट चाहते हैं जबकि इनके घर में चोर छिपे हुए हैं । जिनके सेक्रीटेरियेट में इतने अफसर थे और हकीकत की बात यह है कि गैर-मुल्की चीजों के लिए अपने मुल्क के राज बेचने वाले या गैर-मुल्की करेंसी रखते हैं । यह कोई नयी बात नहीं है और हमारे प्रधानमन्त्रियों के घर में भी रखते रहे हैं । आप यह विधेयक पास कर लेंगे तो छह महीने का समय मिल जायेगा । इस हाऊस में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को यह बताना होगा कि पंजाब के खूंखार भेड़ियों के सुपुर्द कितने दिन तक रखेंगे और······* ने वहां खून का बाजार गर्म कर रखा है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाएंगे ।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : उन लोगों के सुपुर्द पंजाब के लोगों को कब तक रखा जायेगा और पंजाब में चुनी हुई गवर्नमेंट कब आयेगी । क्या यह हाउस आतंकवादियों के पास जाकर रिकेमंड करेगा कि टैरोरीज्म छोड़ो हम यहां पर इलैक्शन करवाना चाहते हैं । यह मैथड तैयार नहीं किया जायेगा तो हमें इन्साफ देना चाहिए और इन्साफ के लिए आज हर तरह से बरबादी है । इस बरसात के मौसम में फसल आधी खराब हो गई है । जो खरीदने वाली एजेंसीयां हैं वे नजर नहीं आती हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । पैंडो की फसल खराब हो गई थी और नये सिरे से उगनी शुरू हो गई है । जो डेरियां थीं मंडियों में वह पानी में बह गयीं और एफ० सी० आई० या दूसरे नहीं हैं और जो चावल का काम करने वाले हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होता है और चार हजार गाड़ी की रिश्वत एफ० सी० आई० को दी जाती है । सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स के मामले में हर तरह से पंजाब में डिस्क्रीमिनेशन होता है । जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिलतीं । कोई गवर्नर या कोई ब्युरोक्रेसी इन बातों को हल नहीं करेगी । इतना ज्यादा लूट चुके हैं तो हम कब तक लूट का शिकार होते रहेंगे । पंजाब के लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में और देश की हिफाजत में और देश के अनाज भंडार में सिपाही, किसान और अच्छे टैक्नीशियन का रिकार्ड है । उनको क्यों खत्म कर रहे हैं । यह भी देखते हैं कि ये खत्म नहीं हो पाते ···*···कहा करते थे कि अब दस-बीस रह गए हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाय नाज मत लीजिए । नामों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि दुश्मन को मिटाना है तो न मिटूंगा, यूं तो मैं फानी हूं, मेरे लिए मरना तो बहुत जरूरी है । पंजाब के खिलाफ जो साजिश हो रही है तो इसको मिटाने से पंजाब नहीं मिट सकेगा । देश की वफा के लिए जरूरी है और उन्होंने देश की आजादी की हिफाजत के लिए सबूत मुहैया किए है इसके बावजूद देश को भेड़ियों के सुपुर्द रखना है तो फिर यह बेइन्साफी होगी और डिसकंटेन्टमेंट भी आयेगी और इसी में से यू० एन० ओ० पैदा होता है । मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया और यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री एलान करें कि किस दिन पंजाब में चुनाव होंगे ।

[अनुवाद]

डा० बिप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : यदि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यह आवश्यक और अपरिहार्य है । परन्तु हम ऐसा विषाद पूर्ण भावना के साथ कर रहे हैं । मैं पंजाब से आए दोस्तों को यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा हम पंजाब के लोगों को प्रजातान्त्रिक चुनावों के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं कर रहे हैं अपितु ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पंजाब के लोगों की प्रजातान्त्रिक भावनाएं आज पंजाब में हो रही घटनाओं के कारण अब होने वाले चुनाओं में परिलक्षित नहीं होंगी । यदि पंजाब में एक उपयुक्त और प्रजातान्त्रिक माहौल होता तो हमने अब चुनाव कराये जाने का समर्थन किया होता ।

* कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

साथ ही, प्रधान मन्त्री से हमारा यह निवेदन है कि इस 6 महीने की अवधि में उन्हें हालत ठीक करने का मौका मिलेगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस 6 महीने की अवधि का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि आपके लिए पंजाब में चुनाव फिर से 6 महीने के लिए स्थगित करना आवश्यक नहीं हो। हमारी यह भावना है कि जब आप सत्ता में आए तो अपने सिखों के मन्दिर में जाकर, लोगों से मिलकर सही पहल की थी जिससे काफी आशायें जगी थीं। दुर्भाग्यवश, इसे बरकरार नहीं रखा गया। कुछ भूल-चूक हुई हैं। परन्तु मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। अनुकूल परिस्थिति तैयार करने हेतु जो कम से कम किया जाना चाहिए वह यह है कि उस समझौते की शर्तों को लागू किया जाए जो राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच हुआ था। हम यह भी महसूस करते हैं कि 1984 के दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए। जब 2 अक्तूबर को दिल्ली में एक भद्दा प्रदर्शन किया गया तो कई लोगों के दिमाग में यह याद फिर ताजा हो गई कि 1984 में क्या हुआ था क्योंकि वही लोग जो 1984 के दंगों में शामिल थे, वही लोग इस वर्ष 2 अक्तूबर को हुए उपद्रव में भी शामिल थे। ये लोग कौन थे? उन्हें दण्ड क्यों नहीं दिया गया? (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि जिन अपराधियों ने 1984 में दिल्ली में सिखों का कत्ल किया, उन्हें न्याय के कट घरे से लाया जाए और दण्ड दिया जाए। और पंजाब में चुनाव कराने हेतु एक उपयुक्त माहौल तैयार किया जाए।

मैं श्री संतोष मोहन देव द्वारा किए गए प्रश्न का भी जवाब देना चाहता हूं। वह जानना चाहते थे कि प्रधान मन्त्री विपक्ष से क्या चाहते हैं···(व्यवधान) मुझे आशा है कि वे पंजाब में टिकेंगे तथा आतंकवादियों से लड़ेंगे और वहां से नहीं भागेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको इसके लिए समय चाहिए?

डा० बिप्लव दास गुप्त: वे आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात आतंकवादियों को अलग-थलग करना है। उन्हें राजनीतिक रूप से मात दी जानी चाहिए। यह सच है कि आज उनका पुलिस तथा नौकरशाही के कुछ हिस्से पर नियन्त्रण है। यह भी सच है कि उनके पास दमनकारी ताकत है। यह सुनिश्चित करना कांग्रेस सहित हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि आतंकवादियों को अलग-थलग कर दिया जाए और राष्ट्रीय एकता कायम रखी जाए।

अन्त में श्री चिदम्बरम द्वारा किए गये प्रश्न कि प्रधान मन्त्री घटनाओं के प्रति दम्भी दृष्टिकोण अपना रहे हैं, के जवाब में···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

डा० बिप्लव दास गुप्त: क्या मैं यह कहा सकता हूं कि चिदम्बरम को भी यह भ्रम है कि वह पाक दामन हैं। क्या वह इस बात से मना कर सकते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी ही थी जो अकाली दल को छिन्न-भिन्न करने के लिए श्री भिंडरावाले को राजनीति में लाई थी? क्या वह इस बात से मना कर सकते हैं कि यह उनकी ही पार्टी थी, जिसकी सरकार ने स्वर्ण मन्दिर पर आक्रमण किया था? क्या वह इस बात से मना कर सकते हैं कि यह उनकी पार्टी की ही सरकार थी जिसने बरनाला सरकार को बर्खास्त किया था और वर्तमान स्थिति पैदा की थी? पंजाब की मौजूदा हालत कांग्रेस शासन के दुष्कर्मों की विरासत है। मुझे आशा है कि अगले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियों के सहयोग से

चुनावों में सहायक परिस्थितियां पैदा की जायेंगी और चुनावों के माध्यम से इस राज्य के लोगों की प्रजातान्त्रिक भावनायें परिलक्षित होंगी।

[हिन्दी]

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में पंजाब को 11 मई, 1987 से डेमोक्रेसी से वंचित रखा गया है और वहां पर पंजाब के लोगों की विल्ल के अगेंस्ट प्रेजीडेंट रूल लगा है। हम पंजाब के लोग यह नहीं चाहते थे कि वहां पर प्रेजीडेंट रूल लागू हो परन्तु आज···

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वे इस कथन से डरे हुए हैं कि जो लोग 1984 के दंगों में शामिल थे, वही 2 अक्तूबर वाली घटना में भी शामिल थे। क्या इसका यह अर्थ है कि वे 1984 वाली घटना में शामिल थे किन्तु इस घटना में नहीं ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जिन लोगों ने सद्भावना यात्रा आयोजित की थी, उन्होंने ही बोट क्लब पर गड़बड़ की।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : 2 अक्तूबर को होने वाली किसी भी घटना के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। माननीय सदस्य इस बारे में उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वास्तव में जो सद्भावना यात्रा कांग्रेस ने दिल्ली में आयोजित की थी उसका पूरे ऐतिहासिक शहर दिल्ली जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, में सभी धर्मों तथा जातियों के लाखों लोगों द्वारा स्वागत किया गया था। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी तथा कांग्रेस सद्भावना यात्रा के दिल्ली को लोगों से मिले जवाब से बेचैन नहीं हैं। जहां तक 1984 के दंगों पर टिप्पणी का सम्बन्ध है, मैं इस विषय का उल्लेख थोड़ी देर बाद करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मुझे आशा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। बोलने में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अब इस माहौल को खराब मत करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जायें। भजन लाल जी आप भी बैठ जाएं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री हरभजन लाखा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का दुःख है कि आज जो पंजाब की हालत हो गयी है, वैसी ही हालत आज सारे देश की हो रही है। ऐसी हालत वे लोग बनाते जा रहे हैं जिन्होंने पंजाब की हालत को बिगाड़ा है। मैं कल मंगोलपुरी में महर्षि वाल्मीकि जयन्ती पर जा रहा था। वहां दीवारों पर लिखा हुआ है कि इस देश में राम जन्म भूमि पर मन्दिर बनाने के लिए अयोध्या में अपने खून की होली बहाकर और गलों में गोलियों का हार बनाकर आगे आइये···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप पंजाब पर बोलिये।

श्री हरभजन लाखा : इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को उनका अधिकार दिलायें ···(व्यवधान)··· आज जो पंजाब के अन्दर कम्युनल फोर्सेस उठ रही हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लाखा जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । कृपया प्रासंगिक होइए । कृपया विषय पर बोलिए और अपने विषय से मत हटिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरभजन लाखा : होम मिनिस्टर साहब ने यह डिक्लेयर किया है कि एक वैलफेयर कमेटी होगी जिसमें पंजाब के एम० पी० उनके मेम्बर होंगे, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स वैलफेयर कमेटी, पंजाब का मैं मेम्बर हूं और आज तक दस मास में कोई भी कमेटी नहीं बनाई है । ये लोग बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं । इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि आप विश्वास दिलाइए कि हर तीन मास में पंजाब के सभी एम० पीज की मीटिंग पंजाब के ऐडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ की जाएगी ताकि हम पंजाब के डेवलपमेंट की बात कर सकें, और आपकी यह बात कि कास्टिज्म हम इस देश में मिटाना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने जो यह फैसला किया है कि इस देश में हमने जात-पात को खत्म करना है पंजाब में जात-पात नहीं है, इसलिए जो जात-पात का नाम लेकर आज हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान को कायम रखना चाहते हैं, हम उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि हम इससे दुःखी हैं और हम इसको खत्म करके रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : लाखा जी, आप कृपया खत्म करें ।

श्री हरभजन लाखा : पंजाब जैसे हालात सारे देश में न हों इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से यही विनती करता हूं कि छह माह के भीतर-भीतर पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए डिक्लेयर करें ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिल सके ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, भजनलाल जी, भाषण पंजाब पर होना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सीरियस और अहम मसले की तरफ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एक मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता दो बार हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे । उन पर जानलेवा हमला किया गया, गोली मारी गई···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह पंजाब पर नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : वे आल इंडिया अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष हैं, दो दफा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, फ्रीडम फाइटर हैं, उन पर जानलेवा हमला किया गया । सारा देश यह चाहता है और हरियाणा के लोग जानते हैं कि···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह पंजाब पर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : इसके पीछे एक गहरी साजिश है। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करवाएं ताकि लोगों को पता लग सके कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इसके लिए सी० बी० आई० की इन्क्वायरी बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री० राम प्रकाश (अंबाला) : पंजाब से लोग उजड़कर यहां आ रहे हैं। (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि ये लोग जो हैं, यहां बैठे हैं इनकी हौसला-अफजाई आपको नहीं करनी चाहिए, इन्होंने सारे देश को तबाह कर दिया है, मेरी यही विनती है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले मैं माननीय सदस्यों और सभी दलों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संविधान संशोधन में अपना समर्थन दिया। कुछ सदस्यों का उससे विरोध भी रहा और आज ये प्रस्ताव, जो प्रोवसेमेशन हम सदन के सामने लेकर आए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसको लेकर आने में हमें कोई बहुत खुशी नहीं है। आगे और कुछ कहने के पहले, चूंकि बार-बार यह मसला उठाया गया, हमारे समर्थक सहयोगी दलों—हमारे वामपंथी दल, भारतीय जनता पार्टी के संबंध में प्रश्न उठाए गए, में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये सभी दल पंजाब में चुनाव के विरोध में नहीं हैं, चुनाव के पक्ष में हैं और उन्होंने यह नहीं दी कि चुनाव नहीं कराने हैं और इसी तरह प्रेजीडेंट रूल में चलाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात जरूर है कि उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में फेयर फ्री इलेक्शन बैलेट की प्रक्रिया भले आप कर लें लेकिन उनके हिसाब से वहां पर वह वातावरण नहीं है कि मत स्पष्ट रूप से और खुली तरह से हो सके। इसलिए कुछ समय के लिए चुनाव अभी नहीं हो सकते, लेकिन इस बीच में, ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर पड़ी रहे बल्कि हम उसमें कुछ राजनैतिक पहल करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, वहां के लोगों को जो पीड़ा है, उसे दूर करना चाहते हैं। उसी के साथ-साथ हमारी सीमाओं के उस पार से जो खतरा है, उसके लिए भी अपने को तैयार रखना चाहते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। इन सारी चीजों के करते हुए, उन्होंने कहा कि हमको तब चुनाव की ओर जाना है। यह इनकी सही स्थिति है, इसमें किसी को बार-बार भ्रम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चुनावों को रोक दिया। पूरी तौर से कहते पर, जो सही बात है, वही सामने आनी चाहिए और इसीलिए मैं शुरू में ही इस स्थिति को साफ कर देना चाहता हूं कि यह निर्णय कैसे हुआ, चुनाव क्यों नहीं कराये जा सके क्योंकि हमारे पंजाब से चुनकर आने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने हमसे पूछा है। उन्हें सही स्थिति पता होनी चाहिए।

हम सरकार को बचाने के लिए या किसी और उद्देश्य से कोई बात नहीं रखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपनी अन्तर-आत्मा को झांकने की जरूरत पड़ती है। अब भी कोई पंजाब का या राष्ट्रीय मसला सामने आता है, उस समय यदि हम कहते हैं कि हम अन्य पक्षों को छोड़कर कोई काम करें, उस अवसर पर मैं समझता हूं कि सरकार को ही नहीं, बल्कि हमें अपनी अन्तर-आत्मा को टटोलने की भी जरूरत होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर सोच करने

की जरूरत होती है। यहां माननीय सदस्यों ने सही कहा, अभी अतिन्दर पाल सिंह जी ने कहा, उससे पहले कृपाल सिंह जी ने भी कहा कि मौजूदा सरकार से एक उम्मीद थी, इस माने में हम जरूर कहते हैं कि जो एक राजनैतिक पूंजी थी, उसमें जरूर कुछ ह्रास हुआ है, इसको दुःख के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ता है। हमारा ख्याल है कि सदन में सच्चाई कहना ज्यादा बेहतर है, ऐसे मसलों के अन्दर एक अवसर था, जब यहां नई सरकार आई थी, उस समय अकाली दल और हमारे जितने मित्र दल हैं, वैसे मित्र दलों से तो हर हालत में हमारा अच्छा सम्पर्क या सहयोग रहा है, हर मामले में हमारा और उनका सम्पर्क और डायलाग बना रहा है, यहां तक कि एक मंच पर आने में भी हमें कोई संकोच नहीं होता था। सिमरनजीत सिंह मान साहब भी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उस समय खुले तौर से समर्थन देते थे। एक ही मंच पर थे, यद्यपि वे स्वयं कभी नहीं आये लेकिन साथी लोग आते थे, हम लोग भी जाते थे। एक अर्थ में, पंजाब के सिक्ख भाइयों की तबियत में एक राजनैतिक विश्वास था, मैं समझता हूं कि मेरे अंदाज से, वहां जाने से, क्योंकि वहां जाने और मंच पर भाषण करने के अलावा भी, सड़कों पर उतर कर हम वहां के लोगों के बीच गए, उनके बीच जाने का अवसर हमें मिला और हमने वहां के लोगों के जजबात को देखा, उनसे मिले और जब पंजाब के लोगों ने दिल खोलकर, प्यार से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, तो उसमें किसी तरह के संकोच की बात नहीं रहती है, तभी मैंने कहा था कि कि यहां के लोगों का विश्वास ही मेरी सीक्योरिटी है, वह इसी आधार पर कहा था, उनके बीच जाकर लेकिन मैं मानता हूं कि पहला झटका हमें तब लगा जब पहली बार चुनावों का पोस्टपोनमैंट हुआ। वह बात सही है कि एक जजमैंट था कि अभी वैसी परिस्थितियां पूरी तौर से नहीं आयी हैं, लेकिन कुछ भी हो, मैं सदन में स्वीकार करना चाहता हूं, इसे मैं अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल मानता हूं कि पहले 6 महीनों में वहां चुनाव नहीं करा सका।

मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं क्योंकि वह एक अवसर था, जिससे बाद में एक रास्ता निकल सकता था चुनावों का। हर इन्सान से कोई न कोई गलती होती है लेकिन अपनी जिन्दगी में मैं इसे सबसे बड़ी भूल मानूंगा कि पहले 6 महीनों में, जब यह सरकार सत्ता में आयी, उस बीच में चुनाव नहीं कराये जा सके। उस गलती की जो भी सजा है, मैं सदन के सामने हूं। मैं यहां कोई जुबानी बात ही नहीं कहता हूं बल्कि अहसास भी करता हूं। उसी का नतीजा हुआ, उसी के बाद यह हुआ कि जो लोग हमारे नजदीक थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगे और आज परिस्थिति यह है मैं समझता हूं कि अकाली पार्टी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होती है, बल्कि अपने को दूर रखना चाहती है।

4.00 म० प०

तो यह एक हमारा राजनीतिक असैट था, पालिटिकल असैट था, उसका ह्रास हुआ, वह जरूर गंवाया और वह किसी समस्या को हल करने में सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्रशासकीय दृष्टि से भी एक चीज जरूर है और यह भी यथार्थ है और सच्चाई है कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान अपनी जरूर सारी हरकतें कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, यह एक यथार्थ है। इसका हमें सामना करना पड़ेगा और इस बारे में हमारी कई लोगों से बात हुई है और यह नहीं है कि उसको नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन इसके साथ, सारे सिख भाइयों को इससे जोड़ देना, सबसे बड़ा अन्याय होगा और इसको हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर इसमें चूक कर जाते हैं, तो इससे एक अन्यायसा हो जाता है। इसलिए मैं इसको दुःख के साथ कहता हूं। चूंकि कई बार छः-छः महीने करके प्रैसीडेन्ट

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

रूल बढ़ा है इसलिए पंजाब में एक शंका पैदा हो गई है। चाहे पिछली सरकार रही हो या मौजूदा सरकार, ये वही छः महीने हैं क्या ? पिछली सरकार ने लगभग 5 बार बढ़ाये और हम दूसरी बार, यानी मौजूदा सरकार इसको दूसरी बार ला रही है। इस प्रकार से कहना मुश्किल होता है कि हम वहां विश्वास पैदा करें कि ये वही छः महीने हैं या छः महीने कोई दूसरे हैं। आज इसके बारे में हम विश्वास पैदा कर सकते हैं।

श्रीमती विमल खालसा जी ने यह सही बात कही है कि कुछ कर के दिखाने की अब बात है। खाली इन्टेंशन्स के डिक्लेरेशन से हम पंजाब में बहुत दूर नहीं जा पायेंगे और यह बात भी नहीं है कि पहली बार कुछ कहा है। यह कोई प्रयास नहीं है, कई चीजें हम लोगों ने की, लेकिन अब अहसास होता है कि वह तरह से जितनी होनी चाहिए थी, वह सम्भवतः नहीं हुई। एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं और मौजूदा फ्रण्ट और सहयोगी पार्टियों ने यहां पर एक वातावरण बनाया था कि हर सिख को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, इसमें कुछ न कुछ कमी हुई है। चाहे वह पंजाब के बाहर हो या पंजाब के अन्दर, जो संदेह की बात थी, यह हम जरूर कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार और सरकार ही नहीं, हमारे सहयोगी दल भी कहते हैं कि सिखों के ऊपर जो शक की मार होती थी, जो चोट होती थी, उसको दूर करने में जरूर हम लोगों ने एक वातावरण बनाने की कोशिश की है और जरूर पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है। चाहे पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन इस ओर जरूर चले हैं। इसीलिए मैंने वहां जाने का प्रयास किया। यह मैं जानता हूं कि मैं पंजाब में जाऊंगा तो एक ही यात्रा में मैं कोई हल लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यह एक वातावरण बनाने का जरूर प्रयास था और यह संदेश खाली पंजाब में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कहने के लिए था कि हमें सिख भाइयों पर शक नहीं है, उनके ऊपर विश्वास है, उनकी इस देश के लिए कुरबानियां रही हैं। इस देश को बनाने में, ऊपर लाने में उनकी हिस्सेदारी है। चाहे वे आजादी के लिए लड़े हों, वहां हिन्दू और सिखों का लहू बहा है। युद्ध हुआ है, तो सीमा पर दोनों के खून का भेद दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दोनों रक्त एक साथ बहे हैं। देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए, चाहे कृषि के रूप में हो, चाहे वह उद्योग के रूप में है वहां के मेहनतकश लोग सामने आए हैं। उनका इतना बड़ा योगदान है और यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है।

मैं यहां पर उन तमाम विभिन्न तर्कों को भी रखना चाहता हूं जो इस बीच में सलाह करने के सिलसिले में आए हैं। सदन को उनसे अवगत कराना चाहता हूं। एक तो यह, अभी चूंकि ऐसे हालात नहीं हैं कि चुनाव की घोषणा हो। अगर चुनाव की घोषणा होगी, तो उसका नतीजा होगा कि भय पैदा हो, हिन्दू भाइयों का एक एक्सोडस हो, उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हो।

फिर चुनाव में बन्दूक की नोक पर आएं और कोई ऐसा प्रस्ताव देश से बाहर जाने का हो, उसके बाद इस समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। इस तरह से एक सोच, एक आशंका कहीं न कहीं परिलक्षित होती है। दूसरी ओर यह केन्द्र का शासन नहीं रह जाता है, गवर्नर का शासन नहीं रह जाता है, अन्त में दीर्घकालिक प्रेजीडेन्ट रूल जब बार-बार बढ़ाया जाता है तो पुलिस शासन हो जाता है। पुलिस शासन होने के बाद फिर ऐलीनेशन होता है, ऐलीनेशन के बाद हर छः महीने के बाद हमारी हालत पहले से बदतर होती है, जैसा कि लोग दिखाते हैं, पहले छः महीने को देखिए, फिर दूसरे छः महीने को देखिए पिछली सरकार में और अपनी सरकार में देखिए। इसलिए वह रास्ता एकदम

अंधा रास्ता है और ऐसे हालात आएंगे जिसमें हालत हाथ से निकल सकती है, लोग हाथ से निकल सकते हैं। वे कहते हैं कि हमको दोनों ओर से मार खानी है, हम दोनों ओर से मार क्यों खाएं, एक ही ओर से खाएं। यदि इस तरह से उनके मन में बैठ जाता है तो फिर रास्ता कहीं नहीं रह जाएगा जहां से हल हो सके। इन सबमें हमारी बड़ी स्पष्ट सोच है कि प्रेजीडेन्ट रूल का बार-बार एक्सटेंशन करना कोई रास्ता नहीं है। अन्त में जो रास्ता है वह लोगों को विश्वास में लेकर, जनतांत्रिक ढंग से उनको जब तक पंजाब की जिम्मेदारी चलाने नहीं देंगे तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा, यह ठोस तौर से हमारा मत है और हम इस ओर अग्रसर हैं। हमने लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए भी कई कदम उठाए जो उस समय एजेन्डा में रखे गए थे। ए-59वां अमैंडमैंट जिसमें संविधान का संशोधन हुआ था कि इमरजेंसी के हालात में जीने के अधिकार को भी लिया जा सकता है पंजाब में। वहां के लोगों की एक बड़ी चोट थी, हम लोगों ने आते ही उसे यहां से रफा-दफा किया, हटाया। जो आर्मी डेंजटर्स थे, मेरा ख्याल है कि बहुत चन्द लोगों को छोड़कर बाकी सभी डेंजटर्स छोड़े गए हैं। यह प्रयास हो रहा है, सफलता से नहीं हो पाया है लेकिन हमारा प्रयास है कि उनको भी कोई न कोई जीविका का साधन मिले। तमाम लोग जेल में थे इसका इश्तहार नहीं किया गया, जिनके ऊपर पंजाब में कोई खास सबूत नहीं थे, जब मुखर्जी साहब गवर्नर थे उस समय से शुरू किया गया, उनकी रिहाई की गई। और भी मामले हैं, जो हम लोगों का फर्ज है मैं उसको गिनाकर कोई सौदा नहीं करना चाहता हूं, हमें न्याय की बात करनी है, न्याय की एवज में कोई सौदे की बात नहीं आ सकती है। कम्पेन्सेशन की बात दिल्ली में भी और वहां भी रही। उसका भी इजाफा किया गया और हम समझते है कि उसको बहुत करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोगों की दृष्टि है कि और जहां सीमा के पार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे तो हमको मजबूती से मुकाबला करना पड़ेगा और इसमें कोई समझौते की बात नहीं है। लेकिन अपने देश की जो पीड़ा और दर्द है उसे जरूर हमें देखना होगा और उसमें यदि देखें तो आज दो-तिहाई सिख मारे जाते हैं, एक-तिहाई हिन्दू। आज पंजाब के आंकड़े देखें तो बहुत से क्राईम की भी इसमें गिनती हो जाती है क्योंकि यदि देखा जाए तो नार्मल क्राईम कम हो गए हैं। लगता है कि बहुत कुछ स्मगलिंग और नार्मल डकैती भी इसी के अन्दर जुड़कर एक ग्रास बनती है। इन सारी प्रक्रियाओं में अपने सहयोगी दलों से काफी वार्ता हुई और हम कुछ नतीजों पर आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दलों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पंजाब में क्या कदम उठाए जाएं इस पर उनसे सलाह हुई।

हम लोगों की भी सहमति हुई और उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो स्टेट एडवाइजरी कौंसिल की बात आई लेकिन उस पर और ज्यादा कहने से पहले एक विचार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज इस समय नहीं हो पायेगा लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है कि मौजूदा संविधान के अन्दर या तो हमारे पास प्रेजीडेंड रूल है और इसके तहत दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें लोगों को इनवाल्व करें। दूसरा, ऐसे हालात हैं कि अभी वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। अत: इन दोनों के बीच में क्या करें यह देखने की आवश्यकता है। प्रेजीडेंट रूल जब धीरे-धीरे दीर्घकाल होता है तो ब्योरोक्रेटाइज हो जाता है, लोग अलग हो जाते हैं। संविधान में भी इसके लिए वो रास्ता नहीं दिखाया गया है। एडवाइजरी बाडी जरूर है लेकिन एडवाइजरी बाडी बनाने के लिए जिनका वजन है, मैं किसी एक जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, पंजाब में ही नहीं और राज्यों में स्थिति ऐसी हो सकती है, हमें वहां ऐसी बाडीज बनाने में कोई हिचक नहीं है। कोई एक्स चीफ मिनिस्टर ऐसी एडवाइजरी बाडी में नहीं रहेंगे तो एक हल्की-सी बात बन जाएगी। सोचने की बात है कि क्या

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हम संविधान में ऐसा प्रावधान कर सकते हैं ? केवल एडवाइजरी ही नहीं कोई एथोराइज कौंसिल हो जो प्रेजीडेंट रूल और चुनावों के बीच में सक्षम लोगों से जुड़ी हो जहां न्यूरोक्रेसी डिजनरेट होकर पीपुल से एलिनेट हो तो तो अच्छा रहेगा।

मैं यह मानता हूं कि बहुत कठिन परिस्थितियों में शासन को वहां काम करना पड़ता है। अपनी जान को खतरे में डाल कर वे वहां काम करते हैं लेकिन फिर भी लोगों की बात लोगों की होती है। उनको कैसे ला सकते हैं संविधान के अन्दर इसका प्रावधान करने के लिए कोई ऐसा रास्ता आगे के लिए सोच सकते हैं। इसका संविधान के अन्दर कोई तत्कालीन रास्ता नहीं है। जो कांस्टीट्यूशन के विद हैं, पंडित हैं उनसे इस बारे में बात करनी होगी। ज्यादा एवारटी के साथ वहां एम० पीज की बाडी हो सकती है, या पिछले चुनावों में जो लोग चुने गये हैं उनके प्रपोशन में कोई बाडी हो सकती है, वहां जो रिकाग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनकी बाडी हो सकती है लेकिन एक ऐसी बाडी हो जो लोगों से कनेक्टिड हो और प्रेजीडेंट रूल से कनेक्टिड हो समय पर लोगों को जोड़ सके, शासन को जोड़ सके। यह चीज हो सकती है या नहीं इस कारण ऐसे विचार मैं सदन के सामने रख रहा हूं लेकिन मौजूदा हाल में यही सलाह हुई कि इन सब चीजों के लिए पंजाब के माननीय सदस्यों की एक एडवाइजरी कौंसिल बनायी जाए जिनमें रिकाग्नाइज्ड पालिटिकल पार्टियों की भी शिरकत रहे।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में भी ऐसा कर दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक विचार रखने पर तत्काल स्वीकृति मिलने लगे तो बड़ी हिम्मत हो जाती है। अगर ऐसा होता तो बिना इन्तजार के इस बीच में बाड़ी हो जाती है। किसानों ट्रेडर्स, लेबरर्स और एक्स सर्विसमैन की कमेटी बनाने का इनको अधिकार होगा। जिला स्तर पर और नीचे के स्तर पर यह कमेटी वह बना सकते हैं। यह जो चर्चा हुई है मेरा ख्याल है कि वह सबको स्वीकार होगा।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : आप इसे जल्दी करिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी शासन के खिलाफ कोई चीज हो जाती है और जहां एक्सेस हो जायें तो उसकी जांच करना हमारा फर्ज है जिसमें क्रेडिब्लिटी शासन की बनी रहे इसको भी देखने की आवश्यकता होती है। आज वहां जो भी शासन में हैं वे कठिन परिस्थितियों में अपनी जान को खतरे में डाल कर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके योगदान को कम नहीं करना चाहता हूं। जहां पर ज्यादती की बात आ जाती है कोई बेइंसाफी की बात आ जाती है तो शासन में क्रेडिब्लिटी लाने के लिए ऐसा न्याय होना चाहिए कि पीपुल डिमोरेलाइज न हों। केवल एक तरफ डिमोरेलाइज होने की भी बात न हों। अगर पीपुल डिमोरेलाइज हो गये तो फिर कोई रास्ता नहीं है।

इसके अलावा यूथ्स को सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम्स में इनवाल्व करने की बात है। 10 हजार बोर्डर एरियाज के नौजवानों को टास्क फोर्स के अन्दर एम्पलाई करने की बात है। यह भी तय किया गया है कि 100 करोड़ का एक स्पेशल ग्रान्ट दिया जाएगा। जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डवलपमैन्ट की फैसिलिटीज हैं, जो तीन बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें जनरल एजुकेशन के लिए 50 करोड़, टैक्नीकल एजुकेशन के लिए 25 करोड़ और हैल्थ एण्ड मैडीकल फैसिलिटीज के लिए 25 करोड़ रुपये का खर्चा

किया जाए जिससे वहां के नौजवानों को कुछ उम्मीद बने, एक रास्ता बने, बजाए इसके कि वह और कोई रास्ता पकड़ें ।

एक लक्ष्य यह है कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या सक्षम रूप से दूर की जाए और नये एम्पलायमेंट डिस्ट्रिक्ट्स की ओर भी हम बढ़ें । पैट्रोकैमिकल काम्पलैक्स की एक बात है और वहां चीनी मिलों को लगाने की बात है । 4 टैक्सटाइल काटन मिल्स को स्थापित करने के लिए निर्णय किया गया है । नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मेस्यूटिकल्स एजुकेशनल एण्ड रिसर्च मोहाली में बनाने का तय किया गया है । रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट और-रोलिंग इण्डस्ट्री गोविन्दगढ़ में करने का निश्चय किया गया है । रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट इलैक्ट्रिकल एपलायसेज का राजपुरा में तय किया गया है । रिसर्च एण्ड डवलपमैंट इन्टीट्यूट रबड़ गुड्स के लिए जालन्धर में तय किया गया है । गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में शुगर टैक्नोलोजी इन्टीट्यूट के लिए तय किया गया है और रेजीडैंशियल कैम्पस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जालन्धर के लिए तय किया गया है । थीन डैम को और जल्दी बनाने उसमें तेजी करने के लिए निर्णय लिया है ।

इसी के साथ···

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : क्या यह वही पैकेज है जिसके बारे में इतना शोरगुल किया गया है । इसमें न ही तो इच्छा शक्ति है और न ही बुद्धिमत्ता ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप सुन तो लीजिए । आपके ट्रम्पेट से तो बाजा ही बज गया न । आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्स में रिक्रूटमैंट के लिए 10 हजार यूथ को भर्ती करने का निर्णय किया गया है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके । इसी के साथ बोर्डर पर भी फैंसिंग 336 किलोमीटर और करने का निर्णय किया गया है । फ्लड लाइट्स को 207 किलोमीटर में बढ़ाने का निर्णय किया गया है । अमृतसर से दिल्ली और बम्बई तक फ्लाइट्स जोड़कर कस्टम और इम्मीग्रेशन क्लियरेंस आने वाले और जाने वाले पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटी करने का एक निर्णय लिया गया है ।

इसी के साथ पानी की जो समस्या है, जो एकोर्ड हुआ था, उस सिलसिले में और जो प्रगति हो सकती है, उसके लिए पूरा प्रयास करने का, सभी सरकारें जो उससे जुड़ी हुई हैं, उनको साथ लेकर, निश्चय किया है ।

मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं कि एक पक्ष जो पंजाब का हम अक्सर भूल जाते हैं, वह किसानों का पक्ष है । पंजाब किसानों का है, किसान प्रधान है और किसान के लिए हम जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कार्यक्रम हैं, वह हमारा ख्याल है कि पंजाब के साथ जुड़ता है । अभी हमारे माननीय सदस्य ने पैंडी की बात की, राज्य सभा में भी भारतीय किसान यूनियन के भूपिन्दर सिंह जी मान ने भी यह बात उठाई, इस सिलसिले में हम जल्द फैसला करेंगे कि इस समय पैंडी की जो वहां पर समस्या है, उसको किस तरह से दूर किया । फिर मार्केट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स है, इन सब चीजों की बात कही गई, इस सबके सिलसिले में डिटेल तो हम नहीं बताएंगे लेकिन जो दिक्कतें हैं, उनको भी दूर करने की बात है ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

इसी के साथ राजदेव सिंह जी ने और अभी अतिन्दर पाल सिंह जी ने यह कहा कि वहां पर कई महिलाएं बन्द हैं, उनकी एक समस्या है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनके बारे में कहा। कुछ राजदेव सिंह जी ने कहा कि कुछ कानून ऐसे हैं, कानून के सिलसिले में उन्होंने कल जिक्र किया था। इन सबको हम डिटेल में जाकर और आपस में आदान-प्रदान करके, किस हालत में क्या हो सकता है, यह देखेंगे। जहां भी न्यायपूर्ण चीजें हैं, उनको करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सन् 1984 की बात जरूर दुःखदायी है। इसके सिलसिले में स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, लेकिन कार्यवाही चूंकि कोर्ट के अन्दर है और कानून के तहत है, इसलिए मेरा कुछ कहना वाजिब नहीं है। न्याय मिलना चाहिए और जो भी उसमें मुलजिम हैं, उनके विरुद्ध कानून के तहत पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें हमारी पूरी प्रतिबद्धता है।

एक बात कहीं-न-कहीं कही जाती है—वहां का हल। वहां के नोजवानों की समस्याओं को हल करके और नौजवानों को विश्वास में करके ही पंजाब की समस्या का हल हो सकता है। देश की समस्या है, बिना नोजवानों को विश्वास में लिए नहीं हो सकती है और नोजवानों को विश्वास में लेने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे वहां कहीं भी, चाहे पंजाब के बाहर हो या चाहेवहां हो, उन नौजवानों से उनकी समस्याओं को हल करने में।

राइट-टू-वर्क की बात कही जाती है। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि इस पर हमारी प्रतिबद्धता है। उस कानून को हम लोग ले आयेंगे, मोजूदा जो हमारे पास साधन हैं, उसके तहत व्यावहारिक रूप से कैसे किया जा सकता है। अभी नेशनल डवलपमेंट काउन्सिल की मीटिंग 10-11 तारीख को हो रही है, उसके अन्दर राइट-टू-वर्क का सवाल विचार के लिए ला रहे हैं। वहां सभी मुख्यमंत्री होंगे, और भी लोग होंगे, उस पर विचार करेंगे। इस विचार को नोजवानों के बीच में रख कर, नेशनल युथ काउन्सिल में राइट-टू-वर्क का कांसेप्ट रख कर, व्यावहारिक रूप से हम अपने साधनों के अन्दर कितना कर सकते हैं, इस अधिकार को ले आयेंगे। इसमें हमारी प्रतिबद्धता है और उसको हम पूरा करेंगे। जैसा कहा जा रहा है, कभी यह मत कहिएगा, अचानक क्यों कर दिया ?

[अनुवाद]

डा० अम्बि दुरै : आप यह विधेयक कब ला रहे हैं ? क्या आप इसे शीतकालीन सत्र में लाएंगे ? ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह दोष मत लगाइएगा कि इसको अचानक लागू कर दिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कदम्बूर एम० आर० जनार्दनम (तिरुनेलवेली) **:** पंजाब के कपास उत्पादकों ने पिछले वर्ष कपास की गांठों का अब तक सर्वाधिक अर्थात् लगभग पांच लाख गांठों का निर्यात किया है। भारतीय कपास निगम को इससे अत्यधिक लाभ हुआ है। भूतपूर्व कृषि मंत्री ने वायदा किया था इस लाभ का हिस्सा पंजाब के उत्पादकों को दिया जाएगा। क्या ऐसा किया गया है ? क्या आपके पास ऐसा कोई

कार्यक्रम है जिसके तहत भारतीय कपास निगम द्वारा प्राप्त इस लाभ का भाग पंजाब के कपास उत्पादकों को दिया जाएगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : फिर भी, ये विस्तृत मामले हैं। किसानों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, हम निश्चित रूप से करेंगे। मैंने यह ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

अंत में, जो बात उधर कांग्रेस के माननीय सदस्यों की ओर से आई कि इसको राष्ट्रीय मसला माना जाए, यह मसला कोई दल नहीं है या केवल सरकार का नहीं है और इसमें कांग्रेस भी पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है, हम उसका स्वागत करते हैं। इस मसले पर हम लोग तब इकट्ठे होकर कार्य करेंगे। जितना भी समेट सकें, वहां पंजाब के लोगों को भी इसमें समेट सकें, यह दृष्टि होनी चाहिए। यह नहीं कि ऐसी कोई गोलबन्दी बनायें, बरक्स बनायें, दसिस बनायें, जो भी हैं इस देश के हैं। जहां तक प्रश्न एकता और अखण्डता का है, मुझे शक नहीं है, मुझे इस देश की एकता और अखण्डता के सवाल पर पंजाब के लोगों पर पूरा भरोसा है। यह शक निकाल देना चाहिए, यही चीज हमको बहुत कुछ आगे ले जाएगी।

चुनाव की बात आई, मैंने अपने सहयोगी दलों का रुख स्पष्ट किया। हम लोगों का मानना है कि प्रेजीडेंट रूल के द्वारा हमको इसका हल नहीं मिलेगा, बल्कि यह उलझता जाएगा। चुनाव की ओर हमको अग्रसर होना होगा। इसी बीच में हर एक दिन का उपयोग करना होगा। वहां के लोगों के बीच में सम्पर्क करके, उनमें विश्वास पैदा करके वहां के नौजवान छात्र उस धारा में आना चाहें तो हमको उसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए, उनको भी इस तरफ मोड़ने की बात है। आखिरकार आप अतिन्दरपाल सिंह जी की फाइल देखें पिछली सरकार में, और मेरे दस्तखत देखेंगे तो मुझे जेल में आप भेज देंगे। लेकिन आज जिनको सबसे बड़ा टैरेरिस्ट कहा जाता है, उनको हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय धारा के अन्दर आदान-प्रदान कर रहे हैं। (व्यवधान)

स० अतिन्दर पाल सिंह : प्रधान मन्त्री जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस भारत देश में एक अतिन्दर पाल सिंह ही ऐसा एक्युजड़ था जिसने बकायदा अदालत में रिट पेटीशन दायर की, उस पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने केस डाला है उसे प्रोसीक्यूट किया जाए न कि उसे विदड्रा किया जाए और यह कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो कि मेरे ऊपर केस डालने के बाद चलती नहीं थी तो अतिन्दर पाल सिंह केवल पुलिस के कहने से टेरेरिस्ट नहीं हो जाता, आप उसे साबित तो कीजिए कि यह टेरेरिस्ट है। आज एस०एस०पी० पटियाला के बारे में आप क्या कहते हैं जो यह कहते हैं कि तेरा मुकाबला बना दिया जाएगा, जिसने मेरी कार सीज की है उसके बारे में क्या कहते हैं ? कृपया इस मामले को भी स्पष्ट कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक दिन राजदेव सिंह जी आये थे, जब वह सभी सदस्यों से बात कर रहे थे तो उन्होंने परिचय दिया कि कोई भी व्यक्ति दो-तीन साल से कम के जेल में नहीं रहा और अगर रिकार्ड ही पंजाब का देखते रहते तो प्रधान मंत्री के बंगले या या कमरे में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन जनतन्त्र की एक प्रक्रिया है जिसका सबूत हम यहां पर देख रहे हैं उसमें सभी का नाम लेने की वजह नहीं है। जो माननीय सदस्य पंजाब से आए हुए हैं उनकी एक पूरे जनतांत्रिक प्रोसेस में शिरकत है तो इस प्रक्रिया से पंजाब में बहुत कुछ हमारे दिल की जो शंकायें हैं उसके

लिए भी एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन केवल प्रेसीडेंट रूल बढ़ाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसे चुनाव के रास्ते हर हमको चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बी० डी० गुप्ता जी गुप्ता जी के ऊपर जो घृणित आक्रमण हुआ, उसकी हम निन्दा करते हैं और उनसे सम्पर्क भी कायम करके उनके इलाज वगैरह के सिलसिले में जितना है उसको हम देख लेंगे। जहां तक आपने सी० बी० आई० की इंक्वायरी की बात कही है उसको जब राज्य सरकार करेगी तभी हम कर पायेंगे। क्योंकि पिछली एक बार कहा गया; उसके बाद बाद जाकर कानून में यही आया कि इण्टर स्टेट रिलेशन में मौजूदा हालत में स्टेट को रिकवेस्ट करना पड़ता है तभी सेण्टर कुछ कर सकता है। उनकी अगर रिकवेस्ट आयेगी तो हम जरूर सी० बी० आई० की जांच करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : सी० बी० आई० से जांच करवा कर इस पर इन्साफ करवा दीजिएगा और इसके साथ ही महम के लिए भी तीन महीने हो गये, इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसके बारे में जज नियुक्त हो चुके हैं। आपने जो बात कही है उसको स्टेट गवर्नमेंट को जरूर पहुंचा देंगे। (व्यवधान)

चौ० राम प्रकाश : प्रधान मंत्री जी, मैंने आपसे रिकवेस्ट की थी कि पंजाब में 20-30 हजार के करीब परिवार उग्रवादियों की वजह से उजड़ गये हैं, उनके लिए आप क्या इन्तजाम करेंगे ? वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। इसका आप जवाब दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को, 11 नवम्बर, 1990 से छह महीने की और अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमें कल का अधूरा कार्य पूरा करना है। वित्त मंत्री महोदय ने कल कहा था कि श्री कुलदीप नय्यर पर निर्णय आज घोषित किया जाएगा। हम निर्णय जानना चाहते हैं। विदेश मंत्री यहां पर मौजूद हैं। वह आज निर्णय घोषित करें। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया विदेश मंत्री को बुलाइए। (व्यवधान)

4.30 म० प०

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख संबंधी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : गुजराल जी, क्या आप वक्तव्य दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सभा पटल पर मेरे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम द्वारा रखे गये उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव का मैंने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । मैंने विशेष रूप से इसका प्रभावकारी भाग देखा है । मैं स्वयं ही आज दोपहर बाद श्री वेणुगोपाल से मिला हूं । श्री वेणुगोपाल उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और मैंने उनको अधिवक्ता संघ के इस सुझाव के प्रति अपनी सहमति बता दी है कि उच्चतम न्यायालय का मौजूदा न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति मुखर्जी की बीमारी और उस दौरान उच्चायोग द्वारा की गई उनकी देख-रेख करने से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करे। मैं समझता हूं कि श्री वेणुगोपाल ने इस बारे में अपनी तरफ से संतोष व्यक्त किया और वह सहमत हो गए हैं कि वह आज दोपहर बाद इस बारे में उच्चतम न्यायालय की इस पुनीत संस्था को अवगत कराएंगे । मैंने आज शाम को माननीय मुख्य न्यायाधीश से साक्षात्कार करने का अनुरोध किया है और मैं इस बारे में उन्हें भी बताऊंगा । महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय न्यायमूर्ति मुखर्जी के प्रति सम्मान के अनुसार प्रधान मंत्री ने स्वयं श्रीमती मुखर्जी से बात की है और उन्हें एक सरकारी मकान आबंटित करने का प्रस्ताव किया है । उनकी अन्य इच्छाओं पर भी गौर किया जा रहा है और उन्हें पूरा किया जाएगा । **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, वह संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते । हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते । **(व्यवधान)** श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुलाने के बारे में उन्हें क्या कहना है ? **(व्यवधान)** इस बारे में संसद की मांग का क्या रहा ? **(व्यवधान)** महोदय, वह इसका उत्तर दें । **(व्यवधान)** महोदय, यह ठीक है कि उन्होंने अधिवक्ता संघ की मांग तथा श्रीमती मुखर्जी की जरूरतों का उल्लेख किया लेकिन संसद की मांग के बारे में उन्हें क्या कहना है ? कल आपकी पार्टी सहित प्रत्येक वक्ता ने मांग की थी कि श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुलाया जाए । आपकी पार्टी के श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि श्री कुलदीप नय्यर को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाए और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका समर्थन करने का सुझाव दिया । आपने वायदा किया था कि इस पर ध्यान दिया जाएगा । वित्त मंत्री ने शाम को कहा, "विदेश मंत्री इस सुझाव पर कार्यवाही कर रहे हैं, वह इस पर ध्यान दे रहे हैं. हमें कल तक निर्णय लेने की अनुमति दें ।" अब आपने इस मांग पर कुछ भी नहीं कहा है ।

महोदय, हम इस बारे में उत्तर चाहते हैं। क्या श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुलाया जा रहा है या नहीं? अथवा क्या उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा जा रहा है? सरकार इन दो बातों मे से एक पर निर्णय ले। (व्यवधान) महोदय, अन्यथा मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री चिदम्बरम अत्यन्त भावनापूर्ण तथा जोरदार तरीके से बोले है। उन द्वारा व्यक्त भावनाओं को जाने बगैर ही हमने पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में इस बारे में चर्चा की थी। मेरे मित्र तथा साथी माननीय न्यायमूर्ति गुमन मल लोढ़ा द्वारा व्यक्त भावनाएं एवं विचार भी मेरे ध्यान में हैं। मैं केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। संसद एक संयुक्त संगठन है जिसकी इच्छाओं का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसकी इच्छाओं का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता इसलिए इस संस्था को अपनी शक्तियों का प्रयोग अत्यधिक ध्यानपूर्वक करना चाहिए। विदेश मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ की इच्छाओं के अनुरूप इस अत्यधिक अप्रिय घटना के बारे में एक जांच कराई जाएगी। आखिरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु कोई छोटा मामला नहीं है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है और हम सब इससे दुखी हैं। लेकिन, अगर हम उच्चतम न्यायालय की इच्छाओं के अनुरूप विदेश मंत्री द्वारा उचित ही गठित की गई जांच की प्रतीक्षा किए बगैर एक संयुक्त संस्था के रूप में स्वयं ही व्यर्थ की बातें करें तो मैं समझता हूं कि हम पूरा··· (व्यवधान) मैं केवल प्रयोग कर सकता हू। (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि अन्य सुझाव मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्त अथवा प्रतापगढ़ से माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह द्वारा दिए गए थे। विदेश मंत्री ने ऐसा वैकल्पिक कदम उठाया है कि भारत के उच्चायुक्त के पद की गरिमा सिर्फ एक व्यक्ति की गरिमा नहीं है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा इस बारे में कुछ निर्णय करने या सरकार को कुछ करने के लिए कहते समय स्वयं पर नियंत्रण रखेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार उचित निर्णय, उचित सजा देगी। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलोर उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने जो अभी कहा है उससे मुझे बहुत हैरानी हुई है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह कहा कि इस माननीय सदन में राजनीतिक दलों के सभी वर्ग होते हैं और उन्हें अपने विचार प्रकट करने में कुछ संयम बरतना चाहिए। इसका अर्थ है कि कल जितने व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए थे वे सभी गैर-जिम्मेदार लोग हैं और उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए क्योंकि आज कुछ समझदार व्यक्ति अपने विचार प्रकट करेंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है। श्री जसवंत सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं। वह सदैव सोच-समझकर कोई बात कहते हैं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि कल जिन व्यक्तियों ने विचार प्रकट किए थे वह बहुत भावना त्मक थे। वह विचार भावनात्मक नहीं थे (व्यवधान) यह सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपना दायित्व निभाने का प्रश्न नहीं है। श्री कुलदीप नय्यर हमारे अच्छे मित्र हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। परन्तु प्रश्न मूल विषय के बारे में है। वास्तव में कल भी मैंने

अन्य विषयों के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा विचार प्रकट करने पर आपत्ति की थी। संसद एक संस्थान है और उच्चतम न्यायालय अर्थात न्यायपालिका हमारे देश का दूसरा संस्थान है।

जो कुछ भी हुआ है उनके बारे में सबने अपनी-अपनी भावनाएं प्रकट की। आखिरकार, विदेशों में हमारे मिशनों का क्या कार्य है? उनका कार्य हमारे लोगों की देखभाल करना है। यदि मिशन अपना मूल दायित्व निभाने में असफल रहता है और वह भी इस देश के एक लोकतांत्रिक संस्थान के प्रमुख की देखभाल करने में असफल रहा है तो यह इस सरकार बल्कि किसी भी सरकार का भी दायित्व है। क्या यह किसी को बचाने का प्रश्न है क्योंकि हमने उसे नियुक्त किया है? हम पूरी न्यायिक प्रणाली को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हमें उनकी रक्षा नहीं करनी है? क्या न्यायिक प्रणाली यह विश्वास कर सकेगी कि यह संसद किसी भी संकट के समय उनका साथ देगी? क्या वह हम पर विश्वास करेंगे? मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र श्री गुजराल इसे साधारण तौर पर लेंगे। यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। यह एक मुद्दा है। प्रत्येक को इस मामले पर उसके गुण-अवगुण के आधार पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। जिन्होंने यह नहीं कहा था कि उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें छुट्टी पर चला जाना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा। जब उनके विरुद्ध जांच की जानी है तो यह आवश्यक है कि वह छुट्टी पर चले जाएं। हमारी मांग है कि वह छुट्टी पर चले जाएं। मैं नहीं जानता कि वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूं कि इस बारे में मेरे विचार, श्री इन्द्र कुमार गुजराल के विचारों से भिन्न हैं। मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक दलों ने हमेशा ही एक-दूसरे के विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया है। चाहे वह अलग-अलग होने का दावा करें पर उनका उद्देश्य एक है। यह एक अलग बात है। लेकिन संसद सदस्य के रूप में मेरा कहना है कि हमारे इस महान देश के दूसरे संस्थान का सम्मान करना और उनके संदेह को दूर करना इस सभा का कर्त्तव्य है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कुछ भी विचार करने के लिए नहीं रह जाता है क्योंकि उन्होंने जांच के लिए हमारी मांग पर अच्छी तरह से विचार किया है। हम एक संसदीय समिति से इसकी जांच कराना चाहते हैं। लेकिन यदि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रभावित व्यक्ति कह सकता है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित है और इसकी जांच भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की मांग है कि जांच समिति किसी विशिष्ट संस्थान का पक्ष न ले। इसलिए हम एक संसदीय समिति द्वारा जांच करने का सुझाव देते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि उन्होंने श्री वेणुगोपाल से बात की है उससे हमारे इस महान संस्थान अर्थात संसद को आघात पहुंचा है क्योंकि ऐसा लगता है कि श्री वेणुगोपाल इस सदन के सदस्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं···(व्यवधान)···मुझे इस पर घोर आपत्ति है···(व्यवधान)···उसी तरफ के माननीय, सदस्य ने सभा पटल पर केवल उच्चतम न्यायालय का संकल्प रखा है। इसलिए, महोदय मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को छुट्टी पर जाने के लिए कहना दण्ड नहीं है। मैं अपने वरिष्ठ मित्र श्री जसवंत

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख सम्बन्धी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

5 अक्तूबर, 1990

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

सिंह का बहुत सम्मान करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश के विरुद्ध जांच चल रही है और इन्हीं मुख्य न्यायाधीश, जो उचित चिकित्सा के अभाव के कारण आज हमारे बीच नहीं हैं, ने उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। उच्चतम न्यायालय के वह माननीय न्यायाधीश मामले पर निर्णय होने तक छुट्टी पर हैं। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया। जब तक जांच का कोई निर्णय नहीं हो जाता उन्हें कोई कार्य नहीं दिया गया है। न्यायशास्त्र का यह मूल सिद्धांत है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा रही है तो यह उसके हित में है कि वह अपने कार्य पर न आएं। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार से कार्य करेंगे कि श्री कुलदीप नय्यर स्वयं ही छुट्टी पर चले जाएंगे और उनकी बेइज्जती नहीं होगी। उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाए ताकि वह अपना कार्य न कर सकें। लेकिन हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस मामले में न केवल उच्चायोग जैसा प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है बल्कि पूरी न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा उच्चायुक्त की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। महोदय, लोक सभा के जिन सदस्यों ने कल अपने विचार प्रकट किए थे उनका आम मत था कि कम-से-कम उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा जा सकता है और तब जहां कार्य शुरू किया जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इस वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं कि वित्तीय सहायता दी जाएगी, मकान रखने दिया जाएगा और जांच कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। संसद सभी संस्थाओं से उच्च है। यह सर्वोच्च है और आप आपमें संविधान से भी अधिक संप्रभु है। इसलिए महोदय, अति वरिष्ठ मंत्री महोदय को इस आम सहमति को स्वीकार करना चाहिए। इस पर और आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें छुट्टी पर चले जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है। महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे दण्ड दे सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने बिना किसी जांच के डाक्टर को हटा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको यह विश्वास था कि माननीय मुख्य न्यायाधीश की चिकित्सा में लापरवाही बरती गई। इसीलिए लंदन में एक डाक्टर को उसके पद से हटा दिया गया। ऐसा करने से आप की गई लापरवाही को स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि संसद की गरिमा और संप्रभुता दांव पर है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 143 और 144 के अंतर्गत हम भारत के मुख्यन्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका की स्थिति जानते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी सदन की इच्छाओं का भी सम्मान करें।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस सदन में किसी ने भी कल कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दिया था। हमारे वक्तव्य पूरी तरह से रिपोर्टों, आरोपों तथा श्रीमती मुखर्जी और अन्य व्यक्तियों के बयानों पर ही आधारित थे तथा प्रत्येक व्यक्ति उसी के कारण विक्षुब्ध था। यहां पर किसी ने भी इस तथ्य के सम्बन्ध में विवाद नहीं किया कि इस सम्बन्ध में किसी जांच की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि इस मामले में बिना कोई जांच करवाये निर्णय नहीं किया जा

सकता। आखिरकार उच्चायुक्त को भी एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये ताकि वह भी इन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव कर सकें। ऐसा केवल जांच के दौरान ही किया जा सकता है। यह जांच पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर की जानी चाहिए।

जब कल मैंने अपना प्रस्ताव रखा था तब कम से कम मेरे अपने विचार से यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल था कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए जाते हैं चाहे वे सही हों या गलत, इस बात का निश्चय तो बाद में होगा, परन्तु जब तक उसकी त्रुटियों, भूलचूकों की जांच चल रही हो, उसे उसी पद पर कार्य करना जारी नहीं रखना चाहिए जिस वह जांच से पूर्व कार्य करता था तथा यह सब इस कारण नहीं है कि हमें उस व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत शिकायत है। इस सब के पीछे सारी धारणा यही है कि किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए उसी पद पर कार्य करते रहने के कारण जांच पड़ताल में किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव किया गया अथवा जांच-पड़ताल पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतएव, उन्हें उस पद से हट जाना चाहिए अथवा अवकाश ले लेना चाहिए। इस मामले में की जाने वाली जांच कई महीनों तथा वर्षों तक नहीं चलेगी। क्या यह कोई ऐसा जांच है जिसे पूरा होने में कई महीने तथा वर्ष लगेंगे ? इसका सम्बन्ध उन चार-पांच दिनों से है जब स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश अस्वस्थ थे तथा उनका वहां अस्पताल में इलाज चल रहा था। अतएव मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा मामला है जिसको जांच का कार्य कुछ दिनों में ही पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से उस अवधि के दौरान उच्चायुक्त को उसी पद पर बने नहीं रखने देना चाहिए जिस पर वह उस समय थे। चाहे उन्हें स्वेच्छ से ही अवकाश लेना पड़े·····

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अपनी इच्छा से अवकाश लेना बेहतर होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह अच्छा होगा अथवा सरकार उन्हें अवकाश पर जाने के लिए कहे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि यह जांच भारत में की जाएगी अथवा लंदन में। यह एक भिन्न मामला है तथा मैं इस समय इन बातों का उल्लेख नहीं कर सकता। बहरहाल, मेरे विचार से इस मामले में कोई तरीका ढूंढ़ा जा सकता है। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है कि इस जांच के दौरान उच्चायुक्त को उस पद पर बने रहने नहीं दिया जाना चाहिए। उसके लिए अनेक रास्ते निकाले जा सकते हैं। मैं इस मसले को विदेश मन्त्री तथा उच्चायुक्त की बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं। जो कुछ भी संसद में चर्चा चल रही है, उसके बारे में उन्हें जानकारी होनी ही चाहिए। मेरे विचार से जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, उन्हें स्वेच्छा से ही अपने पद से हट जाना चाहिए। यह उनके पद की मर्यादा के तथा इस अवसर के अनुकूल भी होगा।

मैं श्री लोढ़ा जी की इस बात से सहमत हूं कि केवल आज ही हमने यह पढ़ा है कि चिकित्सक-तालिका वाले चिकित्सक को हटा दिया गया है। यहां पर अभी तक किसी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। चिकित्सक-तालिका वाले चिकित्सक ने, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से आने के लिए कहा था, आने में कई घंटों का विलम्ब किया। उससे प्रतीत होता है कि वह थोड़ा सा क्रोधित अथवा उत्तेजित हुए थे। अब हमें बताया गया है कि चिकित्सक-तालिका वाले चिकित्सक को तालिका से निकाल दिया गया है। बिना कोई जांच कराए ऐसा क्यों किया गया है ? स्पष्ट है कि इसका प्रत्यक्ष दृष्टा सबूत है कि वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाह थे। उच्चायुक्त के बारे में भी यही

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बात है। कोई भी बिना किसी प्रकार की जांच के उनकी निन्दा करना नहीं चाहता परन्तु ये अत्यन्त गम्भीर आरोप हैं जो अब सामने आए हैं। मुझे खेद है कि कल मैंने किसी ऐसी बात का उल्लेख किया था जिसकी मुझे खबर मिली थी कि उच्चायुक्त ने कथित रूप से वहां पर किसी से कुछ बातें की थीं। मैं उस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस सूचना के स्रोत सौ प्रतिशत विश्वसनीय नहीं हैं। जिस व्यक्ति के प्रति ये टीका-टिप्पणियां की गई थीं, वह वहां पर उपस्थित नहीं है। यह सूचना दूसरे अथवा तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुई है। अतएव, मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं।

बहरहाल, इस समय कम से कम जो किया जा सकता है, वह यह है कि इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश अथवा किसी अन्य व्यक्ति से कराई जाये। मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा। परन्तु उस जांच की अवधि के दौरान उच्चायुक्त को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, कल जब सदन में इस मामले पर चर्चा चल रही थी तब मैं यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न था कि कोई भी सदस्य राजनैतिक भावना से अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा था। प्रत्येक सदस्य ने सहज रूप में अपना रोष प्रकट किया था तथा सभी की आम राय तथा आम मत यह था कि उच्चायुक्त को यदि पद से नहीं हटाया जाता है तो कम से कम उन्हें अवकाश पर जाने के लिए तो कहा ही जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी भी वहां थे। हमारे प्रबुद्ध वित्त मन्त्री प्रो० मधु दंडवते भी वहां थे। मैं नहीं जानता कि कौन प्रबुद्ध है और कौन नहीं क्योंकि हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता का दावा करता है।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितने कि आप हैं।

श्री के० एस० राव : मैं मानता हूं कि आप बुद्धिमान हैं तथा मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं कि कितनी बार आपने लोकतंत्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तथा संसद सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को महत्व देने की बात कही है। श्रीमती मुखर्जी के साथ हमारे सभी सहयोगियों की बातचीत के पश्चात् हमने यह महसूस किया था कि एक ऐसा व्यक्ति, जो सर्वोच्च पद पर आसीन है तथा जिससे किसी कार्यकारी अधिकारी अथवा राजनीतिज्ञ द्वारा कोई अन्याय किये जाने पर देशवासी न्याय की अपेक्षा करते हैं, उसे भी उच्चायुक्त अथवा उसके सहयोगियों की उपेक्षा अथवा लापरवाही का शिकार बनना पड़ा इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने यही विचार व्यक्त किया था तथा हम सभी ने एक मत से श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की थी कि उन्हें अवकाश पर चले जाना चाहिए। यदि यह सरकार इस सभा की आम राय का भी सम्मान नहीं करती है तब मैं नहीं जानता कि यह किन की इच्छाओं अथवा निर्णय के आधार पर कार्य करेगी। मुझे यह कहते हुए खेद है परन्तु जब भी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया हर बार उन्होंने संसद सदस्यों की इच्छाओं के अनुकूल कार्रवाई करने से बचने की कोशिश की। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम इस देश की जनता को अब यकीन दिलाना जाना चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी। यदि वे उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहते तब कम से कम सरकार को उन्हें अवकाश पर जाने के लिए अवश्य ही कहना चाहिए। अतएव, मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करे।

13 आश्विन, 1912 (शक) भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख सम्बन्धी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने जांच कराए जाने की हम सबकी आम मांग को स्वीकार कर लिया है तथा इसने "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन" की मांग को भी स्वीकार किया है जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया है तथा मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से जांच कराने के उद्देश्य से एक न्यायाधीश नामांकित करने का अनुरोध किया जा रहा है। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या इस चरण पर कोई अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए ? महोदय, निःसंदेह हम सभी ने, कम से कम मैंने श्रीमती मुखर्जी से जो कुछ सुना था, उसी के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही विवादास्पद मुद्दा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने श्रीमती मुखर्जी से जो सुना था, उसी के आधार पर यह कहा था तथा उनकी बात स्वीकार न करने का मेरे पास कोई प्रत्यक्ष दृश्य कारण भी नहीं है। अतएव, प्रश्न यह है कि जबकि सरकार ने जांच कराने की बात स्वीकार कर ली है तथा यह जांच उच्चस्तर पर कराई जा रही है तब इसके पश्चात क्या किया जाना चाहिये। महोदय, मैंने यह भी विचार व्यक्त किया था कि आरम्भ से ही सम्बन्ध में कुछ कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए जिससे जांच-पड़ताल में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जा सके। उनमें से एक तरीका यह है तथा इस सिद्धांत का अनुपालन भी किया जाता है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। अतएव, यदि श्री नय्यर, जो वर्तमान उच्चायुक्त हैं, यदि इस अवधि के दौरान अपने पद पर बने रहते हैं तो किसी के भी मन में यह धारणा बन सकती है कि यह जांच उचित तरीके से नहीं की गई है। अतः, मेरे विचार में इस मामले में लाभ तभी होता, यदि वर्तमान पदधारी श्री नायर स्वेच्छा से केवल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाते। मुझे यकीन है कि उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी और जो विचार व्यक्त किये गए हैं वह उनको समझेंगे।

मैं एक बात पर श्री जसवन्त सिंह साथ सहमत हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। इस सिद्धांत को, कि किसी की बात सुने बिना किसी की भी निन्दा नहीं की जानी चाहिए, इस मामले में भी अपनाया जाना चाहिए। जो भी हो, जब डाक्टर को पैनल से हटा दिया गया या संभवतः वह अपना बचाव नहीं कर सकता। हमें मालूम नहीं कि उच्चायुक्त का क्या बयान होगा। जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसको छोड़कर हमने रिपोर्ट नहीं देखी है। इसीलिए, मेरे विचार में, इसे इस सभा अथवा किसी अन्य संस्था के बीच टकराव के रूप में न लिया जाए। मेरे विचार में इस जांच के लिए एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायधीश से उच्चतम न्यायालय का एक न्यायधीश नियुक्त करने अथवा नामित करने का तथा इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया जा सकता है, ताकि जितना जल्दी संभव हो सके, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पूरी तरह से जांच हो सके और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो सके। और इस रिपोर्ट के आधार पर, यदि सरकार को कोई कार्यवाही करने की जरूरत हुई, तो सरकार वह कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी, इसका, मुझे पक्का यकीन है। हम भी ऐसी कार्यवाही करने पर जोर देंगे। लेकिन इसी बीच, श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव को मान लेने से इस मामले में न्याय हो सकेगा, मैं इस संशोधन से सहमत हूं। उन्हें स्वयं स्वेच्छा से छुट्टी पर जाने दीजिए। इसे उन पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं

माना जाएगा। दूसरी ओर इससे उनका सम्मान ही बढ़ेगा। यदि वह प्रथमदृष्टया, संसद के विचारों को स्वीकार करते हैं और वह किसी के भी दिमाग मे रत्ती भर शक पैदा किये बिना, सही तरीके से जांच होने देते हैं, तो इससे उनकी अपनी महत्ता ही बढ़ेगी।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, असावधानी तो असावधानी ही है। सबसे बड़ी वास्तविकता तो यह है कि जांच के आदेश देने से यह पता चलता है कि यहां प्रथम दृष्टया, मामला बनता है। बार एसोसिएशन के प्रेजीडेंट की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है और उन मुख्य न्यायाधीश की पत्नी के ब्यान पर भी विश्वास किया गया था। इन रिपोर्टों के आधार पर अब जांच के आदेश दिये गये हैं। यदि आप कृपया आज के स्टेटसमैन में प्रकाशित घटना के संक्षिप्त विवरण पर विचार करें और यदि आप इसके विस्तार में जाएं तो हम यह महसूस करते हैं कि व्यावहारिक रूप से उच्चायुक्त तक के लिए भी कोई बचाव की दलील नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार के सामने बचाव की दलील से रहित मामला है, तो उच्चायुक्त को केवल इसलिए बचाने के लिए, क्योंकि वह माननीय मन्त्री के मित्र है, मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए न कहना उचित होगा। मर्यादा की अपेक्षा के अनुसार सहज न्याय की यह मांग है कि उन्हें जांच की अवधि के दौरान अपना पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें वहां पद पर नहीं रहना चाहिए। यदि वह इससे सहमत नहीं होते, तो यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उन्हें उस पद से हटा दे, अन्यथा सहज न्याय खतरे में पड़ जाएगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उस उच्चायुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या कारण है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा कहना है कि इस जांच के साथ इस बात की भी जांच की जानी चाहिए।

5.00 म० प०

वहां, आपराधिक उपेक्षा विवाद का विषय हो सकती है, किन्तु इसमें दम्भ स्पष्ट है और यह सबसे अधिक कष्टदायी है; और यही बात इस प्रकार के राजदूत को वापस बुलाने की मांग करने के लिए पर्याप्त है। मैं नहीं जानता कि इन राजदूतों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इस देश में राजदूतों की नियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं। किन्तु मैं यह कहूंगा कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने विचार बहुत ही संवेदनाहीन और दुःखदायी तरीके से व्यक्त किए हैं। यह प्रेस में छपा है। इसलिए, हम कम से कम यह प्रस्ताव तो रख ही सकते हैं, जैसाकि मेरे वरिष्ठ मित्रों ने सुझाया है कि उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि शिष्टाचार तथा स्वयं पर नियन्त्रण रखना सदा अच्छा होता है, किन्तु कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति को क्रोधित होना चाहिए और अपना क्रोध व्यक्त करना चाहिए। यह ऐसा ही अवसर है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० कुरियन।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं हर समय प्रयास करता रहा हूं। मैं अपनी गलती नहीं जानता। मैं भी एक सांसद हूं और जनता द्वारा निर्वाचित हुआ हूं। (व्यवधान)

13 आश्विन, 1912 (शक) भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख सम्बन्धी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री भक्त, आप बोल सकते हैं। यह अन्तिम दिन है; आप जितना चाहें बोल सकते हैं, किन्तु कृपा यह याद रखें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहे हैं जो यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : कल श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए सुझाव से सब सहमत थे। उन्होंने कहा था कि जांच की अवधि के दौरान, लन्दन में नियुक्त उच्चायुक्त को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए, ताकि इस जांच को उचित तरीके से कराया जा सके और लोग यह महसूस कर सकें कि 'हां, यह सरकार इस मामले में बरती गई उपेक्षा के बारे मे जानने के लिए वास्तव में जांच कराना चाहती और भारत के उच्चायुक्त की भूमिका के बारे में जानना चाहती है।'

जब माननीय मन्त्री श्री गुजराल सदन में बोले थे तो उन्होंने कतिपय बातों का प्रावधान करने संबंधी सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। हम उनके आभारी हैं, किन्तु दुर्भाग्य से इसमें वह दंभ प्रदर्शित होता है जिसके बारे में श्री राय ने कहा था। उन्होंने कहा था कि इस विषय पर सरकार के दंभ का यह बहुत स्पष्ट उदाहरण है और यह इसका संकेत करता है कि हमारे मन्त्री किस प्रकार के हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को छुट्टी पर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सदन की इस बात की जानकारी थी। मुद्दा यह है कि जब भारत की संसद इस पर विचार कर रही है और एक प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एकमत होकर अपने विचार व्यक्त कर रही है, यदि सरकार उस व्यक्ति का बचाव करना चाहती है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार और उस उच्चायुक्त के मध्य कुछ सांठ-गांठ है इसलिए सरकार उसका बचाव करना चाहती है। यदि यह सरकार संसद के प्रति, इस प्रजातान्त्रिक संस्था के प्रति कोई सम्मान रखती है तो मैं हाथ जोड़कर माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे इस अनुरोध को और श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लें और यह सुनिश्चित करें कि उच्चायुक्त छुट्टी पर चले जाएं। जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात् सरकार कोई उचित निर्णय ले सकती है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष जी, यह जो समाचार हम लोगों को समाचार पत्रों और मिसेस मुखर्जी से मिला, इस बात में कुछ सच्चाई है। यह बात सरकार को भी मालूम है जिसके कारण उन्होंने इन्क्वायरी करने के लिए चीफ जस्टिल को लगाया है। इसकी सच्चाई और आगे जानने के लिए इसकी जांच की प्रक्रिया होगी उसको साफ रखने के लिए और किसी प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए यह जरूरी है कि मि० नय्यर, चाहे वे दोषों हों या न हों, वे स्वयं छुट्टी पर चले जाएं। यदि वे स्वयं न जाएं, तो सरकार बाध्य करे कि वे छुट्टी पर जाएं। इस देश के सम्मान, के लिए, इस सदन के सम्मान के लिए यह जरूरी है। इससे देश का, सदन का और इस सरकार का सम्मान बच जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ यही अर्ज करता हूँ कि सरकार मि० नय्यर को छुट्टी पर भेज दे या वे अपने आप चले जाएं।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इस विषय के सम्बन्ध में कुछ गम्भीर घटनाएं हुई

[श्री अजीत पांजा]

हैं। कल हमने कुछ घण्टों तक इस पर बहस की थी। आज भी कुछ अखबारों में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सम्बन्ध में छपा है। मैं कल श्रीमती मुखर्जी से मिला था। या तो श्री कुलदीप नय्यर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी चाहिए या उन्हें तुरन्त वापस बुलाया जाना चाहिए।

श्रीमती कुलदीप इस समय नय्यर शहर में है। वे स्वयं श्रीमती मुखर्जी के पास गई थीं और उनके परिवार पर दबाव डाला था यदि उन्होंने लिखित में इन आरोपों को वापस नहीं लिया तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। (व्यवधान)। मैं उनके पास गया था। वे रोने की स्थिति में थीं। आज वहां बहुत से लोग गए थे। एक दबाव डाला जा रहा है। इसलिए, जब तक उच्चायुक्त को वहां से हटाकर उनसे सारे अधिकार वापस नहीं ले लिए जाते तब तक यह जांच पूर्ण रूप से एक ढोंग रहेगी। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ी और श्री नय्यर के पास अधिकार रहे तो वे न केवल उस प्रमाण को ही नष्ट करेंगे बल्कि अस्पताल के रिकार्ड को भी नष्ट कर देंगे। यदि श्रीमती कुलदीप नय्यर इस समय शहर में उपस्थित हैं और यदि वे श्रीमती मुखर्जी के पास जाती हैं जो अभी तक शोकग्रस्त हैं और उनका धार्मिक अनुष्ठान भी अभी पूरा नहीं हुआ है—मैं वहां एक घण्टे तक रहा; उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि क्या हुआ था और अभी भी वहां क्या हो रहा है—यह ऐसा मामला है जिसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव को मान लिया जाये अथवा उन्हें तुरन्त वापस बुला लिया जाये। अन्यथा यह जांच पूर्णरूप से एक ढोंग होगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं विदेश मन्त्री के रवैये पर पुरजोर आपत्ति करता हूं जिसमें उन्होंने सदन द्वारा व्यक्त किए गए एकमत विचारों की उपेक्षा कर, श्री वेणुगोपाल द्वारा दिए गए सुझाव को केवल स्वीकार किया है। उस रिपोर्ट को यहां पर केवल प्रमाण के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। किन्तु आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस सदन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान किया जाए; इस सदन द्वारा व्यक्त किए गए विचार इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों के विचार हैं। इसलिए, कम से कम, जांच की अवधि के दौरान उच्चायुक्त को अवकाश पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। (व्यवधान)

दूसरे, आप सदन का कार्यवाही वृतान्त देखें। उसमें माननीय वित्त मन्त्री, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा लगभग एक पूर्ण आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री द्वारा सदन में उनके संबंध में व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दिया जा रहा है और कल तक वे किसी कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे। इसका क्या अर्थ है ?

प्रो० मधु दण्डवते: मैंने जो कहा था, मैं उसे दोहराऊंगा। यह प्रेस में प्रकाशित हुआ था। मैंने कहा था, कि विदेश मन्त्री ने पहले ही सदन में यह घोषणा की थी कि मैं श्री चन्द्रशेखर के सुझाव पर विचार कर रहा हूं और वे कल यहां आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे और एक वक्तव्य देंगे। मैंने यही कहा था। (व्यवधान) आप कार्यवाही-वृत्तान्त की जांच कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : यह भाषा का प्रश्न है।

श्री मधु दण्डवते : मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब आपने सदन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का हवाला दिया

था और यह कहा था कि मन्त्री उन पर विचार कर रहे हैं तो हम इसका क्या अर्थ निकालें ? हम इससे क्या समझें ? हम इससे यह समझते हैं कि मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही करने के लिए उन पर विचार कर रहे हैं । किन्तु क्या हुआ ? आपने केवल श्री वेणुगोपाल के सुझाव पर विचार किया है । (व्यवधान) । आपने इस सदन के प्रति जरा भी सम्मान प्रदर्शित नहीं किया है । आपको कम-से-कम इस सदन द्वारा और इस सदन के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त की गई राय पर अवश्य विचार करना चाहिए था ।पहले हमने कहा था कि उच्चायुक्त को वापस बुलाया जाना चाहिए, श्री इन्द्रजीत गुप्त का सुझाव केवल एक बीच का रास्ता था ।

हम इस समझौते पर सहमत थे कि कम से कम उन्हें छुट्टी पर चले जाना चाहिए । इसलिए, मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह घोषणा करें—उन्हें बचाएंगे नहीं—कि उच्चायुक्त छुट्टी पर चले जाएंगे । अन्यथा, हम एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे जिसका नोटिस मैंने पहले ही उपाध्यक्ष को दे दिया है । कृपया हमें वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें । अगर वे ऐसा नहीं करते, तो हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं सदन का पूर्ण आदर करता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, आपने जीवन का अधिकांश समय मैंने संसद में व्यतीत किया है और अगर कोई ऐसी संस्था है जिसका मैं सर्वाधिक आदर करता हूं तो वह है संसद । क्योंकि संसद ही वह सदन है जो देश की समस्त मेधा और प्रभुसत्ता का संरक्षक है । इसलिए मेरे माननीय मित्र जो भी कहते है, मैं सदैव उस पर ध्यान देता हूं । भविष्य में भी सदैव ऐसा होगा ।

मैं श्री वेणुगोपाल के पास क्यों गया यह एक साधारण बात है । क्योंकि, जब मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने यह मुद्दा उठाया, वे बहुत कुछ उस दस्तावेज के आधार पर था जो उन्हें उच्चतम न्यायालय में श्री वेणुगोपाल ने स्वयं दिया था और उन्होंने उसे सभा पटल पर रखा । अगर मैंने दस्तावेज पर पर्याप्त विचार न किया होता तो मेरी ओर से यह सदन अवमानना होती । इसलिए, मैंने दस्तावेज के आधार पर कार्य करना प्रारम्भ किया । आखिरकार, इस मामले में जो भी तर्क दिए जा रहे थे, चाहे उनका अर्थ कुछ भी होता, वे इस दस्तावेज पर आधारित थे । उस दस्तावेज के दो भाग हैं । एक उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव है । और दूसरा, श्रीमती मुखर्जी द्वारा श्री वेणुगोपाल को दिया गया वक्तव्य । और श्री वेणुगोपाल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी है । इसलिए, श्री वेणुगोपाल इस पूरी स्थिति में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए ।

श्री के० एस० राव : यहां भी कोई सदस्य बोले हैं ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए, मेरे सभी माननीय सदस्य, इस दस्तावेज पर काफी कुछ निर्भर थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने वह दस्तावेज कभी नहीं देखा ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : व्यक्तिगत रूप से भी, जब श्री चिदम्बरम बोले—और मैं श्री चिदम्बरम का बहुत आदर करता हूं, और वह एक प्रख्यात वकील हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो

प्राकृतिक न्याय में विश्वास करते हैं—वे इस पर बहुत निर्भर थे और इसका सम्मान किया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : सुनने में क्या तकलीफ है, समझने में तकलीफ हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : यहां उपस्थित कई माननीय सदस्यों ने कई घण्टों तक अपनी बात कही है, और अभी भी आप पुनः श्री वेणुगोपाल की बात कर रहे हैं।

श्री अजीत पांजा : अगर मंत्री जी स्वयं श्री कुलदीप नय्यर का बचाव करते हैं, तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। यह कैसी मित्रता है? मूल्यवान जिन्दगियां कुर्बान हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, कृपया.....

श्री अजीत पांजा : महोदय, यह हमारी समझ में नहीं आता।

श्री गुमान मल लोढा : मैंने श्रीमती मुखर्जी की अश्रुपूर्ण करुण कहानी, दो घण्टों तक सुनी है, जिसने मुझे यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर बाध्य कर दिया और यह उस आधार पर है। (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जब मैंने इसकी चर्चा श्री वेणुगोपाल के साथ की (व्यवधान) माननीय सदस्यों को यह निर्णय करना चाहिए कि मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने उन्हें पूर्ण आदर से सुना है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें जो कहना है, क्या वह आप बताएंगे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने उन्हें पूरे आदर के साथ सुना है। मैं यह आशा करता हूं कि कम से कम मेरी बात सुनी जाए। हो सकता वे मुझसे सहमत न हों, किन्तु कम से कम उन्हें यह तो सुनना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अधिवक्ता संघ के इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि, जिसका निश्चित तौर पर अच्छी नियत से उपयोग किया गया है, यह उच्चायुक्त को दोषी ठहराता है या उनकी तरफ इंगित करता है। इसलिए, पूर्ण संस्था का यह मत है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसमें क्या अन्तर है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए, अगर हम बहस करना शुरू करें.....(व्यवधान)

श्रीए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप उच्चायुक्त से अवकाश पर जाने के लिए कहें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : क्या अब हमें उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, तो आप बैठ जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उनकी बात सुनें।

श्री अजीत पांजा : वे कहते हैं "उच्चायुक्त"। क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, क्या आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते ?

श्री अजीत पांजा : हमें उनकी विधवा श्रीमती मुखर्जी पर विश्वास करना चाहिए, जो अभी भी शहर में हैं। उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। वे पूरे घटनाक्रम की प्रत्यक्ष गवाह हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, यहां कई दृढ़ मत, बहुत तार्किकता और बलपूर्वक व्यक्त किए गए हैं और·····

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : एकमत से।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद एक प्रकार की सर्वसम्पत्ति भी है और माननीय मन्त्री इसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें सुने, कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए और अधिवक्ता संघ द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, जिसका मैं बहुत आदर करता हूं, मैंने यह किया। मैं अनुभव करता हूं, उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जो इस देश में बहुत सम्माननीय हैं और उन्हें पर्याप्त सम्मान देने में मैं भी पीछे नहीं हूं·····(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : आप माननीय सदस्यों के विचारों का सम्मान नहीं कर रहे····· (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की श्रेष्ठता के बारे में मेरे माननीय मित्र का मत हो सकता है। मेरा नहीं है·····(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : किसी ने यह नहीं कहा। हमसे ऐसा मत कहलवाइए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं नहीं कहलवा रहा·····(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमने सिर्फ यही कहा है कि आपको माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने अपनी बात यही कहकर आरम्भ की थी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने आरम्भ में यही कहा था। मेरे माननीय मित्र प्रो० कुरियन कृपया याद करें कि अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में मैंने क्या कहा था। मेरे भाषण में इतनी बार व्यवधान डाला गया है, कि वे भूल गए होंगे कि मैंने प्रारम्भ में क्या कहा था। जो कुछ मैंने शुरू में कहा था कि मैं सदन का सम्मान करने में किसी से कम नहीं हूं। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं। यही मुख्य मुद्दा है····· (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : तब सुझाव स्वीकार कीजिए···(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसीलिए, मैं यहां अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। मैं इस सभा का

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख सम्बन्धी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

5 अक्तूबर, 1990

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

एक सदस्य हूं मैं सदन के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं यद्यपि रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं कल के बाद विवाद का सारांश यह था कि यह ऐसी घटना थी जिसकी निश्चय ही किसी उच्च स्तर के विख्यात व्यक्ति द्वारा जांच पड़ताल किये जाने की आवश्यकता है। हमारी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए, मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ एक मीटिंग के लिए कहा है उन्होंने मुझे पर्याप्त समय देने से लिए नम्रता दिखायी। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अगर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए सहमत होते हैं तो मैं उनके निर्णय को स्वीकार करूंगा। मैं उनके द्वारा दिए गए नामों को स्वीकार करूंगा। और यदि वह विशेष प्राधिकारी, जिनका वह नाम लेंगे, यह सोचते हैं कि जांच तब तक ही ठीक करवाई जा सकती है जब कोई विशेष एक, दो या तीन या 10 व्यक्ति छुट्टी पर जायें या उससे पहले बरखास्त किये जाये; मैं उसका भी पालन करूंगा। अत: सामान्य प्रक्रिया अपनाने दीजिए। कृपया सुनी सुनाई बात पर निर्णय न दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : मंत्री महोदत द्वारा अपनी जिम्मेदारी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर डालना उचित नहीं है। आपको निर्णय लेना चाहिए। मुझे दु:ख है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर क्यो डालते हैं·····**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : चूंकि श्री कुलदीप नय्यर उनके मित्र हैं, वह उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं···**(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : उन्हें उच्चायुक्त के विरुद्ध स्वयं ही कार्यवाही करनी चाहिए··· **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सभा में माननीय सदस्यों ने अपने विचार स्पष्ट रूप से जोशपूर्ण ढग से तथा सर्वसम्मति से व्यक्त किये हैं। निःसंदेह सभा में व्यक्त किये गये विचारों को नोट कर लिया गया है। फिर न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल हैं। अब माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच, जिसके लिए कहा गया था, की जायेगी। माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रत्यक्षत: अगर एक व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने इसकी जांच की है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कुछ व्यक्तियों को छुट्टी पर जाना चाहिए तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालिए। इस तरह न कीजिए। अब मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सराहना करूंगा कि आज जो कुछ वास्तव में कह रहे हैं आपको वही मिल रहा है अब

इसमें एक और पहलू शामिल है। मुख्य न्यायाधीश के जीवन का सवाल है और वे किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलने के बाद ही कार्यवाही शुरू करते। प्रस्ताव तो आपने आज ही दिया है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : कल ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। कम से कम मुझे नहीं दिया गया है। अब आपने आज इस प्रस्ताव को दिया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हमने दो प्रस्ताव दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : अपना विनिर्णय देने से पहले कृपया आप सचिवालय से जानकारी प्राप्त कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें न्यायाधिकरण और सभा की इच्छाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जो सभा के और न्यायपालिका के महत्व को जानता है सभा में आपने जो कुछ स्पष्ट किया है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूं इसमें केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य एक तत्व शामिल है। मुझे आशा है कि आप इस पेचीदे न्यायिक मुद्दे की भी सराहना करेंगे। यदि आप इस बात पर जोर न दें तो मैं इसकी सराहना करूंगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मंत्री महोदय अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहे है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए वह अपने मित्र को बचा रहे हैं···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप कृपया नोट कीजिए कि यह प्रस्ताव कल दिया था और प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृति भी दी गई थी। लेकिन उस समय श्री दंडवते ने हस्तक्षेप किया और इसलिए प्रस्ताव स्थगित हो गया था आप कृपया रिकार्ड देखिये। प्रस्ताव पहले से ही दिया जा चुका है। फिर भी, हमने अब प्रस्ताव किया है (व्यवधान) कृपया तकनीकी मुद्दों पर मत अड़े रहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें तकनीकी बातों पर अमल करना होगा क्योंकि वे पूर्वोदाहरण बन गए है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया हमें कल कार्यवाही देख लेने दीजिए (व्यवधान)उन्हें इस तरह क्यों बचाया जा रहा है (व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : हमने इस मामले पर बहुत सौहार्दता, शान्ति, सहजता तथा एकरूपता के वातारण और सर्वसम्मति से चर्चा की है। माननीय मंत्री ने यहां तक कहा है कि इस

मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह कैसे और कहां तक ली जानी चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में एक और वाक्य जोड़ सकता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि वास्तविक जांच के दौरान ऐसी कोई बाधा नहीं आयेगी अर्थात उच्चायुक्त कार्यरत नहीं होंगे यही पर्याप्त है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : घोर लापरवाही के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ। यदि जांच शुरू की जाती है और सम्बन्धित व्यक्ति पदासीन रहते हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे की जा सकती है। (व्यवधान) मुझे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलोर उत्तर) : महोदय, ऐसा लगता है कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। श्री कुलदीप नय्यर हमारे अच्छे मित्र हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे मन में उनके विरुद्ध कोई बात नहीं है। लेकिन यहां इस मुद्दे के गुण-दोष का प्रश्न है। कि एक संस्था अर्थात संसद, दूसरी संस्था अर्थात न्यायपालिका की भावनाओं का कहां तक सम्मान करती है। हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहे हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रही है। हम एक संस्था का दूसरी संस्था के प्रति परस्पर सम्मान चाहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस अध्यक्ष पीठ से सरकार से यह कहता हूं कि श्रीमती मुखर्जी को हर संभव सुविधाएं दी जाए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उन्हें ऐसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल ने कहा है कि आवास और अन्य सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं, वह उन्हें मिलेंगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह इस जांच को जल्द से जल्द पूरा करा ले। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस मामले की जांच बड़ी सावधानीपूर्वक होगी ताकि उसमें कोई कमी अथवा पक्षपात न दिखाई दे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस मुद्दे पर बल न दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपने जो कहा है उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि जांच को निष्पक्ष होने के साथ ही उद्देश्यपूर्ण भी हो, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी उपाय किये जाए यह उन पर निर्भर है, कि यह कैसे होगा···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जांच कैसे होगी, यह उनके निर्णय पर छोड़ दें।

श्री आर० गुंडू राव (बंगलोर दक्षिण) : कल इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। यह देखकर मुझे बहुत

खुशी हुई कि प्रत्येक सदस्य ने अपनी पीड़ा स्वाभाविक रूप से व्यक्त की और चर्चा में राजनीति कहीं बाधा नहीं बनी। सभी सदस्यों ने अपनी दलीय भावना से ऊपर उठकर एक स्वर से यह विचार व्यक्त किया है कि उच्चायुक्त को वापस न भी बुलाया जाए, तो उन्हें छुट्टी पर तो चले ही जाना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने भाषणों में कई बार मूल्यों, लोकतंत्र, संसद के विचारों तथा आम राय के प्रति सम्मान की बातें कही हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब किसी मुद्दे से भारत के मुख्य न्यायाधीश जुड़े हों, जिनसे लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं और उनके प्रति लंदन स्थित भारत के उच्चायुक्त की उदासीनता और लापरवाही के कारण कार्यपालिका या किसी राजनीतिज्ञ या सरकार से कोई अनुचित व्यवहार हो, तो हम इसे कैसे होने दे सकते हैं ? यदि यह सरकार इस मामले में कार्यवाही नहीं करती है, तो इसके लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में भाषण देना महज मजाक है।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं स्वयं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाकर उनकी विधवा श्रीमती मुखर्जी और उनकी पुत्री से मिला। यह बहुत ही गंभीर बात है कि श्रीमती कुलदीप नय्यर और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के कुछ लोग श्रीमती मुखर्जी के आवास पर गए और उन पर यह वक्तव्य देने के लिए दबाव डाला कि मुख्य न्यायाधीश की बीमारी के दौरान श्री कुलदीप नय्यर ने सभी संभव उपाय किए थे। श्रीमती कुलदीप नय्यर ने श्रीमती मुखर्जी से भारतीय उच्च युक्त और उच्चायोग द्वारा बरती गई घोर उपेक्षा के बारे में दिए गए पहले वक्तव्य को वापस लेने तथा नया वक्तव्य लिखकर देने को कहा। इसीलिए इस मामले की स्वतन्त्र और निष्पक्ष जांच के लिए श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुला लिया जाना चाहिए अथवा उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए। अन्यथा साक्ष्य में हेराफेरी की जा सकती है, जिससे निष्पक्ष जांच खतरे में पड़ सकती है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग कृपया संतुलन बनाए रखें।

श्री अजीत पांजा : कुलदीप नय्यर को वहां जाने की आवश्यकता ही क्या थी···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहां क्या कहा गया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक विद्वान और माननीय सदस्य द्वारा महिलाओं का नाम यहां घसीटा गया है। मैं यह चाहता था कि वह ऐसा न करें··· **(व्यवधान)**। मुझे अभी अभी अपनी बात पूरी करने दें। मुझे भी अपनी बात पूरी करनी है··· **(व्यवधान)**। महोदय, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रमाणित रूप से कहता हूं कि···**(व्यवधान)**। मुझे अभी अपनी बात पूरी करने दें। कृपया बैठ जाइए···**(व्यवधान)**

श्री अजीत पांजा : मैं क्यों ?···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कोई नहीं सुन रहा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

भारत के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सब्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख सम्बन्धी तथ्यों की जांच उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के बारे में

5 अक्तूबर, 1990

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, मैं खड़ा हूं। अब जबकि मैं आपके सदस्य को बोलने का अवसर दे रहा हूं, तो आप बोलकर मेरी समस्या नहीं बढ़ाएं। जब सदस्य इधर से बोलने लगते हैं, तो पहले मैं उन्हें रोकता हूं और अब पहले मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूं। श्री पांजा यदि आपने जो कहा है वह सत्य है—मुझे नहीं पता कि वह सत्य है अथवा नहीं—तो इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन परम्परा यह है कि हम सदन में वैसे लोगों के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते, जो अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहां नहीं हैं। यही एक कारण है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यदि आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, तो निंदनीय है। लेकिन इसके साथ ही हम सरकार से उस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। इस मामले की जांच अच्छी तरह होने दें। सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि न्याय हो सके और किसी पर दबाव नहीं डाला जा सके।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, आपने सरकार को यह निर्देश दिया है कि श्रीमती मुखर्जी को सभी सुविधाएं दी जाएं। मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि मैंने उन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूरी कर ली है, जो श्री मुखर्जी को अवकाश प्राप्त करने के बाद दी जातीं। जस्टिस फजल अली के मामले में कतिपय वित्तीय अनुदान दिये जाने का पूर्वोदाहरण है। विगत पूर्वोदाहरण को ध्यान में रखते हुए, जो वित्तीय अनुदान उस मामले में दिया गया था। वह श्रीमती मुखर्जी को भी दिया जाएगा।

वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि वह व्यक्ति जो न्याय-पालिका में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, उस प्रोटोकोल के अनुसार सर्वोच्च दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। मैंने इस बारे में भी कार्रवाई शुरू की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश···(**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनें। प्रोटोकोल संबंधी प्रक्रिया हमने नहीं बनाई है। प्रोटोकोल संबंधी प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री विशेष प्रोटोकोल आर्मी-प्रोटोकोल के हकदार हैं। केन्द्रीय मंत्री और मुख्य न्यायाधीश इसके हकदार नहीं हैं। मैंने यह भी लिखा है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो कि वास्तविक कार्यकारी-प्रमुख को मिलती है। लेकिन यह निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं। मेरे दृष्टिकोण पर मंत्रिमण्डल द्वारा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। हम जो भी कर सकते थे, वह हमने प्रोटोकोल-प्रक्रिया के अंतर्गत किया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह सभी मामले शीघ्रतातिशीघ्र निपटा दिए जाएंगे।

———

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संसद-सदस्यों द्वारा संसद की मर्यादा भंग करने के सम्बन्ध में नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने मुझे अपनी बात रखने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अब 193 लिया जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : इस रेजोल्यूशन के बाद मुझे समय दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा।

———

5.35 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

उत्तर प्रदेश में गोंडा तथा देश के अन्य भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री एच० वे० एल० भगत।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा था जिसे अध्यक्षपीठ ने सहर्ष अस्वीकार कर दिया और उसे नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया, जिसके आधार पर मैंने डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री एम० जे० अकबर, श्री अनंत सिंह, श्री एन० डी तिवारी के साथ कल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कर्नलगंज तथा उसके आस पास के गांवों का दौरा किया था। वास्तव में यह पूरी तरह से विभिन्न ताकतों, विभिन्न लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर घरों को गिराने तथा निर्दोष महिलाओं, बच्चों, युवा महिलाओं, युवा बच्चों, निर्दोष लोगों को जिन्दा जलाने का ताण्डव नृत्य किया गया। मेरा कहना है, ठीक है, मैं एक राजनीतिक दल से सम्बद्ध हूं और प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक नजरिया होता है।

5.36 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

मुझे आशा नहीं है कि कोई मेरे द्वारा किए गए मूल्यांकन अथवा मेरी टिप्पणी अथवा जो कुछ मैंने कहा है उससे सहमत होगा। इसीलिए मैंने जो कुछ वहां देखा और वहां पर उपस्थित लोगों ने केवल मुझे ही नहीं, हम सभी लोगों को जो आंखों देखा हाल बताया, जो कुछ वहां हुआ था उससे पता चलता है कि आज इस देश में बहुत ही गंभीर स्थिति व्याप्त है, मैं उसे अपनी ओर से सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वयं इसे अपनी ओर से कह रहा हूं। यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में देश के लगभग सभी समाचारपत्रों ने उल्लेख किया है, जिनके बारे में लेख लिखे गए थे और इसके बारे में इस सभा के सभी दलों ने इस बात का उल्लेख किया है कि साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को देखते हुए बहुत ही गंभीर स्थिति व्याप्त है। शायद राष्ट्रीय अखंडता अथवा लोगों की भावनात्मक अखंडता अथवा इस देश की एकता इस समय गंभीर रूप से खतरे में है जो इससे पहले कभी नहीं थी और जब मैंने यह देखा जब मैंने निर्दोष लोगों से सुना, ठीक है, उससे मुझे यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने को तैयार होना पड़ा और बाद में उसे नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया।

महोदय, अब वहां क्या हो रहा है ? जैसाकि कर्नलगंज के लोगों ने हमें बताया कि वहां कुछ समस्या रही है। वहां कुछ टकराव था, मैं इसके विस्तार में नहीं जा सकता, मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं कोई निर्णय लूं कि यह किस प्रकार शुरू हुआ, यह कैसे घटित हुआ लेकिन लोगों ने जो हमें बताया कि एक टकराव की घटना घटी और दंगे से पहले वहां एक प्रकार से टकराव का वातावरण था। सरकार को इसकी पूरी जानकारी है - सभी को इसकी जानकारी है — केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी है, हम सभी को इसकी जानकारी है, राज्य सरकार को इसकी जानकारी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, विशेषकर अयोध्या के आस पास के क्षेत्र में किस प्रकार का वातावरण बन रहा है—

[श्री एच० के० एल० भगत]

टकराव का वातावरण, साम्प्रदायिक दंगों का वातावरण, जो कुछ वहां हुआ उन सभी का वातावरण बन रहा है। अब कर्नलगंज में कुछ शुरू हुआ और उसके परिणामस्वरूप मैं आपको क्या बताऊं, जो वहां उपस्थित लोगों ने हमें बताया था—वह केवल ऐसी बात नहीं है। वे हमें बता रहे हैं, मैंने आज समाचारपत्रों में यह खबर पढ़ी है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जनता दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपने जनता दल पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों तथा उनके निकट समर्थकों को भी इस घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया है और आपने बसें जलाने, लोगों को जलाने, रोती और विलाप करती हुई महिलाओं, जिनमें उनका अपना कोई दोष नहीं था की कहानी सुनी है। कर्नलगंज में थोड़ी टकराव की स्थिति थी, गांवों में किसी तरह की भड़काने वाली कार्यवाही नहीं की गई, निर्दोष लोग जान बूझकर उन समुदायों के लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है। मैं जानबूझकर इस बात को नजर अन्दाज कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस वाद-विवाद को देश में कोई तनाव पैदा करने में नहीं बदलना चाहता। लेकिन इस मामले की वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण स्थिति इतनी दयनीय, इतनी बुरी और इतनी दिल हिला देने वाली है। हम देख रहे है कि देश आज बारूद के ढेर पर खड़ा है और हम सब यह दलील दे रहे है कि हम सभी निर्दोष है और हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है और इन सबके बावजूद भी यह घटनाएं घट रही हैं। नहीं, इस मामले की वास्तविकता यह है कि, आज देश की भावनात्मक अखंडता खतरे में है और यह मस्जिद मन्दिर विवाद के विषय की वजह से है। यह एक वास्तविकता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता।

सरकार का कहना है कि वहां 37 लोग मारे गए थे और गांवों में अधिक लोग मारे गए थे, जहां गांव वाले आपस में कभी नहीं लड़े थे और उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वहां भी निर्दोष लोग मारे गए थे। एक गांव में, स्वयं लोगों के अनुसार, 10 गांव वाले मारे गए थे और 17 व्यक्ति लापता हैं। यह एक गांव की कहानी है और इस क्षेत्र में ऐसा आभास है कि काफी संख्या में गांव वाले, शायद 20 अथवा उससे अधिक लोग उसमें शामिल हैं। सरकार का यह कथन है कि 37 लोग मारे गए हैं। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि 100 लोग मारे गए हैं। एक अन्य वक्तव्य में कहा गया है कि 200 अथवा 300 लोग मारे गए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि यह मलयाना घटना की तरह है। हम मलयाना घटना के बारे मे जानते हैं क्योंकि हम सरकार में थे और यह हम सभी के लिए शर्म की बात है और इसीलिए मैंने सोचा कि यह मामला इस सभा के सामने आना चाहिए। हम इस देश में सर्वोच्च निर्वाचित संस्था हैं। हमें आत्म-विवेचन करना चाहिए, हमें अवश्य सोचना चाहिए और मौके के अनुरूप कार्य करना चाहिए। आडवाणी जी रथ यात्रा पर हैं वह भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। उन्हें खून से तिलक किया जा रहा है जिससे सभी लोगों के मन से यह भावना है कि वह एक युद्धरथ पर सवार हैं। इससे देश में भारी साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। (व्यवधान) गोंडा की यह घटना अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं सम्पूर्ण देश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य स्थानों पर हो रही हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह कि वहां के लोग पी० ए० सी० की घृणित भूमिका के बारे में बताते हैं। वे यहां कहते हैं कि उनसे बन्दूकें ले ली गई हैं और उनसे केवल डंडे रखने के लिए कहा गया है। ऐसा समाचार है कि मुख्य मंत्री ने वहां का दौरा किया और कुछ आदेश दिए। देखने में ये आदेश बुरे नहीं हैं, लेकिन, हो क्या रहा है, पांचवें दिन तक कोई

सहायता नहीं दी गई। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। मैं जान बूझकर वहां मरने वाले लोगों का ब्योरा नहीं दे रहा हूं। मैं इसका समुदाय-वार ब्योरा नहीं देना चाहता। मेरे कहने का अर्थ है कि सम्पूर्ण देश इस बात पर हैरान है कि आगामी 10 अथवा 20 दिनों के दौरान क्या होगा। 30 तारीख तक क्या होगा? यह देश किस दिशा में जाएगा? क्या वे एक जुट रहेंगे अथवा वे अलग-अलग हो जाएंगे? इस देश को अखंडता का क्या होगा? हर समाचारपत्र, पत्रिका में इसके बारे में लिखा जा रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में अपने विचार रखने की बजाय राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाग ही नहीं लिया बल्कि उनका बहिष्कार किया। एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह भारतीय जनता पार्टी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करे। मुझे पता नहीं कि क्या उन्होंने ऐसा किया है। मुझे अपने वामपंथी मित्रों के बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है। उन्हें मेरे से किसी प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए सरकार पर भी अपना प्रभाव डालने का इस्तेमाल करना चाहिए। यह ऐसी बात है, जो आप और उनमें दोनों में सामान्य है। आप उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते। लोगों ने यह सरकार नहीं बनाई है? आपने यह सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सरकार बनाई है। आप और उन्होंने दोनों ने मिलकर इस सरकार का समर्थन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जानता हूं। वे बन्द का आह्वान करते हैं और लोगों को बताते हैं –

[हिन्दी]

(व्यवधान)···लोगों से कहते हैं कि लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, लोग कहते हैं कि इसको कौन बचा रहा है, आप ने जवाब दिया है नहीं बचायेंगे तो कांग्रेस आ जायेगी। हिन्दुस्तान जलता रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। डरते क्यों हो, छोड़ दो, कराओ चुनाव जो भी आयेगा आने दो। आज तुम्हारी हिम्मत नहीं है गलियों में घुसने की।

[अनुवाद]

मुझे पता है आप कितने पानी में हो। मैं यह कह रहा हूं कि यह आत्म विश्लेषण का समय है।

मैं आडवाणी जी का आदर करता हूं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह रथ यात्रा वापस कर लें। उन्हें देश के हित में, देश की एकता के हित में रथ यात्रा का विचार छोड़ देना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है और इससे देश के हित को नुकसान हो रहा है। यह मेरा विचार है।

मेरा विश्वास है कि धर्म आपसे अच्छा है। मैं आपसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं। परन्तु आप जो कर रहे हैं वह गलत है। मैं इस सम्बन्ध में एक शब्द और भी कहना चाहूंगा। मेरा विचार यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव का खेया···

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : मुल्मा-यम-सिंह यादव···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य बोल रहे हों। उन्हें सुनें। यदि कोई आपत्ति है तो जब आपकी बोलने की बारी आये तब आप कह सकते हैं। बाधा न डालिए और इस तरह शोर मत करिए।

श्री राम नाईक : उन्हें आप सम्बधित करने दीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अध्यक्ष पीठ को ही मुखातिब हूं। सभापति महोदय, अब मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं न कि उनको।

मैं यह कह रहा हूं कि आधार भूत रूप से मैं और मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इस सम्बन्ध में लिए गए खेये से पूरी तरह से सहमत हैं कि बल के प्रयोग से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि शंकरा चार्य और अन्य लोगों ने भी सुझाया है आपसी बातचीत से इसका हल निकल सकता है तो ऐसा करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो न्यायलय के फैसले का आदर किया जाना चाहिए। लेकिन बल के प्रयोग से कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। यही आधार भूत दृष्टिकोण है जोकि सही है और हम इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं। हमने विगत में चाहे जो भी गलतियां की गई हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि आप और गलतियां करें? क्या यह जरूरी है कि आप भारत की एकता, भारत की भावनात्मक अखंडता को नष्ट करें? आप साम्प्रदायिकता की और जाति वाद की बात कर रहे हैं और जनता दल तथा भारतीय जतना पार्टी दोनों इस सम्बन्ध में दोषी हैं।

मैं आपसे सहयोग की आशा कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को भी सावधान करना चाहता हूं कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसी कोई बात या भाषण न दें जिससे उत्तेजना पैदा हो। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को सावधान करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लोगों को बताया है कि उनके कुछ भाषण इस तरह के हैं कि उनसे उत्तेजना पैदा होती है। उन्हें ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमें सद्भावना पैदा करनी चाहिए और लोगों को एक साथ लेकर चलना है तथा एक दूसरे को टकराव से बचाना है और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी है। यदि मैं भाषण देता जाऊं और मैं अल्पसंख्यकों को भड़काता रहूं तो परिणाम बुरा ही होगा, चाहे कुछ भी हासिल हो। इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह कह रहा हूं कि इस पक्ष के मेरे युवा मित्र इस वक्त यहां नहीं है लेकिन उन्होंने 2 अक्तूबर और 1984 के दंगों के बारे में कुछ कहा था। मैं संक्षिप्त में उनका जिक्र करूंगा। उन्होंने विशेष रूप से 2 अक्तूबर की घटना के बारे में उल्लेख किया था। 2 अक्तूबर को क्या हुआ था? दो रैलियां हुयीं थी। एक रैली थी राजीव गांधी के नेतृत्व में हुई थी जो दिल्ली के पुराने ऐतिहासिक शहर के कुछ क्षेत्रों में सद्भावना यात्रा के रूप में थी समाचारपत्रों की रिपोर्टों के मुताबिल इस रैली का लाखों लोगों ने स्वागत किया। इसमें कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, किसी भी गड़बड़ी का एक भी समाचार नहीं मिला इसका लाखों लोगों, हिन्दू, मुसलमान सिख, इसाई, अमीर, गरीब, अनुसूचित जाति के लोगों और प्रत्येक व्यक्ति ने स्वागत किया। जैसी शिकायतें आम तौर पर मिलती हैं ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। यह सब 2 अक्तूबर को कांग्रेस ने किया था।

2 अक्तूबर को ही एक अन्य रैली थी जिसका आयोजन आरक्षण विरोधियों ने किया था और इसमें कुछ हिंसा हुई।

आज पहली बार मेरे युवा मित्र ने हमारी रैली के बारे में कुछ कहा। मैं उनकी अनभिज्ञता के बारे में केवल सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं। 2 अक्तूबर को हमें किसी ने भी किसी की बात के लिए दोषी नहीं ठहराया। कुछ लोग हम पर दोष थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसीलिए 2 अक्तूबर से पूर्व कांग्रेस आंदोलन को तूल दे रही थी। हमने कहा था कि कोई भी आत्मदाह नहीं होने चाहिए। हमने कहा था कि आंदोलन लोकतांत्रिक, शान्ति पूर्ण और अहिंसक तरीके से चलाया जाना चाहिए। हम इसमें शामिल नहीं हैं। हमने ऐसा कहा था। इसके बावजूद वह हमें 2 अक्तूबर के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। क्या आपको श्री राजीव गांधी को मिल रहे समर्थन से खीज हो रही है? वह सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। वामपंथी दल हमेशा यह कह रहे है कि लोगों में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए यह एक राजनैतिक आन्दोलन है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए और इसे सराहना चाहिए। हमें वामपंथी दलों से कुछ समर्थन मिला है भले ही हम एक दूसरे को नापसंद करते हों। मैं विश्वास करता हूं कि वे फिर भी सार्थक बात करते हैं न कि भारतीय जनता पार्टी। मैं दिल्ली में कांग्रेस के प्रभाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी की चिन्ता समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि इसमें क्या बात छुपी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 1984 के दंगे हुए थे तो आपके प्रधान मन्त्री मन्त्री मण्डल के सदस्य थे। आप उसमें थे। मैं समझता हूं कि आप मन्त्री नही थे। दंगे हुए। हम किसी को बचाना नहीं चाहते है। यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने कार्यवाही नहीं की। आप रिपोर्टें, आंकड़े और फाइलों पर गौर करें। सरकार ने उस समय दिल्ली में 2000 से ज्यादा लोगों पर न्यायलय में मुकदमा चलाया। उनमें से कुछ को सजाई और कुछ को न्यायालय ने बरी कर दिया और प्रधानमन्त्री ने कहा था कि इस मामले में तो न्यायलय को ही फैसला करना है। हमने कोई दया नहीं दिखाई। जो भी दोषी हो और जिसके खिलाफ सबूत मिले उस पर हमें मुकदमा चलाना चाहिए। यह मैं होऊं या कोई और हो या आपको यह सब करना पड़े। हमें इसमें ढील नहीं देनी है हमें इस जिम्मेदारी से नहीं बचना है। हम इससे नहीं घबराते हैं। यदि पंजाब समस्या के समाधान में मेरा खून भी चाहिए हो तो गृह मन्त्री जी, प्रधान मन्त्री जी यह आपके सुपुर्द है। आपको यह करना चाहिए। हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। सिख वे साहसी देशभक्त हैं जिनके भारत का निर्णय किया है, जिन्होंने त्याग किये हैं। उन्हें सेलूलर जेल में रख गया था। सबसे ज्यादा में जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया था वे सिख थे। यह दुर्भाग्य पूर्व है कि हममें से कुछ को दोषी समझा जाता है और शायद हमें दोषी समझा जाता रहेगा। अंततः यह बात मेरे दिमाग में है और एक उपयुक्त समय आने पर मैं कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता हूं। अंततः किसी भी वक्त जब मैं उपयुक्त समझूंगा, मैं सिख मंच के हाथों न्याय लेने की चाहत करूंगा। मैं अकाल-तख्त का आदर करता हूं। मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विश्वास है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वे न्यायधीश थे जिन्होंने दंगा पीड़ितों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर विशेष रूप से जांच की थी। उन्होंने मुझे और अन्य लोगों को इस सबसे निर्दोष ठहराया था। यह विशेष निर्णय है। फिर हम पर मुकदमा चलाया जाता है। परन्तु हम परवाह नहीं करते हैं। हम निश्चित रूप से इस सबका सामना करेंगे। अभी भी मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई मामला निकलता हो, कार्यवाही करें। लेकिन बदले की भावना से पेशन आईए। हम चाहते है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिले। चाहे विगत में दंगे हुए हों या आज हों या कल हों। आपको उनसे निपटना है चाहे वह किसी भी तरह के हों। लेकिन 1984 दंगों के विरूद्ध आपको अपनी भूलचूक को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास सबूत है यदि आपके पास कुछ साक्ष्य है तो, सिद्ध कीजिए। लेकिन बदले की भावना से कार्य न कीजिए। यही मैं कहना

[श्री एच० के० एल० भगत]

चाहता हूं ··(व्यवधान) श्री गुमान मल लोढा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। मैं यह जानता हूं। क्या वे नियमों को मानते हैं या साक्ष्य को ? जी नहीं। दोषी कौन है ? 'क' ने 'ख' को दोषी कहा और 'ख' ने 'ग' को दोषी बताया। बस यही हुआ। दोषी ठहराने का ही राग अलापते रहे हैं। हमने चुपचाप कष्ट सहन किए है। हमने बहुत कष्ट सहे है। हमने इसके बारे में कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। हम कतई दोषी नहीं थे। 1984 के दंगों के पश्चात, मैं भारी बहुमत से दो संसदीय चुनाव जीत चुका हूं। मैं इसे कोई उपलब्धि नहीं मानता हूं। परन्तु यदि आप इन चारों माननीय सदस्यों के मतान्तर को इकट्ठा लें तो भी मेरी जीत का मतान्तर अधिक होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों सिख मतदाता हैं। 1984 के चुनावों में मैं लगभग तीन लाख मतों से जीता था। परन्तु वे मुझे दोषी ही कहते जा रहे हैं। बस यही बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे न्याय में विश्वास नहीं करते ··(व्यवधान) कृपया मेरी बात में व्यवधान मत डालिए। महोदय, अब वह मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : ये अपनी काली करतूतें बता रहे है (व्यवधान) इनके हाथ खून से सने हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : सभापति महोदय, मैं यह कहता हूं कि भारत हम सभी से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत किसी भी राजनैतिक दल, किसी भी व्यक्ति और किसी भी अन्य वस्तु के अधिक महत्वपूर्ण है। भारत की एकता तथा भारत की भावनात्मक एकता अधिक महत्वपूर्ण है। जब से यह सरकार, इन मित्रों के सहयोग से अस्तित्व में आई है, भारत की भावनात्मक एकता गम्भीर संकट में है। ऐसा नहीं है कि पहले सभी कुछ ठीक था। ऐसा नहीं है कि पहले कोई समस्यायें नहीं थी। समस्यायें थीं। परन्तु अब हम एक बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गये हैं। यही क्षण है जब भारतीय संसद को आत्म विश्लेषण करना चाहिए, इस विध्वंस को रोकना चाहिए जो सामने है तथा इस को खंडित होने से बचाना चाहिए। मैं सभी दलों से अपील करता हूं।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि हम नियम 193 के अधीन चर्चा को ले रहे है अब हम उसे जारी रख रहे हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि सभा की बैठक 8.30 म० प० तक चलेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सभी सदस्यगढ़ बहुत संक्षेप में बोलें और जो कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में कहें क्योंकि सूची में मेरे पास बहुत से नाम हैं। कृपया बहुत संक्षेप मे बोलने की कोशिश करें ताकि हम चर्चा को जारी रख सकें। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

6.00 म० प०

श्री ब्रज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागो में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों पर बहस करने के लिए आज सदन में एक प्रस्ताव रखा गया है। मैं अभी विपक्षी दल के वरिष्ठ माननीय सदस्य की बातों को बहुत गम्भीरता से सुन रहा था। यह सही कि आज हमारे देश में साम्प्रदायिकता का जहर बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश कुछ ज्यादा ही

प्रभावित है। मान्यवर, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश में दशहरे से पहले कोई दंगा नहीं हुआ, कानपुर में जरूर दंगा हुआ था लेकिन उस पर तुरन्त काबू पा लिया गया। दशहरे के बाद लगातार साम्प्रदायिक दंगे हमें होते दिलायी दे रहे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, सदन में इतने गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही परन्तु माननीय सदस्यों के प्वाइंट्स को नोट करने के लिए खेद की बात है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस समय सदन में उपस्थित नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी तक वह यहां थे। और राज्य मंत्री भी यहां हैं। वह वापस आयंगे। केवल नाम के लिए कैबिनेट मंत्री के लिए कहना बेकार है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : परन्तु एक भी केबिनेट मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बात को मानेंगे कि गृह मंत्री थे। वह इस बात को सुन रहे थे। वह वापस आएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : मैं अर्ज कर रहा था कि 30 सितम्बर के बाद वहां कुछ घटनाएं हुईं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गोंडा जिले के कर्नलगंज नामक स्थान में आप जानते हैं कि गाजीपुर से हमारे दल के सदस्य चुनकर आए हैं, वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका नाम श्री जगदीश सिंह कुशवाहा है। इससे पहले उत्तेजना का कोई कारण नहीं था, मगर उनके घर पर अचानक कुछ लोगों ने गोल घेरा बनाकर हमला कर दिया। हमला करने से पहले, वे लोग गालियां देकर एक ओर निकल गये थे। उस समय कुशवाहा जी अपने घर में मौजूद थे। उनके घर पर हमला करने जो लोग आये थे, उस भीड़ में लगभग सौ-सवा सौ लोग रहे होंगे, सभी जाने-पहचाने चेहरे थे, ऐसा नहीं था कि कोई बीस हजार या पचास हजार लोगों की भीड़ रही हो। जब हमला करने वाले लोग गालियां देने के बाद उनके घर से एक ओर चले गए तो कुशवाहा जी घर के बाहर निकल कर देखने लगे। उसके बाद पता नहीं किसी ने आगे जाकर भीड़ से कुछ कहा और वह भीड़ वापस उनके घर की ओर दौड़ आयी और उन पर बुरी तरह ये ढेलों, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में कुशवाहा जी बुरी तरह जख्मी हो गए। वे किसी तरह से अपने को बचा कर घर के अन्दर चले गए परन्तु भीड़ ने चारों तरफ से उनके घर पर घेरा डाल दिया। जैसा उन्होंने बयान दिया है, उसके अनुसार क्रुद्ध भीड़ ने उनके घर में घुस कर आग लगाने की कोशिश की और उनके घर का सब सामान लूट कर ले गए। उनका परिवार, उनके बच्चे उस समय कोठे पर थे, वहां भी कुछ लोगों ने चढ़ने का प्रयत्न किया जिस कमरे में श्री कुशवाहा थे, उस कमरे पर भी भीड़ ने हमला किया। और उनकी जान लेने की कोशिश

[श्री बृज भूषण तिवारी]

की गयी परन्तु किसी तरह कुशवाहा जी अपने आपको बचकर पीछे के दरवाजे से निकल कर अपने एक मित्र के यहां पहुंच गए और वहीं से उन्होंने पुलिस को टेलीफोन किया ।

पुलिस देर में आई, जब उनका सारा माल लुट गया, जब उनकी सम्पत्ति बर्बाद कर दी गई और उसके बाद लहू-लुहान हमारे कुशवाहा जी की प्रारम्भिक चिकित्सा हुई और वे लखनऊ आए और जिस दिन मान्यकर यहां वोट पड़ना था, वे उस दिन सदन में आए और लोबी में मौजूद थे । तो मैं यह कह रहा हूं कि आज जो वातावरण अपने देश में बन रहा है, वह ठीक नहीं है । मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं और यह मकसद भी नहीं है कि किसी पर आरोप लगाया जाए । मगर मैं यहां जिम्मेदार संसद्-सदस्यों से, राजनीतिक नेताओं से कहूंगा कि आप दिल पर हाथ रखकर गम्भीरता से विचार करें कि हमारे आचरण से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से, यदि देश में ऐसा वातावरण अगर पैदा होता है, तो यह देश बिखर जाएगा, देश बंट जाएगा और आप जानते हैं कि आज बाहर की कितनी ताकतें इस देश पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी हैं । आज जो हमारे इस समाज के देश के जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, शोषक हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ हैं, 40 वर्षों में जिनकी तिजोरियां भरी गई; आज वे इस सत्ता परिवर्तन को कबूल नहीं करते । उनकी आज साजिश है कि चाहे रुपये पानी की तरह बहा दिए जायें, परन्तु देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, बड़े पैमाने पर मार-काट हो और साथ ही साथ इस देश की जनता को एहसास कराने की कोशिश की जाए इस देश पर केवल परिवार विशेष का राज चल सकता है, कोई दूसरी पार्टी इस देश पर राज नहीं चला सकती है ।

सभापति महोदय, अगर यह दृष्टि है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन् 1947 से पहले देश की क्या हालत थी, किस प्रकार से, व्यापक तरीके से नफरत का बीज बोकर, साम्प्रदायिक उन्माद का वातावरण पैदा कर, इस देश के दो टुकड़े कर दिए गये और उस जमाने में गांधी जी, जिन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि हम इस देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई । परन्तु आपने देखा कि गांधी को इस उन्मादी दिमाग ने हिंसा का शिकार बनाया, गोली का निशाना बनाया और उस समय भी जब पाकिस्तान को 450 करोड़ या इससे अधिक रुपए देने की बात गांधी जी ने कही थी, तो गांधी जी को राष्ट्र-विरोधी कह दिया गया । यह सही है कि अगर जोखिम का काम करोगे, कोई भी ऐसा काम करोगे जिससे गरीब, अल्पसंख्यक के हितों की हिफाजत होगी, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, परन्तु अधिष्ठाता महोदय, मैं मानता हूं और हमेशा साम्प्रदायिकता के विरोध में रहा हूं और आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से, जब से मैंने राजनीति का ककहरा पढ़ा और यह मैं केवल बोलने के लिए नहीं कहता हूं बल्कि मैंने कदम-कदम पर संघर्ष किया है और जान को जोखिम में डाला है । इसलिए अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता हो, चाहे बहुसंख्यक की साम्प्रदायिकता हो, मैं दोनों का विरोधी रहा हूं, परन्तु मैं यहां पर आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि देश के लोगों को भी यह समझाना होगा और इस साम्प्रदायिकता के गुणात्मक फर्क को भी बताना होगा । इस देश को मजबूत बनाने में जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता में मुकाबला होगा, तो बहुसंख्यक की साम्प्रदायिकता अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगी, ऐसा मैं मानता हूं । मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मगर भगत जी, मुझे याद है, आपकी सरकार ने, अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता के आगे, जो मजबूत वर्ग था, जो पुरुष वर्ग था, उसके आगे घुटने टेक दिए । मैं ऐसा मानता हूं कि जहां मैं बहुसंख्यक सम्प्रदाय के मुकाबले अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को कमजोर मानता हूं और अल्पसंख्यक के हितों की, उनके हकों को हिफाजत करने की बात कहता हूं वहीं पर

अल्पसंख्यक में यदि वहां का जो ताकतवर पुरुष है उसके मुकाबले उसकी औरत, जो कमजोर है उसके हक की भी मैं पैरवी करता हूं, उसके हक की हिफाजत की बात करता हूं, तभी समाज बनेगा, देश बनेगा। आज कल्पना कीजिए जिस वातावरण में हम रहे हैं, जो ताकतवर है वह कितना उग्र हो गया। है कि सहिष्णुता नाम की चीज नहीं रह गई है, विचार शून्य हो गया, ऐसे वातावरण में हम क्या कल्पना कर सकते हैं। लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतन्त्र की बुनियादी शर्त है सौहार्दपूर्ण वातावरण, लोकतन्त्र की बुनियादी शर्त है लोगों के हकों की हिफाजत, जो समाज का कमजोर है, अल्पसंख्यक है उसमें सुरक्षा की भावना पैदा करना। आज भी आप दुनिया के नक्शे पर देख लीजिए, लोकतन्त्र धर्माश्रित देशों में नहीं है, लोकतन्त्र वहीं पर है जहां जिसे आप सैकूलर कह सकते हैं, सर्वधर्म भाव, समभाव वहां पर हैं इसलिए आज भी अपने देश में जो लोग हिन्दू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि हमारा जो संविधान है उसकी बुनियाद को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे संविधान में दो बुनियादी चीजें हैं, लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था और न्यायपालिका को सर्वोच्च सत्ता और उसके साथ-साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने भाषण में कहा था इक्विटी, न्याय-बोध। अगर संविधान के जरिए, शासन के जरिए, व्यवस्था के जरिए लोगों में यह विश्वास नहीं होता है कि यह व्यवस्था न्यायपूरक है, इसमें हमको अपना हक मिलेगा तो जो हमारा मूल्य है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आज बहुत ही संजीदगी के साथ, गम्भीरता के साथ इस प्रश्न को कहना चाहता हूं। राजनीति होगी, दल आएंगे, सरकारें जाएंगी, मगर इससे भी बड़ा प्रश्न देश का है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, अभी एक वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे थे। अगर कोई नौ साल का बच्चा या कोई गांव का जाहिल आदमी इस प्रकार का व्यवहार करता तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, मगर एक संसद सदस्य इस सदन के वरिष्ठ सदस्य कहते हैं कि मुलायम सिंह नहीं, मुल्लायम हैं। आप मुलायम सिंह के बारे में यही कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की दीवारों पर चले जाइए, इतने गन्दे नारे गालियां, सड़कों पर, चौराहों पर श्री वी० पी० सिंह और मुलायम सिंह को दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, कौन लोग हैं? आज वही कुलीन वर्ग की मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, आज वही मानसिकता है तो सम्प्रदायवादी मानसिकता है। गुनाह हो गया अगर किसान का बेटा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ जाए। जो लोग यह बात करते हैं कि मुलायम सिंह उत्तेजना पैदा कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ऐसी बातें न कहें। मैं कई जगह उनकी रैलियों में रहा हूं। उन्होंने तीन बातें कहीं, आपस में सुलह-समझौता हो जाए, जो भी फैसला हो मैं मानूंगा। नहीं आपस में सुलह-सपाट होता है तो न्यायालय जो फैसला करता है उसको मानेंगे। अगर यह भी नहीं होगा तो जो हमारे नेता प्रधान मंत्री हैं उनका जो निर्देश होगा उसको मैं मानूंगा। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी जनता की भावनाओं को लेकर न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था से टकराने की कोशिश करेगा तो मुलायम सिंह की हैसियत से नहीं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की हैसियत से मेरा दायित्व होता है कि मैं देश की एकता को बचाने की कोशिश करूं, देश में कानून और व्यवस्था कायम रखूं। इसके चाहे मेरी कुर्सी रहे या चली जाए मेरे लिए कुर्सी महत्व की नहीं है, यह देश महत्वपूर्ण है। देश की एकता महत्व-पूर्ण है।

आज यह विषय केवल बहस का ही विषय नहीं है जरूरत इस बात की है कि आप सब अपने दिल को टटोलें, देश की एकता को खंडित होने से बचाएं, आपसी साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने की कोशिश करें। मैं रथ यात्रा या सद्भावना यात्रा का विरोधी नहीं हूं। मगर जिसके कारण अगर लोगों में खास तौर पर किसी की यात्रा से, किसी के जुलूस से अल्पसंख्यकों के मन में दहशत पैदा होती हो तो उसको नहीं करना चाहिए। इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, हताश राजनीतिज्ञ भी

[श्री बृज भूषण तिवारी]

हो सकते हैं, अगर ये या दूसरा कोई स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि देश हित में यह उचित होगा कि ऐसी यात्रायें न की जायें, स्वयं इस पर रोक लगाई जाए। जब वातावरण स्वस्थ हो जाए, सुदृढ़ हो जाए या फिर यात्रा हो, जनता के बीच में जाया जाए। हम लोग मिलकर इस देश को मजबूत करने का संकल्प लें। यह देश न जनता का है, न अकेले भारतीय जनता पार्टी का है और न कांग्रेस का है। यह देश सबका है, देश के करोड़ों गरीबों का यह देश है। इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय सभापति जी, इससे पूर्व मेरे दो वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने कुछ कहा और उन्होंने अपने भाषण में बड़े लम्बे-चोड़े सिद्धांत बतायें।

श्री मोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ।

श्री राजवीर सिंह : असर तो होता है मगर आप असर लेना चाहते हैं। विषय और विषयांतर में बड़ा अन्तर आज हमें यहां दिखाई दिया। विषय है कि यहां पर जो दंगे हुए उन पर हम विचार करें। मगर मुझे लगता है कि उस पर विचार किसी ने नहीं किया। आडवाणी जी की रथ यात्रा पर, धर्म यात्रा पर और सद्भावना यात्रा पर ही लोगों ने ज्यादा उंगली उठाई। माननीय भगत जी और माननीय तिवारी जी ने भी इस विषय को अधिक उठाया। विषय है कि 29 सितम्बर को गोंडा में दंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे पास इसका जवाब जरूर है मैं बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को विजयदशमी के दिन परम्परागत एक जुलूस निकल रहा था जिसमें हिन्दुओं की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था। जिस समय वह जुलूस एक विशेष स्थान से निकल रहा था जहां पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय है जहां पर एक मस्जिद है, जहां पर एक यतीमखाना है, वह एक संकरा रास्ता था और वहीं पर उसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का मकान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण तो बाद में रखूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में दंगा कैसे हुआ? यह "आज" समाचार पत्र बी० जे० पी० का समाचार पत्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना समाचार पत्र है, मैं उस समाचार की मोटी-मोटी बातों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, इससे सदस्यों को और आपको भी जानकारी हो जाएगी। उसमें लिखा है।

> "कर्नलगंज गोंडा, प्रशासन की अकर्मण्यता और सत्तारूढ़ दल के एक सम्प्रदाय विशेष के कुछ नेताओं की निरकुश हरकतों के कारण यह भड़की हिंसा और आगजनी की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने और दर्जनों बच्चों के लापता होने की आशंका है।

जिला प्रशासन ने अब तक 35 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल 70 से अधिक बच्चे 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच के दंगे के बाद से लापता हैं। दंगाइयों ने 16 ट्रैक्टरों को और ट्रकों को ले जाई जा रही दुर्गा मूर्तियों को तोड़ डाला, वाहनों में आग लगा दी। इसके अलावा दो मन्दिरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी की है। करनैलगंज सहित :0 से अधिक गांवों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। करीब डेढ़ लाख से अधिक जनता इस साम्प्रदायिक उन्माद का संताप झेल रही है। करनैलगंज के अलावा 31 गांवों को सुरक्षा बल के हवाले कर दिया है। इन क्षेत्रों में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। अपने घरों में खौफखाए चेहरों पर एक ही सवाल चस्पा है कि आखिर शान्ति से रह रहे 134 गांवों के माझा तराई क्षेत्र में आग लगाने और भारी संख्या में लोगों को हताहत करने तथा दुर्गा प्रतिमाओं और मन्दिरों पर प्रहार

के लिए जिम्मेदार कौन है ? गत तीस सितम्बर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर हमला बोलकर साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने में करनैलगंज के नगर जनता दल अध्यक्ष यावर हुसैन उर्फ मुन्ना और मोहम्मद खालिक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है । जुलूस पर पथराव, हथ गोले और आग्नेयास्त्रों का खुल कर प्रयोग यतीमखाना, मस्जिद और नगर जद अध्यक्ष के घर शुरू हुआ ।"

(व्यवधान)

मैंने एक बात बता दी । यह बहुत मोटी-मोटी लाइनें हैं और यह भारतीय जनता पार्टी का अखबार नहीं है । यह अखबार उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार है, पुराना अखबार है और कमला पति त्रिपाठी जैसे विद्वान व्यक्ति इसके सम्पादक रह चुके हैं । मैं बताना चाहता हूं साम्प्रदायिकता की परिभाषा क्या है, कौन साम्प्रदायिकता करता है, कौन-सी साम्प्रदायिकता है, पहले आज इस बात का फैसला होना चाहिए कि साम्प्रदायिकता क्या चीज है ।···(व्यवधान)··· मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटना हुई, दंगे हुए, इसमें किसका हाथ है । इसमें कहां पर भारतीय जनता पार्टी का नाम है, यहां पर कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है । गिरफ्तार हुए, कांग्रेस आई के नेता और जनता दल के नेता । आखिर यह सम्भावनायें और इस प्रकार की नफरत क्यों पैदा हो रही है, मैं बताना चाहता हूं । अभी हमारी मुख्य मंत्री जी की तारीफ में माननीय तिवारी जी बहुत कुछ बोल रहे थे, उन्हें बोलना भी चाहिए । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका जो भाषण हुआ है, उसकी वीडियो कैसेट मैंने सुनी है और मैंने उनके और भी भाषणों की कैसेट सुनी हैं । यह दंगा 29 तारीख को ही नहीं हुआ । दंगा 15 सितम्बर को बरेली में भी कराया गया, बरेली में भी दंगा हुआ । मुलायम सिंह की रैली के समय दंगा हुआ, दंगा सुनियोजित किया गया, रैली को कामयाब बनाने के लिए किया गया । आखिर यह क्या तमाशा हो रहा है ? ···(व्यवधान)···मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं, मैं सबूत दूंगा, चौधरी साहब ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : बरेली की मीटिंग में मैं गया था, यह बात सही नहीं है ।

श्री राजवीर सिंह : जिस समय यह जुलूस निकलने वाला था तो काफिले आ रहे थे । मैं बताना चाहता हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं इसलिए मैं जानता हूं । आप तो गये होंगे हवाई जहाज से, आप तो गये होंगे, कार में बैठकर मंच स्थल पर, आप उन गलियों में नहीं घूमे, आपने वह गलियां नहीं देखीं ···(व्यवधान)··· कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर लाये जा रहे थे, कुछ गुमराह नौजवान उनका विरोध कर रहे थे, वह गुमराह लोग बी०जे०पी० के नहीं थे, वह रामजन्म भूमि या राम मंदिर की बात नहीं कर रहे थे, नौकरियों के सवाल पर, आरक्षण के मामले में उनका कुछ झगड़ा चल रहा था। मुझे दुःख है, मुख्य मंत्री की रैली में आये हुए उनकी पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पर पत्थर भरकर लाये थे, यह वहां का कलैक्टर मानता है, वहां का एम०पी० मानता है, उन लड़कों के ऊपर पत्थर मारे गए । झगड़ा यहां से शुरू होता है, बरेली में झगड़ा यहां से शुरू हुआ···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह गलत बात है ।

श्री राजवीर सिंह : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पार्लियामैंट के अन्दर कह रहा हूं । यह बाहर कहेंगे तो बाहर भी कहूंगा ।

श्री भोपाल सिंह मक्कासर : आप अन्दर कह रहे है तो क्या यह बाहर कह रहे हैं ?

श्री युवराज (कटिहार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कृपया पहले आप मेरी बात सुनिये ।

[श्री राजवीर सिंह]

जो व्यक्ति इस सदन में मौजूद नहीं है, उसके संबंध में किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है जिससे कि उसको जवाब देने में कठिनाई हो। एक एक्सपंज किया जाय।

श्री राजवीर सिंह : दंगे क्यों होते हैं, दंगे कब होते हैं। जब एक सभा में प्रदेश का बहुत जिम्मेदार नेता, जिस पर प्रदेश की जिम्मेदारी हो वह यह कहे कि एक वर्ग विशेष के लोगों को नाजायज हथियार रखने का हक है···

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : कभी नहीं कहा।

श्री राजवीर सिंह : यह कहा गया। मेरे पास अखबार की कटिंग हैं। मेरे पास भाषण हैं··· (व्यवधान)···मेरे पास वीडियो कैसेट है। मेरा कहना है कि उसका कारण यह होता है···(व्यवधान) मैंने आपको डिसटर्ब नहीं किया। मैंने किसी को डिसटर्ब नहीं किया। मैं बराबर सुनता रहा, हम पर हमला होता रहा और मैं सुनता रहा, मगर अब मेरी बात भी तो सुनिए। मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं : सत्य बता रहा हूं।·· (व्यवधान)·· अगर हम इस तर्ज के से उत्तेजनात्मक भाषण लोगों को देंगे, एक वर्ग विशेष को हथियार रखने के लिए कहेंगे, तो उत्तेजना फैलेगी।

मान्यवर, 29 तारीख को गोंडा में दस-ग्यारह लोग मारे गए, 35 की लाश मिली। आज मेरे पास खबर आई है कि चार सौ लोग वहां मारे गए हैं गोंडा जिले के करनैलगंज में···(व्यवधान)··· वहां पर जो मेला देखने आए थे छोटे-छोटे बच्चे, वे गायब हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। उनके मां-बाप रो रहे हैं···(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : बाबर हुसैन ने मारा, तो अपने ही लोगों को मारा।

श्री राजवीर सिंह : आपके पास बिरादरी का समाचार आ गया, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास कोई समाचार नहीं आया। उसमें सभी मरे हैं, हिन्दू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। जब इस तरह की साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाई जाती है और जिस समय मारधाड़ शुरू हो जाती है, तो उसमें न यह देखा जाता है कि हिन्दू मर रहा है और न यह देखा जाता है कि मुसलमान मर रहा है। जो गोली के सामने आता है, वह मरता है। गोली को कोई पहचान नहीं है कि मुसलमान को छोड़ देगी और हिन्दू को मार देगी या हिन्दू को छोड़ देगी और मुसलमान को मार देगी। ऐसा नहीं है, गोली के सामने जिसका सीना आएगा, वह मरेगा। उस समय हिन्दू-मुसलमान की पहचान गोली नहीं करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी गोंडा, इसी करनैलगंज कस्बे में ताजियों के समय पर तनाव था ···(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : तजुर्बा यह कहता है कि गोली मारने वाले को पता होता है।···(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : उस तनाव में उस समय वहां के जो अधिकारी थे, उन्होंने कन्ट्रोल कर लिया। दुर्भाग्य है कि सांप्रदायिक गतिविधि वाले लोगों ने, जबकि यह नियम है कि किसी भी अधिकारी का तबादला त्यौहार के मौके पर नहीं होता है, वहां के एस० पी० का तबादला ठीक विजयदशमी से सात दिन पहले कर दिया। वहां के कलैक्टर का तबादला इस घटना के तुरन्त बाद कर दिया गया। अखबार में उसका वर्णन है, कलैक्टर कहता है कि मैं नया-नया आया हूं, मुझे कुछ

पता नहीं है और एस० पी० कहता है कि मैं नया-नया आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है । कुछ भी होता रहे, गौंडा जल रहा है, राख हो गया । करनैलगंज में तबाही आ गई । खाली यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब यह फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है । मेरा कहना है कि कम-से-कम यहां इस सदन में हमारे कुछ मित्रों को बी० जे० पी० का फोबिया हो गया है । बी० जे० पी० की शक्ति को बढ़ता हुआ देख कर लोगों के मन में निराशा पैदा हो रही है, उन लोगों को ईर्ष्या पैदा हो रही है । एक चर्चा चल गई, जहां कुछ भी हो बी० जे० पी० है । किसी को बच्चा पैदा न हो, तो भी कहेंगे कि बी० जे० पी०...(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : यह काम भी शुरू कर दिया है ।

श्री राजवीर सिंह : आवश्यकता होगी, तो यह भी कर देंगे ।...(व्यवधान)

वहां पर न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी है । उन्होंने बहुत अच्छा किया है । मगर मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के पहले अपनी भावनाओं को न थोपें । उन्होंने न्यायिक जांच को निश्चित कर दी और भावना भी दे रहे हैं कि दंगे इन्होंने करवाए । इस प्रकार तो न्यायिक जांच का मजाक हो रहा है और न्यायिक जांच का मतलब कुछ नहीं रह जाता है । आप जजों को अभी से प्रभावित करना चाहते हैं । एक तरफ आप कोर्ट का आदर करते हैं, मान्यता देते हैं और दूसरी तरफ आप कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं । आप मुख्य मंत्री हो करके कह रहे हैं कि दंगा उन्होंने करवाया । यह बात आप न्यायिक जांच बैठने से पहले कहते, बैठने के बाद कहना कि दंगा इन्होंने करवाया, उन्होंने करवाया, मुझे नहीं लगता है कि मुख्य मंत्री को इस तरह की बात कहनी चाहिए । इस समय मुख्य मंत्री जी को बहुत समझदारी से, बहुत शालीनता से और बहुत होशियारी से काम करना चाहिए ।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस समय गोंडा जिला सील कर दिया गया है । इस समय गोंडा में कोई जा नहीं सकता है । कोई संसद सदस्य गोंडा को जाकर नहीं देख सकता है । मैं इस सदन के माध्यम से, यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी तुरन्त बनाकर भेजें । गोंडा में सद्भावना पैदा की जाये, उसके लिए तुरन्त तैयारी की जाए । (व्यवधान)

मान्यवर भक्त जी और तिवारी जी ने भी कहा, जो भी कुछ है, गोंडा में दंगा हुआ और वह पूर्व नियोजित दंगा था, एस० पी० को वहां से हटवाया गया, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए । आखिर इसके पीछे कौन से तत्व हैं, कौन इस पर आग लगवाना चाहते हैं ? आडवाणी जी की रथ यात्रा तो महाराष्ट्र में है, उसका असर गोंडा में नहीं पहुंच गया । (व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी सम्प्रदाय के लोग शामिल हो रहे हैं । इसका स्वागत कर रहे हैं और उनकी इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं । (व्यवधान) बार-बार एक ही बात कही जाती है, पता नहीं किसको इस सदन में कहा जाता है कि किस सदस्य ने हम और आपकी बात कही, अभी तक मेरी समझ में तो यह बात आई नहीं । (व्यवधान) किस राजनीतिक दल ने हिन्दू राष्ट्र की बात कही है और हिन्दू राष्ट्र का मतलब क्या होता है ? हिन्दू क्या चीज है ? आज हर बात में हिन्दू को गाली देने का फैशन चल गया है । अगर बाहर से आने वाले लोगों ने इसको हिन्दुस्तान कहा, यहां का नामकरण हमने नहीं किया है हमने इसको हिन्दुस्तान का नाम नहीं दिया है । यहां पर जो विदेशी आक्रान्ता आये थे, वे सिंधु नदी पार कर रहे थे, वे स और ह का अंतर नहीं समझते थे उन्होंने इसको सिंधु की बजाये हिन्दू कहा ।

[श्री राजवीर सिंह]

यह भारत राष्ट्र है, यहां पर भारत और हिन्दू में फर्क क्या है ? जो इस देश में रहता है वह भारतीय है। अगर इस देश में विदेशी आए और उन्होंने इस को हिन्दुस्तान कहा और यहां रहने वालों को अगर हिन्दू कहा तो इसमें दिक्कत क्या है ? (व्यवधान) जिन्होंने यह इतिहास नहीं पढ़ा है, इसकी जानकारी नहीं ली है, (व्यवधान) जिनको यहां के समाज की जानकारी नहीं है और जो यहां के 85 प्रतिशत समुदाय की भावनाओं को नहीं समझते हैं, मेरा कहना यह है कि जो लोग एक बिरादरी की बात करें, वे तो हो गए धर्मनिरपेक्ष और जो लोग दूसरी बिरादरी की बात करें, वे हो गए राष्ट्रीय और जो लोग त्याग समाज की चिन्ता करें, 85-90 प्रतिशत लोगों को साथ लेकर चले वे सांप्रदायिक हैं। (व्यवधान) सांप्रदायिकता के बारे में विचार करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है ? वे इसकी परिभाषा पढ़ें। (व्यवधान) इस समय देश जल रहा है, इस समय आप लोग आग में घी डालने का काम न करें बल्कि आग को बुझाने का काम करें। क्या साम्प्रदायिकता समाप्त करने का यही तरीका है ? (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि सारे गोंडा कांड में एक भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का नाम नहीं है और न ही कोई सदस्य गिरफ्तार ही किया गया है। आप अखबार पढ़ लीजिए, अगर उसमें कोई नाम है तो वह मेरे मित्र जनता दल के अध्यक्ष का है और उसमें कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों का है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : गोंडा का मामला आपका और जनता पार्टी का मिलाजुला कारनामा है, इसमें कांग्रेस को मत लाइये। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगाल उत्तर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अभी-अभी मेरे से पहले बी० जे० पी० के सदस्य बोले, उन्होंने चन्द बातों पर अच्छी रोशनी डाली। अगरचे उनकी पार्टी यह नहीं कहती है कि हम हिन्दू राष्ट्र के दावेदार नहीं हैं, इससे बढ़कर भारत के नागरिक को क्या गौरव हो सकता है। मगर दुख इस बात का है कि जो अलफाज चाहे इस मुल्क के अंतर विश्व हिन्दू परिषद उठाती है, जिसकी हिमायत में आज से यात्रा लेकर जा रहे हैं, उनकी भाषा क्या है। अगरचे वह भाषा पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल मेरें, मुल्क के किसी भी भीतर के या बाहर के दुश्मन के बारे में इस्तेमाल करें, तब हम उस भाषा को मान सकते हैं, उसकी मर्यादा कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आज यहां इस भारत के नागरिकों की एक प्रतिनिधि के नाते बोल रहा हूं, सिर्फ माइनारटी के नाते नहीं, हम सब यहां बैठे हैं। मैंने एक सभा में पिछले दिनों कहा था कि जहां भी हमने जन्म लिया है, उसके लिए किसी ने पहले एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें यहां जन्म लेना है, न ही कोई अपने जन्म की जिम्मेदारी खुद ले सकता है, न मजहब या राष्ट्र के बारे में वह कुछ कह सकता है, मगर हर भारतीय नागरिक को गौरव होना चाहिए कि जिस मां-बाप से वह पैदा हुआ है, जिस घर में पैदा हुआ है, जिस मजहब से उसने तालीम पाई है, जिस मिट्टी में उसने जन्म पाया है, उसके लिए उसको गौरव होना चाहिए। हमें यह गौरव है। मैं भारत की मिट्टी से बना हूं और मैंने अच्छे मां-बाप के पेट से जन्म लिया है। मुझे यह भी गौरव है कि इत्तेफाक से मुझे जो मजहब मिला वह एक शानदार मजहब है, दुनिया को इन्सानियत की रोशनी देता है। मगर जैसे-जैसे मैं देखने लगा, आगे समझने लगा तो मुझे पता लगा कि हिन्दुस्तान का हर मजहब दुनिया को रोशनी देता है, कोई भी मजहब दुनिया को अंधेरे की तरफ नहीं ले जाता। अगरचे ये सब बातें सही हैं तो फिर यह तनाव किस बात का है, क्यों एक मस्जिद पर आप नजर लगा बैठे हैं, क्यों आप एक मंदिर के ऊपर इतना बड़ा संग्राम चलाना चाहते हैं, कौन मना करता है मंदिर के लिए। शायद जितने मंदिर मैं घूमा हूं,

उतने बी० जे० पी० के लोग भी नहीं घूमे होंगे, जितने दरगाह मैंने जाकर देखे हैं, जितने चर्च जाकर देखे हैं, ठीक है हमारे लैफ्टिस्ट पार्टी के लोग इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, मुझे उनसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां भी धार्मिक स्थान पर आदमी जाता है, वह अपने चरित्र के बारे में सोचता है, चरित्र सुधार के बारे में सोचता है, अपने गुनाहों के बारे में सोचता है, उनका इजहार करता है और रोशनी की तलाश करता है।

किसी को भी मजहब गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। मगर बदकिस्मती इस मुल्क की है कि हम मजहबों के ठेकेदार बन गए। विश्व हिन्दू परिषद, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हिन्दू मजहब पता नहीं कहां से आया, कोई उसका सुबूत नहीं है। किसी ने सिंधु नदी को हिंदू कह दिया तो हिंदू राष्ट्र बन गया और हिंदू मजहब बन गया, हमने कहीं नहीं देखा, न ऋग्वेद में, न भागवत गीता में, न उपनिषद में, लेकिन चलता रहता है सब यहां पर। किसी को मस्जिद मिल गई तो वह उसका ठेकेदार बन गया, यह क्यों, क्यों हम बजार खड़ा खड़ा करते हैं। आज हम इन्सानियत की बात करते हैं।

मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बारे में एक स्टैण्ड लिया है। नैशनल इंटीग्रेशन काउंसल में इस मुल्क के भविष्य के बारे में सही रोशनी नजर आयी। यही नहीं कि सिर्फ पॉलीटीकल पार्टीज की ठेकेदारी है, बाकी के सारे लोग वहां मौजूद थे। एक आशा की किरण नजर आयी कि कहीं कोई भी कम्युनल लाईन पर बात नहीं हुई। सब चाहते हैं कि इस मुल्क के सक्यूलेरिज्म को मजबूत करें, मगर दिक्कत इस बात की है, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को छोड़कर बाहर जाकर उनकी ताईद में बात की। हमारे अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने एन० एस० सी० की मिटिंग में खुले ऐलान से कहा कि सांप्रदायिक विरोध की नीति में जो स्टैंड मुलायम सिंह यादव ने लिया उसमें हम पूरी तरह से उनका सहयोग देंगे। आज वे इसी काम से वहां गए हैं। वहां की सरकार को, सेक्यूलेरिज्म को मजबूत करने के लिए गए हैं। सैक्यूलेरिज्म फोसिस इस मुल्क के अन्दर एक जिम्मेदारी लिए हुए हैं।

मुझे बड़ी खुशी हुई जब अभी-अभी मैंने बी० जे० पी० के माननीय सदस्य को सुना। अगर इनकी यही मंशा है, अगर आडवाणी जी की यही मंशा है कि यह सदभावना यात्रा है, तो यह यात्रा हमेशा निकल सकती है, मस्जिद-मंदिर के इश्यू को लेकर नहीं, हिन्दुओं की ठेकेदारी को लेकर नहीं। अगर मन्दिर बनाना है तो हम उसमें भी शामिल हैं। आज इतनी चीजें हमारे सामने हैं, तारीख गवाही देती है इसकी, कि हिन्दुस्तान के सैक्यूलेरिज्म के बारे मे आज पार्लियामेट में बैठकर हमें कहने की जरूरत नहीं है, यह पुरानी परम्परा है, इस मुल्क का इतिहास है, इस मुल्क की संस्कृति है, जो इसमें समा गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल जो भी हों, एक-दूसरे के पैर खींचने के लिए हम लोगों को मुसीबत में न डालें। मुलायम सिंह यादव के साथ लड़ाई लड़नी है तो लड़ें यह बात अलग है। हम भी सियासी जमात हैं, पावर चली गयी है, पावर के लिए लड़ेंगे, लेकिन दूसरे मुद्दों पर, इस मुद्दे पर नहीं। आज हालात को देखिए कैसे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आज बच्चे लापता हैं, मां-बाप रो रहे हैं, मैं चाहूंगा जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी के लोग जाएं, देखें उन औरतों को, जिनका सुहाग उजड़ गया है। विधवाओं को पूछेंगे तब पता चलेगा कि उन पर क्या बीत रहा है। यतीम बच्चों को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन पर क्या बीत रही है। हम इस मामले को बन्द करें कि पिछली सरकार क्या थी, आपके जमाने में यह हुआ। यह काम नौकरशाही करती है, कम्पैरेटिव स्टेटमेंट का काम नौकरशाही करती है, पिछले साल इतना हुआ था, इस साल कम हो

[श्री सी० के० जाफर शरीफ]

यवा है। हमको और आपको यह नहीं करना चाहिए। आज इसका कोई भी शिकार हो सकता है। कल को मैं भी शिकार हो सकता हूं। हमें इस पर सोचना चाहिए। अगर हम मानवता को जानकर न चले तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान दुनियां की नजरों में नीचे गिर जाएगा। जो आवाज दुनिया के कई मुल्कों को हमने दी है, जो लड़ाई महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की, वह सारी हमारी नैतिक शक्ति हमारे से छिन जाएगी। इसकी तरफ हमें देखना है। मैं जब ये बातें कहता हूं तो मुझे अफसोस होता है।

कल हमारे काश्मीर के भाई बाहर बैठे थे। जहां पर सिक्योरिटी फोर्स को लोगों की रक्षा करनी है और जिस तरीके से वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है और गोली के शिकार भी हो रहे हैं और वहीं पर महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है। इस पर हमें देखना है। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। श्री मुलायम सिंह जी का थोड़ा बहुत अपना स्टैंड है। हम उन्हें दाद देते हैं। हम चाहते हैं कि वे मजबूती के साथ लड़ाई करें और किसी को भड़काने की कोई बात नहीं होती है। इससे लगता है कि कभी-कभी तनाव आ जाता है। हिम्मत देने के लिए वे कहते होंगे। आज सबसे ज्यादा हिम्मद अकलियत के लोगों को है। अगर हमें हिम्मत की बात कहते हैं तो हम उनकी आवाज को कम नहीं करना चाहते। बोलने के तरीके में किसी को भड़काना मिलता है तो उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मैं उनकी बात को बढ़ावा देने के लिए नहीं कह रहा हूं। बी० जे० पी० के हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात की। मैं उनका ध्यान हिमाचल की तरफ दिलाना चाहूंगा। कितने दिनों से वहां पर कर्फ्यू लगा है। वहां पर तनाव है। वहां पर तनाव है और सरकार वहां पर काम कर रही है और लोग चैन से हैं।··· (व्यवधान)

मैं कर्नाटक के बारे में बोल चुका हूं। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से निकालिए। मैं इस हाऊस के अंदर रिकार्ड में हूं। किसी और पार्टी की सरकार हो या हमारी पार्टी की सरकार हो हमें नागरिकों से और उन गरीबों से वास्ता है जिनके नुमाइन्दे हम चुनकर आते हैं। कोई पार्टी ठेकेदारी नहीं है। इस मुल्क के अन्दर आने वाले दिनों में अगर हम तनाव को कम करना चाहते हैं तो प्रयास नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने किया है उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस यात्रा की जरूरत नहीं है और हम मिलकर बैठकर सोचें और कुछ रास्ता निकालें। जो ठेकेदार बन गए तो हम और आप क्या हैं। क्या ठेकेदार बन गए तो हम और आप क्या हैं। क्या ठेकेदारी किसी को देनी है तो इस पर हम सोचें। आने वाले दिनों में जो खतरा बनने जा रहा है, इस मुल्क को कमजोर करने का और इस मुल्क में भाई चारे को खत्म करने का और तनाव आगे लाने का तो हम सब मिलकर काम करें तो मुझे लगता है कि हम इस पर सफल होंगे। लोग यही उम्मीद करते हैं कि सभी दल मिलकर सोचेंगे और एक दूसरे के साथ विश्वास करके आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : सभापति महोदय, आपके सामने आज जो विषय है वह एक जगह को लेकर रखा गया है। लेकिन मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि अगर हम लोग गोंडा में हुए कृत्य की परिस्थिति को नहीं देखेंगे, उसके सन्दर्भ को नहीं देखेंगे कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं, इस वक्त क्यों हो रहे हैं तो उसको हम समझ नहीं पायेंगे जोकि एक बहुत बड़ा खतरा है। हम यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय एकता को या हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को खतरा है, क्योंकि इन चीजों को समझने वाले बहुत बड़े लोग इस सदन में मौजूद हैं, लेकिन हमारे समाज का जो ताना-बाना है जिस तरह से उधेड़ा जा रहा है, जिस तरह से उनको बिलकुल फाड़ कर रखा जा रहा है इसको हम समझने की

कोशिश नहीं करेंगे तो जो ये दंगे भड़क रहे हैं इनको हम न तो रोक पायेंगे और न ही इनका कोई उपाय कर पायेंगे।

मैं नहीं समझती हूं कि आज यहां पर आरोप-प्रत्यारोप का मौका है। उस काम में हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, सब माहिर हैं। इस काम को करने का मौका हमें बहुत मिलता है जब हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और एक-दूसरे के खिलाफ वोट मांगते हैं। लेकिन वह काम हम कर चुके हैं और कुछ उम्मीदों के साथ लोगों ने हमको यहां भेजा है। मैं समझती हूं कि आज हमारे देश के नागरिकों की एक न्यूनतम उम्मीद यही रह गई है कि यह देश शायद बचा रहेगा। और इस देश की शायद शांति बची रहेगी। वह बच सकती है, एक बार नहीं बार-बार, अलग-अलग जगहों पर लोग बैठे हैं। लोगों ने बहुत गम्भीरता के साथ बहुत बड़े मसलों को तय करने के लिए मन बनाया है और जब मन बनाया है कि मसला तय होगा तो रास्ता भी निकला है। दुनिया में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका हल या रास्ता नहीं निकल सके, अगर मन बनाया जाये तो रास्ता निकलेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पिछले साल जिस समय यह लगता था कि देश जल जायेगा, उस समय भी 27-9-89 के दिन एक समझौता हुआ था जिसकी प्रति मैं इस सदन के पटल पर रखना* चाहूंगी। एक समझौता हुआ था गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों, उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री और हमारे माननीय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बीच, उनके हस्ताक्षर भी इस समझौते पर हैं। माननीय सिंघल जी, माननीय अवेद्यनाथ जी, माननीय गोपालदास जी और माननीय दाऊ दयाल खन्ना जी के हस्ताक्षर हैं और चूंकि यह एक गंभीर प्रयास था कि मसले का रास्ता निकाला जाये इसलिए वहां पर यह बात मानी गई थी। मैं इस समझौते से पढ़ना चाहती हूं:

[अनुवाद]

"विश्व हिन्दू परिषद, इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा 14-8-89 को दिए गए इस निर्देश का अनुपालन करने का वचन देती हूं कि इस विवाद की दोनों पार्टियां यथास्थिति बनाए रखेंगी तथा विवादास्पद सम्पत्ति के स्वरूप को नहीं बदलेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शान्ति तथा साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखा जाए।"

[हिन्दी]

उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब नये सिरे से फिर उस विवाद को उठाया गया। जब नए सिरे से अयोध्या के मामले को लेकर अभियान चलाया गया, उस मौके पर भी मैं उस मीटिंग में थी और इस सदन के दूसरे लोग भी थे जो यहां पर मौजूद हैं जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसकी जो एक कमेटी नियुक्त की गई है पीस और कम्यूनल हार्मोनी को बरकरार रखने के लिए, उस कमेटी में जो वातावरण बना, उसको मैं नहीं भूल सकती हूं। उस कमेटी की अध्यक्षता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और उसी मीटिंग में मैंने उनको याद दिलाया कि वाजपेयी जी आपने इतने सुन्दर शब्दों में इस मामले को जनता के सामने रखा है उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकती हूं। इसलिए मैं आपके ही शब्द दोहराऊंगी आपने बनारस में आम सभा में जनता से कहा था।

---

* चूंकि अध्यक्ष महोदय ने बाद में आवश्यक अनुमति नहीं दी इसलिए वह पत्र सभा-पटल पर रखा गया, नहीं माना गया।

[श्रीमती सुभाषिनी अली]

मन्दिर तो बनना चाहिए लेकिन मंदिर बनते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत माता के मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचे । मैंने वाजपेयी जी से कहा था कि आज आपके शब्दों की जरूरत है इस देश को और देश के अन्दर इस भावना की जरूरत है । उसके बाद जो मीटिंग हुई, मैं मानती हूं कि जो लोग वहां मौजूद थे, वे सब राष्ट्रभक्त हैं और सभी इस देश के साथ हमदर्दी रखते हैं और यही कारण था कि वहां तीन मुद्दों को लेकर एक आम सहमति बनी । मैं बता नहीं सकती कि उस मीटिंग के माहौल से कितनी खुशी हुई । एक दुख की बात जरूर हुई कि वह बात प्रेस में देने के कारण या जो भी कारण रहा हो, हमारे माननीय वाजपेयी जी और माननीय आडवाणी जी के लिए निश्चित रूप से एक दिक्कत पैदा कर दी गयी जिससे उन लोगों के लिए बाद में यह संभव नहीं हुआ कि वे मद्रास की मीटिंग में भाग ले सकते । मेरा कहना है कि आज जिसके नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है, उनका जो वर्णन किया गया है, वह हमें याद रखना पड़ेगा । क्या कहा जाता है—

"रघुकुल रीति सदा चली आयी,
प्राण जायें पर बचन न जायी"

तो लोग वचनबद्ध हैं । समझौते किये गये हैं, बातों को माना गया है । पिछले साल भी एक समझौता किया गया था । मीटिंग में सब के सामने बैठकर किसी दबाव, शक्ति के बिना एक आम सहमति बनी और गंभीरतापूर्वक सोच-विचार करने के पश्चात् ही यह सहमति बनी । उस सहमति की शब्दावलि मेरे पास मौजूद है । यदि कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकती हूं लेकिन जो भावना थी वह यह थी कि बिना किसी समुदाय को दुख दिये, बिना किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाये अयोध्या में मन्दिर का स्थान तय किया जाना चाहिये । इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज इस देश का माहौल बदला जा सकता है । हमारे मुल्क के बारे में एक शेर इकबाल का अर्ज करना चाहूंगी :

यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गये जहां से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।

वह बात है हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारा मिला-जुला रहन-सहन, हमारा भाई-चारा । हमें एक दूसरे को अपनाने की, हमारी हिम्मत, ताकत और हमारी दरियादिली । यदि ये भावनायें खत्म हो जायेंगी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे तो जैसे सारी सभ्यतायें मिट गयीं, उनका नामोनिशां नहीं रहा; उसी तरह हम अपने ही हाथों अपनी सभ्यता को मिटायेंगे और इस देश का कबाड़ा करेंगे । यही सबसे बड़ा खतरा है जो हम लोगों के सामने है । लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि मैं भी आक्रमक भाषण दे सकती हूं परन्तु आज जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है उसको व्यक्त करने का समय आ गया है ।

सभापति महोदय, मेरा शहर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाना जाता है । सन् 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिन्दू-मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और वे मारे गये लेकिन उसके बाद कानपुर में फिर कभी दंगा नहीं हुआ । यदि कानपुर में लोग रास्ता भी हो जाते थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी की कुर्बानी को याद करके अपने होश-हवास संभाव लेते थे । आज हमारे त्योहारों की क्या हालत है ? यदि हम कोई जश्न मनाते हैं तो क्या पालत होती है ? आज उत्तर भारत में हम जश्न मनाते हैं तो अपनी सड़कों पर पी० ए० सी० को खड़ा करते हैं । आज उत्तर

भारत में पुलिस की सुरक्षा में अपने त्योहार मनाते हैं। आज उत्तर भारत में जब कोई त्योहार आता है तो लोग डरने लगते हैं कि पता नहीं त्योहार का दिन कैसे निपटेगा या कोई नयी मुसीबत लेकर तो नहीं आयेगा ? इसीलिए मेरी अपील है कि हमारी जो भावनायें हैं, इस समझौतों में जो विचार हैं, इन पर एक आम सहमति लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी।

7 00 म० प०

अगर इस प्रयास को हमने छोड़ा और सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप में हम गए तो जिस ताने-बाने को आज हम लोग बचाने की बात सोच रहे हैं उसको फटने से हम लोग बचा नहीं पाएंगे। मेरी अपील सबसे है कि मन्दिर बनना चाहिए। अगर लोगों की भावनाएं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की जन्मभूमि के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर उनकी इच्छा है कि मन्दिर बनना चाहिए तो कोई ताकत नहीं है कि जो मन्दिर को बनने से रोक सकती है और रोकना भी नहीं चाहिए। पूरे देश को इस भावना की कद्र करते हुए मन्दिर के निर्माण में लगना चाहिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र का नाम लेकर के किसी मर्यादा को हमें टूटने से भी बचाना चाहिए। आज वहां की जो मस्जिद है वह कोई बहुत खूबसूरत इमारत नहीं है, बहुत मामूली मस्जिद है, लेकिन आज वह इस मुल्क की कुछ बुनियादी सिद्धांतों का प्रतीक बन गई है। उसकी अहमियत को हमें समझना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है, वह हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बन गई है, हमारे देश में जनता की दरियादिली का प्रतीक बन गई है, हमारे भाई-चारे का प्रतीक बन गई है। हम यह नहीं कहना चाहते कि अगर वह टूटेगी तो काश्मीर में क्या होगा। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि अगर वह टूटेगी तो पंजाब में क्या होगा। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि अगर वह टूटेगी तो हमारे देश के वासी जो दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं रेत में एक-एक पानी की बून्द के लिए मोहताज हैं, रेगिस्तान में उनके ऊपर क्या असर होगा, इस पर भी मैं नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि अगर वह मस्जिद हमारी सिक्यूलरिज्म का प्रतीक बन गई है, हमारी दरियादिल्ली का प्रतीक बन गई है, एक दूसरे के साथ जो हमारा भाई-चारा है, उसका प्रतीक बन गई है तो अगर हमको इसको इस देश का माहौल अच्छा बनाना है और मैं कतई नहीं मानती कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उतना ही इस देश से प्रेम करते हैं जितना बाकी हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे यह कहना पड़ेगा कि अगर इस देश के माहौल को बनाने के बारे में, जिसकी हम बार-बार इस सदन के अन्दर आहूति दे रहे है तो बस देश का माहौल बनने में देर नहीं लगेगी। कोई बहुत बड़ी कुर्बानी किसी को नहीं देनी है, कोई बहुत बड़ा अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना है, अपनी किसी मान्यता से नहीं हटना है। सिर्फ यह कह देना है कि किसी दूसरे को ठेस पहुंचा करके हम अपने भगवान की शान को नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ किसी दूसरे के दिल को दुखाकर के हम अपने पूजा स्थल नहीं बनाएंगे, सिर्फ किसी दूसरे का दिल तोड़कर के हम कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कहने की जरूरत है।

कुमारी उमा भारती : दूसरी तरफ भी आप बताइए। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुभाषिनी अली : आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको प्रवचन नहीं झाड़ रही हूं। प्रवचन देना न मेरा काम है न मेरी क्षमता है प्रवचन देने की। जो लोग प्रवचन देते है, मैं उनके साथ कभी भी इस मामले में शामिल नहीं होऊंगी, लेकिन निश्चित रूप से जिनको मैं इस देश का आपसे भी बड़ा रामभक्त समझती हूं उनकी बात को जरूर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि :

[श्री सुभाषिनी अली]

"ऐसो बानी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को सीतल करे, आपहि शीतल होय ।।"

मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूं। और किसी चीज का अफसोस किसी को नहीं है और किसी बात का दुख किसी को नहीं है, सिर्फ एक बात जो हम लोगों को चोट पहुंचाती है, दुख देती है और तनाव पैदा कर रही है और वह बात है एक नारा। एक ही नारा। कल हमने "नवभारत टाइम्स" में पढ़ा कि रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने लोगों से हाथ जोड़ा कि ये नारा मत लगाओ, लेकिन यह नारा चल पड़ा है। अगर आडवाणी जी, वाजपेयी जी, हम सब वास्तव में चाहते हैं कि माहौल बने तो उस नारे के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और सिर्फ उसके बारे में सोचना पड़ेगा और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।

यह नारा है···(व्यवधान)···कालका दास जी, आप बहुत सम्मानीय सदस्य हैं, आप ऐसा मत कहिये। इस नारे को मैंने कल ही पढ़ा है, वैसे तो इससे भी बुरे नारे मेरी नजर में आये हैं, मगर मैं उनकी चर्चा यहां नहीं करना चाहती, कल जो मैंने नारा अखबारों में पढ़ा है, वह है : एक दो एक दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। यह बात भी सही है कि रथयात्रा के दौरान···(व्यवधान)···आपको सही लगा, यह आपकी मान्यता हो सकती है, मेरी नहीं। मैंने अखबारों में यह भी पढ़ा कि जो लोग उनके साथ रथयात्रा में चल रहे थे, जैसे ही यह नारा आडवाणी जी के कानों में पड़ा, उन्होंने अपने साथ चलने वाले लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि इस नारे को मत लगाइये। इस बात से ही मुझे उम्मीद पैदा होती है, उससे लगता है कि जो बातें पिछले साल हमारे माननीय विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने मानी थी, इस साल हम लोगों के साथ बैठकर आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने आम सहमति के रूप में मानी थीं, मेरी मान्यता है कि वे आज भी उन विचारों के साथ, उन भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि मद्रास में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके दो हिस्से हैं : पहला हिस्सा यह है कि जिन बातों को हम सभी ने स्वीकार किया था, उसके क्रियान्वयन का हिस्सा, लेकिन इसके साथ-साथ उसका दूसरा हिस्सा भी है। हमारे देश में तमाम साधु सन्त हैं, तमाम धार्मिक नेता हैं और उन धार्मिक नेताओं की बातों से इस देश की जनता भी जुड़ी हुई है। उनकी बातों का जबर्दस्त वजन है और उनकी बातों का प्रभाव भी पड़ता है।

मैं आज सरकार से कहूंगी और यह बात सही है कि जहां तक मानसिक तैयारी का सवाल है, आप लोग सभी जानते हैं कि अगर मुसीबत आयेगी, अगर बला नहीं टलेगी तो उसका मुकाबला करने के लिये भी, जो तमाम इस देश की धर्म-निरपेक्ष ताकतें हैं, सैक्यूलर फोर्सेज हैं वे तैयार हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वह नौबत न आए, उससे हमारे देश का जो सैक्यूलर फैब्रिक है, वह और ज्यादा मजबूत होगा, इसलिये किसी भी प्रकार के कन्फ्रन्टेशन की तैयारी न की जाये। यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्रन्टेशन होगा तो संभव है किसी के वोट चढ़ सकते हैं, किसी के वोट घट सकते हैं, परन्तु यह निश्चित नहीं है कि कन्फ्रन्टेशन के बाद किस के वोट बढ़ेंगे और किस के वोट घटेंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना गणित होता है, परन्तु मेरी मान्यता है कि अगर कन्फ्रन्टेशन होगा तो इस देश का नुकसान होगा, हमारे भाई चारे का नुकसान होगा। इसलिये मेरी सरकार से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि मद्रास के प्रस्ताव का जो दूसरा हिस्सा था कि हमारे देश के जो धार्मिक नेता हैं अलग-अलग सम्प्रदायों के धार्मिक नेता हैं, आप उनको बुलाकर कहिये कि हम राज नेता तो इस मामले को तय नहीं कर पाये क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हैं, बहुत छोटे दिल के लोग हैं, आप आइये, आप सभी इस देश का हित चाहते

हैं, मानवता का हित चाहते हैं, आप आकर इस विवाद को तय कीजिये और इस देश को प्रलय से बचाइये। इतना ही कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : यह एक सन्तुलित वाणी है जो आज हमने सुनी है। यह राष्ट्र की आवाज है। यह भारत माता की भी आवाज है। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि वह इस रथ यात्रा को छोड़ दे।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति जी, इस सदन का यह सत्र एक विशेष काम के लिये बुलाया गया था क्योंकि हम एक विशेष परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे, एक विशेष सवाल हमारे सामने आ गया था। पंजाब की समस्या के कारण इस देश को विशेष परिस्थितियों में कुछ निर्णय करने थे और मैं समझता हूं कि पंजाब की समस्या के समान ही साम्प्रदायिकता भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमने हल करना है।

मैं अभी इस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था और चूंकि मेरा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के अयोध्या और फैजाबाद से है, इसलिए मैं आपको और सदन को अयोध्या और फैजाबाद की जन-भावनाओं से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे अयोध्या और फैजाबाद के लोग जब से, 30 अक्तूबर से, कार सेवा का सवाल उठा है, तब से उनके दिलों में तरह-तरह की संकाएं, भय और आतंक पैदा हो गया है, जो स्वाभाविक है। यह क्यों हो रहा है? क्या उनकी कोई जमीन-जायदाद जाने वाली है या कोई और बात है? दरसल बात यह है कि हिन्दू-मुसलमान की जब साम्प्रदायिक भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं और उसकी बिना पर जो खून-खराब होता है, जो मासूमों और बेगुनाहों का खून बहता है, जो लाखों की सम्पत्तियां जल जाती हैं, उससे जो दहशत पैदा होती है, उसी के वे शिकार होते हैं और उसी के बारे में वे सोचते हैं और इसीलिए वे चिन्तित हैं।

श्रीमन्, अभी सुभाषिनी जी बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह रही थीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय आडवाणी जी की रथ-यात्रा से हमको कोई खतरा नहीं है, लेकिन आडवाणी जी को यह महसूस करना चाहिए कि महात्मा गांधी जी जब आन्दोलन करते थे, चाहे चौरा चौरी का काण्ड हो जाता था या कोई दूसरा काण्ड हो जाता था और जिस समय देश को खतरा पैदा हो जाता था और उनका अहिंसक आन्दोलन हिंसात्मक हो जाता था, तो वे अपने आन्दोलन को वापस ले लेते थे। आज आडवाणी जी को भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी रथ-यात्रा से देश का वातावरण हिंसात्मक बन रहा है, तो उनको अपनी रथ-यात्रा को रोकना चाहिए क्योंकि अगर उनकी रथ-यात्रा देश के हित में हो रही है, 75 प्रतिशत जनता के हित में हो रही है, तो फिर 75 प्रतिशत जनता आशंकित क्यों है, क्यों भय पैदा हो रहा है? आज जो दंगे बड़ोदरा में हो गए, जो दंगे उदयपुर में हो गए, जो करनैल गंज में हो गए, जो दक्षिणी भारत में हो गए, ये क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे बी० जे० पी० के भाई लोग इसको जानते नहीं? बड़े साफ तरीके से उन्होंने कह दिया कि जो हमारा जुलूस निकल रहा था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इतने संकीर्ण रास्ते से निकल रहा था, दरसल बात यह है कि उस रास्ते से जुलूस जाता ही नहीं था। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, विजयदशमी का वह जुलूस था। यह मैंने कहा था इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। वह राम अन्मभूमि का जुलूस नहीं था, वह राम ज्योति का जुलूस नहीं था, वह दशहरे का, परम्परागत मूर्तियों के विसर्जन का जुलूस था।

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर, मेरा कहना था कि उस रास्ते से जुलूस नहीं निकलता था। वह दूसरे रास्ते से जाता था। प्रशासन ने गलती की जो उसने इनको उस संकीर्ण रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत दे दी और जब उस संकीर्ण रास्ते से जुलूस निकला, तो नारे लगे कि "बच्चा बच्चा राम की जन्मभूमि के काम का", जहां लोग नारे लगा रहे थे कि "बच्चा बच्चा राम का फिर झगड़ा किस काम का", वहां ये नारे लगाए गए और जब नारे लगे, तो उत्तेजना पैदा हुई और जो कुछ हुआ वह आप खुद ही बयान कर चुके हैं। लेकिन इस दंगे के बाद जो सुनियोजित तरीके से गांव में हमले किए गए, मायनॉरिटी पर या दूसरे लोगों पर जो हमले किए गए, उसकी अगर जांच की जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दंगे किसलिए हुए।

श्रीमन्, सारे देश के अन्दर, इस बात को हमारे बी० जे० पी० के भाई मानेंगे और इस बात के लिए इंकार नहीं कर सकते हैं कि साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने से ही दंगे हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मामला वहां के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं सौंपा जाता है? फैजाबाद से, कल बहुत से लोग आ रहे हैं प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए और इसी बात को लेकर कि आखिर बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का झगड़ा फैजाबाद और अयोध्या के लोगों को क्यों नहीं सौंपा जाता है? हम उसे निपटा लेंगे। बाहर के लोग क्यों वहां आकर के झगड़ा कर रहे हैं? इसलिए हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदाय के लोग कल दिल्ली में आकर प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर कहना चाहते है कि हमारी अयोध्या में किसी के आने की जरूरत नहीं है। मैं बी० जे० पी० के भाइयों से पूछना चाहता हूं—सन् 1949 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखकर, पूजा-पाठ कर रहे हैं। 200 मीटर दूर-दूर से मुसलमान उसको देख सकते हैं, उसके पास तक जा नहीं सकते हैं, अपनी मस्जिद को देख नहीं सकते हैं। इसके बाद भी मन्दिर के नाम पर हिन्दू साम्प्रदायिकता कौन उभार रहा है? मस्जिद भी आपके कब्जे में है, आप वहां पूजा भी कर रहे हैं, नोट भी बन रहा है और वोट भी बन रहा है। फिर भी यात्राएं हो रही हैं। कौन इसको भड़का रहा है? भड़काना तो मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मस्जिद पर दूसरों ने कब्जा कर लिया।

श्रीमन्, दरसल बात यह है कि आप मन्दिर नहीं बनाना चाहते हैं और जो मंदिर का नक्शा पेश किया है, वह मन्दिर नहीं बन सकता है। वहां अगर वह मस्जिद गिरा भी दी जाए, तो भी वह मन्दिर नहीं बन सकता है। लेकिन जैसा सुभाषिनी जी ने कहा, वह मस्जिद आज हमारी धर्मनिर्पेक्षता की प्रतीक हो गई है।

मान्यवर, 1886 में अंग्रेजों ने हमारी अयोध्या में हिन्दू-मुसलमानों का दंगा भड़काया था।

लेकिन हिन्दू-मुसलमान के महारथियों, पुजारियों, मौलवियों ने बैठकर हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा तय कर लिया और मस्जिद की चारदीवारी के अन्दर दीवार खींचकर एक तरफ राम का चबूतरा, एक तरफ मस्जिद बना दी। जब दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने इस बात को तय कर लिया तो दोनों सम्प्रदाय के नेताओं को अंग्रेजों ने फांसी दिला दी। (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : यह अयोध्या के एम० पी० हैं, अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं वह बताइए। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास : अयोध्या के लोग इस तरह से नहीं कर सकते ।...(व्यवधान)...

श्री मित्रसेन यादव : मैं 1886 की ऐतिहासिक बात प्रस्तुत कर रहा हूं । आज भी बाबरी मस्जिद के अहाते में चले जाइये, दीवार खींचकर एक तरफ राम चबूतरा और दूसरी तरफ मस्जिद बनी हुई है । इसको 1886 में हिन्दू-मुसलमानों ने अंग्रेजों के लड़ाने पर न लड़कर आपस में बैठकर तय कर लिया था । आज भी वही स्थिति है । जिन लोगों ने झगड़े निपटा लिए थे उनको फांसी दी गई, जिस पेड़ पर फांसी दी गई उस पेड़ को लोग पूजने लगे, वह पेड़ काटकर फेंक दिया गया । हिन्दू-मुसलमानों की अयोध्या में आज इतिहास गवाह है कि एक भी बच्चे का, इंसान का नाखून अयोध्या में किसी पैदावार में अब तक नहीं कटा । यह हिन्दू-मुसलमान की एकता की सबसे बड़ी तारीफ है । आज भी नहीं कटेगा अगर यहां लोग धार्मिक उन्माद न पैदा करें । मेरा बी० जे० पी० के भाइयों से निवेदन है कि राम की जन्मभूमि भले बचाएं या न बचाएं लेकिन हिन्दुस्तान के लाखों लोगों की जन्मभूमि में आग लग रही है उसका कौन जिम्मेदार है ? राम की जन्मभूमि कहां है कहां नहीं, कृष्ण की जन्मभूमि कहां है कहां नहीं, हमें अपनी जन्मभूमि का पता लगाना है और उसको बचाना है । न मालूम कितनों की जन्मभूमि में आग लगी और न मालूम कितनों की जन्मभूमि में आग लगेगी, लेकिन कम से कम देश बच जाए, ऐसा मैं सोचता हूं । इसलिए इस सदन के माध्यम से फैजाबाद की जनता की तरफ से जो उसका सन्देश है, वहां के लोग जो चाहते हैं, वे यही चाहते हैं कि वे अपने यहां के मसले, झगड़े तय कर लेंगे, हिन्दुस्तान के बाहर के लोग वहां पर दखल-अन्दाजी न करें, हिन्दुस्तान के लोग फैजाबाद को अखाड़ा न बनाएं अपनी राजनीति का, अपने धार्मिक उन्माद का । इसलिए मेरा अनुरोध है बी० जे० पी० के भाइयों से कि आप देश की सत्ता में भागीदार हैं, इस देश की सत्ता में रहते हुए जिस देश के तमाम लाखों-करोड़ों जनता की नजर आप लोगों के ऊपर है, जो जुल्म करेंगे उससे बच नहीं पाएंगे, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती है, जनता की आंखों से बच नहीं सकते । इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा काम देश में न करें जिससे सारा देश तबाह हो जाए, हम इस अपराध से बच नहीं पाएंगे ।

हमारे नेता आडवाणी जी, जो इस सदन के नेता हैं हम उन्हें आदर और सम्मान की नजर से देखते हैं लेकिन देश के सामने जो साम्प्रदायिक संकट खड़ा हो गया है, देश टूटने की कगार पर है, हर दिल में दहशत है, उस चीज को खत्म करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए । आप कहते है कि अदालत नहीं मानेंगे । आप ही तो फरवरी 1985 में ताला खुलवाने के लिए अदालत में आ गए थे । पहली फरवरी को ताला तब खुला जब जज ने फैसला दिया और एम० पी० और डी० एम० ने अंडरटेकिंग दी कि दंगा नहीं होगा । तब तो अदालत की याद आई थी । आडवाणी जी ने अभी रास्ते में मार्च करते समय कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू नहीं किया जाना चाहिए । यहां अदालत याद आती है और फैसले के लिए अदालत याद नहीं आती है । हमारा आपसे अनुरोध है कि अदालत का इन्तजार कर लें या बैठकर तय कर लें, लेकिन झगड़े को इतना न बढ़ाएं कि खूनखराबा हो जाए, देश में खून की नदी बहे, इसको बचाओ, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है । एक मन्दिर, एक मस्जिद बनने से देश नहीं बना करता, देश बनाने के लिए आपके ऊपर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । आइए हम सब लोग इस मसले को बैठकर निपटाएं, यही हमारा आप लोगों को कहना है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : सभापति जी, कल सारा दिन हमने अपने साथियों के साथ कर्नलगंज का दौरा किया। हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री राजीव गांधी जी के साथ चार अन्य लोग भगत जी, अकबर साहब, मैं और तिवारी जी को उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरोध पक्ष के नेता है, सबने मिलकर कर्नलगंज का दौरा किया। वहां पर लोगों की प्रापर्टी का नुकसान हुआ। उनके घर जल गए और चारों तरफ उन लोगों का नुकसान हुआ। हम गांवों के अन्दर भी गए। वहां पर भी लोगों को बुरी तरह मारा गया है, उनके घर जलाये गये और दूसरा कोई नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा भयंकर बात यह हुई कि जलती हुई आग में जिन्दा लोगों को फेंक कर जला दिया गया। सरकारी तौर पर इसके जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह भी ठीक नहीं है। कभी कहा जाता है कि 35 लोग मारे गए, 3/ लोग मारे गए और कभी कहा जाता है कि 70 लोग मारे गए। एक-एक दिन में आंकड़े बदलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं डेढ़ सौ और ढाई सौ तक के मरने के भी इस सम्बन्ध में आंकड़े दिए गए। आज कहा जा रहा है उनकी संख्या 400 तक पहुंच गई है। जो गांव इसकी चपेट में आए उनके भी आंकड़े भिन्न-भिन्न दिए जा रहे हैं। कभी 20 गांव और कभी 50 गांवों का इसमें नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं अधिकारी लोग वहां पहुंचे नहीं है। पिछले जो अधिकारी थे वह बदले गए हैं और नये अभी तक पहुंचे नहीं है। वहां भयानक तरीके से लूट-मार हुई, इस दौरान घर जलाये गये, मस्जिदें जलाई गई, उसके कारण बच्चे भूखे मर रहे हैं। यह भी सुनने को मिला है कि बच्चे लापता है। 500 लोगों का तो कहीं कोई पता नहीं है। उनके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वे कहां लापता हैं? लोगों ने हमसे खुद कहा कि हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। गांवों के अन्दर सबको मालूम होता है कि इस घर के अन्दर कितने लोग रहते हैं? ऐसे में आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस घर में इतने लोग रहते थे और इतने लापता हैं। वहां एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जो कि साबुत अवस्था में हो। मकानों के अन्दर अनाज के ढ़ेर से धुआं अभी भी निकल रहा था। लकड़ियों में से धुंआ निकल रहा था।

इतना ही नही वहां राशन और दूसरी खाने-पीने की चीजों का कोई इंतकाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इस दुखद स्थिति के बीच में और इस भयानक दंगे के बीच में वहां कर्नलगंज के चार ब्लाक्स में ये सब हुआ। ऐसे में मैं सोचती रही कि आजादी के इतने बरसों के बाद दंगे बीच-बीच में क्यों होते रहते है। उनको काबू करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश भी की जाती है लेकिन इधर लगातार यह देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दूसरी स्टेट्स में भी तनाव की स्थिति ज्यादा पैदा हो रही है। अभी मैं वहां से लौटकर ही आई थी कि वहीं रास्ते में ही पता चला कि प्रतापगढ़ में भी दगा सा हो गया और वहां पर भी किसी ने कहा कि 6 या 8 लोग मारे गए, किसी ने कहा कि 10 लोग मारे गए हैं। गाजीपुर के बारे में भी मालूम हुआ कि इस तरह का कुछ तनाव हुआ, आपस में लड़ाई हुई है। हर जिले में उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ इन महीनों में हो रहा हैं। मैं ऐसा समझती हूं कि आज समय इस बात का आ गया है कि हम इस सदन के माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्वक इस बात पर विचार करे कि आखिर हम अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और हमारे देश में आज जो साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण है, उसके पीछे कौन-सी शक्तियां काम कर रहीं हैं।

जिस समय हमारे देश का संविधान 1950 में बनाया तो उसमें इस देश को सैकुलर भारत बनाने की बात कही, उसकी बुनियाद डाली। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाया गया, आज यह बात

सही है, माननीय सदस्य अतिन्दर पाल सिंह जी सबेरे कह रहे थे कि हिन्दुस्तान क्यों कहा जाता है, भारत क्यों नहीं कहा जाता है, हमने संविधान में भारत रखा है परन्तु चलत में और बोलचाल में यह हिन्दुस्तान पाकिस्तान ही चल गया है। जब उस समय समझ-बूझकर कि इस देश में सब धर्मों के मानने वाले लोग होंगे, इस देश में हर बात और धर्म के मानने वाले लोगों को लेकर भारतवर्ष होगा तो यहां पर स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति की चीज होगी और हम अपने धर्म को मानेंगे और सब धर्मों का हम आदर करेंगे, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए भारत एक सेकुलर देश माना गया लेकिन आज हमारे देश में ऐसी पार्टियां हैं जो हिन्दू राष्ट्र का नारा दे रही हैं और हमें सिखाया जा रहा है कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म की परिभाषा हमें सिखाने की बात की जा रही है। हम सब जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें यह बात आज जनता के सामने कहनी पड़ेगी कि हम सेकुलर हैं। भारत के संविधान की शपथ लेकर हम यहां पर खड़े हुए हैं, आज हम इस बात को कहें कि मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा क्या हम जो प्रतिज्ञा लेकर ओथ लेकर आज यहां पर आते हैं पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज और चुनकर आते हैं, क्या हम हिन्दू राष्ट्र की बात कहने वाले लोग संविधान के खिलाफ बात कहते हैं या नहीं कहते हैं। कहां पर हमारे संविधान में लिखी हुई है, हिन्दू राष्ट्र की बात लेकिन आज हिन्दू राष्ट्र का नारा देकर जो लोग सेकुलरिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, वह संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं।

आज यह जो चर्चा हो रही है और यह जो तनाव सारे देश में हो रहा है, इसके पीछे आज एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, तीन साल से यह बातें चल रही हैं। यह जो रथ यात्रा का सिलसिला चला, पहले गंगाजल लेकर शुरू हुआ, गंगाजल बेचना शुरू किया और फिर गंगा-जल लेकर लोग चले। पहले तो विश्व हिन्दू परिषद बी० जे० पी० के आगे-आगे चलती थी, कीर्तन, भजन और गेरुआ झण्डा लेकर, तब बी० जे० पी० पीछे-पीछे रहती थी, यह कहती थी कि यह तो कलचरल आर्गेनाइजेशन है ···(व्यवधान) ·· और बी० जे० पी० राजनैतिक संस्था है। विश्व हिन्दू परिषद साधू सन्तों का सम्मेलन इलाहाबाद में और हरिद्वार में कर रहे हैं। इसके बाद धीरे-धीरे फण्ड खूब कलैक्ट कर लिया। एक इन्कम टैक्स आफिसर, जिसको कि हटा दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, विश्व बन्धु गुप्ता कहते हैं कि 500 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। जिससे कि बाद में बी० जे० पी० ने अपना इलेक्शन लड़ा है। यह सब किया है, डिटेल में तो मैं नहीं जाती लेकिन मुझे यह कहना है कि उस वक्त तो···

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आप हमको काफी समय दे देना ताकि इनको सही उत्तर मिल सके। (व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इस देश में पहले बी०एच०पी० के नाम पर बातें चलती रहीं। चारों तरफ साम्प्रदायिकता की बू फैलाते रहे। उसके बाद इन्होंने धीरे-धीरे जगह बनाई और फिर शुरू किया मंदिर-मस्जिद का झगड़ा बाबरी मस्जिद चार-पांच सौ वर्षों पहले बाबर ने बनाई इतिहास का कहना है, कहा जा रहा है कि गिराओ। आज तो हमारे सामने मस्जिद खड़ी हुई है। आज जब यहां कर रहे हैं मस्जिद गिराने के लिए, आखिर किस अधिकार से लोग कहते हैं। इस देश में लाखों जब मस्जिदें, तो क्यों एक मस्जिद को गिराने की बात की जाती है। सवाल इस बात का है और झगड़ा यहां से शुरू होता है। बी० जे० पी० आज आ गई सामने मस्जिद को लेकर पोलिटिकल तरीके से हिन्दू वोट लेने के लिए। चुनाव सामने था, तो बी० एच० पी० को पीछे कर दिया और वह आगे आ

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

गई। सामने आ कर चुनाव के ठीक बीच में उन्होंने ···(व्यवधान)···· सुभाषिनी अलीजी समझौता पढ़ रही थीं, चुनाव के बीच में उन्होंने शिलान्यास की बात कह दी। उसको हम लोग चुनाव के वक्त जनता के बीच में जाकर बता नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने फिर भी कहा था कि कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है, इसको नहीं करना है और दोनों पार्टियों को सबको मान्य होना चाहिए।

लेकिन उसके बीच में बात शिलान्यास की कर दी और बी० जे० पी० नेताओं ने कार-सेवा की बात कह दी। भारतवर्ष में शंकराचार्य जी ने चार बड़े-बड़े मंदिर बनाए—बद्रीनाथ धाम, पूरी धाम, रामेश्वरम का मंदिर और द्वारिकाधीश बनाया—ये मंदिर हमारे देश की एकता के प्रतीक थे। ये मंदिर क्या चारों तरफ गांवों से ईंटें लाकर बनाए गए हैं? इसके लिए क्या कोई सेवा की गई है? इसके लिए क्या जगह-जगह की मिट्टी लाई गई है? कारण यह कि बी० जे० पी० को गांवों में पूछने वाला कोई नहीं था, इनकी कोई सेवा नहीं थी, यह तो शहर के बनिए लोगों की पार्टी थी। यह तो बड़े-बड़े लोगों की पार्टी थी। इन्होंने सोचा कि इस बहाने से हिन्दू सेंटीमेंट्स को जगाकर, औरतों तथा दूसरे लोगों से इस तरह से वोट ले सकते हैं। इस प्रकार शिलान्यास के बहाने गांव-गांव में चले गए और राम-राम-राम लगा दी। शिलाओं को ट्रकों पर लाद-लाद कर लाए ···(व्यवधान)··· मैं इस बात को इसलिए जरूर कहना चाहती हूं, कल जो मैंने देखा है, जिस तरह से आप लोगों की वजह से, बी० जे० पी० की काम्युनल पोलिटिक्स की वजह से, आप लोगों द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाने की वजह से, शिलाएं गांव-गांव से लाने की वजह से और देश में आप लोगों ने जो काम्युनलिज्म फैलाया है, उसकी वजह से देश चल रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश जल रहा है। मैं कहती हूं कि क्या कोई मंदिर इस तरह से बना है और आज जो मंदिर इस तरह से बनाने के लिए ट्रकों में लाद-लाद कर शिलायें लाए और ला कर के जहां अयोध्या में इकट्ठा करना चाहिए था, वहां किया। लाकर के नाली के पास फेंक दिया और गन्दी जगहों पर पड़ी हुई हैं और अब आज उनको तराशा जा रहा है। ···(व्यवधान)···

कुमारी उमा भारती : मुझे आपकी इस बात पर आपत्ति है, आप गलत बयानी कर रही हैं। ···(व्यवधान)···

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मुझे इसलिए आपत्ति है कि मैं भी राम भक्त हूं और मैं भी शुद्धता से पूजा करने में विश्वास करती हूं। मुझे पूजा-पाठ से कोई घृणा नहीं है, लेकिन आप लोगों चरित्र इस रूप में और यह तो ढोंग वाला चरित्र है, उससे मुझे घृणा है। ···(व्यवधान)···

सभापति जी, एक अच्छा इन्सान होना धर्म है न कि गेरुए वस्त्र पहन लेना धर्म है, खाली माला जपने से धर्म नहीं हो जाता है। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि धर्म को पोलिटिक्स से जोड़ करके विश्व हिन्दू परिषद के नाम से, आज फिर बी० जे० पी० वाले उसको भुला रहे हैं और उसी के कारण सारे देश में ये दंगे और फसाद हो रहे हैं। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि हम सदन के माध्यम से इस बात को कहें, हमें अफसोस है कि जनता दल ऐसी साम्प्रदायिक संस्था की मदद ले करके सरकार को चला रहा है। आज चाहिए यह, कि ये इनकी मदद न लें, चाहे इन को एक दिन भी सरकार न चलानी पड़े। (व्यवधान)

ये जो आज उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं और आगे भी होंगे। चाहिए तो यह था कि आडवाणी साहब की रथ यात्रा को दिल्ली से ही रोक दिया जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि

इसको नहीं जाना है क्योंकि यह होने से सारे देश में एक तरह से तनाव बढ़ेगा। (व्यवधान) यह रथ यात्रा निकालना गलत है क्योंकि इससे तनाव और बढ़ने वाला है और इससे जानबूझकर के साम्प्रदायिकता को बढ़ाया जा रहा है।

इसलिये इस मंत्रालय से मेरी मांग है कि अब तक जो कुछ हुआ, सो हुआ अब कम से कम अगर आपमें हिम्मत है तो आप लोगों की जान बचाने के लिए और हजारों मां, बहनों, स्त्रियों, लोगों और बेगुनाह बच्चों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इस रथ यात्रा को रोकिए, उत्तर प्रदेश को आग में जलने से बचाइए और इस देश को साम्प्रदायिकता की आग में जलने से बचाइए।

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति जी, साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन बहुत गंभीरता से विचार करना चाहता है, जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस से हमारी चिन्ताजनक स्थिति उजागर होती है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की बजाय, आज साम्प्रदायिक कटुता फैल गई है। हमने ये समझ लिया है कि जब-जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो प्रशासन इसको कानून और व्यवस्था का मसला बना लेता है और हम लोग ये समझते हैं कि जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है वे यह समझ लेता है कि उनके कर्तव्य की भी इति श्री हो गई और प्रशासन के जिम्मे हमने सारीजिम्मेदारी सौंप दी और यह नतीजा है कि उसकी तह में प्रशासन जा नहीं पाता है, जितनी तत्परता और दक्षता के साथ जाना था। इन तमाम खामियों को दूर करना और सांप्रदायिक भेदभाव को भुला कर आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ किस तरह समाज में एकता कायम रखी जा सके, उसका निर्वाह करना; उसको सुदृढ़ करना, इसमें हम विफल हुए।

हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि सन् 1940 में मिस्टर जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, 1947 में साम्प्रदायिकता के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, लेकिन फिर भी आज सांप्रदायिकता की जड़ इतनी मजबूत कैसी रह गयी है ? इसका क्या कारण है ? मेरी साधारण सी समझ में यह बात आती है कि सम्प्रदायवाद से प्रभावित व्यक्ति जब अपनी भावनाओं को केवल अपने सम्प्रदाय में केन्द्रित करता है और केवल अपनी ही जाति के लोगों के उत्थान की बात को सोचता है और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय की हमेशा उपेक्षा करता है तो सांप्रदायिक भावना लोगों में पनपती है, बढ़ती है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जब-जब सांप्रदायिक उपद्रव होते हैं, तब तक यह बात उभरती है, हालांकि निरन्तर यह प्रयास होना चाहिए कि सांप्रदायिक सदभाव किस तरह बना रहे किस तरह से मजबूत हो। अभी हाल में गोंडा में सांप्रदायिक दंगा हुआ और अभी श्रीमती बाजपेयी कह रही थीं, मैं इनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन हमेशा हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इस तरफ के लोग उस तरफ के लोगों पर और उस तरफ के लोग इस तरफ के लोगों पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से अगर स्थिति सुधारे, आरोप लगाने से अगर बात सुधार जाए तो आरोपों का सिलसिला तो बहुत दिनों से चल रहा है और इसके जरिए बात समाप्त हो जाती, मगर आज हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि कौन-कौन से तत्व छिपे हुए हैं जो सांप्रदायिकत को उभारने में लगे हुए हैं, जो मौका पाकर दंगे करवाते हैं। आप जानते है, एक हार नहीं दर्जनों बार ज्यूडिशल इन्क्वारीज करवाई गई, लेकिन क्या हुआ। ज्यूडिशल इन्क्वारीज में जो फाइंडिंग्स दीं, 2-3 फाइंडिंग्स का रेफरेंस देना चाहता हूं। जांच आयोगों ने वास्तविक अपराधी राजनीतिक दलों को माना है। अब तक सात जांच आयोगों ने सांप्रदायिक दंगों में राजनीतिक दलों की भूमिका को स्वीकार किया है। रघुवर दयाल जांच आयोग ने 1968 में कहा कि राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थों

[श्री युवराज]

की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं को नहीं उभारना चाहिए। दत्ता आयोग ने 1970 में कहा कि राजनीतिक दलों को किसी संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपील करके वोट नहीं प्राप्त करने चाहिए। इसी तरह से जोसेफ विठ्यासिस आयोग ने 1971 में कहा कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों में भी सामान्य सदस्यों में सांप्रदायिकता का प्रवेश हो गया है। यह अहितकर प्रवृति है, जिसको रोकना चाहिए।

सभापति जी, आज तक जितने ज्यूडिशल कमीशन अपाएन्ट हुए, और जो उनकी फाइंडिंग्स हुई, उनका क्या नतीजा निकला है। ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सद्भावना पर आघात पहुंचाते हैं, हम उनको कानून के हवाले नहीं करते और जब बात बीत जाती है, समय निकल जाता है तो हम समझते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरफ यह प्रयास भी बंद हो जाते हैं कि सांप्रदायिक सदभावना की कड़ी को मजबूत किया जाए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि दंगे बड़े हों या छोटे, उनको रोकने का प्रयास सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। आज राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया जाता है, जो दल सत्ता में होता है, यह कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की कार्यवाही हुई है। जब दूसरी तरफ के लोग सत्ता में थे तो इधर ये यह कहा जाता था, आज जब नेशनल फ्रंट की सरकार है, तब उधर से इस तरह की बात कही जाती है। जो सहयोगी दल है, उन पर भी आरोप लगाया जाता है। मैं नहीं मानता हूं कि इनके, हमारे या उन तमाम लोगों के आरोप बेबुनियाद हैं, कहीं कुछ न कुछ बात हो सकती है, यह छान-बीन की बात है कि किसका कितना दोष है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बार बार टकराव की स्थिति पैदा होने से जो दोनों संप्रदायों का मनोविज्ञान विकृत हो गया है, मनुष्य की संवेदना समाप्त होती जा रही है, हमारा, आपका और समाज का मनोविज्ञान धीरे-धीरे विकृत हो गया है और यही कारण है कि हम दूसरे संप्रदाय को गैर समझते हैं और दूसरा संप्रदाय हमको गैर समझता है। जब कोई मारा जाता है तो उसकी पीड़ा जो महसूस होनी चाहिए, उस पीड़ा के बीज उसके कारण को ढूंढकर उसको खत्म करने की जो कोशिश होनी चाहिए, हम उससे दूर हो गए हैं। मैं आपके मारफत सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, दोनों का नतीजा एक ही होता है।

अगर हिन्दू सांप्रदायिक हों, हिन्दुओं का कोई भी संगठन साम्प्रदायिक हो, मुस्लिम आवास का संगठन साम्प्रादिदक हो, दोनों का नतीजा एक होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। इस बात पर हमें निगाह रखने की जरूरत है कि हम लोग धर्म निपपेक्ष हैं। लेकिन अगर कहीं अल्पसंख्यक की ओर से धर्म निरपेक्ष पर कोई चोट हो और समाज उसका फैसला नहीं करता है तो समाज ही उग्रता को पैदा करता है। इसलिए जो बहुसंख्यक हैं उनमें जो शक्ति का अहंकार है, उसको त्यागना पड़ेगा। हिन्दू अल्पसंख्यक है उनको अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जो अल्पसंख्यक हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा हम एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे और कुछ न कुछ कह कर अपने मन को शांत करते रहे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) माननीय सभापति जी, हम लोक सभा के सदस्य के नाते जब यहां काम करने आए तो हमने तय किया कि धर्मचक्र के अनुसार काम करेंगे, धर्म के अनुसार काम करेंगे ऐसी शपथ ली। सभापति जी की कुर्सी के ऊपर लिखा है धर्मचक्र वर्तनाय। जो ठीक प्रकार की

बातें हैं उसके अनुसार परिवर्तन करने के लिए हम यहां आए हैं। इसलिए सभापति जी, यह बात सामने रख कर मैं अपने विचार रखने वाला हूं।

साम्प्रदायिक स्थिति की जो चर्चा चल रही है, जो दंगे हो रहे हैं उसके बारे में बोलने के बदले कुछ और ही बोल रहे हैं। हमारे यहां मराठी में एक कहावत है "सांप-सांप म्हणू दोरीला मारायचे" मानी सांप कहो और रस्सी को मारो। सांप मारने के बदले रस्सी को मारो और कहो यह सांप है। जो दंगे हो रहे हैं उसकी चर्चा न करते हुए आडवाणी जी की जो रथ-यात्रा निकली है जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, जिसका बड़े जोरदार ढंग से लोग समर्थन कर रहे हैं, इसकी यहां चर्चा चल रही है। जहां दंगे हो रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है।

जब आडवाणी जी की रथ-यात्रा की चर्चा हो रही है तो हमारे सामने कुछ यात्राएं हैं, जो अभी अभी शुरू हुई हैं। हमारे विपक्ष के नेता माननीय राजीव गांधी जी ने तीन दिन पहले सदभावना यात्रा शुरू की। सदभावना यात्रा एक दिन शुरू हुई, आगे कहां गयी, हम लोगों को पता नहीं है, शायद कांग्रेस के मित्रों को पता हो कि सदभावना यात्रा तीन-चार दिन में कहां-कहां गयी, कौन से कौन से सदभावना के विचार रखे। ये विचार सदन के सामने रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी सदभावना यात्रा क्या है।

प्रधान मन्त्री जी की भी पंजाब यात्रा शुरू होने वाली थी। आज हमने पंजाब के चुनाव 6 महीने आगे ढकेलने का निर्णय किया है, वह यात्रा नहीं हुई। लेकिन जिस उद्देश्य से यह यात्रा शुरू होने वाली थी, उसमें लोगों के साथ मिलने, उनको जानने, लोगों के समक्ष अपने विचार रखने की बात थी। लेकिन यह यात्रा नहीं हुई।

आडवाणी जी की रथ-यात्रा है, इसके लिए उन्होंने घोषणा की थी कि 25 सितम्बर को शुरू करेंगे, 25 सितम्बर से यह यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा क्यों की, यह उन्होंने बताया है, हम भी आपको बताना चाहते हैं कि इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि इस राष्ट्र की जो सही चेतना है उस सही चेतना को जागृत करना और वह सही चेतना राम के साथ मिली हुई है। राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, इसलिए राम की बात सारी जगह पर पहुंचानी चाहिए। यह पहली बात है।

दूसरी बात है, स्यूडो सैक्यूलेरिज्म, यानी नकली धर्म निरपेक्षवाद बढ़ रहा है। सर्वधर्म समभाव क्या है, यह समाज को बताने के लिए आडवाणी जी ने यात्रा शुरू की और सब जगहों पर जाकर वे बता रहे हैं। बात आ रही है कि यह सोमनाथ मन्दिर से क्यों? यही इस यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सोमनाथ मन्दिर देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है सोमनाथ मन्दिर पर मोहम्मद गजनवी ने कई बार हमला किया, मन्दिर तोड़ा, वहां की सम्पत्ति नष्ट कर दी। आप जानते हैं देश आजाद होने के बाद सोमनाथ के मन्दिर का पुनर्निर्माण करना तय हुआ था। पण्डित जवाहर लाल नेहरू उस समय देश के प्रधान मन्त्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मन्त्री थे और बाबू राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्राध्यक्ष थे।

उनके मंत्रिमंडल ने यह कैसे तय किया कि जो सोमनाथ खंडहर बन गया था वहां पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। अगर पं० नेहरू सोमनाथ का पुनर्निर्माण करते हैं तो वह जातिवाद नहीं है और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के नाते करते हैं और राष्ट्राध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद वहां जाकर पूजा करते हैं तो वे साम्प्रदायिक विधर्मी नहीं हैं। अगर आडवाणी जी यात्रा करने के लिए निकलते हैं··· (व्यवधान) 1950 में सोमनाथ का पुनर्निर्माण कौन से ढंग से हुआ। आज शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं।

[श्री राम नाईक]

मैं यह कहूंगा कि मैं हिन्दू हूं तो मैं सांप्रदायिक हूं और कोई भाई कहे कि मैं क्रिश्चियन हूं तो वह बड़ा धार्मिक है। वास्तव में हिन्दू होने नाते धर्म और भावना के बारे में गर्व करते हैं। ऐसा मैंने कहा तो सांप्रदायिक बना। मेरी दृष्टि से यह गलत धर्म निर्पेक्षतावाद है और इसको बदलने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से स्वतन्त्र भारत का जो पहले विचार हुआ था, वह चालीस साल में बाजू में रह गया और हम एक दूसरे रास्ते पर भटक गए। अगर देश में पुनर्निर्माण करना है तो सोमनाथ जैसी भावना निर्माण होनी चाहिए इसलिए सोमनाथ से यात्रा आरम्भ हुई है। जब आडवाणी जी की यात्रा आरम्भ हुई तो कुल लोग प्रो० आफ डूम कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दंगा हो जायेगा। (व्यवधान) अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत में कोई गड़बड़ नहीं हुई और सारे गुजरात से यात्रा शांति से निकली। जब मुम्बई में आ गए तो लोग कहने लगे कि मुम्बई इतना बड़ा है और कुछ गड़बड़ हो जायेगी। मुम्बई शहर में आडवाणी जी की यात्रा का काफी स्वागत हुआ। पुणे, ठाणे और पूरा महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में गए तो कोई गड़बड़ नहीं हुई और बहुत अच्छी तरह स्वागत हुआ। इस बात को कहना कि आडवाणी जी यात्रा कर रहे हैं और गड़बड़ होगी तो यह गड़बड़ आपके दिमाग में है। आडवाणी जी की यात्रा को भूत या सांप कहकर रस्सी को मार रहे हैं। आडवाणी जी की यात्रा के कारण कोई गड़बड़ नहीं होती है। समाज के सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं।

मेरे क्षेत्र में मस्जिद के जो मुल्ला हैं वे प्रेम से स्वागत करने के लिए आए थे···(व्यवधान) इस तरह का स्वागत हो रहा है। यह भाव है सारे देश में कि राम हमारे राष्ट्र का महापुरुष है तो तब जाकर देश में चेतना होगी।

उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के व्यान बार-बार आ रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं और माननीय गृह मन्त्री जी को कहूंगा कि मुलायम सिंह जी को संयम बतायें। वह क्या कह रहे हैं हिन्दुस्तान टाइम्स से पढ़ रहा हूं :

[अनुवाद]

"मुख्य मन्त्री ने कहा कि जो लोग आज हिंदू धर्म या हिंदुवाद की बात करते हैं, वे वास्तव में मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और बजरंग दल के नाम पर नाचते हैं।"

[हिन्दी]

···(व्यवधान) आपका इरादा दंगा करने का है और आप गलत कह रहे हैं।

आप यदि हिन्दू धर्म के बारे में ऐसी बात करेंगे तो आपको यह शोभा नहीं देगा। ऐसी बात इस सभाग्रह में मजाक के तौर पर भी नहीं करनी चाहिए। हमारे मुम्बई में 2 अक्तूबर तक शांति थी, मुलायम सिंह जी वहां गये, मेरे पास फोटो भी है, पैगम्बर जी का जुलूस बड़ी शान से निकाला गया, हजारों लोग आए थे और उन्होंने मुलायम सिंह का भाषण सुना और जिस प्रकार का उन्होंने भाषण दिया उसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जो लोग वापस जा रहे थे भाषण सुनने के बाद उनको भड़काया गया और लोगों ने वहां पर उत्तेजक नारे लगाए।

मैं इसमें लोगों को दोषी नहीं मानता हूं, यह काम नेताओं का है जिनके द्वारा ऐसे नारे लगाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्या नारे लगाए गए कि जाते समय कि—"जो हमसे टकराएगा

मिट्टी में मिल जावेगा, जो अयोध्या जायेंगे लोटकर नहीं आयेंगे", दूसरा नारा था—"बाबरी मस्जिद तो क्या सोमनाथ भी लेकर रहेंगे।" इस प्रकार के नारे मुलायम सिंह जी के भाषण के बाद लगाए गए और जाते समय लोगों ने पत्थर फेंके। वहां पर फायरिंग भी हुई। मेरा आपसे आग्रह है कि कौमी एकता पर सब लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से सुभाषिनी अली जी ने अपने भाषण की शुरूआत अच्छे ढंग से की कि मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगी लेकिन भाषण समाप्ति पर वह कह गई कि आडवाणी जी की रथ यात्रा में—"एक दो, एक दो बाबरी मस्जिद को तोड़ दो", ऐसे नारे लगाए गए। ऐसी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। हम सबका राम पर विश्वास है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : ऐसा है, कल जो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था उसमें आडवाणी जी की रथ यात्रा के बारे में लेख आया था, मैंने उनकी प्रशंसा करने के लिए यह बात कही कि वहां पर जब यह नारा लगा तो आडवाणी जी ने खुद लोगों से निवेदन किया कि यह नारा आप मत लगायें।

श्री राम नाईक : आडवाणी जी की स्तुति करते-करते जो लोग वहां पर थे उनको बदनाम करने का यह तरीका है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : मैं वहां पर नहीं थी, लेकिन जो पेपर में रिपोर्ट आई है वह यह आई है कि यह नारा वहां लगा तो आडवाणी जी ने स्वयं लोगों से निवेदन किया कि इस नारे को मत लगाओ। मुझे इस बात से बड़ी उम्मीद लगी है कि जब आडवाणी जी···(व्यवधान)···ने ऐसा कहा। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने आडवाणी जी की प्रशंसा की।

श्री राम नाईक : आडवाणी जी के साथ जो हजारों लोग हैं उनको बदनाम करने का यह तरीका है। आप ऐसा खिलवाड़ न करें। सचमुच में राम इस देश को जोड़ने की शक्ति है उस शक्ति का उपयोग सारा समाज करे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य लाना है। ऐसे तत्व हम उसमें से लें और इससे देश को एक नई दिशा दें और एक सामंजस्य बनाने की बुद्धि से हमें प्रयास करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा। लेकिन राम के नाम को लेकर, अयोध्या के राम मन्दिर को बदनाम करने का कोई प्रयत्न करेगा तो देश माफ नहीं करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

8.00 म० प०

[अनुवाद]

*श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : माननीय सभापति महोदय, जब हम देश में सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देने से पहले, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम संसद के सदस्य के रूप में दूसरे सदस्यों के विचार धैर्य और सहिष्णुता के साथ सुनें।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मुझे उन ऐतिहासिक वर्षों की याद आ रही है जब महात्मा गांधी लोगों को सम्बोधित करने से पहले 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान' का गान किया करते थे। परन्तु इस 1990 के वर्ष में, महात्मा गांधी के इस भजन द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों को एक करने के प्रयत्नों के बावजूद, हम सांप्रदायिकता के प्रभाव में आपस में बंटकर लड़ रहे हैं और देश में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं पर इस सदन में चर्चा करने के लिए बाध्य हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो मन्त्री महोदय को उन्हें सुनना चाहिए। वह अपना 'हैडफोन' प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे हमारे भाषणों की ओर कितना कम ध्यान देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहां पर कोई औपचारिकता निभा रहे हैं। कृपया आप भाषणों को समझिए। अपना हैडफोन प्रयोग कीजिए। वास्तव में गृहमन्त्री को सदस्यों की बात सुननी चाहिए। परन्तु वह गप्पें हांक रहे हैं। यह बड़े अपमान की बात है। क्या वह भाषण समझ रहे हैं ? (व्यवधान)

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं सुन रहा हूं।

श्री ए० के० राय : मैं नहीं जानता आप कौन से मन्त्री हैं। आप जल-भूतल परिवहन मन्त्री हैं। परन्तु, वास्तव में मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री भाषण को सुनें···(व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : भाषण सुनना भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। वह भाषण समझ रहे हैं···(व्यवधान)

***श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन** : हम महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा को भूल नहीं सकते। जब उप-महाद्वीप भारत और पकिस्तान में विभाजित हो गया था, तो महात्मा गांधी ने यह यात्रा की थी। यहां तक कि आओ-त्से-तुंग ने भी चीन में ऐसी यात्रा की थी। क्योंकि बहुत से सदस्य यहां हिन्दी में बोलते हैं। इसलिए मैं भी यहां अपनी मातृभाषा तमिल में बोलने में गर्व अनुभव करता हूं।

महोदय, ये यात्रायें उन महान व्यक्तियों ने कीं, जो भारत का निर्माण करना चाहते थे। आज विज्ञान तथा विकास के इस आधुनिक युग में, जबकि आदमी चांद पर पहुंच चुका है, कुछ लोग रूढ़िवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के मत पाकर यहां बैठे है। इसलिए, हमें ऐसी यात्राएं, जो कि लोगों के हितों के विरुद्ध हों निकालने से पहले कई बार सोचना चाहिए। मुझे बताइए, इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था ? इससे किसे लाभ होगा ?

महोदय, शान्तिपूर्ण क्रान्ति तथा अहिंसक सत्याग्रहों का अभी भी दुनिया भर के लोग सम्मान करते हैं। परन्तु, यह देश जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, लहू-लुहान है। उत्तर प्रदेश में 400 निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं। जो सदस्य मुझसे पहले बोले हैं। उन्होंने यह बताया है।

माननीय नेता राजीव जी यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता श्री एल० के० आडवाणी भी एक यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह वह समय है जब कई लाख भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। वहां पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है और हमारे बहुत से लोग वहां पर भुखमरी के कगार पर हैं। पंजाब, काश्मीर और असम में हिंसा हो रही है। फिर यह यात्रा किस

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उद्देश्य के लिए हो रही है ? राम जन्म भूमि के लिए ? राम कहां पर हैं ? क्या वह हमारे हृदयों में नहीं हैं। अल्लाह हमारे हृदयों में है। ईसा हमारे हृदयों में है। एक सदस्य ने बड़े ओरदार तरीके से धर्म निर्पेक्षता के बारे में भाषण दिया। उन्होंने इसे नई परिभाषा देने का प्रयास किया। मैंने इसे बड़े ध्यान से सुना। आप तमिलनाडु आईए। नागौर में एक दरगाह है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी इस दरगाह पर जा कर प्रार्थना करते हैं। वहां पर एक 'वेलवन्नी टैम्पल, गिरजाघर भी हैं। हिन्दू, ईसाई, तथा मुसलमान सभी अपनी धर्मनिष्ठा की ओर ध्यान न देकर इस गिरजाघर में 'मेरी माता' की पूजा करते हैं।

*श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : महोदय, माननीय सदस्य अपनी मातृभाषा तमिल में बोल रहे हैं। वह बड़े स्पष्ट तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा तमिल में बोल रहे हैं। इस देश में जो हो रहा है, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं उड़िया में बोलूं, तो मैं भी भाषण दे सकता हूं। महोदय क्या मुझे अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलने की अनुमति है ?

**श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : हम इस उच्चतम मंच से राष्ट्र को सम्बोधित कर रहे हैं। राम की ही भांति शिवजी भी हमारे प्रमुख उपास्य हैं। भगवान शिव कहां हैं ? वह कैलाश पर्वत पर हैं। वह कहां पर है ? क्या आप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं ? इसलिए वास्तविकता यह है कि अपना हृदय टटोलिए वहां पर आपको भगवान राम, शिव, तथा दूसरे देवता मिल जायेंगे।

इसलिए बड़े अपमान की भावना के साथ मैं उस तरीके पर खेद व्यक्त करना चाहता हूं जिसके द्वारा हम धार्मिक मामलों पर आपसी झगड़े भड़का रहे हैं। हमें अभी ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, जो धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द की भावनाओं के अनुरूप विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक जुट कर सके।

महोदय, समाचार पत्रों से हमें पता चला है कि दिल्ली के ईमाम तथा कांची कामाकोटी के शंकराचार्य ने रामजन्म भूमि मुद्दे को निपटाने का निश्चय किया है हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर उनके प्रयत्नों का स्वागत करना चाहिए। राजनैतिक नेताओं के रूप में हमें धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। अन्यथा, यह देश विकास की बजाय विनाश की ओर जाएगा।

हिन्दुत्व एक सामाजिक घटक है। इसका आविर्भाव प्राकृतिक रूप में हुआ इसका न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह मिट्टी और हवा की भाँति प्राकृतिक है। इसलिए, हिन्दुत्व की रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। इसीलिए, हिन्दुत्व की रक्षा के नाम पर किसी को रथ-यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं।

* मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

** मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, अभी तक साम्प्रदायिक हिंसा मुख्यत: उत्तर क्षेत्र तक ही सीमित है। परन्तु ऐसी शंका की जाती है कि यह हिंसा दक्षिण में भी फैलेगी। पतली मक्कल काच्छी (पी० ए० के०) नेता डा० रामदास ने कांग्रेस तथा ए० आई० ए० डी० एम० के० के संसद सदस्यों तथा तमिलनाडु के विधान सभा सदस्यों का मंडल आयोग का विरोध करने के लिए घेराव करने का आह्वान किया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमने मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया है तथा इसका समर्थन करते रहेंगे और इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। डा० रामदास की यह धमकी मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि जो जिनकी सरकार राष्ट्रीय सरकार की समर्थक है। सस्ते राजनैतिक लाभ प्राप्त करने की एक चाल है। 6 अक्तूबर को एक रैली हो रही है। उन्होंने आर्य लोगों को भारत छोड़ने का आह्वान किया है। इस आह्वान के क्या गंभीर परिणाम होंगे? वे लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। तमिलनाडु जो कि कांग्रेस तथा अन्ना के समय से काफी शान्त राज्य रहा है, आपके सहयोगी करुणानिधि के नेतृत्व में धीरे-धीरे सांप्रदायिक तनाव के घेरे में आ रहा है।

अन्त में मैं यह दुहराना चाहता हूं कि चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हूं, मैं उसके प्रति पूर्णत: सत्य निष्ठ हूं और मैं उसकी ओर से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं हूं। यह भगवान का कार्य है। वह धर्म की रक्षा करेंगे। मेरा प्रयास शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए विभिन्न धर्मों के बीच अंतर को समाप्त करने का रहेगा। केवल इसी से हमारे बीच सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की सारी परिस्थितियों को समझ-बूझकर संविधान में कुछ मूल मंत्र लिखे थे, प्रावधान किये थे जिनको प्रजातन्त्र कहा जाता है, जिनको धर्म-निरपेक्षता कहा जाता है और जिनको समाजवाद कहा जाता है। सारे देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, देश में प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए, देश में धर्म-निरपेक्षता को मजबूत करने के लिए, देश में समाजवाद को मजबूत करने के लिए कुछ संकल्प लिए थे। क्योंकि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जैसा हमारा देश, विभिन्न संस्कृति और संस्कारों का देश है, उस सन्दर्भ में, धर्मनिर्पेक्षता का लिखा जाना, बड़ा आवश्यक है और जहां आज हम अपने देश में प्रजातन्त्र को मजबूत करके, धर्म-निर्पेक्षता को मजबूत करके, समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम प्रजातन्त्र के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे देश में प्रजातन्त्र रहेगा या नहीं। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के लोग इस पर पार्लियामेण्ट में बहस कर रहे हैं कि इस देश में धर्म-निर्पेक्षता रहेगी या नहीं, समाजवाद तो दूर की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में प्रजातन्त्र मजबूत नहीं होगा, जब तक इस देश में धर्म-निर्पेक्षता मजबूत नहीं होगी, तब तक इस देश में समाजवाद मजबूत नहीं होगा, लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश की राजनीतिक ताकत, आज देश की आर्थिक ताकत, आज देश की सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत, उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनका न तो प्रजातन्त्र में विश्वास है, न धर्म-निर्पेक्षता और समाजवाद में विश्वास है और वे लोग आज सारे देश में उपद्रव का वातावरण तैयार कर रहे हैं। जब देश का गरीब किसान मजदूर, कमाने वाला, अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान और सम्मान के लिए आगे बढ़कर के यह सोच रहा है कि हमें भी आजादी में कुछ हिस्सा मिले, तो ये सारी ताकतें देश में ऐसा वातावरण पैदा कर रही हैं जिससे उन समस्याओं से समाज का मन हट जाए।

सभापति महोदय, आज जब मण्डल कमीशन के बारे में, सामाजिक परिवर्तन की बात को लेकर पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि पिछड़ों को, गरीबों को, शोषितों को, और पीड़ितों को अधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसे समय में देश में आत्म-दाह की प्रवृत्ति चलाई जा रही है, आंदोलन चलाए जा रहे हैं और रथ-यात्रायें निकाली जा रही हैं तथा सद्भावना यात्रायें कराई जा रही हैं। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है ताकि इस देश का गरीब, किसान, मजदूर कमाने वाला अपनी नैतिक और सामाजिक अधिकार की चेतना न पा सके और दूसरी तरफ अपना मुख मोड़ ले, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश में अब गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और कमाने वाले के बेटे के बीच में राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं विशेषकर के उस इलाके से आया हूं जो अयोध्या से लगा हुआ है। गोंडा मेरी कांस्टीट्यूएंसी से लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि वहां क्या स्थिति है। अयोध्या, फैजाबाद, आजमगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। यह झगड़ा बाहर से पैदा किया जा रहा है। वहां की दीवारों पर ये नारे लिखे हुए है—

"हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान, कहां से आए मुसलमान।
मारो इनकी जान, नहीं तो भेजो पाकिस्तान॥"

यह भी लिखा हुआ है—

"बाबर के सन्तानों को एक धक्का और दो"

यह भी लिखा हुआ है—

"बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की"

यह कौन लिख रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि ये उग्रवादी हैं। हमारे भाई अविन्दर पाल जी को कहा जाता है कि ये उग्रवादी हैं, हमारे कश्मीर के लोगों को कहा जाता है कि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि भाई अविन्दर पाल से इस देश को इतना खतरा नहीं है, कश्मीर के उग्रवादियों से इस देश को इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो देश में यह लिख रहे हैं—

"हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान, कहां से आए मुसलमान।
मारो इनकी जान, नहीं तो भेजो पाकिस्तान॥"

और

"गर्व से कहो हम हिन्दू हैं"

इन लोगों से देश को ज्यादा खतरा है। मैं जानता हूं और मैं इनको चुनौती भी देना चाहता हूं। जिस इलाके से मैं आया हूं वहां पर जगदगुरू शंकराचार्य गिरफ्तार हुए थे। वह स्थान जहां वे गिरफ्तार हुए वह फूलपुर है जहां मेरा घर पड़ता है। इन लोगों को घमण्ड शायद रहा होगा कि शंकराचार्य जी के गिरफ्तार होने से उपद्रव मच जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं—जब शंकराचार्य गिरफ्तार हुए, तो उनके पीछे एक भी चलने को तैयार नहीं हुआ और जो लोग थे, वे सब भाग गए। उस धरती को हमने धर्म-निर्पेक्षता के आधार पर सींचा है। वहां के लोग धर्म-निर्पेक्षता में विश्वास करते हैं। जिस समय शंकराचार्य गिरफ्तार हुए कोई उनके पीछे नहीं था इसी से वहां की धर्मनिर्पेक्ष जनता का पता लग जाता है।

[श्री राम कृष्ण यादव]

सभापति महोदय, आडवाणी जी, जो रथ-यात्रा कर रहे हैं उसे मैं अश्वमेध यज्ञ की परिभाषा देता हूं। यह जो अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, इससे वहां के समाज को भड़काया नहीं जा सकेगा। वहां की धरती बहुत ही धर्म-निरपेक्ष है। अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच और गोंडा आदि ऐसी जगह हैं जहां की जनता को कोई भड़का नहीं सकता है अगर वहां कोई बाहरी हस्तक्षेप न किया जाए। मैं कहना चाहता हूं ऐसे वातावरण में जब देश की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान और इज्जत की जरूरत है, जब देश को एक महान राष्ट्र बनाने की जरूरत है।

ऐसे समय में हम धर्म के बारे में, धार्मिक उन्माद के बारे में और ऐसी बातों में बहस न करें, यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज धार्मिक ताकतें जो देश में खड़ी हुई हैं हमारी सच्चाई है हम पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में जो कहते हैं वे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं। या तो कह दें हम हिन्दू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, गांव-गांव में हिन्दू धर्म का नारा लगाए हुए हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी है तो ओ आप पार्लियामेंट में कहते हैं वही बाहर कहना चाहिए। खाली नारे जो आप लगा रहे हैं इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि आप सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी बनते हैं, राष्ट्र को बनाने के लिए सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, मन्दिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की, इस देश का हर नागरिक राष्ट्र को बनाने में लगा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी ताकतें तो हिन्दुस्तान में धर्म-निरपेक्षता को पीछे धकेलना चाहती हैं, प्रजातन्त्र को पीछे धकेलना चाहती हैं, समाजवाद को पीछे धकेलना चाहती हैं, यह चाहे पार्टी के रूप में हो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वह देश के द्रोही हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ वातावरण बनाना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं राजनीतिक नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए, धर्म-निरपेक्षता को मजबूत करने के लिए, समाजवाद को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हों, तभी देश में एक भावना पैदा होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : अत्यन्त दुख और वेदना से हम देश की सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पहले ही मुख्य मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। यह एक गंभीर विषय है।

तीन दिन पहले 2 अक्तूबर, 1990 को गांधी जयन्ती और उस दिन देश की राजधानी में क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। यह अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी का देश है। हर रोज देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक तनाव, आगजनी और अन्य घटनाओं के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जैसाकि मेरे मित्रों ने कहा कि जब हम देश की स्वतन्त्रता मना रहे थे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां नहीं थे। वह दुबले-पतले वृद्ध व्यक्ति नोआखली में नंगे पांव घूमते हुए उन पुरुषों और महिलाओं से मिल रहे थे जिन्हें सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा और जख्मी हो गये थे।

हमारे लिए यह शर्मनाक बात है कि स्वतन्त्रता के चार दशक बाद भी हमारे देश में बार-बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। भगतजी, सहित हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने बताया है कि गोंडा जिले में क्या हुआ और उन्होंने क्या-क्या देखा। इस क्षेत्र के तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरे विचार से भारत के

अधिकांश सम्प्रदाय हिंदू और मुसलमान दोनों सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। वह शान्ति से रहना चाहते हैं। इन समुदायों का छोटा-सा वर्ग इस सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए उत्तरदायी है। हम सभी किसी न किसी उत्तरदायी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं और हम सभी संसद के सदस्य हैं। जब हम इस मामले पर विचार करें तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि राजनीतिक दलों का कुछ दायित्व है। इस सदन में जब भी इस मामले पर चर्चा हुई तो मुझे याद है कि अनेक विद्वान सहयोगियों ने राजनीतिक दलों की आचार संहिता के बारे में कहा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिक भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं और उनके इसी रवैये के कारण आज यह स्थिति पैदा हो गई है। आप इसे जानते हैं और मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

हम इस सभा में और सभा के बाहर राजनीति के साथ धर्म को मिलाने की चर्चा करते हैं। लेकिन अब यह हो रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों की गतिविधियों का आधार केवल धर्म है। यह एक खतरनाक स्थिति है। मैं नहीं समझता कि यह केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या है। लोगों की भागेदारी भी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को शान्ति के लिए प्रयास करने चाहिए और लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। यह किसका दायित्व है? मेरे विचार से राजनीतिक दल इस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। सभी जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है गरीब व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं। यदि आप गोंडा जिले अथवा अन्य किसी स्थान की घटनाएं देखें तो आप पाएंगे कि केवल गरीब व्यक्ति ही प्रभावित होता है न कि अमीर व्यक्ति। जो लोग इसे भड़काते हैं वह इससे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार इन व्यक्तियों का इन सांप्रदायिक ताकतों द्वारा अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

कुछ माननीय मित्रों ने प्रादेशिक सशस्त्र बल के बारे में भी चिंता प्रकट की है। इस प्रकार के दंगों में प्रादेशिक सशस्त्र बल के व्यवहार की आलोचना की गई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इस सरकार और पिछली सरकार ने ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों में प्रादेशिक सशस्त्र बल के आचरण की गंभीरता से जांच नहीं की। सभा के अन्दर और बाहर 15 सूत्री कार्यक्रम की बात कही गई है। लेकिन आज जब हम इस सभा में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। हमने इन मुद्दों को भुला दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों में उल्लिखित कदम उठाने चाहिए और सरकार को यह 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहिए।

हमने इस सदन में बहुत बार पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों का पुनर्गठन करने की बात की है। मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि इस देश में पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों की रचना से समाज की सही तस्वीर नहीं उभरती है। विभिन्न समुदायों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का इनमें प्रतिनिधित्व कम है और इस मुद्दे पर इस सभा में जब भी चर्चा हुई सभी इससे सहमत थे। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशें पुलिस, सशस्त्र बलों और सेना पर लागू नहीं होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन विभागों में भी मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम का यह एक मुख्य मुद्दा है।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अनेक मित्रों ने अनेक बातें कहीं हैं। कृपया इन्हें अनदेखा नहीं कीजिए। जब आप तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान से देखेंगे तभी आप कुछ कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर): सभापति महोदय, मैं उन सभी समस्याओं के बारे में

[श्री नानी भट्टाचार्य]

बोलूंगा जिन पर इस सभा के अन्य सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि अनेक राज्यों में निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, सार्वजनिक संपत्ति और निर्धन व्यक्तियों के घरों को नुकसान हुआ है जिसके कारण आम आदमी को काफी हानि हुई है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और विघटनकारी तथा रूढ़िवादी ताकतें स्थिति का फायदा उठाकर समस्या को और गंभीर बना रही हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि सबसे प्रमुख समस्या राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद की है। हमें क्या करना होगा ? यह एक मुख्य समस्या है। हमें कोई दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाना चाहिए और साथ ही यह देखना चाहिए कि सांप्रदायिक समस्या और गंभीर न हो तथा किसी भी प्रकार से बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि मुद्दे का समाधान हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो निःसंदेह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, दिल्ली तथा अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में और खून-खराबा होगा। हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे नाजुक स्थिति में समस्याएं उत्पन्न हों। मैंने 1946 में कलकत्ता में दंगे देखे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद दक्षिणपंथियों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की विभाजक राजनीति में योगदान दिया।

उन मुद्दों पर मैं विस्तार से चर्चा करने नहीं जा रहा हूं लेकिन सांप्रदायिक हिंसा से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला बल्कि इससे देश खंडित होता है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार और माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि संचार माध्यमों का उपयोग कर वे लोगों को यह बताएं कि सांप्रदायिक माहौल आम लोगों के हितों राष्ट्र एकता के लिये तथा उससे जुड़ी समस्याओं के लिए लाभदायक नहीं है। संविधान में समाहित किये धर्म-निरपेक्ष और समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर लोगों को एकजुट करने के लिए सभी प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक वातावरण के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देता हूं।

जो लोग धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे सांप्रदायिक, विघटनकारी और विनाशकारी शक्तियों का पता लगाएं और उन्हें जनता से अलग करे ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकें। मैं अपने मित्रों और विशेषकर लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री आडवाणी का चाहे अच्छा उद्देश्य हो हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उनकी इस रथ यात्रा ने सांप्रदायिक भावनाओं को उन सभी क्षेत्रों में भड़काया है जहां से भी यह गुजरी है। भागलपुर में राम शिला पूजन के जुलूस का परिणाम मैं जानता हूं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। इसलिए इस रथ यात्रा का उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथी से नहीं भी जुड़ा हो सकता है लेकिन उनके उद्देश्य को लोग नहीं समझ रहे हैं और इसे सांप्रदायिक कार्य मानते हुए नारे लगाये जा रहे हैं जैसाकि हमारे सहयोगी अली ने कहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे यह घोषणा कर दें कि उन्हें विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल या किसी भी अन्य धार्मिक संस्थाओं से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि वे धर्म-निरपेक्ष नीति के साथ हैं और उन्हें उसी तरह आचरण करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है हम केवल 86 लोग हैं और हम दो बोले हैं। कोई सीमा का निर्धारण है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभी दलों को बोलने का अवसर दे रहा हूं। आपके दल के दो सदस्य बोल चुके हैं। पहले मुझे सभी दलों को बोलने का अवसर देना है। उसके बाद मैं आपको भी अवसर दूंगा। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि केवल हम 86 लोग हैं और उनमें से दो बोले हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर देने से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं सभी को बुला रहा हूं। प्राय: नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के दौरान सभी दलों को बोलने का अवसर दिया जाता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। आपके दल के सदस्य बोल चुके हैं। जनता दल से भी दो सदस्य बोले हैं। हम सभी दलों को अवसर देना है। यदि आपकी इतनी ही रूचि है तो इसके हम आपको बोलने का अवसर देंगे। (व्यवधान) मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) इस तरह से नहीं हो सकता (व्यवधान)। पहले हमें छोटे दलों की बात भी सुनना है। तब उसके बाद हम आपको अवसर देंगे। पहले एक या दो दौर इस तरह चलेगा। तब हम अन्य सभी ग्रुपों को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मेरे विचार से इस समय संसद में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। आज सांप्रदायिकता देश की एकता, अखंडता और मैं यहां तक कह सकता हूं कि स्वतन्त्रता को भी गंभीर खतरा है। इसलिए मेरा यह विचार है कि देश में सांप्रदायिकता के फैलने के कारणों का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस समस्या के विश्लेषण के लिए मेरे पास समय नहीं है। परन्तु, मैं एक दो बातों का निश्चित रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जिन पर मेरे विचार से सभा विचार करेगी।

देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बिगाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को तत्काल ररोका जाना चाहिए। यदि इसको नहीं रोका गया तो मेरे विचार से देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और हम भारत को बैठेंगे जिसके लिए हमने संघर्ष किया है और जिसका हम आज भी स्वप्न देखते हैं।

हमारी राष्ट्रीयता का मूल आधार धर्म निरपेक्षता है, यदि हम वास्तव में इसे बनाये रखना चाहते हैं तो धर्म निरपेक्षता का पालन करना जरूरी है। यह हमारे देश और इतिहास का मूल दर्शन है। यह हमारी संस्कृति का मूलाधार है। मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह नकली है। मैं नहीं जानता कि नकली धर्म निरपेक्ष का वास्तव में क्या अर्थ है। धर्म निरपेक्षता एक है। यह परिभाषित है। मेरे विचार से हमारे बी० जे० पी० के मित्र इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। हम सुनते हैं कि सबसे बड़ा खतरा अल्पसंख्यकता का है। अल्पसंख्यकों की कुछ आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं और उनमें अपने अधिकारों के प्रति थोड़ी बहुत सजगता है। परन्तु यह सरकार अल्पमत सरकार जो

[श्री चित्त बसु]

देश में सांप्रदायिक वैर-भाव बढ़ा रही है। वे यह भी कहते है कि यह अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति है जिसके कारण सांप्रदायिकता में वृद्धि हो गई है। मेरे विचार से यह सोचने की बात नहीं है। अल्पसंख्यक-अल्पसंख्यक हैं। यदि हम भारत को सभ्य और संगठित रखना चाहते हैं तो बहुसंख्यक समुदाय की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनको सुरक्षा तथा पहचान मुहैया कराये। उनके अनुसार जब मैं अल्पसंख्यकों के पक्ष में बात करता हूं या जब मैं धर्म-निरपेक्षता के पक्ष मे बात करता हूं, तो वे धर्म निरपेक्षता को अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक हथियार मानते हैं। यह एक बहुत ही संकीर्ण स्पष्टीकरण है और एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। इस अल्पसंख्यकता की धारणा से या अल्पसंख्यकों को खुश करने की धारणा से टकराव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। यही सबसे बड़ा खतरा है, आज सभा को इस बड़े खतरे पर विचार करना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की यह धारणा है कि धर्म निरपेक्षता को अल्पसंख्यकों विशेषतया मुसलमानों को संरक्षण देने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि मैं कह रहा था एक दर्शनिक की अभिलाषा को विकृत कर दिया गया है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी समझ कितनी संकीर्ण है, यह इस बात की परिचालक है। मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति के कारण हमारा देश अनेक भागों में बंट जायेगा। मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि वे वास्तव में भारत को अखण्डित, गौरवशाली, समृद्ध और सशक्त रूप में देखना चाहते हैं, तो उनको उस सम्बन्ध में अपनी धारणा बदलनी चाहिए

कुछ बातें रथ यात्रा के बारे में कही गई हैं। मैं श्री आडवाणी को उद्धृत करता हूं। वह इस सदन के माननीय सदस्य हैं और विशेषतया मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूं जिससे कि सभा इस रथ यात्रा का उद्देश्य समझ सके। यह राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के बारे में है। आपकी अनुमति से मैं उद्धृत करता हूं। महोदय: "न्यायालय स्वामित्व, अनाधिकार प्रवेश, कब्जा करने आदि के मामलों को सुलझा सकती है। लेकिन, यह निर्णय नहीं दिया जा सकता कि क्या बाबर ने वास्तव में अयोध्या पर आक्रमण किया था, मन्दिर गिराया था और उसके स्थान पर मस्जिद बनायी थी।" वह आगे कहते हैं यदि न्यायालय ऐसे तथ्यों पर निर्णय दे भी देता है, तो यह इतिहास में हुए कलाविच्छेद को सही नहीं कर सकता। इस प्रकार की समस्या को आपस में मिल बैठकर विवादास्पद पार्टियों द्वारा या सरकार द्वारा या किसी कानून द्वारा सुलझाया जा सकता है लेकिन, मुकदमे बाजी द्वारा सुलझाया जा सकता।" महोदय, मुझे स्पष्ट करने का समय नहीं दिया गया लेकिन, इस बारे में मेरी टिप्पणी यह है यह एक ऐसा विरोधी विषय है जिस पर केवल व्यर्थ का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वह महसूस करते हैं कि इसे आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ठीक है, वह इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन, शर्त यह है कि इसे हिन्दुओं को सौंप दिया जाना चाहिए और वार्या के लिए एक पूर्व शर्त होगी। क्या यह एक समझौता है? क्या यह एक समझौते की भावना है। लेकिन, ऐसा कुछ नहीं है बल्कि किसी एक विशेष समुदाय को, हमारे समाज के एक हिस्से को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करना है, जिसको वे सही और जरूरी समझते हैं। इसलिए, यह परस्पर-विरोध की बात है वह कहते है सरकार निर्णय ले सकती है जी हां, सोमनाथ का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन, वे भूल गये हैं कि अयोध्या और सोमनाथ का विवाद एक जैसा नहीं है। यह एक जैसा पहलू नहीं है, इतिहास की वही अवधारणा नहीं है। सोमनाथ के मामले पर कोई विवाद नहीं था। ठीक या गलत परन्तु श्री नायक इस पर विवाद है। मैं यह नहीं कह रहा हूं यह ठीक है या गलत है। सोमनाथ के मामले पर, सोमनाथ मन्दिर के निर्माण के मसले पर, कोई विवाद नहीं

था। सौभाग्य या दुर्भाग्य से यह एक विवाद का विषय है। अगर यह एक विवाद है, तो मुकदमे द्वारा न्यायालय का निर्णय ही एकमात्र रास्ता है। प्रत्येक देशवासी यह स्वीकार करता है कि यदि आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, तो न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। मुसलमानों के सभी नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे न्यायालय का फैसला मानने के लिए तैयार रहे और आपकी अपनी विश्व हिन्दू परिषद जिसमें बजरंग दल है, आर० एस० एस० है जिनको बी० जे० पी० का समर्थन भी प्राप्त है, कहती है: "जी नहीं, न्यायिक निर्णय इसमें लागू नहीं होता।" क्या इसका अभिप्राय यह है कि आप इसमें विश्वास नहीं करते कि न्याय पालिका हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण संस्था या अंग है।

महोदय, अन्तिम मुद्दा सरकार के बारे में है। यदि सरकार को इस पर निर्णय देने के लिए कहा जाता है, तो यदि सरकार हिन्दू पक्ष में है, तो निर्णय हिन्दू पक्ष में होगा लेकिन, अगर सरकार मुसलमानों के पक्ष में है, तो निर्णय मुसलमानों के पक्ष में होगा। इसलिए, अन्ततः सरकार इस प्रकार के मसले पर निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए, पहले वह कहते हैं कि यह मामला आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है, फिर वे कहते हैं कानून द्वारा और फिर सरकार द्वारा लेकिन, न्यायपालिका द्वारा नहीं। महोदय, यह उनकी समझ की ओछी बात है। मैं महसूस करता हूं कि यह उचित नहीं है, इसे लोकतन्त्र वादियों द्वारा न्यायिक विचारों वाले लोगों द्वारा और देश की एकता और अखण्डता में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा स्वीकार नहीं है। मैं उनसे अपील करता हूं कि उन्हें अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए और देश को विघटन से बचाना चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी): सभापति महोदय, बहुत ही दुःख और व्यथा के साथ मैं सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि हमारे देश का क्या होगा। मुझे लगता है कि आज दुर्भाग्यवश भारत के लोग मानवता की भावना खो चुके है। आज प्रेम और सहानुभूति की भावना, सहनशीलता और विश्वास की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और दुर्भाग्यवश आज वे जानवरों से भी बदतर हो गये है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आज हम सिर्फ लूट-मार और लोगों की हत्यायें कर रहे हैं बल्कि इसके साथ ही हम छोटे बच्चों और औरतों को भी इस आग में झोंक रहे हैं, उनकी भी हत्यायें की जा रही हैं। इस देश में यह सब हुआ है। मैं आपको बतलाऊंगा कि अल्पसंख्यकों में कितनी असुरक्षा की भावना है। वे सब अपमान की भावना के साथ रह रहे है और यह बात आज उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि, विगत 43 वर्षों से, स्वतन्त्रता के समय से ही वे इस प्रकार से रह रहे हैं।

गोंडा में कल जो हुआ है, मैं सिर्फ उसकी ही चर्चा करने नहीं जा रहा हूं बल्कि त्रासदी यह है कि विगत 43 वर्षों से इस देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सबसे खराब दंगे दिल्ली में हुए थे और लोग सब भूल गए इसके बाद भागलपुर में दंगों के कारण जो नरसंहार हुआ, उसने नेल्ली की घटना को भी भुला दिया गया। हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं: वे लोग कहां हैं? क्या देश की अखंडता को बचाये रखने वाली शक्तियां अभी भी हैं जो कि आक्रमणकारी ताकतों को रोक सकती हैं और देश की अखंडता की रक्षा कर सकती है तथा देश में सांप्रदायिक सदभावना बनाये रख सकती है? जी नहीं। यहां आन्दोलन हो रहे हैं, रथ यात्रायें निकाली जा रही है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? यह बात समझिए कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। इसका उद्देश्य मस्जिद को ध्वस करना और मन्दिर का निर्माण करना है। वे चाहें कुछ भी कहें, चाहें वे इसके इन्कार करें, उनका उद्देश्य यही है। वे ऐसा कर रहे है—वे बात-चीत के लिए तैयार नहीं हैं, वे न्यायिक निर्णय

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ]

को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं 'जो कुछ भी हो' यह उनकी घोषणा है। उनकी घोषणा है 'चाहे जो भी हो हम मस्जिद को ध्वंस कर मन्दिर का निर्माण करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर बात-चीत करना स्वीकार नहीं किया वे कहते हैं कि मन्दिर के निर्माण के मुद्दे पर बात-चीत नहीं की जा सकती इसका परिणाम क्या होगा ? इसका परिणाम विनाश है इससे अधिक कुछ नहीं है आपको यह समझना चाहिए। यदि अभी भी थोड़ी बहुत समझ बाकी रह गयी हो और यदि इसकी इच्छा हो तो हम साथ बैठ कर शांति पूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन, जब एक पक्ष इस पर अड़ा हुआ है तो समस्या का निदान किस प्रकार से हो सकता है ? कोई कहता है कि हम नारे लगाते हैं और वह अनुचित है। लेकिन, वे कहते है :

"हिन्दी हिन्दू हिन्दूस्तान
भागो भागो पाकिस्तान"

मुझे यह कहने दीजिए कि उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों लोग यह नारे लगाते हैं कि मुसलमान जाति के लोग यहां नहीं रह सकते। हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे यह हमारा भी देश है। हमने इस देश के लिए खून बहाया है। हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए। इस देश की स्थिति दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें दिन प्रति दिन शक्तिशाली होती जा रही हैं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि वे ताकतें कौन हैं। वे आज अलग हैं। कांग्रेस के सदस्यगण, जनता दल के सदस्य और कम्यूनिस्ट दल के सदस्य यहां उपस्थित हैं वे भी हिन्दू हैं। लेकिन, वे मस्जिद को तोड़ना और मन्दिर का निर्माण करना नहीं चाहते। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहां रहते है यह विभिन्न धर्मों का देश है और यहां विभिन्न भाषायें बोलने वाले लोग रहते हैं तथा यहां सिर्फ धर्म निरपेक्षता ही पनप सकती है। 'हिन्दू राष्ट्र' यहां स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि तब देश विभाजित हो जायेगा ; यह बात सब को समझनी चाहिए और हठपूर्ण रवैया छोड़ देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ कर देश के लिए इस 'रथ यात्रा' को बन्द कर देने का अनुरोध करूंगा। गत वर्ष नवम्बर में इस तरह की बातों का अनुभव हमें हुआ था। 'राम शिला' जलूस जहां कहीं भी गया, सांप्रदायिक दंगे हुए। आज उन्होंने यह 'रथ यात्रा' निकाली हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है फिर भी बहुत कुछ हो चुका है। उन्होंने देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया है। गौंडा में आज साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़क रही है। महाराष्ट्र में भी यह शुरू हो चुका है। कर्नाटक में आज क्या हो रहा है ? गुजरात और राजस्थान में क्या हो रहा है ? इन सब स्थानों पर भी साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़कनी शुरू हो चुकी है। इस महीने की 30 तारीख तक वह यात्रा जारी रहेगी। कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि इन 25 दिनों में क्या होगा। देश सांप्रदायिक दंगों की लपटों में ढेर हो जायेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप में राष्ट्र भक्ति की भावना है, तो कृपया देश की रक्षा कीजिए और इस 'रथ यात्रा' को बन्द कीजिए। हम सब को एक साथ मिल कर बैठना चाहिए और एक समाधान ढूंढना चाहिए। हम कोई मुकाबला करना नहीं चाहते। हम मिल कर शांति और सदभावना के साथ रहना चाहते हैं। यदि इस यात्रा को रोका नहीं गया, तो शांति बनाये रखने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी क्योंकि यहां अल्पसंख्यकों इस समय खतरा है। हम मुसलमान ही इन ताकतों के लक्ष्य है। दीवारों पर लिखे गये सभी नारे हमारे विरुद्ध हैं। वे इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम कोई मुकाबला करना चाहते। यदि इस यात्रा को रोका

नहीं जाता है, तो हमें सरकार से कानून और व्यवस्था बनाये रखने की, शांति बनाये रखने की मांग करनी चाहिए और फिर उन्हें इस 'रथ यात्रा' पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह सब किया जाना चाहिए। वे कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय उन्हें स्वीकार नहीं है। वे कहते हैं कि हमने 'शाह बानो' मामले में दिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन मैं, यह कहूंगा कि शाह बानो का मामला शेरियत पर आधारित था। शेरियत मुसलमानों की स्वीय विधि, धार्मिक कानून का भाग है। यहां यह एक दीवानी मामला है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ा है और वह एक कानूनी मामला है।

हम यह संदेह नहीं कर रहे हैं कि रामचन्द्र जी का जन्म हुआ था अथवा नहीं। हम उनके अवतार के बारे में शंका नहीं कर रहे हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए, पवित्रता तो बनी रहनी चाहिए। मन्दिरों, गिरिजाघरों और मस्जिदों की पवित्रता बनी रहनी चहिए। सिर्फ इसलिए कि यह एक धार्मिक स्थल और पूजा से सम्बन्धित है, यह एक वास्तविक मुद्दा बन गया है। लेकिन, इसके राजनीतिक दायरे हैं। इस प्रकार के मुद्दे का उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार के मुद्दे का उपयोग भावनाओं को भड़काने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है देश में यह सब हो रहा है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे भाई इस नीति को छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाइयों को इस प्रकार की नीति को त्याग देना चाहिए और शांति से रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसे नहीं होता तो सरकार को सभी रथ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि विनाश से देश की रक्षा की जा सके और भारत में हर कोई शांति से रह सके।

मुझे यही अनुरोध करना था और मैं आशा करता हूं कि सरकार पहले से ही कुछ कार्यवाही करेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे इन भाईयों के मन में सौहार्द्रपूर्ण भावनायें उठेंगी और वे बात-चीत के लिए आगे आयेंगे तथा इस समस्या के समाधान के लिए सहमत हो जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): जनाब चेयरमैन साहब, जब से यहां पर पार्लियामेंट में बड़े अच्छे-अच्छे भाषणों को सुना, सेक्युलरिज्म की बातें सुनीं, जम्हूरियत की बातें सुनीं, अमन की बातें सुनीं, लेकिन जितनी बातें सुनीं हमें लुटे तो कोई जम्हूरियत की दफा को मानने वाला नहीं मरा, अमन की बातें सुनीं, लेकिन 43 वर्ष के अन्दर अमन की पुकार करने वाला मजलूमों के लिए एक आदमी भी नहीं मरा और पार्लियामेंट में आकर ऐसा मालूम होता है कि जिस तरीके से सालाना उर्स और यात्रा में आते है और फूल चढ़ाकर चले जाते हैं उस तरीके से यह हालत यहां हो रही है। 43 वर्ष का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक कोई मसले का हल हमारे सामने नहीं आता। सवाल यह है कि आखिर करनैलगंज और पूरे हिन्दुस्तान में ये फसादातों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। आन्ध्र प्रदेश के अन्दर भी हुआ, आदिलाबाद और पिचौरा और दीगर मुकामात के ऊपर फसादात हुए। यह सब कुछ क्यों हुआ, यह जैसे ही रथ यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, हंगामा हुआ। खुद हैदराबाद में निजाम कालेज ग्राउण्ड के ऊपर आडवाणी साहब ने जो तकरीर की उसके ऊपर आंध्र प्रदेश असेम्बली के अन्दर हंगामा हुआ। उन्होंने इश्तहारे अगेंज तकरीर की और खुद हुकुमत ने उसका नोटिस लिया और यह कहा कि वाकई इस तकरीर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर इल्जाम यह दिया जाता है जैसे अभी हमने तकरीर सुनी कि जुलूस जा रहा था, पत्थर फेंका गया। अब कोई अक्ल वाला तसलीम कर सकता है कि एक लाख का जुलूस जाये और वहां मामूली अक्लियत वालों के पांच-दस मकान हों, वे पत्थर फेंके और अपने घरबार को जला लें।

9.00 म० प०

कोई अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती कि 14 फीसद, 12 फीसद हिन्दुस्तान में मुसलमान रहता है, वह लड़ने की बात करे यह समझ में आने वाली बात नहीं है। कोई दिमाग इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। मैं अब उसी के ऊपर आ रहा हूं कि अब हमने आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है। अंग्रेजों ने हमें थपका-थपका कर सुलाया था। बहुत शुक्रिया अदा तुम्हारा कि तुमने हमें मार-मारकर उठाया और यह बता दिया कि अगर हिन्दुस्तान में मुसलमान को जिन्दा रहना है तो फिर हमको भी हथियार उठाना पड़ेगा, यह तुमने बता दिया है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं और यह बात याद रखो कि इस तरीके से ये चीजें चलने वाली नहीं हैं। यह बहुत हो चुका, अब तक बहुत सुन चुके, बहुत भुगत चुके लेकिन अब आइन्दा के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप गौर करते हैं हम जब यहां आकर बैठते हैं तो आज देखते हैं कि दोनों तरफ से यही हाल होता है। आखिर शिला पूजा की इजाजत किसने दी ? आप लोगों ने। और वहां तक ले आए आप लोग और आज रथ यात्रा की इजाजत कौन दे रहा है ? आप लोग, और फिर हम यहां काहे के लिए बैठते हैं, सिर्फ आपका भाषण सुनने के लिए ? सेक्युलरिज्म का भाषण हो रहा है, अमन के ऊपर भाषण हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 43 वर्ष के अरसे में क्या हो रहा है और और दुनिया जान चुकी है कि क्या हो रहा है। तो मैं आज यही कहूंगा कि आज अगर वाकयी आप चाहते हैं और आपको हमदर्दी है और आप यह चाहते हैं कि अकल्लियतों से आपको हमदर्दी है तो आप इस जुलूस को बन्द कराइए और रुकवाइए। ये जुलूस काहे के लिए है और कितनी तारीख को जाएगा, 28-29 तारीख को अयोध्या पहुंचेगा और 30 तारीख को मन्दिर तोड़ा जाएगा—वह सब इसलिए है। और फिर यह कहा जा रहा है कि यह अमन के लिए निकल रहा है, प्रचार के लिए निकल रहा है। क्या अकल आप ही रखते हैं ? आखिर कब तक यह तमाम बातें होंगी ? अरे, खुलकर आओ, सामने आओ, आखिर कब तक ये बातें करेंगे ? आप यह समझ रहे हैं कि आप ही इस तरह की बातें करके सामने आएंगे लेकिन यही पालिसी है कि आज मुल्क के एक-एक हिस्से के अन्दर आज अवाम उठ खड़े हुए हैं। आंध्र के अन्दर नक्सलाइट हैं तो पंजाब के अन्दर क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है ? यह जुल्मो-सितम है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग अपने जिन्दा रहने के लिए उठ खड़े हो गए हैं। याद रखिए कि जिस दिन मन्दिर टूटेगा उस दिन हिन्दुस्तान टूटेगा, यह बात याद रखें।

[جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): جناب چیرمین
صاحب جب سے یہاں پر پارلیمنٹ میں بڑے اچھے اچھے بھاشن کو سنا ہے سیکولرزم کی
باتیں سنیں، جمہوریت کی باتیں سنیں، امن کی باتیں سنیں، لیکن جتنی باتیں سنیں ہمیں لوٹیں
تو کوئی جمہوریت کی وفا کو ماننے والا نہیں مڑا، امن کی باتیں کیں لیکن تینتالیس برس کے اندر امن
کی پکار کرنے والا مظلوموں کیلئے ایک آدمی بھی نہیں مڑا اور پارلیمنٹ میں آکر ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سالانہ عُرس اور یاترا میں آتے ہیں اور پھول چڑھا کر چلے
جاتے ہیں اس طریقے سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ تینتالیس برس کا عرصہ گذر گیا لیکن
آج تک کوئی مسئلے کا حل ہمارے سامنے نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کرنیل گنج
اور پورے ہندوستان میں یہ فسادات کا سلسلہ کیوں شروع ہوا۔ آندھراپردیش
کے اندر بھی ہوا، عادل آباد اور بچورا اور دیگر مقامات کے اوپر فسادات ہوئے۔ یہ
سب کچھ کیوں ہوا۔ یہ جیسے ہی رتھ یاترا کا سلسلہ شروع ہوا، ہنگامہ ہوا۔ خود حیدرآباد
میں نظام کالج گراؤنڈ کے اوپر ایڈوانی صاحب نے جو تقریر کی اس کے اوپر آندھرا
پردیش اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوا۔ انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی اور خود
حکومت نے اسکو نوٹس لیا اور یہ کہا کہ واقعی اس تقریر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیئے۔
پھر کھلا الزام یہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے تقریر سنی کہ جلوس جا رہا تھا پتھر پھینکا گیا۔ اب
کوئی عقل والا تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک لاکھ کا جلوس جائے اور وہاں ایک معمولی اقلیت
والوں کے پانچ دس مکان ہوں وہ پتھر پھینکے اور اپنے گھر بار کو جلالیں۔ کوئی عقل تسلیم
نہیں کر سکتی کہ ۱۴ فیصد ۱۲ فیصد ہندوستان میں مسلمان رہتا ہے، وہ لڑنے کی بات
کرے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی دماغ اسکے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ میں
اب اس کے اوپر آرہا ہوں کہ اب ہم نے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ انگریزوں نے

ہمیں کھپکا کھپکا کر سکایا تھا۔ بہت شکریہ ادا تمہارا کہ تم نے ہمیں مار مار کر اٹھایا اور یہ بتا دیا کہ اگر ہندوستان میں مسلمان کو زندہ رہنا ہے تو پھر ہم کو بھی ہتھیار اٹھانا پڑے گا یہ تم نے بتا دیا ہے۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھو کہ اس طریقے سے یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ یہ بہت ہو چکا' اب تک بہت سن چکے' بہت بھگت چکے لیکن اب آئندہ کے لئے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ غور کرتے ہیں ہم جب یہاں آکر بیٹھتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہی حال ہوتا ہے۔ آخر شیلا پوجا کی اجازت کس نے دی۔ آپ لوگوں نے۔ اور وہاں تک کے لئے آپ لوگ اور آج رتھ یاترا کی اجازت کون دے رہا ہے۔ آپ لوگ اور پھر ہم یہاں کاہے کے لئے بیٹھے ہیں صرف آپ کا بھاشن سننے کے لئے۔ سیکولرزم کا بھاشن ہو رہا ہے' امن کے اوپر بھاشن ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تینتالیس برس کے عرصے میں کیا ہو رہا ہے اور آج دنیا جان چکی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آج یہی کہونگا کہ آج اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اور آپکو ہمدردی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں سے آپکو ہمدردی ہے تو آپ اس جلوس کو بند کرائیے اور رکوائیے۔ یہ جلوس کاہے کے لئے ہے اور کتنی تاریخ کو چلے گا۔ ۲۸۔ ۲۹ تاریخ کو اجودھیا پہنچے گا اور ۳۰ تاریخ کو مندر توڑا جائیگا۔ یہ سب اس لئے ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امن کیلئے نکل رہا ہے' پرچار کیلئے نکل رہا ہے۔ کیا عقل بھی رکھتے ہیں آخر کب تک یہ تمام باتیں ہونگی۔ ارے کھل کر آؤ سامنے آؤ آخر کب تک یہ باتیں کرینگے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی اس طرح کی باتیں کر کے سامنے آئیں گے لیکن یہی وہ پالیسی ہے کہ آج ملک کے ایک حصے کے اندر آج عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اندر اگر نکسلادی ہیں تو پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے' ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے' کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم ہے جسکی بنیاد کے اوپر لوگ اپنے زندہ رہنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔

یاد رکھئے کہ جس دن مندر ٹوٹے گا اس دن ہندوستان ٹوٹے گا یہ بات یاد رکھیں۔]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, आज साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रयास करने हेतु कुछ भाषण हुए, कुछ भाषण सांप्रदायिकता उभारने हेतु हुए । मैं श्रीमान के सम्मुख केवल एक पक्ष निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेना चाहिए। आज जो यहां पर लम्बी-लम्बी तकरीरें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस देश में हम जन्मे हैं, हम देश में मरेंगे । हम चाहते हैं कि इस भावना के साथ सब राष्ट्र की मेनस्ट्रीम में आएं, लेकिन हम इतिहास के पन्नों को नहीं भूल सकते कि जब महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में और सब स्थानों पर जाकर कहा कि राष्ट्र एक है तो जिन्ना साहब ने कहा कि आप हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को रिप्रेजेंट करते हैं

[अनुवाद]

"गांधी जी आप हिन्दुओं के नेता हैं । आप गलती करते हैं जब आप कहते हैं कि आप भारत के या यहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।"

[हिन्दी]

यह हमारा दुर्भाग्य रहा । सभापति महोदय, आपको याद होगा कि उस समय राष्ट्र के दो टुकड़े इस आधार पर किये गये कि यहां दो भाई आपस में प्रेम से रह नहीं सकते और आज कहा जा रहा है कि कुछ प्रतिशत लोग क्या इस देश में खून-खराबा कर सकते हैं, दंगे करा सकते है । वह प्रतिशत उस समय भी था । लेकिन हम उस समय को नहीं भूल सकते जब कलकत्ता की सड़कों पर खून की बौछार करने वाले सोहरावर्दी ने सारे देश के अन्दर जिस प्रकार से ताण्डव किया था, जिन्ना ने सारे देश में जिस प्रकार से आग लगायी थी, उसी का परिणाम था कि जो महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं राष्ट्र के टुकड़े नहीं होने दूंगा, मेरे शरीर के टुकड़े भले ही हो जाएं, उन्हें भी उसके सामने समर्पण करना पड़ा । लेकिन आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र अब सबल, सजग हो चुका है, ऊपर उठ चुका है, जग चुका है । अब वह निर्बलता राष्ट्र में नहीं है । आज जो राष्ट्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इस राष्ट्र में अब निर्बलता के स्थान पर सबलता सजगता, संगठन, राष्ट्रीय एकता, अभिन्नता और राष्ट्रीय एकत्व आ चुका है । बार-बार कहा जा रहा है कि आप न्यायालय से निर्णय करा लीजिए ।

मैं आपके सामने केवल एक ही प्रश्न पर अपनी बात कहना चाहता हूं । सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज न्यायालय का निर्णय कराने की बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी का हवाला देकर पूछना चाहता हूं, जब 1986 में राम जन्म भूमि का ताला खोलने की आज्ञा न्यायाधीश पाण्डेय ने दी थी, न्यायाधीश पाण्डेय ने अपना फैसला देने से पहले वहां के एस०पी० और कलैक्टर सबका एफिडेविट लिया था, उस न्यायाधीश पाण्डेय के साथ आपके मुलायम सिंह यादव जी ने कैसा व्यवहार किया । मुलायम सिंह जी के वे वाक्य मैं इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं । इलाहाबाद हाई कोर्ट के चार चीफ जस्टिसों ने, एक के बाद एक, जस्टिस मुकर्जी, जस्टिस अग्रवाल आदि चार चीफ जस्टिसों ने रिकमैंड किया कि जस्टिस पाण्डेय जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्हें हाई कार्ट का जज बना दिया जाये, लेकिन आपके मुलायम सिंह यादव जी क्या लिखते है, अपनी कलम से उन्होंने लिखा है कि यद्यपि न्यायाधीश पाण्डेय एक सुलझे हुए, ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश है, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अभी इधर से जो माननीय सदस्य कर रहे थे कि न्यायालय के निर्णय मे विश्वास रखिये, मैं उन्हें खास तौर से बताना चाहता हूं और इधर के अपने मित्रों को भी याद दिलाना चाहता हूं जो कहते हैं कि न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिये, लेकिन कौन निष्पक्ष निर्णय देगा, जब मुलायम सिंह जी ऐसा लिखते हैं कि यद्यपि पाण्डेय जी एक सुलझे हुए, ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ

[श्री गुमान मल लोढा]

न्यायाधीश हैं, फिर भी सन् 1986 में उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का आदेश देकर यहां साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। लिहाजा में उनके नाम की संपुष्टि नहीं कर सकता। ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं।

सभापति महोदय, यदि एक न्यायाधीश को इस बात का दण्ड दिया जाए कि उसने राम जन्मभूमि का ताला खोलने की आज्ञा दी तो दूसरा कौन-सा न्यायाधीश ऐसा हो सकता है जो यह कहेगा कि यह राम जन्मभूमि है, यहां किसी समय बाबर ने हमला किया था, मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, भले ही वह बना नहीं सका, इसलिए राम जन्मभूमि मन्दिर का जीर्णोद्धार करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि न्यायालय का निर्णय करवा लिया जाए, कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के केस में अपना निर्णय दिया था, एक मुसलमान औरत को दो जून की रोटी देने के बारे में ही केवल मात्र वह फैसला था, लेकिन किसने बम्बई की सड़कों पर उस निर्णय को आग लगायी थी। बम्बई की सड़कों पर आग लगाने वाले केवल मुस्लिम लीग के लोग ही नहीं थे, अनेक कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर गये, नेतृत्व करने के लिए गये, इस सदन का केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था, जिसने उसका विरोध किया, आज वह जनता दल में है और एक मंत्री के नाते इस सदन में बैठता है। बाकी सब लोगों ने वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ायीं, आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के पुतले जलाये गये। आज वे ही लोग कहते हैं कि हम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, जिस समय राम जन्मभूमि का ताला खोले जाने का निर्णय हुआ, काश्मीर की क्यारियों में किसने आग लगायी, काश्मीर में मन्दिरों को किसने तोड़ा, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे को किसने ब्लैक डे के रूप में मनाया, सारे देश में किसने उस निर्णय का विरोध किया? बताइए, किसने उस समय विरोध किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किया था या विश्व हिन्दू परिषद् ने विरोध किया था। खुले-आम सुप्रीम कोर्ट के सामने बगावत किसने की थी? कलकत्ता हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने कुरान को लेकर एक रिट याचिका दायर की थी कि इसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं परन्तु कलकत्ता हाई कोर्ट को घेर लिया गया कि हमारी कुरान के बारे में कोई न्यायालय फैसला नहीं कर सकता। क्यों कुरान के बारे में कोई न्यायालय फैसला नहीं कर सकता? किसने किया था न्यायालय का घेराव? फिर किस आधार पर आप कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि के बारे में कोई फैसला कर सकता है।

मैं जानना चाहता हूं जो कलकत्ता के हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि ईस्टर्न गार्डन के कत्ल के केस के अन्दर, वहां के डिप्टी स्पीकर के साथ में, जो एक आदमी लगा हुआ था, उसके बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज्ञा दी कि इसके शव को कब्र से निकालकर, पोस्टमार्टम किया जाए।

कलकत्ता हाईकोर्ट को घेर लिया गया कि हमारे मजहब में पोस्ट-मार्टम कब्र से निकालकर नहीं किया जा सकता। वहां पर न्यायालय को ठोकर मार दी जाती है, आग लगा दी जाती है, तिलांजलि दे दी जाती है और यहां आकर बड़े जोर-जोर से कहा जाता है कि न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए।

श्रीमान सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, जहां न्यायालयों की अवमानना की गई है। अभी इस समय आरक्षण के विषय में स्टे आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और राज्य सभा में क्या कमेंट हुआ—जनता दल के आफिशियल स्पोक्समैन ने कहा—

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हम सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की विजडम से डिफर करते हो और यहां आकर के कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करवाओ। मैं जानना चाहता हू कि दो प्रकार की भाषाओं का कैसे उपयोग किया जा रहा है? जिन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं माना, आज वे ही सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं।

श्रीमन, अभी हमारे कम्युनिस्ट साथी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आडवाणी जी नहीं मान रहे हैं। में उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नम्बूदरीपाद ने यह नहीं कहा कि ये न्यायालय, ये सारे न्यायाधीश वायस्ड क्लास हैं और क्या हिदायतुल्ला ने उनको कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट में इसलिए सजा नहीं दी कि इनका न्यायालय में फेथ नहीं है? बैंक नैशनलाइजेशन के केस के बाद, प्रिवीपर्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खुले आम सड़कों पर क्या चुनौती नहीं दी गई और क्या यह नहीं कहा गया कि ये न्यायालय क्लास सोसायटी के हैं, कैपीटलिस्ट सोसायटी के है, इसलिए हम इस निर्णय को नहीं मानते और आज हमारे कांग्रेस के बंधुओं को यह कहने की हिम्मत हो रही है कि न्यायालय को मानो? जिन्होंने जस्टिस दे को, तीन-तीन न्यायाधीशों जस्टिस कैलस, जस्टिस ग्रीवर और जिस्टस हैले को सुपरसीड करके, चीफ जस्टिस बनाया। उसने इनके अनुसार निर्णय दिया, उसने कमिटेड जुडीशियरी नहीं मानी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं मानी, जिस प्रकार से कार्यपालिका चाहे वैसे निर्णय देना स्वीकार किया। जस्टिस बेग को, जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके बनाया गया, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस देश के अन्दर जन्म लेने वाले आदमी को जीने का अधिकार है। आर्टीकल 21 नहीं देता, आर्टीकल 22 नहीं देता। इसलिए शिवकान्त के मुकदमे में यह फैसला किया जा रहा था कि इमर्जेन्सी के अन्दर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार न हो, उससे मेरा डिफरेंस आफ ओपिनियन है। इसलिए जस्टिस खन्ना को सुपरसीड किया गया।

सभापति महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों ने जगमोहन सिन्हा के निर्णय को पार्लियामेंट में रातोंरात कानून बनाकर, इंदिरा गांधी की चुनाव-याचिका के फैसले को, बदल दिया, वे आज हमको यहां आकर सबक सिखाते हैं कि हम न्यायालय के निर्णय को मानें। जब आपके अनुसार निर्णय न हो तब तो आप न्यायालय को पलीता लगा दोगे, आग लगा दोगे, दावानल से जला दोगे और अब आपके पक्ष में निर्णय हो, तब आप उसको मानोगे?

सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या किसी युग के अन्दर हमारी श्रद्धा का विषय न्यायालय हो सकता है? इस बारे में मैथिलीशरण ने तो यहां तक कहा कि राम क्या तुम मानव हो, यदि तुम मानव हो, तो मैं निरीश्वर हूं। राम तुम मुझे क्षमा करना। क्या मैं तुम्हें ईश्वर समझता हूं। क्या ईश्वर, क्या क्राइस्ट और क्या मोहम्मद, ये कहां हुए, कैसे हुए, ये मायथालाजी की बातें न्यायालय में निर्णीत की जाएंगी? एक करोड़ सतासी लाख वर्ष पहले के जन्मस्थान का क्या आज सबूत लाया जाएगा? क्या वहां पर किसी प्रकार का रिकार्ड मिलेगा? नगरपालिका या पंचायत का रिकार्ड मिलेगा? या किसी प्रकार के सैटलमेंट का रिकार्ड मिलेगा? यह असंभव बात है।

श्रीमन, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गिनीज आफ वर्ल्ड रिकार्ड बुक में लिखा हुआ

[श्री गुमान मल लोढा]

है—पूना के एक न्यायाधीश ने 1205 में दायर एक मुकदमे, जो महन्त के बारे में था कि धार्मिक जुलूस और धार्मिक स्थानों में कौन प्रसाइड कर सकता है, उस मुकदमे का फैसला अभी 1966 में किया 761 वर्ष के बाद में वह फैसला हुआ और अभी तो फैसला हुआ है, इसके बाद अपील, रिवीजन और रिव्यू होंगे। इस राम जन्म भूमि के केस में 40 वर्ष हो गए हैं, आज तक एक भी गवाह न्यायालय में पेश तक नहीं हुआ है। मैं स्वयं लखनऊ हाईकोर्ट में जाकर आया हूं। जब 40 वर्ष में एक भी गवाह नहीं हुआ, तो 500-700 वर्ष तक, 25वीं शताब्दी तक भी यह निर्णय नहीं हो सकता है और क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह और निर्णय को मानने की बात कहने वाले हमारे मुलायम सिंह यादव 500 वर्ष तक देखते रहेंगे कि क्या निर्णय होता है?

सभापति महोदय, यह न्यायालय से निर्णय कराने की बात केवल आम जनता को धोखा देने के लिए कही जा रही है, जिनका न्यायालय में विश्वास नहीं है, जिन्होंने न्यायाधीशों को सुपरसीड किया। कर्नाटक के एक न्यायाधीश की नियाज को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इन्कार कर दिया कि उन्होंने हेगड़े के पक्ष में कुलदीप सिंह के कमीशन को रद्द करने से इस याचिका को अस्वीकार कर दिया। ये बोलते आंकड़े हैं, ज्वलन्त उदाहरण हैं। कल कुलदीप सिंह आयोग ने हेगड़े को भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराया। पहले एक रिट याचिका की गई कि इसको निरस्त कर दिया जाए। वहां के एक चीफ जस्टिस ने निरस्त करने से इन्कार कर दिया, उसका नाम यहां पर आया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दे दिया लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने, पुरानी सरकार की बात नहीं है, उसको मना कर दिया। वे क्या न्यायालय के निर्णय को मानेंगे, क्या न्यायालय निष्पक्ष निर्णय दे सकेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय के निर्णय की बात बहुत बड़ा धोखा है, यह जनता को गुमराह करने का सवाल है। इसलिए भारत की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि राम जन्मभूमि के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं है, वहां चलकर मेरे साथ देखें, बताएं। सैकड़ों सालों से वहां कोई नमाज नहीं होती, कोई वजू पढ़ने के लिए किसी प्रकार का कुआं नहीं है, कोई मस्जिद का साधन नहीं है, किसी प्रकार की मस्जिद नहीं है, लेकिन खामखाह एक विवाद बनाने के लिए आज यह प्रश्न उठाया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने जब चार महीने का समय मांगा, मैं विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री के पास गया।

चार महीने का समय इस बात के लिए दिया गया था कि बातचीत से समस्या को सुलझा दिया जाए। यदि बातचीत से समस्या का समाधान निकल आता है तो कोई भी इसमें किसी प्रकार से इंकार नहीं करेगा। लेकिन चार महीने के बाद क्या हुआ? चार महीने के बाद वही स्थिति रही, उसके बाद फिर चार महीने निकल गए। आज आडवाणी जी के रथ का विरोध किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव रैलीज करते हुए फिर रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा। मैं बम्बई में था, काटन एक्सचेंज में आडवाणी जी का रथ आया, बोरीवली में रथ आया, लाखों लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, एक छोटी सी भी हिंसा की घटना नहीं हुई, कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन चार दिन बाद जब मुलायम सिंह यादव वहां पर गए तो हिंसा भड़क उठी। क्यों? बताएं, जवाब दें, क्या कारण था? क्योंकि मुलायम सिंह आग उगलते हैं, गालियां देते हैं। हिंसा भड़क उठी। लेकिन आडवाणी जी के रथ में कोई हिंसा नहीं हुई, आडवाणी जी सारे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आज जो यहां पर कह रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर से लाखों हिन्दुओं को किसने निकाला, क्या आडवाणी जी का रथ वहां पर गया था,

पाकिस्तान से लाखों हिन्दुओं को किसने निकाला, किसने बर्बाद किया, लाखों माताओं के सिन्दूर को किसने समाप्त किया, लाखों बहनों की गोद को किसने समाप्त किया; क्या आडवाणी जी का रथ वहां पर गया था ?

नोहारवाली में क्या आडवाणी जी का रथ था, चौरी-चौरा में क्या आडवाणी जी का रथ था ? आडवाणी जी के रथ का विरोध करने वाले लोग दुर्भावना से विरोध कर रहे हैं। आपस में सद्भाव से कोई भी कार्य किया जाए उसका स्वागत किया जाएगा परन्तु इधर-उधर के बहाने न्यायपालिका को शिखंडी बनाकर इस प्रकार से जो लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि का कार्य 30 तारीख को न हो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे राष्ट्र का इस प्रकार का संकल्प है कि मन्दिर का रिनोवेशन; निर्माण किया जाएगा और यदि "बच्चा-बच्चा राम का" सिद्धान्त से उनको विरोध है तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत में यदि राम का नारा नहीं लगेगा, अयोध्या में राम का मन्दिर नहीं बनेगा। तो क्या राम का मन्दिर मक्का और मस्जिद में बनेगा, क्या राम का मन्दिर लंका में बनेगा क्या राम का मन्दिर लन्दन में बनेगा ? अयोध्या आज से नहीं, हजारों-लाखों वर्षों से सरयू नदी के किनारे स्थित है। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि केवल विषय से भटकाने के लिय यह बात कही जाती है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर आज उत्तर प्रदेश के अन्दर एक स्थान पर हुई हिंसा के नाम पर जो राम जन्मभूमि के रथ के ऊपर और आडवाणी जी के ऊपर नाना प्रकार से गलत, मनगढ़न्त आरोप लगाए जा रहे हैं उन सबका हम प्रतिवाद करना चाहते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय मेनस्ट्रीम में विचारधारा में भी व्यथित आता है उनका स्वागत है।

[हिन्दी]

लेकिन राष्ट्र विरोध तत्व चाहे कश्मीर में आकर कश्मीर की शांति को भंग करना चाहें या अन्य स्थानों में इसे करना चाहें उनके लिये कोई स्वीकृति उन्हें नहीं दी जायेगी। आज 1947 वाला समय नहीं है जब निर्बलता थी। आज इस देश नेतृत्व संगठित और मजबूत हाथों में है जो वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बाला साहब देवरस जैसे सुदृढ़ हाथों में है। राष्ट्र को हानि पहुंचाने वालों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश अखंड रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा और विश्व में भारत की छवि और अच्छी बनेगी। जो राष्ट्र विरोधी तत्व इसका विरोध करेंगे उनको इसका समुचित उत्तर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री आर० एन० राकेश बोलेंगे।

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायन) : महोदय, उनके भाषण से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं अभी हमें समाचार मिला है कि तिहाड़ जेल में विद्रोह हो गया है। इसमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 130 लोग घायल हो गये हैं। डाक्टरों की हड़ताल चल रही है।

सभापति महोदय : जी, नहीं। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नीथाला : महोदय, गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। हम वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मुद्दे को आप अवसर मिलने पर उठा सकते हैं। अभी नहीं। अभी श्री रमेश बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नीथाला : वह इसके बारे में जानकारी दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, गांधी जी के देश में साम्प्रदायिकता पर बहस हो, कुछ लोग अपने को मस्जिद का वकील कहें, कुछ लोग अपने को मन्दिर का वकील कहें और इन्सान को वकील न कहें, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो घटना घटी है, साम्प्रदायिकता की आड़ में उस पर बहस करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ है जो तथ्य हमारे जानकारी में आये हैं उनके अनुसार गत 29 तारीख को कर्नलगंज में एक सार्वजनिक स्थान पर मुशायरा हो रहा था जिसमें कुछ लोग गये, उसके बाद 30 तारीख को दुर्गा-पूजा का जुलूस निकला और उस जुलूस में कहते हैं कि जाने कहां से कैसे वहां हैंड बम फेंका गया, उसके बाद वहां यह दंगा भड़का। कुछ लोगों ने कहा वहां भड़काने वाले नारे भी दिये गये। मेरे पास जो इन दंगों में पीड़ित आदमी आये उनमें से एक नाम मौलाना जफरूर था, उसने मुझे खुद बताया कि वहां कैसे-कैसे नारे दिये गए। जुलूस जो दुर्गा पूजा का जा रहा उसमें दुर्गा का भजन नहीं हो रहा था, दुर्गा मां के गीत नहीं गाये जा रहे थे, मां दुर्गा की महिमा का वर्णन नहीं हो रहा था। नारा दिया जा रहा था "कहां गई बाबर की सन्तान, क्या बन गई कब्रिस्तान" दूसरा नारा था "सुनो-सुनो कस्लों की सन्तान, भाग जाओ पाकिस्तान" ये नारे मां दुर्गा जी की पूजन में सुनाये जा रहे थे।

श्री कालका दास : सरकार ने जिनको गिरफ्तार किया उनका नाम तो पहले बतायें।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : यह नारा किसने दिया है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति जी, जो मैं बोल रहा हूं वह मुझे बोलने दिया जाये।

श्री कालका दास : जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम यादव हुसैन और वाजिद की हैं।
...(व्यवधान)...

श्री आर० एन० राकेश : उसके बाद स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ी। फिर उसके बाद एक तारीख को दंगा हुआ और शहर से चलकर गांव तक गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब तक जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 27 गांव जला दिये गये हैं, 400 से अधिक लोग मारे गए और मरने वालों की ज्यादातर संख्या करनैलगंज, काजीपुर, घनावा, शाहपुर, आसा, कजेमऊ, गोरियान का पुरवा, पांडेचौरा आदि में है। इन मरने वालों में स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, जवान, दुधमुंहे बच्चे तक हैं, जिन्हें जला दिया गया, सौ से अधिक बच्चे लापता है। दस हजार से अधिक लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं और जो बचे हैं, उनको गांव में खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है दवा नहीं मिल रही है, न जाने कितनी स्त्रियों का सुहाग लुट गया है; उन पर क्या गुजरती होगी, कह नहीं सकते। कजेमऊ गांव में 9 परिवार तो इस तरह से बर्बाद कर दिये गये हैं कि परिवार का एक छोटा सा बच्चा भी नहीं बचा है। कजेमऊ गांव के 9 परिवारों को एकदम तहस नहस कर दिया गया है, उनको इस तरह से जला

दिया गया है, जैसे होली में लोग लकड़ी जलाते हैं, इस तरह से उनको जला दिया गया। उत्तर प्रदेश में मथुरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़, गाजीपुर जिले भी दंगे की चपेट में आ गये हैं और बस्ती, बहराइच में भी दंगा शुरू हो गया है। ये दंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार आदि में हो रहे हैं। आज सरकार के सामने यह गम्भीर सवाल है।

इस सम्बन्ध में दो तीन सवाल मैं गृह मंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि इस दंगे की एफ० आई० आर० आपके पास आ चुकी है, आप एफ० आई० आर० पढ़कर बताइये कि किस पार्टी के लोग उस एफ० आई० आर० में मुलाजिम हैं और कौन-कौन गिरफ्तार होकर जेल गये हैं ? मैं यह बताना चाहता हूं कि 10 महीने के अन्दर यह दंगे क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तीन साल के अन्दर जो घटनायें घटीं, कांग्रेस के ऊपर यह आरोप है, यह बात सही है, जिन लोगों ने कही कि कांग्रेस के ऊपर अगर यह आरोप है कि उसके जमाने में शिला पूजन हुआ तो यह सरकार इससे नहीं बच सकती है कि इसके जमाने में रथ यात्रायें हो रही हैं, साम्प्रदायिकता के नारे लगाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में बड़ी गरिमा के लोग मुख्य मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री हुए, एक दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त से लेकर सी० बी० गुप्ता तक मुख्य मंत्री हुए, हेमवती नन्दन बहुगुणा 26 महीने तक मुख्य मंत्री रहे लेकिन उस बीच एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ, एक भी हरिजन नहीं मारा गया था। उनके समय में 53 जिले उत्तर प्रदेश में थे जिनमें से 13 डी० एम० शैडयूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के थे, 8 डी० एम० माइनोरिटीज के थे और 8 एस० पी० माइनोरिटीज के थे। आज सत्ता में बैठे लोग अपनी-अपनी बिरादरी के लोगों को पुलिस के पदों पर बिठा रहे हैं। जिले में बड़े-बड़े, एस० एस० पी० और डी० एम० अपने-अपने बिठा रहे हैं। कहां है सैकुलर फीलिंग ? मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो यह कि आज दोनों तरफ से जो बहस हुई है, चाहे बहस इधर से हो या उधर से, सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में जो बहस आई है, उसको देखकर जातक की गणिका की याद आती है, उसका रिश्ता जब चौराहे पर खुल जाता है, जब वह घर से बाहर निकलती है तो घर के अन्दर जा कर तो लोग उस गणिका की पूजा करते हैं।

घर के बाहर उनको कहते हैं गनिका है। आज सरकार में बैठे हुए लोग चाहे जनता दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, इन सबकी हालत यही है। वामपन्थी साथियों को बहस करते हुए देखता हूं, तो पाता हूं, कि इनकी भी हालत यही है। एक बहन जी ठीक ही कहा है, जो सत्ता पार्टी में बैठ हुए लोग हैं, जो लोग काम्युनल रायट करा रहे हैं, उनके लिए एक ही नारा उन्होंने दिया, जिसका मतलब यह हुआ मन न रंगाए रंगाए जोगिन कपड़ा इस देश में कैसे-कैसे लोग बैठे हुए हैं, मन को रंगने वाले लोग नहीं हैं, किस तरह से देश में लोगों को लड़ा रहे हैं, देश में साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। आप लोगों ने देश में दस महीने के अन्दर क्या हालत कर दी है। आपने देश दस महीने के अन्दर यह हालत कर दी है कि घास काटने वाले को सजा होती है, लेकिन हरिजन मुसलमान को काटने वाले को कुछ भी नहीं होता है। आज सरकार की यह हालत है और यह अपने आपको सैक्युलर कहती है,··· (व्यवधान)··· अपने को हरिजन-माइनोरिटी का शुभ चिन्तक कहती है। यह हालत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, जो अपने को सैक्युलर कहते हैं। मैं कहता हूं कि यह हालत सैक्युलर की नहीं है, काम्युनल की है। सच तो यही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स० सरदार पाल सिंघ (पटियाला) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील विषय है। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभा के विचाराधीन और राष्ट्र के लिए विचार योग्य सिर्फ चार मुद्दे उठाना चाहता हूं— प्रथम, इस देश में धर्म-निरपेक्षता की बात की जाती है; द्वितीय, इस देश में साम्प्रदायिकता की बात की जाती है; तृतीय, इस देश में मेन-स्ट्रीम, मुख्य-धारा, की बात की जाती है। पहले हम इन तीन विषयों पर अपने-अपने विचार स्पष्ट करें। धर्म-निरपेक्षता शब्द —मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय को गम्भीरता से लें।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता से इस विषय को लें। जिस वक्त धर्म निरपेक्षता की बात इस देश में की जाती है तो उस वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिये कि जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश के लिये अपने संविधान का निर्माण किया, उस समय उन्होंने भारत वर्ष के नाम सैक्यूलर शब्द इस्तेमाल नहीं किया था मैं आपसे पूछना चाहता हूं और यह स्पष्टीकरण भी चाहता हूं कि एक शब्द को संविधान संशोधन कर, संविधान में शामिल कर देने से संविधान का प्रारूप सैक्युलर हो जाता है, धर्म निरपेक्ष हो जाता है ? अगर नहीं तो फिर धर्म निरपेक्षता का शब्द उस संविधान में शामिल करने का क्या औचित्य है; जिसकी कि अभी तक कोई डेफिनेशन ही नहीं की गई, कोई परिभाषा नहीं बनाई गई तो पहले इस शब्द को परिभाषित कीजिये। हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं क्योंकि हम बहुसंख्यक समुदाय के अनुकूल साबित नहीं होते और वह सब कुछ धर्म-निरपेक्ष है जो बहुसंख्यक समाज के अनुसार बन जाता है ढल जाता है या स्वीकार्य होता है। अगर यही धर्म निरपेक्षता की परिभाषा है तो यह परिभाषा संविधान के अनुकूल कैसे है ? सांप्रदायिकता को परिभाषा कीजिये, सांप्रदायिक कौन है ? अगर पंजाब में कोई बात की जाती है तो पंजाब का सिक्ख सांप्रदायिक हो जाता है और जिस समय वहां पंजाब में दूसरा समुदाय अपनी लाठियों पर सिगरेट बांध कर अगर नारा लगाता है कि "कच्छा, कड़ा और कृपाण, भेज देंगे पाकिस्तान", उस समय वे देशभक्त होता है और सिक्ख साम्प्रदायिक होता है तो कृपया साम्प्रदायिक की परिभाषा भी नियत कीजिये। क्या वे सभी सांप्रदायिक हैं जो बहुसंख्यक समाज के अनुकूल अपने आपको नहीं ढाल सकते। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन मुद्दे रखने जा रहा हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। **(व्यवधान)** क्या साम्प्रदायिकता परिभाषित की जायेगी ? जब तक सांप्रदायिकता को परिभाषित नहीं किया जाता तब तक किसी के ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं ? मेन स्ट्रीम की बात की जाती है, आखिर इस देश में मुख्य धारा की परिभाषा क्या है ? जो लोग संविधान में अपना विश्वास प्रकट करते हैं, आप उन्हें भी मुख्य धारा में नहीं मानते और जो लोग धर्म को राजनीति के लिये इस्तेमाल करते हैं आप उन्हें मुख्य धारा में मानते हैं, जो लोग रथ यात्रा निकालते हैं वे लोग मुख्य धारा में हैं और जो लोग इसका विरोध करते हैं वे मुख्य धारा में नहीं हैं, साम्प्रदायिक हैं तो ये कैसी परिभाषायें हैं, कैसा दोगलापन है, कैसी दो मुंही नीति है और कैसा दोमुंही सिद्धांत है ? इसको स्पष्ट कीजिये।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृपया भारतवर्ष की एकता और सद्भावना के लिये और भारतवर्ष की अखंडता के लिये इन सभी को भारतीयता के आधार पर नियत किया जाये, जब तक आप इस आधार को नियत नहीं करते तब तक आप इस देश के साथ, संविधान के साथ और भारतीयता की भावना के साथ धोखा कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, अगर उसे हल करना है तो तो क्यों न उसे अयोध्या के लोगों के लिए छोड़ दिया जाये और अगर नहीं तो बाबरी मस्जिद को इस राष्ट्र का धार्मिक स्थल घोषित कर दिया जाये और इन दोनों समुदायों को उनके आस-पास अपना-अपना धार्मिक स्थल बनाने के लिये जमीन दे दी जाये। अगर उनको यह स्वीकार नहीं है तो सरकार को खुद मन्दिर और मस्जिद बना कर दे देना चाहिये और जो इस समय मस्जिद है उसे भारतीयता का, धर्म का केन्द्र बना कर रखना चाहिये, संभालना चाहिये।

मैं आपके यह भी निवेदन करूंगा कि जैसे ही यहां डिमान्ड्स की गई कि रथ यात्रा को बैन किया जाये और (व्यवधान) आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाये (व्यवधान) क्योंकि इसके पीछे राजनैतिक प्रेरित मुद्दा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आडवाणी साहब को गिरफ्तार करा कर उन्हें हिन्दुओं का लीडर मत बना दीजियेगा। उन्हें चलने दीजिए, जहां तक जाते हैं, जाने दीजिए और पूरी की पूरी संसद को चाहिए कि 30 तारीख को बाबरी मस्जिद पर पहुंच कर अपनी एकता दिखाकर उसको बचाएं।

श्री कालका दास (करोलबाग) : सभापति महोदय, आज हम देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा कर रहे हैं, विशेषत: कर्नलगंज, गोंडा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए। सभापति महोदय, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 29 तारीख को दशहरे के अवसर पर वहां पर दुर्गा मां की मूर्तियां हर वर्ष की तरह जा रही थीं। यह जुलूस जब कसाई गंज में एक दल के कार्यालय के पास पहुंचा तो उस कार्यालय की छत से हथगोले तथा पत्थर फेंके गए, जिससे वहां सैकड़ों लोगों की जानें गईं, 17 बच्चे अभी तक लापता हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस ने वहां पर यावर हुसैन, मुन्ना और हसीकी नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये जो दुर्गा मां की मूर्तियां जा रही थीं, उन पर हमला हुआ, जिसमें 18 ट्रकों को ध्वस्त कर दिया गया, जिन पर मूर्तियां रखी हुई थीं। क्या यह आडवाणी जी की रथ यात्रा जा रही थी। हर वर्ष की तरह दशहरे के अवसर पर मूर्तियां जा रही थीं, इसमें आडवाणी जी की रथ यात्रा का क्या सम्बन्ध है, लेकिन एक तरह का फोबिया बन गया है। अब कहां तो गोंडा की बात कर रहे हैं, गोंडा में सांप्रदायिक दंगे हुए, दशहरे का जुलूस जा रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ, एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने उस जुलूस पर हमला किया, हथगोले फेंके और वहां पर बच्चे मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, 35 गांवों में यह सारा विवाद फैला हुआ है। अब इसके महत्व को कम करने के लिए, इसकी गम्भीरता को खत्म करने के लिए इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं।

सभापति महोदय, समय बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ प्वाइंट्स ही कह रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां भी आडवाणी जी की रथ यात्रा गई है, चाहे गुजरात में गई हो, कर्नाटक में गई हो, महाराष्ट्र में गई हो, कहीं पर दंगे नहीं हुए हैं। आडवाणी जी सदभावना यात्रा कर रहे हैं, जन-जागरण के लिए रथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तथा दूसरे लोग एक तरह का अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंधकार को मिटाने के लिए, जन-चेतना पैदा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए जन-जन में जा रहे हैं। हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए इस

[श्री कालका दास]

रथ यात्रा का सांप्रदायिक दंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा अभी लोढ़ा जी ने बताया, जो लोग दुहाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए, लेकिन यह कहां का न्याय है कि यदि फैसला उनके पक्ष में हो तब तो ठीक है अगर पक्ष में न हो तो गलत है। अनेक उदाहरण देकर इस बात को समझाया गया है।

सभापति जी, यह जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्रा का इन दंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी मेरे मित्र त्रिपाठीजी ने कहा कि बहुमत की जो सांप्रदायिकता है, यह बहुत खतरनाक है, अल्पमत की सांप्रदायिकता खतरनाक नहीं है। अब यह क्या बात हुई कि बहुमत का जो विचार है, बहुमत की जो आत्मा है, जो चिंतन है, वह तो खराब है, लेकिन अल्पमत की सांप्रदायिकता अच्छी है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यह लोकतांत्रिक देश है, यहां पर जन-भावनाओं को देखता होता है। जो जन-भावना है, उसकी कद्र करनी चाहिए ताकि सदभावना बने। हम लोगों का समझा रहे हैं कि बहुमत का सम्बन्ध है राम-मन्दिर से, बहुमत यह चाहता है कि राम-मंदिर बनना चाहिए, यह बहुमत का फैसला है। जब बहुमत का यह फैसला है तो और कौन फैसला करेगा। अगर मान लो कोर्ट फैसला कर भी दे तो 85 फीस दो लोग अगर उस फैसले को नहीं मानेंगे तो उस फैसले को कार्यान्वित कौन करेगा। यह कार्यान्वित कैसे होगा? यह हमारी जन भावनाओं से सम्बन्धित है। कुछ लोग इस तरह से सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, विशेष कर जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कड़वी वाणी बोल रहे हैं उससे दंगे फैल रहे हैं। दंगे आडवाणी जी की रथ-यात्रा से नहीं फैल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : सभापति जी, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। इस देश की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शक्तियां कोशिश कर रहे हैं। इन महान देश में खून की नदियां बहाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका विरोध जरूर होना चाहिए। अभी अभी हमारे बी० जे० पी० के साथी ने बताया कि आडवाणी जी की रथ-यात्रा से क्या नुकसान हो रहा है? इस देश में कम्युनल सैंटीमेंटस इस रथ-यात्रा से भड़क रहे हैं। इस देश के हर कोने में सांप्रदायिक दंगों की भावना बढ़ रही है। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए सारी शक्तियों को एक होकर काम करना है। गोंडा जिले में जो कुछ हुआ, यह केवल गोंडा जिले में नहीं हुआ, इस देश के हर कोन में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? वहां जो दंगे हुए हैं वे बम्बई के हर इलाके में फैल रहे हैं। राजस्थान में आर्मी को बुलाना पड़ा तथा अन्य प्रदेशों में भी यही हालत हो रही है। गुजरात में क्या हो रहा है? वहां 12 लोग अभी तक मारे गए। स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो रही है। वहां पर कफ्यू एक बार हटाया था, लेकिन दोबारा लगाना पड़ा। बड़ौदरा में स्थिति गम्भीर हो रही है। राजस्थान के उदयपुर, चितौड़गढ़ और पाली में स्थिति ठीक नहीं है। वहां आर्मी को बुलाना पड़ा। आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। रायपुर में क्या हुआ? रायपुर शहर में ए०बी०बी० पी० ने दंगा किया, यह सारे समाचार-पत्रों में आया है। इस देश के हर कोने में साम्प्रदायिक भावना और दंगे फैल रहे फैल हैं। इसके लिए सरकार को कदम उठाना है। सरकार को निश्चित रूप से इसको रोकने के लिए प्रयास करना है। इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने में बी० जे० पी० का हाथ है। जो रथ-यात्रा हो रही है इससे कम्युनल सैंटीमेंटस भड़क रहे हैं। इसको रोकने के लिए सारे दल के सदस्यों ने अपने भाषणों में बताया। इस रथ यात्रा को बन्द करना चाहिए। यह रथ-यात्रा इस देश को तोड़ने के प्रयास में है।

मन्दिर और मस्जिद के संबंध में हमारे देश की परम्परा और इतिहास को हम देखें, यह उसे परम्परा को तोड़ने के लिए हो रहा है। हमारे साथी ने कहा कि वोट की राजनीति है, कौन कर रहा है वोट की राजनीति ? वोट की राजनीति हम लोग नहीं, आप लोग कर रहे है। मन्दिर और मस्जिद के विवाद को बढ़ा कर आप हमारी परम्पराओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मण्डल आयोग को जल्दबाजी में लागू करने से जातिवाद भड़क रहा है। इसके बारे में चर्चा हुई, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए सारे लोगों को एक होकर प्रयास करना है। इस वातावरण को हमें बदलना है। इन शक्तियों को मिटाने के लिए सद्भावना पैदा करने की कोशिश करनी है। हमारे देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिये वातावरण को चेंज करना है तथा इन शक्तियों का विरोध करने के लिए सभी को काम करने का प्रयास करना है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : सभापति जी, आज संसद जिस गंभीरता के साथ और साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार कर रही है, मैं यह समझता हूं किसी संसद के अन्दर ही नहीं बल्कि संसद से बाहर भी उतनी गंभीरता के साथ इसमें जुटेंगे तभी इसका कोई-न-कोई निदान होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सवाल है तो जो गाइड-लाइन कम्युनल हरमोनी के लिए या सांप्रदायिकता को कुचलने के लिए पिछली सरकार ने बनाया था, अगर वे अपने पुराने कार्यकाल को देखें और आज के कार्यकाल में उस गाइड-लाइन को देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और उससे संबंधित राज्य सरकारों ने इन-टोटा उसको लागू करने का काम किया है।

9.51 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने सिर्फ जिला प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया बल्कि उसके लिए जो सिद्धांत मुकर्रर किया गया था गाइड-लाइन तहत लोगों के ट्रांसफर और संस्पेन्शन करने का काम किया है। गोंडा के सवाल को लेकर आज हम चिंतित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने सारी चीजों के बारे में अपनी राय दी है। एक मामूली सी घटना हुई कि दुर्गा पूजा के प्रोसेशन से कोई खेल खेला जा रहा था। उस समय आपस में कुछ लोगों को मामूली सी चोट लग गई। रीयूपर यह फैल गई कि किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों ने किसी को मार दिया। इसी में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इतनी अविश्वास की स्थिति है। यह कोई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के कार्यकाल की अवधि नहीं है। इस देश में पिछले चालीस सालों में जिस तरह से लोगों के मन में गंदगी फैलाने का काम किया है, यह उसका काम है। सरकार में नहीं बल्कि समाज के तमाम तबके के रूप में आज संसद में बैठे हुए हैं और नेशनल इंटीग्रेशन काउन्सिल ने एक मत से सांप्रदायिकता को कुचलने के लिए फैसला किया है। उसी तरह से आज संसद में या देश में जो सांप्रदायिकता की स्थिति बनी है उसको कुचलने के लिए फैसला लें तो सरकार एक इंच भी पीछे नहीं रहेगी, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : माननीय सदस्य ने कहा है कि गोंडा में दुर्गा पूजा के जुलूस पर किसी पार्टी के कार्यालय से पथराव किया गया, क्या यह बात सही है। क्या सरकार को जानकारी है या नहीं।

श्री हरीश रावत : यह भी बता दीजिए कि क्या इस घटना के विषय में एफ० आई० आर० दर्ज हुई है और उस एफ० आई० आर० में किस पार्टी से संबंधित लोगों के नाम हैं।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अगर गुनहगार हमारी सरकार के अन्दर होगा तो उसको भी सरकार माफ नहीं करेगी किसी राजनीति पार्टी की बात छोड़ दीजिए। जो कल्प्रीट होता है, वह पहला पत्थर मारता है उसके बाद पूरा जुलूस और समाज पत्थर चलाने लगता है। पहला पत्थर किसने मारा है तो उसको समाज की पकड़ने की जिम्मेदारी है।

राज्य सरकार ने अविलम्ब कार्यवाही की है। जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया है, घायलों को पांच हजार रुपये और मामूली घायलों को दो हजार रुपये दिये हैं। कई लोगों ने कहा कि वहां रिलीफ का काम नहीं किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है राहत के रूप में 15 लाख रुपये दिए गये हैं। अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं जिसे बिहार में भी हुई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आने के बाद दो-तीन महीने तो बड़ी शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक रहे, मगर उसके बाद देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करके कुछ लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में भी इस तरह की घटनायें हुई। पहले जहां कर्नाटक में एकाध घटना होती थी अब दहाई में होने लगी हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इनमें भी छोटी-बड़ी घटनायें हो रही हैं। अभी हमने गोंडा पर बहस की और जो स्थिति जिसके बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की "मैं समझता हूं उसकी गंभीरता से सरकार अवगत है और जैसा कि हमने कहा कि कानून की परिधि में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो अगर वह शांति व्यवस्था में लिए खतरा होगा तो सरकार कदम उठाने से नहीं झिझकेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जो गाइड लाइंस राष्ट्रीय एकता परिषद में तय की हैं और जो वहां फैसला हुआ है उसको हम एक टोटो लागू करेंगे। राज्य स्तर पर भी ऐसी कमेटीज बनाई जायेंगी और जिला स्तर पर भी ऐसी समितियां बनाई जायेंगी जिसमें समाज के तमाम तबके के लोग हों और उनमें एक ऐसा वातावरण बनाया जाये कि घटना से पहले ही स्थिति पर काबू पा लिया जाये जिससे रिलीफ बांटने का और मातमपुर्सी का मौका ही न मिले। जिन जिलों में ऐसी घटनायें ज्यादा होती हैं उनको हम पहचान कर रहे हैं और उनमें जरूरी मैजर्स लिए जा रहे हैं कि साम्प्रदायिकता को कुचला जा सके। जिस गम्भीरता के साथ सदन ने इस पर बहस की आधी रात तक बैठकर और फैसला किया है उसकी गम्भीरता के साथ सरकार उनकी भावनाओं को समझते हुए कार्यवाही करेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोरबन्दर) : किसी भी अहम मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

क्या यही जवाब है ?

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : तिहाड़ जेल में विद्रोह हुआ है···(व्यवधान) तिहाड़ जेल में बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : माननीय सदस्य को अगर और जानकारी चाहिएं तो मैं उनको बाद में दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : जिस प्रकार से सरकार की तरफ से निराशापूर्ण उत्तर दिया गया है···

अध्यक्ष महोदय : सदन कोई आवश्यक प्रस्ताव पास करे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : इसी प्रस्ताव की उम्मीद पर हमने वाक आउट कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी० जे० कुरियन : मैं ऐसा नहीं कर सकता परन्तु इतना कहना चाहता हूं कि हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मंत्री महोदय ने अनेक बातों पर ध्यान नहीं दिया है।

[अनुवाद]

10.00 म० प०

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम इस चर्चा को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहते हैं। देश में जो कुछ हो रहा है उससे हम सब चिंतित हैं इसलिए मैं समझता हूं (व्यवधान)... मैं इसको स्वीकार्य बताकर कहना चाहता हूं अस्वीकार्य नहीं। इस संकल्प के बारे में आम सहमति है जो कि सकारात्मक है और उसमें चर्चा का महत्वपूर्ण भाग समाहित है। श्री जसवंत सिंह ने उस प्रस्ताव को मुझे दिखा दिया है और उससे अध्यक्ष महोदय भी सहमत हैं। इस संकल्प पर विचार किया गया है और मैं समझता हूं कि सभा के सभी पक्ष इससे सहमत हैं हम इससे पूरी तरह सहमत हैं यदि इस संकल्प को सर्वसम्मत से पारित कर दिया जाए तो अच्छी बात है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : सभा के समापन से पहले इसे पारित कर दिया जाए।

— — — —

संकल्प

लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्शों के प्रति वचनबद्धता

अध्यक्ष महोदय : "यह सभा एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श, हमारे समाज में सद्भावना तथा हमारी जनता के सभी वर्गों के बीच मैत्री भाव के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराती है। अन्य सभी बातों से ऊपर उठकर, राष्ट्र में सद्भावना और सौहार्द भाव के प्रति यह हमारी प्रतिबद्धता ही है जो हमें अपने देश के लोगों से यह अपील करने को कहती है कि वे हमारे संविधान में निहित इस विश्वास को कम नहीं होने दें। हमारे नागरिकों के मध्य कोई फूट तथा सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर सकने वाले किसी तथा सभी प्रश्नों को बल प्रयोग करके अथवा किसी समुदाय की भावनाओं को आघात पहुंचाकर नहीं बल्कि आपसी बातचीत तथा तर्कसंगत वार्तालाप द्वारा हल किया जा सकता।"

मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प स्वीकृत हुआ

— — — —

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन उन सभी सदस्यों के वक्तव्यों को सभा में पढ़ा हुआ माना जाएगा, जिन्हें इसकी अनुमति दी गई है।

10.02 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री शांताराम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की विशेषत: चन्द्रपुर और गढ़-चिरोली जिलों की सिंचाई परियोजनायें सरकार के पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

विदर्भ में जुदयी वन, जो वास्तव में राजस्व भूमि है परन्तु इसका चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है, का मामला न सुलटने के कारण इन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को तत्काल मंजूरी दी जाए और जदुपी वन का, जिसे राजस्व भूमि समझा जा रहा है, उपयोग पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे वनरोपण कार्यक्रम के लिये किया जाना चाहिये।

(दो) देवदासियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना को स्वीकृति देने और उसके कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : स्वतंत्रता के 43 वर्षों के बाद भी देश में विशेषत: कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में देवदासियों के रूप में लड़कियों को अर्पित करने की घटनायें घट रही हैं। सती प्रथा की तरह यह भी एक अमानवीय प्रथा है।

1987 में आंध्र प्रदेश सरकार ने देवदासी प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया था। कर्नाटक सरकार ने भी इस कुरीति को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसके बावजूद भी यह प्रथा देश में फैली हुई है यद्यपि इन घटनाओं की संख्या में कमी आई है। दुर्भाग्यवश ये लड़कियां दलित समुदाय की हैं।

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने देवदासियों के बारे में बेलगांव के सभी ताल्लुकों का व्यापक सर्वे कराया है और जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उन्हें कम्प्यूटर द्वारा प्रोसिस किया जा रहा है। इसी बीच सर्वेक्षण के आधार पर देवदासी प्रथा की शिकार लड़कियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न उपायों के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को स्वीकृति दी जाए और कर्नाटक सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि इस प्रथा की शिकार लड़कियों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन टावर स्थापित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, दूरदर्शन विस्तार की नीति के अन्तर्गत पर्वतीय पिछड़े व सीमान्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्य से इस घोषित प्राथमिकताओं का अनुसरण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार के वक्त नहीं किया गया

है। इस क्षेत्र में आज भी 25 प्रतिशत से कम लोग ही दूरदर्शन के दृष्टव्य का लाभ ले पा रहे हैं। इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत स्थानों में भी दूरदर्शन टावर स्थापित नहीं किए जाने से इन सीमांत जनजाति प्रधान क्षेत्रों में भयंकर असंतोष व्याप्त है।

मेरा इस मंत्रालय के माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के तहसील व उप-तहसील मुख्यालयों जैसे मुनस्यारी, चंपावत, डोडीहाट, गगोलीहाट, बेरीनाग, बागेश्वर, कपकोट, भिकियासेन, मौलेखाल (रतखाल) में इसी वर्ष दूरदर्शन टावर स्थापित किए जायें।

(चार) **राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग**

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : महोदय, मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आता है और वहां से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं लेकिन इन राजमार्गों की हालत बहुत दयनीय है। जब से ये बने हैं तब से इन राजमार्गों का काम पूरा नहीं हो पाया है जैसे कहीं पर ये छोटे हैं, कहीं पर कच्चे हैं और कहीं पर खाली गिट्टियां ही पड़ी हैं। सड़कों पर बिजली की रोशनी का अभाव है जिससे कई भयानक दुर्घटनायें हो चुकी हैं। बरसात में इन सड़कों पर पानी भर जाता है जिससे आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं।

महोदय, मैं इन राजमार्गों में से कुछ का विवरण दे रहा हूं। जैसे लखनऊ, हरदोई रोड वाया मलिहाबाद, मोहान रोड जो कि मोहन से हसनगंज, उन्नाव से कानपुर रोड, लखनऊ से सुलतानपुर वाया गोसाईगंज रोड और लखनऊ से बनारस वाया रायबरेली। इन सड़कों पर मुड़ने वाली अन्य सड़कों की भी हालत बहुत खराब है। धन के अभाव से ये अभी तक नहीं बन पाई हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इन राजमार्गों और उनसे छूटने वाली सड़कें, जो कि धन के अभाव से नहीं बन पा रही हैं, उनको बनाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को तुरन्त 10 करोड़ रुपये की सहायता दे जिससे उन्हें अविलम्ब बनाया और सुधारा जा सके।

(पांच) **आगरा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग**

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-377 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना आगरा में किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने खंडपीठ स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने हेतु जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था, जिसको सबल संस्तुति आयोग ने आगरा में खंडपीठ स्थापना हेतु की थी। सरकार अविलम्ब खंडपीठ आगरा में बनाये, जिससे भविष्य में होने वाले आंदोलन को रोका जा सके।

(छः) **डा० अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग**

श्री कालका दास (करोलबाग) : देश के विभिन्न भागों में बाबा साहेब डा० अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जब सरकार ने इसे सामाजिक न्याय वर्ष घोषित किया है, ऐसी खबरें हैं कि देश के कुछ भ्रांतित युवक और असामाजिक तत्वों ने देश में हिंसा भड़काने और समाज और देश

को टुकड़ों में बांटने की नीयत से बाबा साहेब की मूर्तियों को खंडित किया है। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जी की राष्ट्र भक्ति और उनके सामाजिक महान कार्यों को अभी जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। वे तो सभी के थे।

सरकार ऐसे गुमराह किए गए युवकों और असामाजिक तत्वों को पकड़े और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे।

(सात) **भारतीय पटसन निगम द्वारा सीधे उत्पादकों से पटसन की खरीद सुनिश्चित करने और उसके मूल्य अधिक लाभप्रद बनाए जाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : पश्चिम बंगाल में पटसन दो मुख्य नकदी फसलों में से एक है। जहां तक नादिया जिले में मेरे चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, पटसन मुख्य नकदी फसल है। पटसन उत्पादों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। किन्तु उत्पादकों को उनकी कड़ी मेहनत से उत्पन्न किए गए उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य से वंचित किया जा रहा है। भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्रों की कमी के कारण, इन गरीब उत्पादकों को भारतीय पटसन निगम के पास अपने उत्पादों को बेचने का अवसर नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वे दलालों के शिकार बन जाते हैं और उन्हें काफी कम दरों पर अपने उत्पादों को उनके पास बेचना पड़ता है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भारतीय पटसन निगम द्वारा मूल उत्पादकों से कच्चे पटसन की पूरी मात्रा खरीदने के लिए वे अविलंब विस्तृत व्यवस्थाएं करें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि पहले वह निर्धारित किए गए लाभकारी मूल्यों में संशोधन करें और 650/- रु० प्रति क्विंटल और मेस्टा के लिए प्रति क्विंटल 450/- रुपये निर्धारित करें।

(आठ) **पंजाब में धान की खरीद सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग**

श्री राजदेव सिंह (संगरूर) : बहुत कड़ी मेहनत के बाद पंजाब के किसानों ने अच्छी धान की फसल पैदा की है। किन्तु अब पंजाब की मंडियों में धान सड़ रहा है। ऐसा सरकारी एजेंसियों द्वारा मंडियों में पहुंच रहे धान को न खरीद पाने के कारण हो रहा है। विभिन्न जिलों की मंडियों में धान बड़ी मात्रा में जमा हो गया है। पिछले दिनों भारी वर्षा से भी धान को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। किसान उत्पाद को लेकर मंडियों में पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं किन्तु सरकारी एजेंसियां उन्हें नहीं खरीद रही हैं। इन एजेंसियों के अफसर बाजार जाते हैं और कुछ सैंकड़ों थैलियां खरीदकर बाजार से चले जाते हैं। यह खरीद बाजार में केवल अपनी उपस्थिति का अहसास कराने के लिए करते हैं। चावल बेचने वाले भी कोई खरीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसान अपने उत्पादों की आपात बिक्री करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह बहुत गम्भीर विषय है। पंजाब में सरकारी अभिकरणों द्वारा धान की खरीद किए जाने के लिए सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

(नौ) **चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने और उपयोगी अंगों के प्रतिरोपण को लोकप्रिय बनाने के लिए शव स्वीकार करने हेतु विधान बनाए जाने की मांग**

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर)। प्राचीन भारत में, चरक और सुश्रुता के समय के

दौरान, शरीर-रचना विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली थी। वर्ष 1982 भी महत्वपूर्ण है, जब जैरेमी बेंथम एक उपयोगितावादी दार्शनिक, ने चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए अपना शरीर अर्पित कर दिया था। भारत में, सर्वप्रथम 1952 में श्री पाण्डुरंगा आप्टे, गांधीवादी अध्यापक ने अपना शरीर अर्पित किया था।

आज, पश्चिम में मृत्यु होने पर अपने शरीर का दान करने का संकल्प करना, जिसे चिकित्सकीय अनुसंधान और शरीर के अंगों के प्रतिरोपण के लिए शव का दान कहा जाता है, अब एक आम बात हो गई है। किन्तु, हमारे देश में, अन्धविश्वासों और प्रतिबन्धों के कारण शव-परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया भी नहीं कराई जाती, शरीर के अंग और शरीर का दान तो और भी कम है। 1985 से कलकत्ता में कार्यरत एक ऐच्छिक संस्था "गणदर्पण", आंगिक प्रतिरोपण और चिकित्सा अनुसंधान के लिए शरीर के दान को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी योग्यता से अभियान चला रही है।

अब तक, "गणदर्पण" के द्वारा 400 से अधिक लोगों के मृत्यु-पश्चात् अपना शरीर दान करने का संकल्प किया है। अतः, समय की आवश्यकता यह है कि चक्षुपटल उपरोपण, गुर्दा और हृदय प्रतिरोपण और चिकित्सा अनुसंधान के लिए शव उपलब्ध कराने के लिए शव-दान को सफल बनाने के लिए तुरन्त आवश्यक व्यवस्था कराई जाए। इस सम्बन्ध में जो आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाया जाना है वह है। गुर्दे का गैरकानूनी एवं लाभप्रद व्यापार बन्द करने के कड़े कदम उठाना व्यावसायिक रूप से अंगों को प्रतिरोपण के लिए बेचने से इस उद्देश्य का दुरुपयोग होता है जिस पर रोक लगा दी जानी चाहिए और इसके साथ ही शव-दान के लिए विस्तृत रूप से अभियान चलाया जाना चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि न केवल जीवनोपयोगी आवश्यक अंगों के प्रतिरोपण को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपितु महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के महान कार्यों के लिए वे तुरन्त एक उचित कानून पारित करें जिससे मृत्यु पश्चात् शव स्वीकार करने की अनुमति दी जा सके।

(दस) **डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की मांग**

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : महोदय, डाक और तार विभाग में ऐसे हजारों कर्मचारी काम करते हैं जिन्हें विभागेतर कर्मचारी कहा जाता है। लम्बा समय से वे काफी कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। उनके सेवा सम्बन्धी नियम, विभाग के स्थायी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियमों से भिन्न हैं। उन्हें उड़ीसा में "रनर" कहा जाता है। वे डाक के मुख्य या उप-डाकखाने से शाखा डाक खाने से लाते या ले जाते हैं। वे सम्बोधित व्यक्तियों को पत्र, धन-आदेश और पार्सल भी पहुंचाते हैं। उनमें से अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक काम कर रहे हैं उनके लिए कोई नियमित सेवा नियम नहीं हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि उड़ीसा और अन्य राज्यों के डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया जाए। उन्हें भविष्य-निधि, सेवा-पारितोषिक और बोनस इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ग्यारह) **भारत-भूटान सीमा पर रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की मांग**

श्री माणिक साग्याल (जलपैगुड़ी) : भूटान की शाही सरकार ने देश में व्याप्त वर्तमान राज-

नीतिक उथल-पुथल से निबटने के लिए जो कार्यवाही की है उससे भारत-भूटान सीमा पर रहने वाले भारतीयों को गहरी चिन्ता है। भूटान सैनिक बल द्वारा हाल ही में की गई गोलीबारी, जिसमें तीन सौ से अधिक भूटानी नागरिक मारे गए, ने भारत-भूटान सीमा पर रहने वाले भारतीयों के दिलों पर उनकी सुरक्षा, शान्ति को लेकर गहरा प्रभाव डाला है। भूटान सरकार की यह कार्यवाही केवल उनके अपने इलाके तक ही सीमित नहीं है। 23 सितम्बर, 1990 को जलपैगुड़ी जिले के बनारहट पुलिस स्टेशन के अधीन चुनभटी चाय बागान के निकट अकार भूटानी मिलिट्री ने अकारण ही गोलीबारी की थी, जिसके कारण दो भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई और जलपैगुड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई और इससे भारतीय लोगों में भय बढ़ गया है। और, भूटान सरकार ने सीमा को सील कर दिया है और भूटान में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, उन भारतीयों जो जिनके पास परिचय पत्र है और जो भूटान में सीमेण्ट फैक्टरी और अन्य संस्थाओं में काम करते है, उन्हें भी उस देश में जाने की अनुमति नहीं है। अन्ततः इसका प्रभाव भूटान सरकार के साथ वर्तमान मैत्री सम्बन्धों पर पड़ सकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय को भूटान सरकार के साथ उठाएं ताकि पुनः सामान्य स्थिति बहाल की जा सकें और हमारे लोगों के बीच से असुरक्षा की भावना को तुरन्त दूर किया जा सके।

(बारह) उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के खिलाफ भेदभाव बरता जाता है, तथा देश का केवल एक यही ऐसा क्षेत्र है जहां पर वास्तव में रेलवे सुविधाओं में कमी आई है। दो बार उचित तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था तथा बजट में समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी रेलवे लाईन में बदलने तथा तथा इसी रेलवे लाइन को जय नगर तथा रक्सौल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनेक बार ताक पर रख दिया गया है। इस समय अत्यन्त धीमी गति से कार्य आगे चल रहा है तथा इसके शीघ्र पूरा होने की भी कोई गारंटी नहीं है। बाढ़, सूखा तथा विद्युत संकट इस क्षेत्र के एक स्थायी अंग बन चुके हैं तथा कोशी, कमला, बागमती, महानंदा तथा मशान नदी पर बहुउद्देशीय बांध निर्माण के लिए को प्रयत्न भी नहीं किया गया है जबकि केवल इसी तरीके से ही अनेक राज्यों को पर्याप्त जलविद्युत प्रदान करने के अलावा नेपाल के तराई वाले क्षेत्र तथा उत्तर बिहार की अधिकतर समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता। कोसी नदी पर बहु-उद्देशीय उच्च बांध संबंधी परियोजना की रिपोर्ट जो नेपाल नरेश को भेजी गई थी उसके लिए राजनैतिक स्तर पर गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किया जा रहा है।

यहां तक कि मधुबनी तथा दरभंगा की ठाकुर पेपर मिल्स अशोक पेपर मिल्स तथा फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी जैसे उद्योगों में भी गिरावट आई है तथा रैयान, लोहत तथा सकरी की पुरानी चीनी मिलों की भी आधुनिक नहीं बनाया जा रहा है। पश्चिमी कोसी नहर को पूरा करने के कार्य में भी विलम्ब किया जा रहा है।

यहां तक कि आल इंडिया रेडियो के दरभंगा स्टेशन की क्षमता भी संसाधनों की कमी के नाम पर नहीं बढ़ाई जा रही है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बिहार की औसत खपत के पांचवे हिस्से से भी कम है जो स्वयं ही औसत राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है।

इस प्रकार उस क्षेत्र की जनता लगातार उपेक्षा किए जाने के कारण पूरी तरह निराश हो चुकी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर बिहार के आर्थिक विकास की दिशा में कदम उठाए तथा वहां के लोगों की स्थिति को सुधारे।

(तेरह) **बिहार के रोसेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिरौल या कुशेश्वर स्थल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग**

[हिन्दी]

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : महोदय, बिहार राज्य का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रोसेड़ा अत्यन्त ही पिछड़ा इलाका है। ग्रामीण लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने में काफी परेशानी होती है। चूंकि दरभंगा एवं सहरसा में ही दूरदर्शन केन्द्र है। उक्त दोनों स्थानों के बीच में रहने वाले लोगों को भी दूरदर्शन के कार्यक्रमों में काफी अभिरूचि रहती है। दरभंगा जिला के बिरौल एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड अत्यन्त ही देहाती इलाका है। बिरौल या कुशेश्वर स्थान प्रखंड में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने हेतु मैंने मंत्री जी को पत्र भी लिखा है।

अत: दरभंगा जिले के बिरौल या कुशेश्वर स्थान में दूरदर्शन का केन्द्र स्थापित किया जाए।

(चौदह) **झारखंड समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : भारत सरकार ने वर्ष 1989 में झारखंड मामलों संबंधी एक समिति का गठन संवैधानिक ढांचे के भीतर उस क्षेत्र की जनता अर्थात् बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आस-पास के क्षेत्र जहां पर कि अधिकतर आदिवासी तथा अन्य दलित वर्ग रहते हैं न्यायोचित आकांक्षाओं का पता लगाने तथा इसे पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने हेतु किया था। वहां के लोग झारखंड नाम से एक अलग राज्य की स्थापना हेतु पिछले पचास वर्षों से आन्दोलन कर रहे थे।

समिति ने काफी गहन अध्ययन करने के पश्चात् तथा जनप्रतिनिधियों और वहां के राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ अनेक बैठकें करने के पश्चात् मई, 1990 में बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के सभी संसद सदस्यों की उपस्थिति में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्री को प्रस्तुत की थी। यद्यपि उन्होंने एक महीने के अन्दर ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक संसद के समक्ष वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि उसके बारे में कुछ अर्थपूर्ण चर्चा की जा सके न ही उसे प्रकाशित किया गया है। इससे झारखंड क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है जो कि अब उग्रवाद के पथ पर उतर आई है। 8 अक्तूबर को बन्द का आह्वान पहले ही किया गया है तथा कोयला तथा लोह सहित सभी खनिज पदार्थों को एक सप्ताह तक रोक कर रखने से पूरे देश का औद्योगिक जीवन लगभग पंगु हो गया है।

जब देश के सभी क्षेत्रों में अशांति फैली हुई है तब उस स्थिति में देश इस औद्योगिक केन्द्र में इन अड़चनों का असर काफी विनाशकारी होगा। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस रिपोर्ट के आधार पर अर्थपूर्ण चर्चा आरम्भ करे तथा झारखंड मसले के सम्बन्ध में कोई शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंचे तथा वहां की जनता के साथ न्याय करे।

विदाई सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह सत्र छोटा किन्तु बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सात सितम्बर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, एक अक्तूबर को पुन: आरम्भ हुई। बीच में छुट्टियां पड़ जाने के कारण हम केवल तीन ही बैठक कर सके। तथापि सभा ने संविधान (67 वां संशोधन) विधेयक, 1980 लगभग सर्वसम्मति के पास किया जिसके लिए वह बधाई का पात्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा लोकतन्त्र गतिशील है और जब कठिनाई आती है तो हम बिना समय गवाये एक हो जाते हैं। पंजाब समस्या पर ठीक यही हुआ है।

सभा में काफी उपयोगी वाद-विवाद हुआ। सबसे महत्वपूर्ण मण्डल आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध छात्रों के आन्दोलन पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुझे पक्का विश्वास है कि इस वाद-विवाद से गलतफहमियां दूर होंगी और छात्र समुदाय में यह विश्वास पैदा होगा कि यह सभा उनके भविष्य, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति पूर्णत: जागरूक है।

वे छ: शान्त परिस्थितियां जिनमें कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हुई उसके प्रति इस सभा तथा सरकार ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति एक बार फिर गहरी चिन्ता का विषय बन गई है तथा यह काफी ठीक हुआ है कि सभा में आज नियम 193 के अन्तर्गत इस मामले पर चर्चा हुई है। मुझे पूरी आशा है कि यहां से जो संदेश जाएगा उससे तनाव कम करने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में काफी मदद मिलेगी।

माननीय सदस्यगण, जनता की आकांक्षाओं एवं उनकी चिन्ताओं को अभिव्यक्ति देने की हमारी कठिन जिम्मेदारी है। हमें उनकी आशाओं के अनुरूप आचरण करना चाहिए और राष्ट्र के सही प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिए। अत: हम अपने निर्वाचकों के पास इस सभा के संक्षिप्त काल में किए गए कार्यों के प्रति कुछ संतोष लेकर जाते हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं अपने सहयोगियों —उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापतियों के पेनल के सदस्यों को इस सभा के कार्य संचालन में मुझे सहयोग तथा सहायता देने हेतु उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। यह कहने की जरूरत नहीं कि उनके सहयोग के बिना मैं इस महान जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता। मैं संसदीय कार्यों के मंत्री, उनके सहयोगियों, विभिन्न दलों तथा समूहों के नेताओं तथा प्रत्येक माननीय सदस्य को मुझे सहयोग करने में तथा मेरा कार्य आसान करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं भी आपकी तरह सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। यह एक संक्षिप्त किन्तु सुखद सत्र रहा तथा एक विशिष्ट कार्य संपादन के लिए एक अत्यन्त छोटे नोटिस पर बुलाया गया था। वह कार्य काफी सुचारु तरीके से कर दिया गया है। मैं सभी दलों तथा उनके नेताओं तथा विशेष रूप से विपक्ष को इस कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं···(व्यवधान)···

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : क्या आप भोजन उपरान्त ऐसा कह रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम देख रहे हैं इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं, ये भूखे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं उपाध्यक्ष महोदय, सभापति तालिका, तथा सचिवालय को उनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन में हम इस चार-दिवसीय सत्र को अत्यन्त सफलतापूर्वक पूरा कर सके हैं। हमने अपने पूर्व-निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी चर्चा की है। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सभी माननीय सदस्यों को दीपावली की शुभ कामनाएं देता हूं। हम कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु पुनः शीतकालीन सत्र में मिलेंगे ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आप सभी माननीय सदस्यों को शुभ दीपावली की शुभ कामनाएं देता हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : महोदय, ठीक है अब आपने काफी धन्यवाद कर दिया।

एक माननीय सदस्य : हम आपसे रात्रि भोज नहीं पा सके।

श्री पी० उपेन्द्र : मुझे उसके लिए अत्यन्त दुःख है। समझौता यह था कि विपक्ष का मुख्य सचेतक···(व्यवधान)···

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : इसके विरोध में हम आपके यहां रात्रि भोज पर आ रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : उन्होंने भी इसका विरोध किया था परन्तु माननीय सदस्यों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

10.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/10/24/90 (एन)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।